VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

सितम्बर - 2019

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution) 6

1.1. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 6

1.2. एक राष्ट्र एक भाषा 8

1.3. न्यायाधीशों का स्थानांतरण 11

1.4. उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय न्यायपीठ 12

1.5. इंटरनेट एक मूलभूत अधिकार 14

1.6. राइट टू बी फॉरगॉटन 15

1.7. सूचना के अधिकार के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठन 17

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 21

2.1. वैश्विक मंच पर कश्मीर मुद्दा 21

2.2. विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रणाली 23

2.3. भारत-आसियान: मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा 26

2.4. क्वाड 28

2.5. भारत-चीन आर्थिक संबंध 30

2.6. भारत-दक्षिण कोरिया संबंध 32

2.7. रूस का सुदूर पूर्व 34

2.8. सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों पर हमला 35

2.9. अमेरिका-तालिबान वार्ता 36

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 38

3.1. अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु उपाय 38

3.2. कृषि ऋण 40

3.3. यूरिया सब्सिडी 43

3.4. कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव 46

3.5. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 48

3.6. मनरेगा में सुधार 49

3.7. लैंड पूलिंग 52

3.8. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 54

3.9. मल्टी-मॉडल टर्मिनल 55

VISION IAS

3.10. लीड्स सूचकांक 56
3.11. उपजीविकाजन्य सुरक्षा 56
3.12. सरल सूचकांक 58
3.13. अंकटाड की रिपोर्ट 59
3.13.1. कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 59
3.13.2. व्यापार और विकास रिपोर्ट 60
3.14. यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 60

4. सुरक्षा (Security) 62

4.1. स्मार्ट पुलिसिंग 62

5. पर्यावरण (Environment) 64

5.1. बदलते जलवायु परिदृश्य में महासागर और क्रायोस्फीयर (हिमांक-मंडल) 64
5.1.1. उच्च-पर्वतीय क्षेत्र 65
5.1.2. पृथ्वी के ध्रुवों पर सागरीय हिम 65
5.1.3. पर्माफ्रॉस्ट 67
5.1.4. महासागर 68
5.1.5. अनुक्रिया विकल्पों को सशक्त बनाना 69
5.2. अटलांटिक मेरीडिओनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन 70
5.3. एकल उपयोग वाले प्लास्टिक 71
5.4. कॉप 14: UN कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन 75
5.5. मृदा जैविक कार्बन 76
5.6. फॉरेस्ट-प्लस 2.0 78
5.7. कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र 79
5.8. बायोरेमेडिएशन एवं बायोमाइनिंग 80

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 82

6.1. 10 वर्षीय ग्रामीण सैनिटेशन रणनीति (2019-2029) 82
6.2. लिव-इन रिलेशनशिप 83
6.3. स्वास्थ्य देखभाल सेवा कार्मिक एवं नैदानिक प्रतिष्ठान (हिंसा और संपत्ति क्षति निषेध) विधेयक, 2019 85
6.4. अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 86

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 88

7.1. वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व 88
7.2. वैक्सीन हेज़िटन्सी 89

VISION IAS

7.3. ई-सिगरेट 90
7.4. डॉ. विक्रम साराभाई 92
7.5. नाविक 93
7.6. क्वांटम कम्प्यूटिंग 93
7.7. स्वदेशी फ़्यूल सेल 94
7.8. सिरेमिक मेम्ब्रेन 95
7.9. शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019 95
8. संस्कृति (Culture) **97**
8.1. हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित नए तथ्य 97
8.2. संगम युग 98
8.3. डिंडीगुल ताले और कांदांगी साड़ी को भौगोलिक संकेतक टैग 99
9. नीतिशास्त्र (Ethics) **101**
9.1. जलवायु परिवर्तन और नीतिशास्त्र 101
10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Short) **103**
10.1. ए-वेब 103
10.2. इंडिया-कैरीकॉम शिखर सम्मेलन 103
10.3. द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक, 2019 103
10.4. भारतीय कौशल संस्थान 104
10.5. जीवन कौशल 104
10.6. भारतीय कौशल विकास सेवा संवर्ग का प्रथम बैच 104
10.7. ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 104
10.8. GST: आधार सत्यापन अनिवार्य होगा 105
10.9. इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 105
10.10. महिलाओं के लिए प्रथम वैश्विक व्यापार केंद्र 105
10.11. समुद्रयान प्रोजेक्ट 105
10.12. अपाचे हेलिकॉप्टर 106
10.13. अस्त्र मिसाइल 106
10.14. INS खंडेरी 106
10.15. INS नीलगिरि 107
10.16. ICGS वराह 107

VISION IAS

10.17. सुर्ख़ियों में रहे सैन्य अभ्यास 107
10.18. सेंट्रल ऐड्वर्स लिस्ट 108
10.19. बेसल बैन अमेंडमेंट 108
10.20. पेससेटर फंड 108
10.21. जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 108
10.22. राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार 109
10.23. अल्पाइन हिमनद के आकार में कमी 109
10.24. महाबलेश्वर भारत के सर्वाधिक आद्र स्थलों में शामिल 109
10.25. IARI द्वारा जारी गेहूं की नई किस्म 110
10.26. नेशनल एजुकेशनल एलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 110
10.27. व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 111
10.28. इट राइट इंडिया अभियान 111
10.29. एड्स, क्षयरोग और मलेरिया के लिए गठित वैश्विक कोष 112
10.30. साथी पहल 112
10.31. साल्मोनेला 112
10.32. डेनिसोवन 113
10.33. बहिर्ग्रह पर जल की प्राप्ति 113
10.34. गोल्डस्मिडाइट 113
10.35. TB हारेगा देश जीतेगा अभियान 113
10.36. आनुवंशिक विकार हेतु उम्मीद पहल 114
10.37. ग्लोबल गोलकीपर गोल्स अवॉर्ड 2019 114
10.38. वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 114
10.39. डिजिटल भुगतान अभियान 115
11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes In News) 116
11.1. क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम 116
11.2. उदारीकृत विप्रेषण योजना 116

VISION IAS

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution)

1.1. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

(National Population Register)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा देश भर में नागरिकों के पंजीकरण हेतु एक रजिस्टर के प्रवर्तन का आधार तैयार करने के लिए सितम्बर 2020 तक एक **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)** निर्मित करने का निर्णय लिया गया है।

पृष्ठभूमि

- कारगिल युद्ध के पश्चात् एक मंत्रियों का समूह (Group of Ministers: GoMs) गठित किया गया था, जिसने नागरिकों के एक राष्ट्रीय रजिस्टर के सृजन को सुविधाजनक बनाने तथा अवैध प्रवास को नियंत्रित करने हेतु **भारत के सभी निवासियों के अनिवार्य पंजीकरण की अनुशंसा की थी।**
  - इसके द्वारा यह अनुशंसा की गयी थी कि सभी **भारतीय नागरिकों** को एक **बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र (Multi-Purpose National Identity Card: MPNIC)** प्रदान किया जाना चाहिए तथा **गैर-नागरिकों** हेतु विभिन्न रंगों एवं डिजाईन के पहचान-पत्र जारी किए जाने चाहिए।
- **वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान गणना हेतु वर्ष 2010 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया (RGI) ने एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्री के लिए आंकड़ों का संग्रहण किया था।**
  - **वर्ष 2015** में इन आंकड़ों को घर-घर जाकर एक सर्वेक्षण के माध्यम से अद्यतित किया गया था।
- हालांकि, वर्ष 2016 में सरकारी लाभों के अंतरण हेतु प्रमुख साधन के रूप में **सरकार द्वारा आधार (Aadhaar) का चयन किया गया था,** जबकि NPR की धीमी प्रगति के कारण NPR के प्रवर्तन को रोक दिया गया था।
- **RGI द्वारा अगस्त 2019 में जारी अधिसूचना** के माध्यम से इस योजना को अब पुनर्जीवित किया गया है। साथ ही, अतिरिक्त आंकड़ों के साथ NPR-2015 को अद्यतित करने का कार्य आरम्भ किया गया है, जिसे वर्ष 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

NPR में संग्रहित आंकड़े

- NPR में **जनसांख्यिकीय तथा बायोमेट्रिक दोनों प्रकार के आंकड़ों** का संग्रहण किया जाएगा।
- **जनसांख्यिकीय आकड़ों** की 15 विभिन्न श्रेणियां होंगी, जो नाम, जन्मस्थान, शिक्षा व व्यवसाय आदि अनेक आधारों पर भिन्न होंगी।
- **बायोमेट्रिक आंकड़ों** हेतु यह 'आधार' पर निर्भर होगा, जिसके लिए निवासियों के 'आधार विवरण' का उपयोग किया जाएगा।
- यह **जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्रों के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अद्यतित** करने का कार्य कर रहा है।
- यद्यपि, NPR में पंजीकरण कराना **अनिवार्य** है, तथापि **PAN, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान-पत्र** जैसे अतिरिक्त आंकड़ों का समावेशन **स्वैच्छिक** है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के बारे में

- NPR **"देश के सामान्य निवासियों" की एक सूची** है।
  - गृह मंत्रालय के अनुसार "देश का सामान्य निवासी" वह व्यक्ति है, जो **कम से कम विगत छह माह से एक स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहा है तथा आगामी छह माह हेतु एक विशेष स्थान पर रहने का इच्छुक है।**
- NPR को **नागरिकता अधिनियम, 1955** तथा **नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003** के प्रावधानों के तहत तैयार किया जा रहा है।
  - **नागरिकता अधिनियम, 1955** को वर्ष 2004 में संशोधित करते हुए इसमें धारा 14A को समाविष्ट किया गया था, जो निम्नलिखित हेतु प्रावधान करती है:
    - केंद्र सरकार **अनिवार्यत: भारत के प्रत्येक नागरिक को पंजीकृत कर सकती है तथा राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी कर सकती है।**
    - केंद्र सरकार **भारतीय नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर (National Register of Indian Citizens: NRIC)** बना सकती है तथा इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण (National Registration Authority) स्थापित कर सकती है।
    - **निवासियों** के सार्वभौमिक आंकड़ों को संग्रहित करने के पश्चात् नागरिकता का उचित सत्यापन किया जाएगा, तत्पश्चात उसमें से **नागरिकों** के उप-समुच्चय को निर्धारित किया जाएगा। इसलिए, **सभी सामान्य निवासियों** हेतु NPR में पंजीकरण करवाना **अनिवार्य** है।

VISION IAS

- NPR का स्थानीय, उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर संचालन किया जाएगा।
- इसे **गृह मंत्रालय के अंतर्गत RGI के कार्यालय द्वारा जनगणना 2021** के प्रथम चरण के साथ संयोजन में संचालित किया जाएगा।
  - हाल ही में पूर्ण हुए NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) को ध्यान में रखते हुए केवल **असम को NPR में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।**
- NPR में पंजीकृत **18 वर्ष के आयु वर्ग** के सभी सामान्य निवासियों हेतु **निवास पहचान-पत्र जारी किए जाने का प्रावधान** भी किया गया है।

NPR, जनगणना और NRC से किस प्रकार भिन्न है?

- यह कार्य प्रत्येक दस वर्षों में आयोजित होने वाली **जनगणना से भिन्न है तथा यह NRC से संबद्ध नहीं है।**
- हालांकि, जनगणना एक वृहद् कार्य है, किंतु इसमें व्यक्तिगत पहचान संबंधी विवरणों को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, NPR, प्रत्येक व्यक्ति के पहचान संबंधी विवरण को संग्रहित करने हेतु अभिकल्पित है।
  - जनगणना संबंधी आंकड़े गोपनीयता खंड द्वारा संरक्षित होते हैं। सरकार ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि वह व्यक्तियों की कुल गणना (headcount) हेतु एक व्यक्ति से प्राप्त सूचना को प्रकट नहीं करेगी।
- **NRC** के विपरीत NPR, नागरिकता प्रमाणन का अभियान नहीं है, क्योंकि यह छह माह से अधिक अवधि से एक स्थान पर निवासित एक विदेशी व्यक्ति का भी रिकॉर्ड रखेगा।
  - NPR के एक बार पूर्ण व प्रकाशित हो जाने के उपरांत, यह भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (National Register of Indian Citizens: NRIC) को निर्मित करने का आधार तैयार करेगा। इस प्रकार NRIC, असम के NRC का ही एक अखिल भारतीय संस्करण होगा।

NPR के लाभ

- **निवासियों का डेटाबेस:** यह प्रासंगिक जनांकिकीय विवरणों के साथ देश के निवासियों का एक व्यापक पहचान डेटाबेस निर्मित करने में सहायता प्रदान करेगा तथा विभिन्न मंचों पर निवासियों के आंकड़ों को सुव्यवस्थित करेगा।
- **बेहतर क्रियान्वयन:** यह सरकार को अपनी नीतियों को बेहतर तरीके से सूत्रबद्ध करने में सहायता प्रदान करेगा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में भी योगदान देगा।
  - यह न केवल सरकारी लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्षित करने में सहायता प्रदान करेगा, अपितु **समान रीति से कागजी कार्यवाही व लालफीताशाही में उसी प्रकार कटौती करेगा** जैसे कि आधार कार्ड योजना में की गई है।
  - गृह मंत्रालय ने यह तर्क दिया है कि **आधार** की तुलना में NPR सब्सिडियों के वितरण हेतु अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि NPR में प्रत्येक व्यक्ति को एक परिवार से संबद्ध करने हेतु आंकड़े उपलब्ध हैं।
- **किसी भी प्रकार के दोषों का निवारण:** उदाहरणार्थ- एक व्यक्ति की विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में भिन्न-भिन्न जन्म-तिथियाँ दर्ज होना सामान्य है। NPR इस प्रकार की असंगति के उन्मूलन में सहायता प्रदान करेगा।
- **दोहराव (duplication) की समाप्ति:** NPR आंकड़ों के चलते, निवासियों को आधिकारिक कार्यों हेतु आयु, पता और अन्य विवरण के विभिन्न साक्ष्यों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने दृढ़ता से कहा है कि यह मतदाता सूची में दोहराव का उन्मूलन करेगा।

NPR से संबंधित मुद्दे

- **निजता का मुद्दा:** ज्ञातव्य है कि देश में आधार (Aadhaar) से संबंधित निजता के मुद्दे पर वाद-विवाद अभी भी जारी है, तथापि NPR में भारत के निवासियों के व्यापक आंकड़ों को संग्रहित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही, इतने व्यापक मात्रा में आंकड़ों के संरक्षण हेतु किसी प्रकार के तंत्र पर स्पष्टता अभी तक परिलक्षित नही हुई है।
  - इससे पूर्व, विभिन्न रिपोर्टों में यह वर्णित किया गया है कि विविध अवसरों पर आधार डेटा के दुरुप्रयोग के मामले प्रकट हुए हैं, परन्तु UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) निरंतर इस प्रकार के उल्लंघनों को पूर्णतः अस्वीकृत करता रहा है।
- **आंकड़ों के सहभाजन की वैधता:** UIDAI और NPR, दोनों द्वारा एकत्रित किए जाने वाले सामान्य एवं बायोमेट्रिक आंकड़ों के संग्रहण की वैधता पर प्रश्नचिन्ह आरोपित किए गए हैं। उदाहरणार्थ- यह तर्क दिया गया है कि NPR के माध्यम से बायोमेट्रिक सूचना का संग्रहण अधीनस्थ विधान (subordinate legislation) के विषय-क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** सृजित किए जाने वाले डेटाबेस के आकार, डेटाबेस की केंद्रीकृत प्रकृति, डेटाबेस में संग्रहित सूचना की संवेदनशील प्रकृति तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों की संलिप्तता को देखते हुए इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है।

- **NRC के समान मुद्दे:** NPR वस्तुतः राष्ट्रव्यापी NRC समान होगा तथा असम के नागरिकों की सूची के समान भी होगा। NRC के निर्माण के दौरान ऐसे अनेक दृष्टांत दृष्टिगोचर हुए थे जहां एक परिवार के कुछ सदस्यों को प्रारूप सूची में सूचीबद्ध किया गया था जबकि अन्यों को सूचीबद्ध नहीं किया गया।
- **परियोजनाओं का दोहराव:** यह अस्पष्ट है कि सरकार के लिए भारतीय नागरिकता के संबंध में एक अन्य पहचान अभियान संचालित करने की क्या आवश्यकता है, जबकि लगभग 90% नागरिक आधार योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जा चुके हैं।
    - आधार, NRC, NPR, जनगणना इत्यादि जैसी बहुविध परियोजनाओं के चलते **देश में नागरिकता के विचार के संदर्भ में भ्रांति** उत्पन्न हुई है।
- **गैर-सूचीबद्ध जनसंख्या (Uncounted people):** जनगणना के तहत संपूर्ण जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाता है, जिसके कारण उन नागरिकों की स्थिति से संबंधित प्रश्न का समाधान नहीं हो सका है, जिन्हें जनगणना अधिकारी द्वारा सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
    - यह प्रवासी श्रमिकों की स्थिति को भी स्पष्ट नहीं करता है, जो नागरिक तो हो सकते हैं, परन्तु "सामान्य निवासी" के रूप में पात्र नहीं होंगे।

NPR बनाम आधार

NPR में संग्रहित आंकड़ों को दोहराव से संरक्षित करने तथा आधार संख्या जारी करने हेतु UIDAI को प्रेषित किया जाएगा।

- **स्वैच्छिक बनाम अनिवार्य:** सभी भारतीय निवासियों को NPR में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, जबकि UIDAI में पंजीकरण करवाना स्वैच्छिक है।
- **संख्या बनाम रजिस्टर:** UIDAI एक संख्या जारी करता है जबकि NPR नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का सूचक है। इस प्रकार यह केवल एक रजिस्टर है।
- **प्रमाणीकरण बनाम पहचान निर्धारण:** आधार संख्या, इस कार्य-कलाप के दौरान एक प्रमाणकर्त्ता (authenticator) के रूप में कार्य करेगा। इसे किसी भी मंच द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है तथा अनिवार्य बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय निवासी कार्ड (National Resident Card) वस्तुत: निवासी की स्थिति और नागरिकता का द्योतक होगा। यह अस्पष्ट है कि किन परिस्थितियों में इस कार्ड का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता होगी।
- **UIDAI बनाम RGI:** UIDAI विशिष्ट पहचान योजना में व्यक्तियों को नामांकित करने हेतु उत्तरदायी है तथा RGI व्यक्तियों को NPR में सूचीबद्ध करने हेतु अधिदेशित है।
- **घर-घर जाकर नामांकन करना बनाम किसी केंद्र पर नामांकन करवाना (Door to door canvassing vs. center enrollment):** UID में पंजीकरण हेतु व्यक्तियों को एक नामांकन केंद्र में जाना होता है जबकि NPR के तहत घर-घर जाकर निवासियों का पंजीकरण किया जाएगा।
- **अग्रिम दस्तावेजीकरण बनाम जनगणना सामग्री:** UID दस्तावेजीकरण और पहचान-निर्धारण के अग्रिम रूपों पर आधारित है जबकि NPR जनगणना द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित होगा।

निष्कर्ष

NPR में संग्रहित किए जाने वाले आंकड़ों से संबद्ध निजता संबंधी सरोकारों को स्पष्ट किया जाना अत्यावश्यक है तथा असम में सम्पादित ऐसे समान कार्यों (उदाहरणार्थ- NRC) से उत्पन्न समस्याओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। यह नागरिकता के सत्यापन हेतु एक मूलभूत डेटाबेस के रूप में कार्य करने में तभी सक्षम होगा जब एक राष्ट्रव्यापी NRC को पश्चातवर्ती चरणों में संपन्न किया जाएगा।

1.2. एक राष्ट्र एक भाषा

(One Nation One Language)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की साझी भाषा (common language) के रूप में हिंदी को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव किया था।

पृष्ठभूमि

- **एक राष्ट्र एक भाषा** पर वाद-विवाद संविधान सभा में आधिकारिक भाषा (official language) पर हुए चर्चाओं के दौरान आरम्भ हुआ था।
    - हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाए जाने के पक्ष में मतदान किया गया था। हालांकि, विभिन्न वर्गों के विरोध और हिंदी-विरोधी आन्दोलन के कारण, एक सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में **अंग्रेजी** का प्रयोग जारी रखा गया।

- इससे पूर्व **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के प्रारूप** की कुछ धाराओं की हिंदी भाषा के अधिरोपण के रूप में व्याख्या की गई थी, जिन्हें बाद में संशोधित किया गया था।
- इस पृष्ठभूमि में देश में **एक राष्ट्र एक भाषा पर वाद-विवाद** पुन:प्रारम्भ हो गया है।

हिंदी भाषा को बढ़ावा देने हेतु आधार

- **अनुच्छेद 351:** संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह-
  - हिंदी भाषा के प्रसार में वृद्धि करे,
  - उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और
  - उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में तथा आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।
- **अनुच्छेद 120 और 210,** क्रमशः संसद और राज्य विधान-मंडलों को उनके कार्य-संचालन हेतु हिंदी या अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का विकल्प प्रदान करता है {राज्य विधान-मंडलों के मामलों में राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं या हिंदी या अंग्रेजी (**अनुच्छेद 210**)}।
- **अनुच्छेद 343** संसद को विधि द्वारा आधिकारिक कार्यों (शासकीय प्रयोजनों) हेतु हिंदी या अंग्रेजी भाषा का चयन करने के लिए निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 344** उपबंधित करता है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों हेतु हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग तथा अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधनों के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 10 वर्षों में एक आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग अपनी अनुशंसाएं राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा और तीस सदस्यों वाली एक संसदीय समिति आयोग की अनुशंसाओं का परीक्षण करेगी।

इस मुद्दे पर प्रमुख वाद-विवाद

- **भाषा और पहचान के मध्य संबंध को समझना:** भाषा, पहचान से तात्विक रूप से संयोजित है तथा यह प्राय: एक राष्ट्र की पहचान को भी सम्मिलित करती है।
  - इस प्रकार, भाषा, पहचान और नीति के मध्य एक घनिष्ट संबंध विद्यमान है। भाषा को सामाजीकरण का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है तथा यह व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से अनुभूतियों एवं महत्वकांक्षाओ के विषय में ज्ञान प्रदान करती है।
- **भाषा बनाम राष्ट्रवाद:** भाषा को राष्ट्रवाद के एक प्रतीक के रूप में ध्वज और साहित्य के समान अथवा उनसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। भाषा और एक राष्ट्र के मध्य मौलिक संबंध होता है, क्योंकि भाषा का प्राय: राष्ट्र निर्माण में प्रयोग किया जाता है।
- **एक राष्ट्र की धारणा में निहित विचार: "एक राष्ट्र" (one nation)** में 'एक' शब्द का तात्पर्य परिमाण पर आधारित नहीं हो सकता, यह केवल विशेषता का परिचायक है, क्योंकि बहुसंख्यक (majority) सामान्यतया एकात्मकता (oneness) की अवधारणा का सृजन नहीं करते। इस प्रकार, 'एकात्मकता' मानव एवं विश्व के मध्य विद्यमान एकता का एक प्रकार है तथा एक राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के मध्य मौजूद 'एकात्मकता' व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली 'भाषा' अथवा अनुसरण किए जाने वाले 'धर्म' से पृथक एवं स्वतंत्र है।

एक राष्ट्र एक भाषा के पक्ष में तर्क

- **विकास के समक्ष विद्यमान बाधाओं का निराकरण:** कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे- व्यापार, शिक्षा और अनुसंधान, राष्ट्रीय सुरक्षा (यथा- सेना इत्यादि) जहाँ केवल एक राष्ट्रीय भाषा के अभाव के कारण विकास में एक अन्तराल विद्यमान है। इसलिए, राष्ट्रीय भाषा का अभाव राष्ट्र की प्रगति में एक बाधक के रूप में कार्य करता है।
- **ज्ञान का सृजन तथा इस प्रकार एक सार्वजनिक क्षेत्र विकसित करना:** प्राय: यह देखा जाता है कि विद्यार्थी स्थानीय भाषा की समझ के अभाव के कारण शिक्षा और अनुसंधान हेतु अन्य स्थानों पर जाने की अनिच्छा व्यक्त करते हैं। अत: एक राष्ट्रीय भाषा की अनुपस्थिति के कारण विभिन्न क्षेत्रों के विविध विचारों में सहयोग करना कठिन होता है तथा राष्ट्रीय मामलों में लोगों की सहभागिता में कमी होती है। साथ ही, देश के अन्य भागों में स्थानांतरित होने में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
  - इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बोले जाने एवं समझे जाने में सहज एक सार्वभौमिक भाषा देश की लोक भाषा (lingua franca) बनने हेतु सर्वोत्तम रूप से उपयुक्त होगी।
- **प्रभावशाली प्रशासन हेतु:** केंद्रीय विभागों अथवा सेना आदि में कार्य करने वाले विविध लोग जब देश के अन्य भागों में स्थानांतरित होते हैं तब उन्हें सदैव भाषाजन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब भाषा लोगों की महत्वकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं को समझने में बाधक बन जाती है, तो प्रशासनिक तंत्र कुशलतापूर्वक कार्य करने में असक्षम सिद्ध होता है।

VISION IAS

- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु:** यदि भारत एक राष्ट्रीय भाषा को अंगीकार करता है, तो यह भाषा स्वत: सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा बन सकती है। इस प्रकार यह मुख्यतया सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हिंदी में अनेक एप्लीकेशन्स निर्मित करने हेतु कई अवसर प्रदान करेगी।
- **भारत को एक वैश्विक पहचान प्रदान करने हेतु:** ज्ञातव्य है कि विश्व में प्रतिनिधित्व हेतु भारत में एक भाषा का होना अनिवार्य है। एक समरूप राष्ट्रीय भाषा इसके अधिसंख्यक प्रयोक्ताओं के कारण वैश्विक पैमाने पर महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगी तथा इस प्रकार अन्य राष्ट्रों के लोग व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा इत्यादि में भारत के साथ संलग्न होने हेतु उस भाषा को सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- **भारत की बहुभाषी छवि से संबद्ध प्रतिष्ठा की भ्रामक भावना:** भारत में दीर्घकाल से ही एक व्यापक विविधता विद्यमान है जैसे कि 22 विभिन्न भाषाएं, 415 विविध बोलियां आदि। परन्तु क्या यह वस्तुतः एक प्रतिष्ठा का विषय है कि एक भाषा में विद्यमान ज्ञान एक अन्य भाषा के व्यक्ति द्वारा नहीं समझा जा सकता? हमें इस प्रतिष्ठा की भ्रामक भावना के निराकरण की आवश्यकता है तथा एक एकल राष्ट्रीय भाषा के अंगीकरण द्वारा प्रतिष्ठा की एक वास्तविक भावना का समावेश किया जाना उपयुक्त कदम हो सकता है।

क्या हिंदी "एक राष्ट्र एक भाषा" हेतु एक विकल्प हो सकती है?

पक्ष में तर्क

- हिंदी **हमारे प्राचीन दर्शन, संस्कृति और स्वतंत्रता संघर्ष की स्मृति** के अनुरक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण सम्पर्क साधन के रूप में कार्य कर सकती है।
- हिंदी देश के विभिन्न क्षेत्रों में **सर्वाधिक व्यापक रूप से बोली जाने वाली** भाषा है तथा इस प्रकार इसमें एक लोकभाषा बनने का सामर्थ्य है।
- **स्वतंत्रता संघर्ष के नेतृत्वकर्ताओं एवं संविधान निर्माताओं के प्रति सम्मान प्रकट करना:** जैसे कि महात्मा गाँधी और सरदार पटेल, जिन्होंने देश के नागरिकों से मातृभाषा और हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु आग्रह किया था।
- **सर्वाधिक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा:** 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 में अन्य बहुभाषी लोगों (जिनकी देशज भाषा हिंदी नहीं है परन्तु अभी भी हिंदी का दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं) के अतिरिक्त हिंदी भाषा के देशज वक्ताओं की संख्या 41% थी।
- **देश के विविध भाषा आधार की सुरक्षा,** जिसमें 122 भाषाएं और 19,500 से अधिक बोलियां सम्मिलित हैं। यह महत्वपूर्ण है कि संस्कृति को विदेशी प्रभाव से परिरक्षित रखा गया है।
- **विधि और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** जैसे क्षेत्रकों में **हिंदी का उपयुक्त रीति से अनुप्रयोग** किया जा सकता है।

विपक्ष में तर्क

- हिंदी भाषा अपने शुद्ध रूप में **हिंदी प्रधान प्रदेशों** (उत्तरी एवं मध्य भारत) में अपनी अनेक बोलियों के साथ बोली जाती है। इसके अतिरिक्त, अधिकांशत: बोली जाने वाली भाषा **हिंग्लिश (हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण)** है। हालांकि, देश के अनेक ऐसे भाग हैं जहां हिंदी कदाचित ही बोली और समझी जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में यह केवल एक वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकृत है।
- इसी प्रकार, हिंदी का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है, जबकि तमिल, कन्नड़, तेलुगु इत्यादि जैसी भारत की अन्य भाषाओं का इतिहास अत्यधिक प्राचीन है।
- भारत की अधिकांश हाशिए पर रही जातियां और देशज समुदाय अंग्रेजी को प्राथमिकता प्रदान करते हैं, क्योंकि यह जातिगत स्मृति से विहीन है तथा यह गतिशीलता प्रदान करती है।
- ज्ञातव्य है कि संविधान का **अनुच्छेद 29** प्रत्येक भारतीय को एक विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है।

एक राष्ट्र एक भाषा के विपक्ष में तर्क

- **एक राष्ट्र एक भाषा का विचार उपनिवेशवाद की देन:** एक राष्ट्र एक भाषा की अवधारणा वस्तुतः उपनिवेशवाद की देन है। औपनिवेशिक राष्ट्रों में आधुनिक राष्ट्र निर्माण की जटिल प्रक्रिया में सांस्कृतिक एकता का प्रश्न निहित था। सांस्कृतिक निरंतरता के प्रतीक तथा एक अद्वितीय एवं महान अतीत के परिचायक के तौर पर भाषा और साहित्य ने एक कुंजी का कार्य किया।
- **सांस्कृतिक पहचान और भाषा का पृथक्करण:** प्राय: यह तर्क दिया जाता है कि **राष्ट्रीय भाषा** वह भाषा है जो भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि, हम अन्य भाषा को अंगीकृत कर तथा क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को सीख कर भी निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं, जिससे हमारी संस्कृति के विनष्ट होने का संकट उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए, अभिव्यक्ति के माध्यम को परिवर्तित करने से हमारी पहचान में परिवर्तन नहीं होगा। इसे एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है।

VISION IAS

- **सर्वसम्मति का मुद्दा:** ज्ञातव्य है कि एक भाषा के संबंध में लोगों के मध्य सर्वसम्मति का अभाव है, क्योंकि एक राष्ट्रीय भाषा का पूर्ण प्रवर्तन अन्य भाषाओं पर एक भाषा के **अधिरोपण** के समान प्रतीत होता है। इसलिए, अनिच्छुक लोगों पर एक भाषा के अधिरोपण का ऐसा प्रयास **कदाचित ही एकीकृत प्रकृति का होगा तथा यह विभाजनकारी उपाय भी सिद्ध हो सकता है।**
- **विविधतापूर्ण संरचना: एक समरूप भाषा की अवधारणा** देश की विविधतापूर्ण और संघीय संरचना के विचार के विरुद्ध हो सकती है, जहां ऐसी साझी भाषा वांछनीय नहीं हो सकती। यह भारतीय संविधान की मूल भावना और **देश की भाषाई विविधता** के विपरीत भी हो सकती है।
    - संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं (22) को समान माना जाना चाहिए। एक भाषा के अधिरोपण का कोई भी प्रयास **देश की एकता एवं अखंडता के विघटन** का कारण बन सकता है।
- **त्रि-भाषा सूत्र की भावना के विरुद्ध:** इसे खंडित करने के प्रयासों से बचा जाना चाहिए तथा ऐसे 'भावात्मक' मुद्दों पर अनावश्यक विवादों से बचना चाहिए।
- **अंग्रेजी की अपरिहार्यता:** वर्तमान में अंग्रेजी संपूर्ण विश्व में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भाषा है। यदि हम भारत में सभी प्रौद्योगिकीय उपयोगों से अंग्रेजी को हिंदी से प्रतिस्थापित करते हैं, तब भी अंग्रेजी विज्ञान की भाषा बनी रहेगी, क्योंकि सभी वैज्ञानिक ज्ञान के स्रोतों का हिंदी भाषा में अनुवाद करना अत्यधिक कठिन होगा।
- **भाषाई विविधता का महत्त्व:** उल्लेखनीय है कि **वैश्विक स्तर** पर एक राष्ट्र एक भाषा की अवधारणा अधिक **सफल** नहीं रही हैं, उदाहरणार्थ- मंडारिन, रूसी और उर्दू भाषा के अधिरोपण ने विरले ही एकता व अखंडता के ऐसे लक्ष्य को पूर्ण किया है।

त्रि-भाषा सूत्र

- त्रि-भाषा सूत्र (अथवा तीन भाषा प्रणाली) वस्तुतः **हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा** को संदर्भित करता है।
- यद्यपि देश में हिंदी की शिक्षा एक दीर्घकालिक व्यवस्था का भाग था, तथापि इसे **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968** में एक आधिकारिक दस्तावेज में एक नीति के अंतर्गत निश्चित स्वरूप प्रदान किया गया था।
- इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 में पुन: प्रस्तुत किया गया था, परन्तु बाद में इस विचार को प्रारूप नीति से हटा दिया गया।
- ज्ञातव्य है कि राज्य **अनेक दशकों से द्वि-भाषा सूत्र** का अनुसरण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत केवल अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा विद्यालयों में अनिवार्य हैं।

निष्कर्ष

- प्राचीन भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति और भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की स्मृति के संरक्षण हेतु यह महत्वपूर्ण है कि हमें किसी एक भाषा के प्रति पूर्वाग्रहित हुए बिना **भारत की स्थानीय भाषाओं को साथ-साथ सुदृढ़ करना चाहिए।**
- वर्तमान में **राष्ट्र की विविधता का सम्मान करने, उसका संरक्षण करने और उसका विकास** करने की आवश्यकता है ताकि एकता सुनिश्चित की जा सके। जो व्यक्ति 'एक राष्ट्र' की अवधारणा का समर्थन करते हैं उन्हें यह अनुभूति अवश्य होनी चाहिए कि एकात्मकता का वास्तविक अर्थ राष्ट्र की एकता और एकजुटता की विशेषता में निहित है।
- हालांकि, हिंदी का विकास निस्संदेह एक संवैधानिक आदेश है, जिसकी केंद्र सरकार उपेक्षा नहीं कर सकती, तथापि जिस रीति के अंतर्गत यह विकास किया जाएगा उससे **राज्यों को यह अनुभूति नहीं होनी चाहिए कि उन पर धीरे-धीरे हिंदी का अधिरोपण किया जाएगा।** साथ ही **त्रि-भाषा नीति** पर भी विचार किया जा सकता है।

1.3. न्यायाधीशों का स्थानांतरण

(Transfer of Judges)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश विजय कमलेश ताहिलरमानी के मेघालय उच्च न्यायालय में असामान्य स्थानांतरण के कारण कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ है।

विवाद क्यों?

- पूर्व में, देश के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम द्वारा न्यायमूर्ति ताहिलरामनी को मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अनुशंसा की गई थी।
- इसे "दंडात्मक" हस्तांतरण के रूप में माना गया था। मद्रास उच्च न्यायालय 75 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के साथ चौथा सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। मेघालय उच्च न्यायालय चार न्यायाधीशों (तीन स्थायी और एक अपर न्यायाधीश) की स्वीकृत संख्या के साथ देश में मौजूद कुछ लघु उच्च न्यायालयों में से एक है।

- न्यायाधीश ताहिलरमानी के स्थानांतरण प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने संबंधी अनुरोध को कॉलेजियम द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में न्यायाधीश ताहिलरमानी ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया।
- हालांकि, **बार के कुछ सदस्यों ने उक्त स्थानांतरण** और इसके वास्तविक कारणों के संबंध में **पारदर्शिता के अभाव पर संदेह प्रकट किया है**। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने एक आधिकारिक वक्तव्य जारी किया कि कॉलेजियम के पास निस्संदेह ठोस कारण मौजूद थे और यदि आवश्यक हो, तो इन्हें प्रकट किया जा सकता है।

न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया

- **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान के **अनुच्छेद 222(1)** के तहत एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
    - **अनुच्छेद 217(1)** यह प्रावधानित करता है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त की जाएगी।
- **न्यायिक निर्वचन:** उच्चतम न्यायालय वस्तुतः न्यायाधीशों के चयन, नियुक्ति और स्थानांतरण संबंधी शक्ति को तीन 'न्यायाधीश वादों' (Three Judges Cases) में दिए गए अपने निर्णयों से ग्रहण करता है। न्यायाधीशों के स्थानांतरण के विषय में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से, निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न हुए हैं:
    - किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण दंडात्मक उपाय नहीं हो सकता।
    - 'न्याय के बेहतर प्रशासन' के लिए केवल 'जनहित' के विषय पर स्थानांतरण का आदेश दिया जा सकता है।
    - स्थानांतरण का आदेश राष्ट्रपति द्वारा केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश से प्रभावी परामर्श और उसकी सहमति के बाद ही दिया जा सकता है।

किए जा सकने योग्य उपाय

- **स्थानांतरण के लिए न्यायाधीशों की सहमति की आवश्यकता:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के न्यायाधीशों के अधीनस्थ नहीं हैं। उन्हें संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के समान ही दर्जा प्राप्त है। संविधान ने CJI और कॉलेजियम के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर प्रशासनिक अधीक्षण का अधिकार प्रदान नहीं किया है। इसलिए, स्थानांतरण से पूर्व संबद्ध न्यायाधीश की सहमति अवश्य होनी चाहिए।
- **स्थानांतरण के कारणों की रिकॉर्डिंग:** ऐसी रिकॉर्डिंग वस्तुतः न्यायिक और अर्ध-न्यायिक या यहां तक कि प्रशासनिक शक्ति के किसी भी संभावित मनमाने प्रयोग पर एक वैध नियंत्रण का कार्य करती है।
- **स्थानांतरण की मानक प्रक्रिया:** सरकार के परामर्श से स्थानांतरण की एक मानक प्रक्रिया स्थापित की जानी चाहिए। वर्तमान में कॉलेजियम को न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग (इनपुट) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु, न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नति के संदर्भ में एक प्रक्रिया ज्ञापन (Memorandum of Procedure) का पालन किया जाता है।

निष्कर्ष

उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा किसी भी मनमाने स्थानांतरण से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थिति अधीनस्थ के समान हो जाती है। इसके अतिरिक्त, कॉलेजियम प्रणाली अपनी अपारदर्शिता के कारण एक निर्भय और सशक्त न्यायपालिका का निर्माण करने तथा जनहित की सेवा करने में विफल रही है। इसलिए, सामान्य-जन का विश्वास बनाए रखने के लिए न्यायपालिका में पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु त्वरित कदम उठाए जाने चाहिए।

1.4. उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय न्यायपीठ

(Regional Bench of the Supreme Court)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की चार क्षेत्रीय न्यायपीठों की स्थापना का सुझाव दिया गया है। वर्तमान में, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अधिविष्ट है।

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 130 (उच्चतम न्यायालय का स्थान): अनुच्छेद 130 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से भारत के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर उच्चतम न्यायालय को दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अधिविष्ट किया जा सकता है।

- अनुच्छेद 130 के तहत, भारत का मुख्य न्यायाधीश अभिनिर्दिष्ट व्यक्ति (persona designata) के रूप में कार्य करता है और उसे किसी

VISION IAS

अन्य प्राधिकारी/व्यक्ति से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस संदर्भ में केवल राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक है।
- साथ ही, इस प्रकार की न्यायपीठों को स्थापित करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है।

इस विषय से संबद्ध विभिन्न समितियाँ और उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण

- **संसदीय स्थायी समिति:** विभिन्न संसदीय स्थायी समितियों द्वारा वर्ष 2004, 2005 और 2006 में अनुशंसा की गई थी कि उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों को देश में अन्यत्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। वर्ष 2008 में, स्थायी समिति द्वारा सुझाव दिया गया था कि ट्रायल के आधार पर कम से कम एक न्यायपीठ की स्थापना चेन्नई में की जानी चाहिए।
- **विधि आयोग:** विधि आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय को 1.) संवैधानिक न्यायालय और 2.) नेशनल कोर्ट ऑफ अपील में विभाजित करने की अनुशंसा की गई थी। विधि आयोग ने अपनी **229वीं रिपोर्ट** में संवैधानिक और संबद्ध मुद्दों की सुनवाई हेतु **दिल्ली में एक संवैधानिक न्यायपीठ** तथा उच्च न्यायालयों के आदेशों/निर्णयों से उत्पन्न सभी अपीलीय कार्यों के निपटान हेतु दिल्ली (उत्तर), चेन्नई/हैदराबाद (दक्षिण), कोलकाता (पूर्व) और मुंबई (पश्चिम) में **चार अपीलीय न्यायपीठों (Cassation Benches)** को स्थापित करने की अनुशंसा की थी।
- **उच्चतम न्यायालय:** उच्चतम न्यायालय ने स्वयं वर्ष 1986 के आरंभ में चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में क्षेत्रीय न्यायपीठों के साथ नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की स्थापना करने की अनुशंसा की थी। **वी. वसंत कुमार वाद (2016)** में उच्चतम न्यायालय द्वारा नेशनल कोर्ट ऑफ अपील से संबंधित निर्णयन के लिए इस मामलें को एक संवैधानिक न्यायपीठ को सौंपा गया था।
    - चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में **क्षेत्रीय न्यायपीठों** के साथ **नेशनल कोर्ट ऑफ अपील** का उद्देश्य दीवानी, आपराधिक, श्रम तथा राजस्व मामलों में अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उच्च न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों के निर्णयों के संबंध में न्याय के अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करना है।

क्षेत्रीय न्यायपीठों की आवश्यकता

- **संवैधानिक दायित्व: अनुच्छेद 39-A** राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि विधिक तंत्र इस प्रकार से कार्य करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो सके और आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो जाए। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों या दक्षिणी राज्यों के लोगों के लिए मुकदमेबाजी से संबंधित कार्य-संपादन की अतिरिक्त लागत (additional transaction cost) न्यूनतम हो।
- **वादों (cases) की अत्यधिक लंबितता:** उच्चतम न्यायालय में 65,000 से अधिक संख्या में मामले लंबित हैं और अपीलों के निपटान में कई वर्ष लग जाते हैं।
- **संवैधानिक न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय:** संवैधानिक न्यायपीठों (अर्थात् पांच या अधिक न्यायाधीशों वाली न्यायपीठ) द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मामलों की संख्या में हाल के दिनों में निरंतर कमी हुई है। ऐसे में क्षेत्रीय न्यायपीठों के साथ, दिल्ली में स्थित भारत का उच्चतम न्यायालय केवल संवैधानिक कानून और सार्वजनिक कानून से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगा।
- **कल्याण के एक मापन के रूप में मुकदमेबाजी:** भारत में मुकदमेबाजी पर एक अनुभवजन्य अध्ययन में यह पाया गया है कि दीवानी मामलों को दायर करने और आर्थिक समृद्धि (अधिक समृद्ध राज्यों में दीवानी मुकदमेबाजी की दर अत्यधिक है) के मध्य प्रत्यक्ष संबंध है। हालाँकि, हाल के वर्षों में दीवानी मामलों में बैकलॉग (लंबित मामलें) के कारण ऐसे (दीवानी) मामलों को दायर करने में कमी आई है जो भविष्य में भारत की आर्थिक संवृद्धि को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार, क्षेत्रीय न्यायपीठों की स्थापना उचित दिशा में उठाया जाने वाला कदम सिद्ध हो सकता है।

क्षेत्रीय न्यायपीठों की स्थापना से संबंधित मुद्दे

- **उच्चतम न्यायालय के प्राधिकार में कमी:** क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन अंततः उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की सर्वोच्चता को कम कर सकता है।
    - हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि **इस देश के कई उच्च न्यायालयों ने न्याय में कमी किए बिना न्याय प्रदान करने हेतु विभिन्न न्यायपीठों का गठन किया है।** उदाहरण के लिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय की मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर और पणजी (गोवा) में चार न्यायपीठें हैं।
    - इसके अतिरिक्त, कार्यात्मक और संरचनात्मक प्रकृति वाले विकेंद्रीकरण से, जहाँ दिल्ली में स्थित न्यायपीठ केवल संवैधानिक मामलों का निपटान करती है, इस प्रकार की चिंताओं का समाधान किया जा सकता है।
- **यह एकीकृत न्यायिक प्रणाली को प्रभावित करेगा:** भारतीय संविधान द्वारा शीर्ष पर एक उच्चतम न्यायालय सहित इसके नीचे राज्यों में उच्च न्यायालयों के रूप में एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की गयी है। ऐसे में उच्चतम न्यायालय के क्षेत्रीय न्यायपीठों की स्थापना

इसकी एकात्मक विशेषता को कमजोर कर सकती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में, उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ (full court) (जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 27 न्यायाधीश शामिल थे) ने उपर्युक्त कारण को उद्धृत करते हुए क्षेत्रीय न्यायपीठों के गठन संबंधी विधि आयोग की अनुशंसा को अस्वीकार कर दिया था।

- हालांकि, यह तर्क दिया जाता है कि विभिन्न न्यायपीठों वाले उच्च न्यायालय ने एकीकृत न्यायिक प्रणाली को कमजोर नहीं किया है।

निष्कर्ष

लंबित वादों की बढ़ती संख्या और निर्धन याचिकाकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय न्यायपीठों की स्थापना के विचार पर गंभीरतापूर्वक चिंतन किया जाना चाहिए। अपीलों के निपटान हेतु उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय न्यायपीठों और दिल्ली में एक संवैधानिक न्यायपीठ की स्थापना, इस दिशा में बेहतर कदम सिद्ध होंगे।

1.5. इंटरनेट एक मूलभूत अधिकार

(Internet as Basic Right)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **फहीमा शिरिन बनाम केरल राज्य वाद** में, केरल उच्च न्यायालय द्वारा इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार (right to Internet access) को मूल अधिकार घोषित किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- जिस प्रकार, केरल उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अन्य मूल अधिकारों तक पहुँच हेतु, इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार की भूमिका को स्वीकार किया है, ऐसे में यह अत्यावश्यक है कि **इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार एवं डिजिटल साक्षरता को मान्यता प्रदान की जाए।**
- इस फ्रेमवर्क के कारण राज्यों के पास:
  - एक न्यूनतम मानक अवसंरचना के सृजन और गुणवत्तायुक्त इंटरनेट तक पहुँच के साथ-साथ क्षमता-निर्माण संबंधी उपायों को अपनाने (जो सभी नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने की अनुमति प्रदान करेगा) के संबंध में एक **सकारात्मक दायित्व** होगा; तथा
  - इस प्रकार के अधिकारों को बाधित, अवरोधित या उल्लंघन करने संबंधी गतिविधियों में संलग्न होने से विरत रहने का एक **नकारात्मक दायित्व** होगा।

मानवाधिकार के रूप में इंटरनेट का अधिकार

- इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार यह उपबंधित करता है कि **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं विचार व्यक्त करने तथा अन्य मूलभूत मानवाधिकारों का लाभ उठाने और इनका उपयोग करने के क्रम में सभी लोग इंटरनेट तक पहुँच प्राप्त करने में अवश्य सक्षम हों।**
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHRC) द्वारा एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव (resolution) पारित किया गया है, जो इंटरनेट तक पहुँच को प्रभावी रूप से एक मूलभूत मानवाधिकार घोषित करता है।
- इसे **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अंतर्गत अभिस्वीकृति प्रदान की गयी है। SDG-9** सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि को लक्षित करता है तथा वर्ष 2020 तक अल्प विकसित देशों में इंटरनेट तक सार्वभौमिक एवं वहनीय पहुंच प्रदान करने का प्रयास करता है।
- **साबू मैथ्यू जॉर्ज बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद (वर्ष 2018)** में **उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार एक आधारभूत मूल अधिकार है,** जिसे "अवैध गतिविधियों हेतु इसके उपयोग" के अतिरिक्त किसी भी स्थिति में कम/संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है।

इंटरनेट तक पहुँच UNHRC का प्रस्ताव

- "विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता", (जो राष्ट्र की सीमाओं से परे तथा व्यक्ति की पसंद के किसी भी मीडिया के माध्यम से लागू होती है) के मामले में लोगों को ऑफ़लाइन अधिकारों के समान ही ऑनलाइन अधिकार भी प्राप्त हैं।
- इंटरनेट पर "जानबूझकर प्रतिबंध आरोपित करने या उसके उपयोग को बाधित करने" संबंधी कोई भी उपाय "स्पष्ट रूप से निंदनीय हैं" और सभी राष्ट्रों को "ऐसे उपायों से बचने के साथ-साथ इस प्रकार के उपायों को रोकना" चाहिए।

इंटरनेट का अधिकार अन्य अधिकारों से किस प्रकार संबद्ध है?

- **शिक्षा का अधिकार:** इंटरनेट ने छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने हेतु एक अवसर प्रदान किया है।
- **वाक्-स्वातंत्र्य का अधिकार:** इंटरनेट, अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव में कहा गया है कि जिस प्रकार लोगों को ऑफ़लाइन अधिकार प्राप्त हैं, उसी प्रकार उनके ऑनलाइन अधिकारों को भी संरक्षित किया जाना चाहिए।

- **विकास का अधिकार: विकास का अधिकार एक तीसरी पीढ़ी का अधिकार है** जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इंटरनेट तक पहुँच से आर्थिक विकास के अवसरों में और अधिक वृद्धि होगी।
- **सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार:** विरोध आंदोलनों और प्रदर्शन का संचालन करने के लिए इंटरनेट एक उपयोगी उपकरण बन गया है। ट्विटर और फेसबुक जैसे इंटरनेट एवं सोशल मीडिया नेटवर्क ने अरब स्प्रिंग जैसी राजनीतिक घटनाओं के लिए ऑनलाइन रूप से लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

मानवाधिकारों की तीन पीढियां

- **प्रथम पीढ़ी:** "नागरिक-राजनीतिक" अधिकार, जो स्वतंत्रता और राजनीतिक जीवन में भागीदारी से संबंधित हैं।
- **द्वितीय पीढ़ी:** "सामाजिक-आर्थिक" मानवाधिकार, समान परिस्थितियों और उपचार की गारंटी प्रदान करते हैं।
- **तृतीय पीढ़ी:** लोगों और समूहों के "सामूहिक विकासात्मक" अधिकार, जो "बंधुता" के सिद्धांत के आधार पर राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं।

मानव अधिकार के रूप में इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार से संबंधित मुद्दे

- **मानवाधिकार के तौर पर अर्ह नहीं:** कई आलोचकों का तर्क है कि प्रौद्योगिकी, अधिकारों को सक्षम बनाने में सहायक हो सकती है, न कि यह स्वयं एक अधिकार है।
- **विकासशील राष्ट्र के लिए व्यवहार्यता:** विकासशील और अल्प विकसित देशों द्वारा सामना की जा रही अन्य प्राथमिकताओं को देखते हुए इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार प्रदान करना एक विवाद का विषय बना हुआ है।
- **डिजिटल विभाजन का मुद्दा:** भारत में, वृहत डिजिटल विभाजन विद्यमान है। इस प्रकार, अवसंरचनात्मक अंतराल, डिजिटल साक्षरता की कमी और पहुंच के अभाव के कारण इंटरनेट को एक अधिकार के रूप में स्वीकार्य करना व्यवहारिक नहीं होगा।
- **सहिष्णुता और शिष्टता के प्रोत्साहन के साथ स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा करना:** प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार ऑनलाइन व्यक्त कर सकता है। घृणास्पद या अपमानजनक शब्द शत्रुता की भावना, विभाजन तथा हिंसा में वृद्धि कर सकते हैं।
- **इंटरनेट के दुरुपयोग की संभावनाओं** को देखते हुए कई मुद्दे उत्पन्न हो गए हैं। उदाहरण के लिए, आतंकवादी एवं चरमपंथी समूहों द्वारा अपने सदस्यों की भर्ती करने और आतंकी हमलों का संचालन करने हेतु इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, डेटा चोरी और निजता से संबंधित मुद्दे भी विद्यमान हैं।

निष्कर्ष

विश्व का तीव्र गति से डिजिटलीकरण हो रहा है, ऐसी स्थिति में यदि हाशिए पर स्थित लोगों को इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त नहीं हो पाएगी तो वे हाशिए पर ही बने रहेंगे। अतः, सरकार द्वारा इंटरनेट तक निःशुल्क एवं समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु तत्काल उपाय किए जाने चाहिए।

1.6. राइट टू बी फॉरगॉटन

(Right to be Forgotten)

सुर्ख़ियो में क्यों?

हाल ही में, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस (ECJ) द्वारा निर्णय दिया गया कि यूरोपीय संघ का राइट टू बी फॉरगॉटन संबंधी विनियमन इसकी सीमाओं से बाहर लागू नहीं होगा।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2015 में, फ्रांस की एक इंटरनेट विनियमन एजेंसी, नेशनल कमीशन ऑन इन्फॉर्मेटिक्स एंड लिबर्टी (फ्रेंच में Commission nationale de l'informatique et des libertés: CNIL) ने गूगल को अपने वैश्विक डेटाबेस से लिंक्स को हटाने का आदेश दिया था।
- गूगल ने यह तर्क देते हुए उक्त आदेश का पालन करने से अस्वीकार कर दिया था कि ऐसा करने से विश्व भर में सूचनाओं का स्वतंत्र प्रवाह बाधित होगा। तत्पश्चात, CNIL द्वारा गूगल पर जुर्माना अधिरोपित किया गया।
- गूगल ने CNIL के आदेश के विरुद्ध ECJ में अपील दायर की थी और तर्क दिया कि यूरोपीय संघ से बाहर ऑनलाइन निजता कानून को लागू करने से विश्व के अन्य देशों में (विशेष रूप से अधिनायकवादी सरकारों द्वारा शासित देशों में) सूचना तक पहुँच बाधित होगी।
- वर्तमान में, ECJ ने यूरोपीय संघ (EU) से बाहर निजता कानून लागू करने पर रोक लगा दी है। ECJ ने यह भी कहा है कि यूरोपीय संघ उन देशों पर 'राइट टू बी फॉरगॉटन' लागू नहीं कर सकता है जो इस प्रकार के अधिकार को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं।

सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (General Data Protection Regulation: GDPR) और राइट टू बी फॉरगॉटेन

- GDPR में यह उल्लेख है कि व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार के अनुचित विलंब के बिना स्वयं से संबंधित व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रक (controller) के पास से हटाने (विलोपन) का अधिकार होगा और साथ ही, नियंत्रक के पास व्यक्तिगत डेटा को विलोपित करने का दायित्व होगा।
- इसमें उन परिस्थितियों को रेखांकित किया गया है जिसके अंतर्गत यूरोपीय संघ (EU) के नागरिक छह शर्तों के तहत इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें डेटा (या यदि डेटा उस उद्देश्य के लिए लम्बे समय तक प्रासंगिक नहीं है जिसके लिए इसे एकत्र किया गया था) के उपयोग करने संबंधी प्रदत्त सहमति को वापस लेना भी शामिल हैं।
- हालांकि, इस अनुरोध पर कुछ स्थितियों में विचार नहीं किया जा सकता है, जैसे- यदि किया गया अनुरोध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार के विरुद्ध है, या जब यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, वैज्ञानिक या ऐतिहासिक अनुसंधान या सांख्यिकीय उद्देश्यों के क्षेत्र में लोक हित के विरुद्ध हो।

"राइट टू बी फॉरगॉटन (RTF)" के बारे में

- यह इंटरनेट पर भ्रामक, निन्दनीय, अप्रासंगिक और अप्रचलित व्यक्तिगत सूचनाओं के प्रकटीकरण को सीमित करने, असंबद्ध करने, हटाने या सुधार करने संबंधी व्यक्ति के अधिकारों को संदर्भित करता है।
  - इस प्रकार का प्रकटीकरण, डेटा उपयोगकर्ता (data fiduciary) द्वारा इस डेटा के अवैध उपयोग का परिणाम हो भी सकता है अथवा नहीं भी।
- RTF की उत्पत्ति फ्रांसीसी न्यायशास्त्र के 'राईट टू ओब्लिवियन (right to oblivion)' से हुई है।
  - पूर्व अपराधियों (जो अपने अपराध की सजा काट चुके हों) द्वारा उनके अपराध और परिणामी सजा के संबंध में तथ्यों के प्रकाशन पर आपत्ति व्यक्त करने हेतु इस अधिकार का उपयोग किया गया था। पूर्व अपराधियों के सहज सामाजिक एकीकरण के लिए इसे एक आवश्यक अधिकार के रूप में देखा गया है।

निजता का अधिकार बनाम राइट टू बी फॉरगॉटन बनाम सूचना का अधिकार

- राइट टू बी फॉरगॉटन को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती मानहानि और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य असंतुलन (ट्रेड-ऑफ) का होना है।
- राइट टू बी फॉरगॉटन एक निरपेक्ष अधिकार नहीं हो सकता है और इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं।
- राइट टू बी फॉरगॉटन, निजता के अधिकार की परिधि में शामिल है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) - वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - के तहत संरक्षण प्राप्त है।
- यदि किसी सूचना का संबंध लोक हित से है, तो सूचना के अधिकार को निजता के अधिकारों पर वरीयता प्रदान की जाएगी।
- राइट टू बी फॉरगॉटन को लागू करते समय, वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोक हित और व्यक्तिगत निजता के अधिकार के मध्य उचित संतुलन स्थापित होना चाहिए।
- इन परस्पर विरोधी अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करने हेतु, न्यायपालिका द्वारा एक ऐसी प्रणाली के क्रियान्वयन पर विचार किया जा सकता है, जहां याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत सूचना, जैसे- नाम, पता आदि को विशेष रूप से व्यक्तिगत विवादों में रिपोर्ट किए जाने योग्य निर्णयों/आदेशों से संशोधित कर दिया जाता है।
- अतीत में न्यायालयों द्वारा, बलात्कार या चिकित्सा-विधिक (मेडिको-लीगल) के कई मामलों में निजता का सम्मान करने के लिए पक्षकारों की पहचान को प्रकाशित नहीं किया गया था।

भारत में राइट टू बी फॉरगॉटन (RTF)

- वर्तमान में, राइट टू बी फॉरगॉटन भारत में पूर्णतया स्थापित नहीं है।
- **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2018** का मसौदा सीमित तौर पर RTF का अधिकार प्रदान करता है।
  - GDPR के विपरीत, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2018 व्यक्तिगत डेटा के विलोपन के बजाए केवल व्यक्तिगत डेटा के निरंतर प्रकटीकरण पर प्रतिबंध आरोपित करने का प्रावधान करता है।
    - इस अधिकार का प्रयोग करने के आधारों में ऐसे मामले शामिल हैं जहाँ व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण ने उस उद्देश्य की पूर्ति की है जिसके लिए इसे संग्रहित किया गया था अथवा जिसे संग्रहित रखने की अब आवश्यकता नहीं है। इसका निर्धारण सर्वप्रथम एक न्यायनिर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) द्वारा किया जाना चाहिए।
    - न्यायनिर्णायक अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि राइट टू बी फॉरगॉटन, किसी भी नागरिक के वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार तथा सूचना के अधिकार का अधिरोहण (उल्लंघन) करता है अथवा नहीं।

VISION IAS

- वर्ष 2017 में, दो पृथक भारतीय उच्च न्यायालयों ने इस मुद्दे पर विपरित निर्णय दिए।
    - गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष इससे संबद्ध प्रथम वाद में, याचिकाकर्ता ने एक मामले में रिपोर्ट न करने योग्य एक निर्णय के ऑनलाइन प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की थी, जहां याचिकाकर्ता को गैर-इरादतन हत्या के अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया था।
        - गुजरात उच्च न्यायालय ने याचिका को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ता अपने दावे के पक्ष में विधिक दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने में विफल रहा था और याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में भी विफल रहा था कि ऑनलाइन प्रकाशन के कारण उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ था।
    - कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सामान्य रूप से महिलाओं से संबंधित संवेदनशील मामलों में "राइट टू बी फॉरगॉटन" को संदर्भित करते हुए अपने एक निर्णय से व्यक्तिगत विवरणों को हटाने का आदेश दिया था।

राइट टू बी फॉरगॉटन से संबंधित मुद्दे

- **संघर्ष की स्थिति में जहां लोक हित की सूचना अधिक महत्वपूर्ण होती है:** यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों में, एक अभियुक्त/अपराधी से संबंधित सूचना रखने में लोगों का हित व्यक्ति के निजता के अधिकार से कहीं अधिक सशक्त होता है।
    - लोक हित में यौन उत्पीड़न के आरोप से संबंधित सूचनाओं को इंटरनेट से हटाया नहीं जाना चाहिए। यदि मीडिया द्वारा इस संबंध में गलत तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है, तो अभियुक्तों को राइट टू बी फॉरगॉटन के स्थान पर मानहानि कानून के तहत पुनः सहायता प्राप्त करनी चाहिए।
- **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध:** इसका दायरा राइट टू बी फॉरगॉटन के अधिकार से अधिक है और यह वाक्-स्वातंत्र्य एवं पत्रकार की अभिव्यक्ति आदि के समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
- **क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ:** इंटरनेट से पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स या टोरेंट साइट्स को प्रतिबंधित करने या हटाने में विश्व भर की सरकारें अधिक सफल नहीं हुई हैं, क्योंकि इस तरह के प्रतिबंधों से बचने के विभिन्न उपाय विद्यमान हैं।
    - इसके अतिरिक्त, सर्च इंजनों द्वारा URL को ब्लॉक या असंबद्ध (delinking) करने से इस प्रकार की सूचनाओं को इंटरनेट से ब्लॉक करने या हटाने से संबंधी गारंटी प्राप्त नहीं होती है। यह सुनिश्चित करने हेतु कोई उपाय उपलब्ध नहीं है कि इस प्रकार की सूचनाओं को पुनः अपलोड नहीं किया जाएगा।
- **जटिल प्रक्रिया:** राइट टू बी फॉरगॉटन की बढ़ती मान्यता के साथ, सर्च इंजनों को सूचनाओं के हटाए जाने या असंबद्ध (delinking) करने से संबंधित प्राप्त होने वाले अनुरोधों की संख्या में केवल वृद्धि होने की संभावना है, जिससे मैन्युअल रूप से ऐसे अनुरोधों की जांच करना अत्यंत कठिन और जटिल हो जाता है।
- **अधिकार का दुरुपयोग:** सर्च इंजन भी सतर्कतापूर्वक कार्य नहीं करते हैं और इस संदर्भ में नियमों के गैर-अनुपालन की स्थिति में कानूनी चुनौतियों का सामना करने के बजाय लोगों द्वारा किए गए संबंधित अनुरोधों को प्रोसेस कर सकते हैं।
    - इस अधिकार का व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है क्योंकि इससे ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री के कृत्रिम परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप उपयुक्त सूचना को असंबद्ध किया जा सकता है।

आगे की राह

- अभी तक, इस संबंध में स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है कि भारतीय न्यायालयों द्वारा राइट टू बी फॉरगॉटन को किस प्रकार लागू किया जाएगा। वर्तमान में, यह एक नई न्यायिक अवधारणा है जिसे अर्थपूर्ण बनाने हेतु इसके संबंध में परिचर्चा और विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है।
- भारत में अभी भी कोई ठोस व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून उपलब्ध नहीं है, अतः राइट टू बी फॉरगॉटन को किसी प्रकार का कानूनी समर्थन प्राप्त नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम एक डेटा सुरक्षा कानून का निर्माण किया जाना चाहिए।
    - विशिष्ट डेटा संरक्षण अधिकारों के अंतर्गत, व्यक्ति के संबंध में संग्रहीत डेटा को जानने का अधिकार, पुरानी सूचनाओं को हटाने और अद्यतित करने का अधिकार तथा व्यक्ति की निजी सूचना को हटाने के अधिकारों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
- इन कठिनाइयों के बावजूद, विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में इस प्रकार के प्रावधान व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने वाली कंपनियों की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करेंगे तथा इनके द्वारा सूचना को एकत्र, उपयोग और साझा करने के उपायों की समीक्षा की जा सकती है।

1.7. सूचना के अधिकार के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठन

(NGOs under RTI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सरकार से फंड (धन) प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठन (NGOs) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में शामिल होंगे।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह निर्णय कुछ कॉलेजों और स्कूलों के उन दावों को अस्वीकृत करते हुए प्रदान किया गया है, जहाँ उनका मानना था कि वे RTI (सूचना का अधिकार) अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं हैं।
- **RTI के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण:** RTI अधिनियम की धारा 2(h) के अनुसार "सार्वजनिक प्राधिकरण" से तात्पर्य ऐसे प्राधिकरण/प्राधिकारी या निकाय अथवा स्वायत्त सरकारी संस्थान से है, जिसकी स्थापना या गठन निम्नलिखित के द्वारा की गयी है:
  - संविधान द्वारा या उसके अधीन;
  - संसद द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा;
  - राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा;
  - समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    - कोई ऐसा निकाय जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हो;
    - कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित हो।

- RTI अधिनियम में सारभूत रूप से किए जाने वाले वित्तपोषण को परिभाषित नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में सारभूत रूप से वित्तपोषण की परिभाषा को व्यापक बनाया है। (इन्फोग्राफिक देखें)
- वर्तमान में, NGOs को विदेशी अंशदायी विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act: FCRA) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act: FEMA) के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है।
- इस निर्णय का अर्थ है कि ऐसे NGOs को अब RTI अधिनियम के तहत उपलब्ध रीति से अभिलेख (रिकॉर्ड) बनाए रखने होंगे तथा प्रत्येक नागरिक को इनसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा।

NGOs का विनियमन

विदेशी अंशदायी विनियमन अधिनियम (FCRA)

इसे वर्ष 2010 में, व्यक्तियों या संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति एवं उपयोग को विनियमित करने हेतु विधि के समेकन तथा राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल किसी भी गतिविधियों और इसके अतिरिक्त या इससे आकस्मिक रूप से संबद्ध मामलों हेतु विदेशी अंशदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति एवं उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु अधिनियमित किया गया था।

- **विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए** सभी NGOs को **लाइसेंस** प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की आवश्यकता होती है।
  - ऐसे NGOs, **कम से कम 3 वर्षों से अस्तित्व में होने चाहिए** और **अपने आवेदन की तिथि से पूर्व 3 वर्षों तक अपनी गतिविधियों पर** कम से कम 10,00,000 रुपये व्यय किए होने चाहिए।
  - इसके द्वारा अपने क्षेत्र में वे उचित गतिविधियां संपादित की जानी चाहिए जिसके लिए विदेशी अंशदान का उपयोग प्रस्तावित है।
  - स्थायी FCRA लाइसेंस प्राप्तकर्ता को अब प्रत्येक पांच वर्ष में इसका नवीनीकरण कराना होगा।
  - केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना NGOs अपने प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त विदेशी अंशदान का 50% से अधिक व्यय नहीं करेंगे।
- **FCRA में हालिया परिवर्तन**
  - सरकार द्वारा कई प्रमुख NGOs को निरंतर पाँच वर्षों तक अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने के पश्चात् विदेशों से अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया।

- **NGOs द्वारा उन बैंक खातों को प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होता है** जिनमें उन्हें विदेशी धन प्राप्त होता है।
- वर्ष 2017 में, गृह मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया जिसके तहत FCRA के तहत पंजीकृत सभी NGOs को एकल नामित बैंक खाते में विदेशी अंशदान प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।
- NGOs को एक हलफनामा दाखिल करना होगा जिसमें यह घोषणा की जाएगी कि व्यक्तिगत रूप से वे धर्मांतरण या सांप्रदायिक विसंगति के निर्वाह संबंधी किसी कार्य में शामिल नहीं है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act: FEMA)

- इसे विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से **विदेशी विनिमय से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए** प्रस्तुत किया गया था।
- वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कुछ NGOs भी FEMA के तहत पंजीकृत हैं।

अन्य विनियम:

- **श्रम कानून:** 20 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले किसी भी NGO को कर्मचारी भविष्य निधि का अनुपालन करना होगा (20 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों के लिया अनुपालन स्वैच्छिक होगा)।
- **GST कानून:** यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी इकाई का वस्तु या वाणिज्यिक सेवाओं का कारोबार दो मिलियन रुपये से अधिक है तो यह कानून लागू होगा।
- **प्रत्यायन (Accreditation):** हाल ही में, विजय कुमार समिति की अनुशंसाओं के आधार पर NGOs के लिए नए प्रत्यायन दिशा-निर्देश जारी किए गए थे:
  - **सरकार से फंडिंग प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले NGOs के पंजीकरण और प्रत्यायन हेतु नीति आयोग को नोडल एजेंसी के रूप** में नियुक्त किया गया है।

NGOs को RTI अधिनियम के तहत लाए जाने के पक्ष में तर्क

- **जवाबदेही को बनाए रखना:** पूर्व में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और आसूचना ब्यूरो की रिपोर्टों सहित विभिन्न रिपोर्टों में वृहत संख्या में NGOs द्वारा फंड्स के दुरुपयोग की पुष्टि की गयी है, जिसकी कुल लागत भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2-3% तक हो सकती है।
  - FCRA के कथित उल्लंघन के मामले में कई NGOs जाँच के दायरे में आ गए हैं।
- **NGOs की संगठनात्मक संरचनाओं की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता:** उदाहरण के लिए, बोर्ड की भूमिका और संरचना, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधन संरचना आदि के बारे में प्रायः सवाल उठाए जाते हैं।
- **संवैधानिक अधिदेश:** चूंकि NGOs सार्वजनिक निधि प्राप्त करते हैं, अतः लोगों को RTI (अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त) के तहत उन निधियों के उपयोग के बारे में जानने का अधिकार है।
- **सामाजिक सेवा वितरण अभिकर्ता के रूप में NGOs की प्रभावशीलता:** सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि पर स्थापित अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान जैसे कई निकाय, अब RTI अधिनियम की धारा 2 (h) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में शामिल होंगे।
  - सामान्य तौर पर ऐसे आवेदन इन निकायों द्वारा प्रदत्त सेवाओं, जैसे- औषधि, भोजन आदि के वितरण की गुणवत्ता और मात्रा से संबंधित होती है।

इस प्रकार के विनियमन से जुड़े मुद्दे

- **असहमति पर प्रतिबंध:** सरकार ऐसे विनियमों का उपयोग असहमति को समाप्त करने और अधिकार-आधारित पक्ष-समर्थन समूहों (right-based advocacy groups) को लक्षित करने के लिए कर सकती है।
  - NGOs इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सरकार असहमति के दमन हेतु अधिनियम के तहत गलत तरीके से अपनी विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, विशेष रूप से उन NGOs का जो सरकारी नीतियों की आलोचना करते हैं।
- **व्यावसायिकता का अभाव:** लघु आकार वाले NGOs की संख्या सर्वाधिक है। ऐसे NGOs में इस प्रकार के मानदंडों और नियमों की पुष्टि करने की क्षमता का अभाव हो सकता है। पुनः इस प्रकार की विधिक जाँच कई परोपकारी लोगों द्वारा NGO स्थापित करने के विरुद्ध प्रतिबंध आरोपित करने का कार्य कर सकती है।
- **विधिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग:** सरकार, गैर-उद्देश्यपूर्ण रूप से कुछ NGOs के लाइसेंस को रद्द कर सकती है। उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा भी ऐसी घटनाओं पर प्रश्न प्रश्नचिन्ह आरोपित किए गए हैं।

VISION IAS

- **शासन पर प्रभाव:** भारत में कुछ NGOs समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और उनके समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में विनियमन संबंधी कोई भी दुरुपयोग इस प्रक्रिया में बाधा बन सकता है।

निष्कर्ष

- यह सर्वविदित है कि विकास प्रक्रियाओं में NGOs की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस प्रकार NGOs को विश्वसनीय, सक्रिय एवं जवाबदेह बनाने के लिए राज्य तथा बाजार दोनों के सहयोग की आवश्यकता है।
- वर्तमान समय में, NGOs को स्वयं की जवाबदेही बढ़ाने की अपनी क्षमता पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।
- सरकार को NGOs द्वारा फंड्स के दुरुपयोग की जांच करने के लिए समितियों या आयोगों की नियुक्ति करनी चाहिए। समिति के सदस्य समय-समय पर NGOs की गतिविधियों का निरीक्षण और निगरानी कर सकते हैं।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. वैश्विक मंच पर कश्मीर मुद्दा

(Kashmir Issue at Global Forums)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निरस्त करने से कश्मीर मुद्दे ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। इस संबंध में भारत एवं पाकिस्तान ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं।

कश्मीर मुद्दे पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संबंधों की पृष्ठभूमि

- 1 जनवरी 1948 को, भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले के बारे में सुरक्षा परिषद को सूचना दी गई।
- 20 जनवरी को **संयुक्त राष्ट्र मिशन** के गठन का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत लिया गया था, जिसके द्वारा इस मिशन को संघर्ष समाप्त करने हेतु स्थिति से संबंधित तथ्यों की जांच करने और "मध्यस्थता" संबंधी हस्तक्षेप करने हेतु प्राधिकृत किया गया।
    - अनुच्छेद 34, सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष या विवाद को उत्पन्न करने वाले किसी भी विवाद या किसी भी स्थिति की जांच करने का अधिकार प्रदान करता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि विवाद या स्थिति की निरंतरता अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समक्ष संकट उत्पन्न न करे।
- पांच सदस्यीय मिशन **(डिक्सन मिशन),** जिसमें भारत और पाकिस्तान द्वारा नामित सदस्यों के अतिरिक्त तीन अन्य सदस्य भी शामिल थे, के प्रयासों से अंततः 1 जनवरी 1949 से युद्ध विराम लागू किया गया।
    - **1950 की डिक्सन योजना** के तहत भारत और पाकिस्तान के मध्य जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों (लद्दाख भारतीय क्षेत्र में तथा PoK एवं उत्तरी क्षेत्र पाकिस्तानी क्षेत्र में और जम्मू दोनों देशों के मध्य विभाजित) का विभाजन किया गया। साथ ही, इसके तहत घाटी में जनमत संग्रह (जो कभी आयोजित नहीं किया गया) का प्रावधान किया गया।
- इसके अतिरिक्त, भारत और पाकिस्तान के मध्य समस्याओं के द्विपक्षीय समाधान के लिए रूपरेखा **1972 के शिमला समझौते** में तैयार की गई थी और 27 वर्ष पश्चात् **1999 में लाहौर घोषणा-पत्र** में इसे दोहराया गया।
    - **शिमला समझौता, 1972:** इसे 2 जुलाई 1972 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। इसमें 1971 के युद्ध के दुष्परिणामों को समाप्त करने हेतु तैयार एक शांति संधि की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रावधान (अर्थात् सैनिकों की वापसी और युद्ध-बंदियों का आदान-प्रदान) शामिल किए गए थे।
        - इसमें भारत और पाकिस्तान द्वारा परस्पर सहमति प्राप्त ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के एक समुच्चय का उपबंध किया गया था, जिनका अनुपालन दोनों पक्षों द्वारा परस्पर संबंधों का प्रबंधन करते हुए किया जाएगा।
        - दोनों देशों द्वारा अपने द्विपक्षीय मतभेदों का समाधान द्विपक्षीय वार्ता या किसी अन्य शांतिपूर्ण रीति के माध्यम से परस्पर सहमति से करने का संकल्प लिया गया।
    - **लाहौर घोषणा-पत्र, 1999:** इस घोषणा-पत्र में न केवल शिमला समझौते के सिद्धांतों को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया, अपितु दोनों राष्ट्रों से आतंकवाद का मुकाबला करने और आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप की नीति का अनुपालन करने का भी आह्वान किया गया।
        - इस घोषणा-पत्र में दोनों देशों की संबंधित सरकारों द्वारा जम्मू-कश्मीर मुद्दे सहित सभी मुद्दों का समाधान करने हेतु अपने प्रयासों को गति प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की गयी।
- हालांकि, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे का निरंतर "अंतर्राष्ट्रीयकरण" करने का प्रयास किया जाता रहा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को ऐसा प्रतीत होता था कि इससे जम्मू-कश्मीर पर भारत के अधिकार क्षेत्र में कमी की जा सकती हैं। साथ ही, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर भारत के "अवैध कब्जे" के रूप में आलोचना करने के लिए प्रत्येक वैश्विक मंच का उपयोग किया गया है।

संबंधित तथ्य

जनमत संग्रह (plebiscite) क्यों नहीं हुआ?

- 5 जनवरी 1949 को, UNCIP (भारत और पाकिस्तान के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र आयोग) प्रस्ताव में निर्दिष्ट किया गया था कि जम्मू और कश्मीर राज्य के भारत या पाकिस्तान में विलय का प्रश्न एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह के माध्यम से निर्धारित किया

VISION IAS

जाएगा।

- हालाँकि, इसके लिए एक पूर्व आवश्यक शर्त यह थी कि पाकिस्तानी नागरिक और कबीलाई लोगों (जो कश्मीर में लड़ने आए थे) को वापस बुला लिया जाएगा। यह शर्त कभी पूर्ण नहीं हो सकी और दोनों देश युद्धविराम समझौते को कार्यान्वित करने में विफल रहे।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर अधिनियम के अनुच्छेद 35 और 51

- यह तर्क दिया गया कि भारत द्वारा इस मामले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 35 के बजाय अनुच्छेद 51 के तहत संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया गया था। यदि इसे अनुच्छेद 35 के तहत प्रस्तुत किया गया होता तो इसके परिणाम भिन्न होते।
- अनुच्छेद 35 यह प्रावधानित करता है कि यदि विवाद से संबंधित पक्ष परस्पर वार्ता के माध्यम से मामलों का समाधान करने में सक्षम नहीं हैं तो संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य सुरक्षा परिषद या महासभा के समक्ष विवादों को प्रस्तुत कर सकता है।
- अनुच्छेद 51 यह प्रावधानित करता है कि संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य को उस पर आक्रमण होने की स्थिति में "व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा का अंतर्निहित अधिकार" प्राप्त है, जब तक कि सुरक्षा परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु आवश्यक उपाय नहीं किए जाते हैं।
- हालाँकि, इसका परिणाम यह हुआ कि अनुच्छेद 34 के तहत संयुक्त राष्ट्र मिशन की स्थापना की गयी।

कश्मीर मुद्दे पर भारत का पक्ष

- **अनुच्छेद 370:** भारत ने यह तर्क दिया है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जाना भारत का एक 'आंतरिक मामला' है।
  - भारत के मतानुसार, न केवल जम्मू और कश्मीर राज्य बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) भी भारतीय राज्यक्षेत्र का एक अभिन्न अंग है। भारत, सीमाओं के पुनर्सीमांकन की मांग को पूर्णत: अस्वीकृत करता है।
  - भारतीय संघ में जम्मू-कश्मीर का समावेश पूर्णत: एक आंतरिक विषय है और यह किसी भी प्रकार भारत की बाहरी सीमाओं {पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा (LOC) या चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)} को प्रभावित नहीं करता है।
- **सीमा पार आतंकवाद:** भारत ने अपनी दीर्घकालिक स्थिति को दोहराया है कि उसके द्वारा कश्मीर या किसी भी अन्य भारत-पाकिस्तान मुद्दे पर मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों देशों के मध्य लंबित विवादों को द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया के माध्यम से समाधान किया जाएगा, हालांकि यह वार्ता केवल तभी आरंभ की जाएगी जब तक कि पाकिस्तान द्वारा भारत में सीमा-पार आतंकवाद को रोक नहीं दिया जाता है।
- **तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं:** भारतीय स्थिति ऐतिहासिक रूप से अपने आंतरिक मामलों में बाह्य पक्षों द्वारा किए गए हस्तक्षेपों के प्रति अविश्वास से निर्मित हुई है, अत: अपने पंथनिरपेक्ष राष्ट्रत्व के विचार (secular nationhood project) के संरक्षण के लिए इसकी अत्यधिक आवश्यकता है।
  - भारत ने तीसरे पक्ष के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है।
  - भारत द्वारा सुझाव दिया गया है कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बजाय दोनों क्षेत्रों और LoC पर भारत-पाक संयुक्त गश्ती तंत्र को स्थापित करना अधिक उपयुक्त कदम सिद्ध हो सकता है।

भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर कश्मीर मुद्दे का किस प्रकार समाधान किया जाए?

- **अन्य देश की मध्यस्थता की अस्वीकृति:** भारत मुख्यतः यह अभिव्यक्त करने में सफल रहा है कि वह किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा।
  - दक्षिण एशियाई मामलों के जानकारों और अन्य देशों के राजनयिकों द्वारा कश्मीर पर भारत के रुख और किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के संबंध में भारत की अस्वीकृति को सही माना गया है।
  - भारत द्वारा “भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (UN Military Observer Group in India and Pakistan: UNMOGIP)” को मान्यता प्रदान नहीं की गयी है। ज्ञातव्य है कि UNMOGIP की स्थापना प्रथम भारत-पाक युद्ध में संघर्ष विराम की निगरानी हेतु 1949 में की गई थी।
- **कूटनीतिक सफलता:** भारत को दक्षिण एशिया का परमाणुकरण (nuclearisation) और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति विश्व की बढ़ती रूचि के संबंध में अत्यधिक कूटनीतिक सफलता प्राप्त हुई है।
- **संयुक्त राष्ट्र:** जनवरी 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी कश्मीर मुद्दे के समाधान हेतु किसी भी मध्यस्थता (जब तक कि सभी पक्ष इसके लिए सहमत नहीं हों) को अस्वीकार कर दिया तथा भारत और पाकिस्तान से अपने सभी मुद्दों को वार्ता के माध्यम से हल करने के लिए कहा।
- **खाड़ी देशों का समर्थन:** खाड़ी देशों (जिनके साथ पाकिस्तान का दशकों से 'मित्रवत' संबंध रहा है) द्वारा कश्मीर मुद्दे पर भारत की कार्यवाही की निंदा नहीं की गई।

VISION IAS

- हाल ही में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सऊदी प्रिंस से वार्ता की गई।
- **आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान के संबंध को प्रकट करना:** आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण पर अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (Financial Action Task Force) द्वारा ब्लैकलिस्ट घोषित किए जाने की कगार पर खड़ा है।

भारत के प्रयास सफल क्यों रहे हैं?

- **हितों का समन्वय:** 9/11 हमले के पश्चात् वैश्विक स्तर पर हितों का समन्वय हुआ है और आतंकवाद का सामूहिक विरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत द्वारा पाकिस्तान की निरंतर आलोचना की जाती रही है।
- कारगिल हमले के दौरान भारत को वैश्विक समर्थन प्राप्त होने के कारण इसकी छवि में सुधार हुआ। ज्ञातव्य है कि कारगिल युद्ध के पश्चात् वर्ष 2002 में संसद पर और वर्ष 2008 में मुंबई पर हमला हुआ था।
- **वैश्विक परिदृश्य:** विश्व में अनेक संकट व्याप्त हैं और पश्चिमी देश इनसे सर्वाधिक प्रभावित हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: जलवायु परिवर्तन, ब्रेक्जिट, चीन के आक्रामक रवैये पर अंकुश लगाना, अफगान शांति प्रक्रिया का बाधित होना, ईरान संकट आदि। इनके पास कश्मीर मुद्दे पर अपनी संलग्नता बढ़ाने के पर्याप्त कारण विद्यमान नहीं है और इनके द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु दोनों पक्षों के मध्य परस्पर वार्ता पर बल दिया गया है।
- **कूटनीतिक सुदृढ़ता:** वैश्विक स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के साथ बढ़ती संलग्नता के कारण विश्व में भारत के महत्व और स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भूमिका:** भारत की भारत-प्रशांत क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, जहां पूर्व से ही विश्व के अनेक हितधारक विद्यमान हैं। अत: दोनों दक्षिण एशियाई देशों के मध्य किसी भी प्रकार का संघर्ष विश्व के हित में नहीं होगा।
- **सॉफ्ट पावर:** भारत को पाकिस्तान के विपरीत विश्व भर में सुदृढ़ सॉफ्ट पावर का दर्जा प्राप्त है।

पाकिस्तान किस प्रकार कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास कर रहा है?

- **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA):** पाकिस्तान द्वारा UNGA में अपने विभिन्न संबोधनों में कश्मीर मुद्दे को उठाया गया है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC):** पाकिस्तान द्वारा UNSC से संपर्क किया गया और कश्मीर मुद्दे पर एक गुप्त बैठक भी आयोजित की गई, जिसका निष्कर्ष यह रहा कि इस विवादास्पद मुद्दे को द्विपक्षीय रूप से हल किया जाना चाहिए।
- **मुस्लिमों को पीड़ितों के रूप में चित्रित करना:** पाकिस्तान द्वारा "इस्लामोफोबिया" और "मुसलमानों के साथ अन्याय" के संदर्भ में कश्मीर मुद्दे को प्रस्तुत किया जाता है।
- **संबंधों को कमजोर करना:** भारत के राजदूत को वापस भेजने और संबंधों को कमजोर करने का बारंबार प्रयास किया गया है।
- **चीन से समर्थन:** चीन ने अपनी कश्मीर नीति में पाकिस्तान को पूर्ण समर्थन प्रदान किया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ):** पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वह इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में अपील करेगा।
- **इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC):** पाकिस्तान ने OIC से मानव त्रासदी से बचने के लिए कश्मीर की स्थिति को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है।
- कश्मीर में संचार को बाधित करने संबंधी मुद्दे को चिन्हित किया गया।

निष्कर्ष

कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए पाकिस्तान का हालिया कदम व्यापक रूप से असफल रहा है क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन के साथ अपने रुख पर कायम है। इसके अतिरिक्त, भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा कश्मीर में पाक प्रयोजित आतंकवाद के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है न कि कश्मीर समस्या का।

नोट: कश्मीर मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए अगस्त 2019 की समसामयिकी देखें।

2.2. विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रणाली

(Dispute Settlement System of WTO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization: WTO) के विवाद निपटान प्रणाली की अपीलीय निकाय (Appellate Body: AB) अपनी रिक्त सीटों को भरने में विलंब के कारण अक्रियाशील बनने की कगार पर खड़ी है।

WTO की विवाद निपटान प्रणाली (Dispute Settlement System: DSS) के बारे में

- DSS वस्तुतः WTO के सदस्य राष्ट्रों के मध्य व्यापार विवादों का समाधान करने हेतु एक तंत्र है। इसके द्वारा राजनीतिक वार्ता और न्याय-निर्णयन दोनों के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है।

- **उरुग्वे दौर की वार्ता (1986-1994)** की परिणति, सदस्य राष्ट्रों के मध्य व्यापार विवादों के नियमन हेतु DSS के गठन और **विवाद निपटान समझौते (Dispute Settlement Understanding: DSU)** को अपनाने के रूप में हुई थी।
- DSU के तहत DSS की कार्यप्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य:
  - बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को स्थिरता और पूर्वानुमेयता (predictability) प्रदान करना।
  - विवादों के समाधान हेतु एक तीव्र, कुशल, विश्वसनीय और नियम-आधारित प्रणाली स्थापित करना।
- **विवाद निपटान निकाय (DSB):** WTO की सामान्य परिषद (जनरल काउंसिल), विवादों के निपटान (निर्णयन) हेतु सर्वोच्च संस्था है तथा इसकी बैठक DSB के तौर पर होती है।
  - यह मूल रूप से एक **राजनीतिक निकाय** है और इसके द्वारा DSU के नियमों एवं प्रक्रिया को प्रशासित किया जाता है।
  - यहाँ **रिवर्स कंसेंसस मेथड** (reverse consensus method) के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अर्थात्, किसी मुद्दे के विरुद्ध सर्वसम्मति बन जाने के पश्चात् ही इससे संबंधित निर्णय को अपनाया जाता है।
- **अपीलीय निकाय (Appellate Body: AB):** यह WTO की एक सात सदस्यीय स्थायी संस्था है, जो DSS के अंतर्गत अपील पर न्याय-निर्णयन करती है।
  - इसके सदस्यों को DSB द्वारा चार वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है।
  - इसके द्वारा एक सकारात्मक सर्वसम्मति तंत्र का अनुसरण किया जाता है।

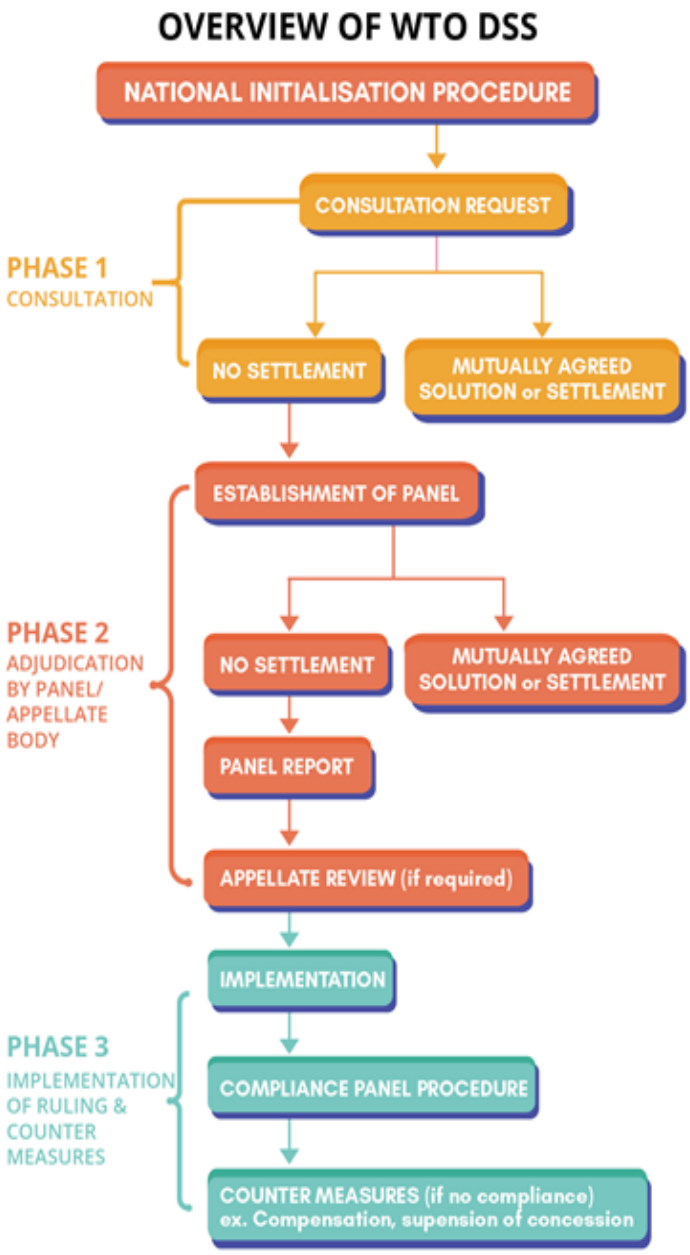

विवाद निपटान प्रणाली का महत्व

- विगत 24 वर्षों के दौरान, DSS के समक्ष 500 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। उल्लेखनीय है कि इन शिकायतों के लगभग 90 प्रतिशत भाग का निस्तारण किया जा चुका है, जो किसी भी अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की तुलना में अत्यधिक है।
- DSS, **नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थिरता** और **पूर्वानुमेयता** को बनाए रखता है। यह विभिन्न देशों द्वारा अनुसरण की जाने वाली एक **स्थिर व्यापार नीति का समर्थन** करता है, जो कृषकों, विनिर्माताओं, उद्योगों, व्यवसायों और अन्य लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाती है।
- DSS एक सत्ता-आधारित प्रणाली के विपरीत एक **नियम-आधारित प्रणाली** होने के कारण **विकासशील देशों और अल्प-विकसित देशों (LDCs) के हितों की रक्षा** करता है।
- सदस्य राष्ट्रों के मध्य विवादों का समाधान कर, यह WTO के तत्वावधान में व्यापार वार्ता के मुख्य उद्देश्य को पूरा करता है। इस प्रकार, यह एक बहुपक्षीय संगठन के रूप में WTO को **व्यावहारिक तौर पर प्रासंगिक बनाता** है।

VISION

विवाद निपटान प्रणाली के समक्ष समस्याएँ:

अपीलीय निकाय (AB) के सदस्यों की नियुक्ति		
मुद्दें	**विवरण**	**प्रस्तावित समाधान**
AB के सदस्यों की नियुक्ति	सर्वसम्मति के आधार पर इसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अत: इसकी नियुक्तियों को बाधित करना एक सदस्य राष्ट्र (वर्तमान में अमेरिका) के लिए आसान है।	सर्वसम्मति के स्थान पर बहुमत के आधार पर सदस्यों को नियुक्ति करना। हालाँकि, दीर्घकालिक रूप से सर्वसम्मति आधारित निर्णयन सभी सदस्यों के हित में होता है। **अन्य सुधार:** AB की सदस्य संख्या (पद के संदर्भ में) में वृद्धि करना तथा इन सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही इनकी चयन प्रक्रिया के स्वत: क्रियान्वयन किए जाने संबंधी प्रावधान किया जाना चाहिए।
प्रक्रियात्मक मुद्दे		
AB द्वारा अपने निर्णयों को पूर्ववर्ती-निर्णयों के रूप में माना जाना	इस संबंध में ठोस कारणों की अनुपस्थिति के बावजूद पैनल द्वारा अपने पूर्ववर्ती-निर्णयों के आधार पर निर्णयन किया जाता है। कुछ राष्ट्रों द्वारा इसका विरोध किया गया है, क्योंकि AB द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में कोई कानूनी प्रावधान विद्यमान नहीं हैं।	• बेहतर दृष्टिकोण यह हो सकता है कि AB को इस पर विचार करने की अनुमति प्रदान की जाए कि पूर्व की रिपोर्ट किस सीमा तक प्रासंगिक और विवाद समाधान हेतु उपयोगी सिद्ध हो सकती है तथा इस संबंध में यह अपनी रिपोर्ट में कारणों को भी प्रस्तुत करे। • कभी-कभी, पूर्व रिपोर्टों का उल्लेख करने से भविष्य के विवादों के संबंध में WTO कानून के अनुप्रयोग के स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है, क्योंकि WTO के पैनल और AB कानूनों की अनुपस्थिति में कार्य नहीं कर सकते हैं।
AB द्वारा अपने न्यायिक अधिदेश का अतिक्रमण	AB का क्षेत्राधिकार "कानून के मुद्दों" और "पैनल द्वारा विकसित कानूनी व्याख्याओं" की समीक्षा करने तक सीमित है। कभी-कभी AB द्वारा तथ्यपरक जांच भी की जाती है और इसी संबंध में AB की आलोचना की गई है।	• AB को जुडिशल इकॉनमी (न्यायिक मितव्ययिता) का प्रयोग करना चाहिए और केवल पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों तक ही स्वयं को सीमित रखना चाहिए। • AB द्वारा स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि वह अपील के समाधान के लिए विशेष निष्कर्षों को आवश्यक क्यों मानता है। • यह विचार करने हेतु कि क्या AB द्वारा अपने अधिदेश का अतिक्रमण किया गया है, एक संभावित बाह्य समीक्षा तंत्र प्रस्तावित किया गया है।
प्रणालीगत मुद्दे		
DSS प्रक्रिया में विलंब	DSS के कार्यभार में समग्र कमी होने के बावजूद, विवादों का समाधान करने में लगने वाले औसत समय में निरंतर वृद्धि हुई है।	• सचिवालय में अधिक संख्या में वकीलों की नियुक्ति करना, अनुवाद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, पैनल की संख्या में कमी करना आदि। • विवादों के शीघ्र समाधान के माध्यम से वादी देशों की लंबित मामलों की अवधि के दौरान होने वाली आर्थिक हानियों को कम किया जा सकता।
विकासशील राष्ट्रों और	DSS में समग्र रूप से विकासशील राष्ट्रों और LDCs	• वार्ता चरण के दौरान विकासशील राष्ट्रों और

VISION IAS

LDCs को DSS तक उचित पहुंच का अभाव	की भागीदारी निम्न रही है।	LDCs को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। • वार्ता और परामर्श के दौरान राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने हेतु ACWL (एडवाइजरी सेंटर ऑन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लॉ) की सहायता प्राप्त की जा सकती है। • इसके अतिरिक्त, विवादों की बढ़ती जटिलता और पुराने होते व्यापार नियमों के साथ, DSU के तहत वैकल्पिक तंत्र का उपयोग करना लाभप्रद होगा, जैसे- (1) परामर्श प्रक्रिया, (2) बेहतर कार्यालय, सुलह और मध्यस्थता प्रक्रिया (3) पंच-निर्णय (arbitration)।
सदस्यों और न्यायनिर्णयन निकायों के मध्य वार्ता हेतु कोई औपचारिक तंत्र विद्यमान नहीं है	औपचारिक तंत्र की अनुपस्थिति में, DSS के समक्ष नए मुद्दे प्रस्तुत करने और उन पर चर्चा करने हेतु सदस्य राष्ट्रों के लिए कोई मंच उपलब्ध नहीं है।	• DSB और AB के मध्य वार्षिक बैठक का आरंभ किया जाना चाहिए। • AB सदस्यों पर अनुचित दबावों से बचने के लिए ऐसी कार्यवाही के लिए पर्याप्त पारदर्शिता और बुनियादी नियमों को स्थापित किया जाना चाहिए।

DSS के साथ भारत का अनुभव

- भारत DSS के समक्ष प्रस्तुत मामलों में सक्रिय भागीदार रहा है।
- भारत को कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक मामलों में आशानुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे, जिससे दूरगामी कानूनी और नीतिगत सुधारों को बढ़ावा मिला:
  - **"मेल बॉक्स" पेटेंट मामले** के परिणामस्वरूप पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 1999 को लागू किया गया था जिसके माध्यम से मेलबॉक्स के अनुप्रयोगों के प्रतिपादन और विशेष विपणन अधिकार प्रदान करने हेतु एक विधिक आधार स्थापित किया गया।
  - **क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन मामले** में भारत के विरुद्ध दिए गए निर्णय ने भारत को अपनी व्यापार नीतियों में कई सुधार करने हेतु प्रेरित किया।
- इन मामलों में मिली हार ने भारत को अपनी मानवीय और संस्थागत क्षमता में वृद्धि करने, उद्योग हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने और विश्व व्यापार संगठन के समक्ष मामलों को प्रस्तुत करने संबंधी तैयारियों को सुदृढ़ करने में भी सक्षम बनाया है।
- कुछ मामलों में मिली हार ने भारत को अधिक अग्रसक्रिय वादी बनने में सक्षम बनाया है, जैसे:
  - **सौर सेल संबंधी मामले** में अनपेक्षित परिणाम प्राप्त होने के पश्चात्, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू सामग्री की आवश्यकता संबंधी इसी प्रकार के मामले में अमेरिका के विरुद्ध शिकायत दर्ज की और भारत को अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त हुए।
- इसी दौरान, भारत ने WTO के समक्ष कई महत्वपूर्ण मामलों को प्रस्तुत किया और अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त हुए, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांतों की स्थापना में सहायता की है:
  - उदाहरण के लिए, यूरोपीय समुदाय - प्रशुल्क अधिमान्यता मामले (EC- Tariff Preferences case) में, पैनल के निष्कर्षों ने **सामान्यीकृत अधिमान्यता प्रणाली (Generalized System of Preferences: GSP)** के गैर-भेदभावपूर्ण अनुप्रयोग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए।
- आदर्श स्थिति के विद्यमान होने पर भारत द्वारा सदैव वार्ता के माध्यम से विवाद निपटान हेतु इच्छा व्यक्त की गई है। भारत के अधिकांश मामले परामर्श चरण तक ही सीमित रहते हैं और उन्हें या तो पारस्परिक रूप से निपटाया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता है।

2.3. भारत-आसियान: मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा

(India-ASEAN: Review of Free Trade Pact)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) **वर्ष 2009** में हस्ताक्षरित **मुक्त व्यापार समझौते (FTAs)** की समीक्षा करने हेतु सहमत हुए।

VISION IAS

भारत-आसियान आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की पृष्ठभूमि

- वर्ष 1992 में, भारत, आसियान का **क्षेत्रीय वार्ता भागीदार**, **वर्ष 1995 में एक पूर्ण वार्ता भागीदार** और **वर्ष 1996 में आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF)** का सदस्य बना था।
- **वर्ष 2003** में, एक फ्रेमवर्क समझौते, यथा - **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (Comprehensive Economic Cooperation Agreement: CECA)** पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि आर्थिक सहयोग को सक्षम बनाने हेतु एक संस्थागत ढांचे का निर्माण किया जा सके।
- वर्ष 2009 में, बैंकॉक में **आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौता (AIFTA)** पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते के तहत, दोनों व्यापारिक साझेदारों द्वारा, दोनों क्षेत्रों के मध्य व्यापार की जाने वाली अधिकतम वस्तुओं पर **प्रशुल्कों को समाप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित** की गयी। इसके अतिरिक्त, सेवा एवं निवेश के क्षेत्र में व्यापार पर आसियान-भारत के मध्य संपन्न समझौते के उपरांत 1 जुलाई 2015 को **आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र** अस्तित्व में आया।
- वर्ष 2017 में **भारत और आसियान के मध्य वार्ता भागीदारी के 25 वर्ष** तथा **सामरिक भागीदारी के पांच वर्ष** पूर्ण हुए।
- भारत ने आसियान के विभिन्न सदस्यों के साथ आर्थिक सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर करके क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर आसियान के साथ सहयोग स्थापित किया है।

आसियान के बारे में

- **आसियान**, 10 सदस्य राष्ट्रों का एक **भू-राजनीतिक और आर्थिक संगठन** है, जिसका गठन अगस्त 1967 में **इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर** और **थाईलैंड** द्वारा किया गया था।
- **ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यांमार** और **वियतनाम** को शामिल कर इसके सदस्यता का विस्तार किया गया।

भारत-आसियान व्यापार संबंधों का संक्षिप्त विवरण

- **आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।**
- आसियान और भारत के मध्य 81.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है, जो भारत के कुल व्यापार का लगभग **10.6%** है। आसियान के साथ भारत का निर्यात, इसके कुल निर्यात का 11.28% है।
- वर्ष 1995 और 2016 के मध्य, भारत एवं आसियान के मध्य व्यापार में लगभग 11.9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से वृद्धि हुई।
- हालांकि, **भारत के वस्तु व्यापार घाटे** में वृद्धि हुई है। व्यापार अंतराल वित्तीय वर्ष 2018 में 13 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019 में 22 बिलियन डॉलर हो गया।
- भारत जहाज, नाव, फ्लोटिंग संरचनाओं (floating structures), खनिज ईंधन, खनिज तेल और मांस का सबसे बड़ा निर्यातक है, जबकि दूरसंचार उपकरण, विद्युत मशीनरी, खनिज ईंधन, खनिज तेल तथा पशु या वनस्पति वसा और तेल का सबसे बड़ा आयातक है।

भारत पर मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) का प्रभाव

- **सकारात्मक प्रभाव**
  - **ग्लोबल ट्रेड एनालिसिस प्रोजेक्ट (GTAP) डेटाबेस** से ज्ञात होता है कि FTA के पश्चात् **थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक** में व्यापक पहुंच के कारण, आसियान के साथ भारत के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- दोनों पक्षों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2017 के 73.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018 में 80.8 बिलियन डॉलर हो गया।
- FTAs के संपन्न होने से भारत-आसियान क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यापार व्यपवर्तन (trade diversion) देखने को मिला है, क्योंकि इससे शेष विश्व की भारत और आसियान सदस्य राष्ट्रों में बाजार भागीदारी में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। विशेष रूप से, कंबोडिया, भारत, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम के साथ चीन की बाजार हिस्सेदारी में कमी आई है।

VISION IAS

- **नकारात्मक प्रभाव**
    - **असमान लाभ:** FTAs ने भारत के विनिर्माण क्षेत्रक पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न किया है, जिसके कारण सरकार मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से नौकरियों के सृजन हेतु प्रयास कर रही है।
    - रूल ऑफ़ ओरिजिन (Rules of origin) के प्रावधान के गैर-अनुपालन और इस प्रकार के उल्लंघन की जांच करने एवं उनका समाधान करने में पूर्ण सहयोग न मिलने के कारण भारत में वस्तुओं के आयात में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसके विपरीत, भारत द्वारा "भारत-आसियान FTA" के तहत उपयोग की जाने वाली अधिमान्यता प्रशुल्क (preferential tariffs) की दर इस क्षेत्र में विद्यमान विभिन्न मानकों, नियामकीय उपायों और अन्य गैर-प्रशुल्क बाधाओं के कारण 30 प्रतिशत से कम बनी हुई है।

भारत-आसियान आर्थिक संबंध: भावी संभावनाओं का परीक्षण

- **भारत-दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चैन) को प्रोत्साहित करना:** क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाएं राष्ट्रों के मध्य बाजार पहुंच का विस्तार कर आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करती हैं। उदाहरण के लिए: भारत में वस्त्र विनिर्माता अल्प विकसित देशों, जैसे- कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम के साथ संपर्कता से लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि इन देशों द्वारा भारत से सूती धागों (वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एक आगत) का आयात किया जाता है।
- **दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत को जोड़ना: भौतिक, संस्थागत और लोगों के मध्य परस्पर संपर्कता (कनेक्टिविटी)** के क्षेत्रों में दोनों अर्थव्यवस्थाओं को और अधिक जोड़ा जा सकता है। **वर्ष 2015 में हस्ताक्षरित सेवा व्यापार (ट्रेड इन सर्विसेज) समझौते** के तहत, भारत और आसियान ने व्यक्तियों के आवागमन को विनियमित करते हुए दूरसंचार, वित्तीय एवं बीमा सेवाओं में व्यापार को उदार बनाने पर सहमति व्यक्त की है।

आगे की राह

- दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ सहयोग स्थापित करने में भारत की रुचि कृषि, ऊर्जा और गैस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संभावित लाभों से संबद्ध है। चूंकि भारत को सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में तुलनात्मक रूप से बढ़त प्राप्त है, इसलिए आसियान अर्थव्यवस्थाओं के लिए घरेलू विनियमों को पार-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु उदार बनाने की आवश्यकता है।
- इसके अतिरिक्त, आसियान सदस्य राष्ट्र और भारत; **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते** (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) की अभिपुष्टि करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिससे सभी सदस्य देशों के मध्य व्यापार और निवेश में सुधार होना अपेक्षित है। इस प्रक्रिया को तीव्र करने की आवश्यकता है।
- **सेवाओं के व्यापार के उदारीकरण (विशेष रूप से मोड 4 - व्यक्तियों के आवागमन) के संबंध में** भारत-आसियान संबंधों में **व्यापक प्रगति की कल्पना की गई है।**
- **व्यापार सुगमता संबंधी उपाय:** यह आवश्यक दस्तावेज़ीकरण में कमी करेगा, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार के पारगमन समय में कमी आएगी और अंतत: भारत एवं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मध्य आर्थिक आदान-प्रदान को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।

2.4. क्वाड

(Quad)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर पहली बार **"मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए"** अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री स्तर की चतुष्पक्षीय वार्ता आयोजित की गई।
- इस बैठक को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भागीदार देशों के मध्य आयोजित होने वाली वार्ता के क्षेत्र में एक "महत्वपूर्ण पड़ाव" के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि क्वाड वार्ता अभी तक केवल संयुक्त सचिव-रैंक स्तर के अधिकारियों के मध्य ही आयोजित होती रही है।

क्वाड मंत्रिस्तरीय बैठक का उद्देश्य

- ऐसे एकल तंत्र एवं एकल संरचना को विकसित करना, जो मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले अन्य साधनों के पूरक और अनपूरक के रूप में कार्य करेंगे।
- आतंकवाद-रोधी, परामर्श, आपदा राहत में सहायता, एयरटाइम (वायु) सुरक्षा, सहयोग, विकास, वित्त और साइबर सुरक्षा प्रयासों के संबंध में समूह की साझा प्रतिबद्धताओं एवं घनिष्ठ सहयोग पर सामूहिक चर्चा करना।

VISION IAS

क्वाड के बारे में

- **चतुर्भुज सुरक्षा संवाद** (Quadrilateral Security Dialogue अथवा क्वाड) वस्तुतः **संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया** और **भारत** के मध्य आयोजित एक **रणनीतिक संवाद** है। हालांकि, यह (क्वाड) संवाद वर्तमान में अनौपचारिक वार्ता तंत्र का एक प्रकार है, लेकिन यह सतत रूप से औपचारिक स्वरूप ग्रहण कर रहा है।
- क्वाड की उत्पत्ति वर्ष 2004-2005 में एशियाई क्षेत्र में आई सुनामी के विरुद्ध की गई प्रतिक्रिया से मानी जाती है, जब भारत द्वारा दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों में अत्यधिक भागीदारी की गई थी।
- इस वार्ता की शुरुआत वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा की गई थी। हालांकि, वर्ष 2017 के आसियान सम्मेलन के दौरान सभी चारों पूर्व-सदस्यों द्वारा चतुर्भुज गठबंधन को पुनर्जीवित करने हेतु वार्ता की गई थी।

क्वाड का महत्व

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति के संक्रमण को संतुलित करना:** अमेरिकी कूटनीतिक प्रयासों में कमी और इसके सापेक्ष चीन के उदय के कारण वैश्विक राजनीति का केंद्र परिवर्तित होकर ट्रांस-अटलांटिक क्षेत्र से हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो गया है, जिसका इस क्षेत्र के देशों के लिए महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक निहितार्थ हैं, क्योंकि यह इनकी राष्ट्रीय सुरक्षा से अनिवार्यता से संबद्ध है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में इस रणनीतिक परिवर्तन के संदर्भ में केन्द्रीय स्थिति प्राप्त है, इसलिए ये देश क्वाड को भू-राजनीतिक रूप से वास्तविकता में परिवर्तित करने में संलग्न हैं।
- **लोकतांत्रिक देशों का एक समूह:** लोकतंत्र वह मूल घटक है, जो इन चारों देशों को एक साथ जोड़ता है। अन्य घटक जो इन देशों को आपस में जोड़ते हैं, वह यह कि इन देशों के मध्य नागरिक सुरक्षा से लेकर प्रौद्योगिकी मुद्दों से संबंधित व्यापक एजेंडा मौजूद है।
- **स्वभाविक प्रगति:** भारत और जापान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक संस्थागत त्रिपक्षीय रणनीतिक संवाद साझेदारी की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार का संवाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य विद्यमान है। इसी प्रकार, दिल्ली और अमरीका के मध्य रणनीतिक समेकन व जापान की भागीदारी से **ऑपरेशन मालाबार** को सुदृढ़ता से संस्थागत रूप प्रदान किया गया है। इस प्रकार, इन सभी त्रिपक्षीय पहलों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थित लोकतांत्रिक देशों को 'क्वाड' में परिवर्तित करने की महत्वपूर्ण क्षमता है।
- **चीन को प्रति-संतुलित करना:** चतुर्भुज सहयोग की अवधारणा वस्तुतः एक महाशक्ति के रूप में चीन के उद्भव को प्रति-संतुलित करने से जुड़ी हुई है। यह चीन की बढ़ती एकपक्षीय शक्ति की आशंका के कारण प्रमुख देशों द्वारा परस्पर संगठित होकर क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने का प्रयास है।
  - क्वाड से संबद्ध राष्ट्र, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को चीन द्वारा विकृत किए जाने के प्रति आशंकित हैं।
- **हिंसक चरमपंथ का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करना और आतंकवाद-रोधी गतिविधियों के संबंध में घनिष्ठ समन्वय स्थापित करना,** क्योंकि इन चिंताओं को दूर करने के लिए यह समूह एक प्रभावी मंच सिद्ध हो सकता है। इन चारों देशों द्वारा इस एजेंडे को और विस्तृत करना चाहिए तथा कानून प्रवर्तन एवं मेगासिटी के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों के संदर्भ में घनिष्ठ समन्वय स्थापित करने को प्रमुखता प्रदान की जानी चाहिए।
- **भारत की भूमिका को मान्यता प्रदान करना:** यह समूह इस क्षेत्र में भारत के 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' (निवल सुरक्षा प्रदाता) के रूप में उभरने और एक वैश्विक लीडर एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक नियम-आधारित प्रणाली की सुरक्षा हेतु भारत के योगदान को भी मान्यता प्रदान करता है। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी अन्य प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संतुलन स्थापित करने हेतु अग्रसक्रिय रूप से संलग्न होकर नेतृत्व किया है।
- **आसियान की केंद्रीयता को मान्यता प्रदान करना:** दक्षिण-पूर्व एशिया में आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) की केंद्रीयता के संबंध में क्वाड देश भी दृढ़-संकल्प हैं। आसियान की केंद्रीयता पर अत्यधिक बल देने को, इसके समर्थन का लाभ उठाने और वैकल्पिक सुरक्षा संरचना पर चल रहे विचार-विमर्श को और अधिक गतिशील बनाने के रूप में देखा जा सकता है।

क्वाड: भारत के लिए महत्व

- **बहुपक्षीयता (Minilateralism) का लाभ उठाना:** क्वाड, भारत को सामूहिक हितों और आकांक्षाओं के आधार पर एक समूह से जुड़ने हेतु एक महत्वपूर्ण तथा एक शक्तिशाली मंच प्रदान करता है। इस प्रकार, यह बहुपक्षीयता को प्रोत्साहित करता है, जहाँ छोटे लेकिन शक्तिशाली समूह संकेंद्रित कार्रवाई करने हेतु एकजुट हैं।
- **भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रोत्साहन:** क्वाड, पूर्वी-एशिया में भारत के हितों को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा, क्योंकि इस समूह द्वारा संपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता को मान्यता प्रदान की गई है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को मान्यता:** "एशिया-प्रशांत" के विपरीत "हिंद-प्रशांत" के रूप में भू-रणनीतिक शब्दावली, समकालीन भू-राजनीति में अत्यधिक प्रचलित हो रही है। इस समूह द्वारा निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत के उदय और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित प्रणाली की सुरक्षा में इसके महत्व को भी मान्यता प्रदान की गई है।

VISION IAS

- **चीन की तुलना में एशियाई क्षेत्र में भारत को एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता बनाना:** क्वाड, अमेरिका और जापान जैसे लोकतंत्रों के साथ भारत के संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगा तथा इस प्रकार यह भारत को समकालीन भू-राजनीतिक विचार-विमर्श के मंच (यथा- अफगान शांति प्रक्रिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीतियों का प्रति-संतुलन) पर एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाएगा।

चिंताएँ और चुनौतियाँ

- **चीनी कारक (The China Question):** भारत, क्वाड के प्रति संशय की स्थिति में है क्योंकि भारत, चीन के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाला इस समूह का एकमात्र देश है और इस प्रकार भू-राजनीतिक मोर्चे पर यह चीन को अलग-थलग नहीं करना चाहता है। उदाहरण के लिए: भारत ने **मालाबार नौसेना अभ्यास** में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया को अनुमति नहीं दी है, क्योंकि वह इस बात से चिंतित है कि यदि ऑस्ट्रेलिया को अनुमति प्रदान की जाती है तो इससे चीन (जो इस अभ्यास के प्रति पहले से ही सावधान है) में नकारात्मक संदेश जा सकता है। साथ ही, अतीत में भी भारत इस प्रकार के सुरक्षा गठबंधनों से स्वयं को पृथक करता रहा है। इसलिए, भारत ने क्वाड प्रस्ताव का स्वागत करते हुए रणनीतिक सतर्कता भी अपनाई है।
    - प्रश्न यह भी उठाया गया है कि क्या स्वयं ऑस्ट्रेलिया, चीन-ऑस्ट्रेलिया के मध्य घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए इस प्रयास को सार्थकता प्रदान करेगा।
- **क्वाड- कार्य प्रगति पर है (QUAD- a work in progress):** क्वाड अभी भी एक औपचारिक स्वरुप ग्रहण नहीं कर पाया है। इस तथ्य के बावजूद कि विगत कुछ वर्षों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तनों ने इस व्यवस्था को तत्काल सुदृढ़ बनाने का आह्वान किया है, तथापि इसके सदस्यों द्वारा अभी भी अपनी प्राथमिकताओं को परिभाषित किया जा रहा है।
- **संकीर्ण आयाम की स्थिति:** यह चिंता व्यक्त की गई है कि चीन की एकतरफ़ा आक्रामकता से हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए सैन्य व्यवस्था पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से, चीन के संदर्भ में क्वाड पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न हो रहा है।

आगे की राह

- **क्वाड एजेंडे का पुन: प्रयोजन:** क्वाड देशों के पास यह अवसर है कि वे परस्पर लोकतांत्रिक तरीके से संवाद कर सकते हैं और एक महत्वपूर्ण नागरिक सुरक्षा एजेंडा को निर्धारित कर सकते हैं। क्वाड को अपने स्वयं के परामर्शी एजेंडे के अंतर्गत लोकतंत्र और नागरिक सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु अपनी प्राथमिकता सूची विकसित करनी चाहिए।
- **समुद्री सहयोग और मुख्यतः पारस्परिक सैन्य सहयोग से इतर संबंधों पर विचार करना:** क्वाड देशों को कनेक्टिविटी, क्षमता-निर्माण और साइबर सुरक्षा जैसे सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए। इसे एक सुदृढ़ क्षेत्रीय परामर्श तंत्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर आसियान देशों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।
    - **इंडो-पैसिफिक बिज़नेस फोरम** जैसी पहल का विस्तार किया जा सकता है। इंडो-पैसिफिक बैंक या इंडो-पैसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट एजेंसी जैसे वैकल्पिक संस्थानों को ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी और अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विचार करना चाहिए।
    - उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक ट्रैक विकसित करना भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इंटरनेट/डिजिटल अर्थव्यवस्था ने क्षेत्रीय एवं वैश्विक प्रशासन के समक्ष नई चुनौतियां प्रस्तुत की हैं।
- **भारत की भावी भूमिका:** भारत को चुनौतियों का सामना करने और विद्यमान क्वाड जैसी व्यवस्था से संबंधित अवसरों का लाभ उठाने के लिए नवाचारी बनने की आवश्यकता है। क्वाड फ्रेमवर्क भारत के लिए वैश्विक व्यवस्था के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना को आकार देने में एक सक्रिय भागीदार बनने का विशिष्ट अवसर प्रदान करता है।
    - यह भविष्य में भारत-चीन संबंधों के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है।

2.5. भारत-चीन आर्थिक संबंध

(India-China Economic Relation)

सुर्ख़ियो में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **छठी भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक वार्ता (Strategic Economic Dialogue: SED)** की मेजबानी की।

अन्य संबंधित तथ्य

- SED, दोनों देशों के मध्य अवसंरचना, ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी, संसाधन संरक्षण, फार्मास्यूटिकल्स और नीतिगत समन्वय के **क्षेत्रों में सहयोग पर केंद्रित है।**
- इस दौरान नीतिगत समन्वय, अवसंरचना, उच्च प्रौद्योगिकी, संसाधन संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में परस्पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

पृष्ठभूमि

- **भारत और चीन के द्वारा वर्ष 1984 में एक व्यापार समझौता किया गया था**, जिसके तहत दोनों देशों को **मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)** का दर्जा प्राप्त किया गया।

- **वर्ष 1992 में भारत और चीन के मध्य पूर्णतया द्विपक्षीय व्यापार संबंध स्थापित हो गए थे** तथा दोनों के मध्य वर्ष 1994 में **दोहरे कराधान समझौते** पर हस्ताक्षर किए गए।
- वर्ष 2003 में, दोनों देशों द्वारा **बैंकाक समझौता** पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके तहत भारत और चीन दोनों ने एक-दूसरे को कुछ व्यापारिक अधिमान्यता (trade preferences) प्रदान की थीं। वर्ष 2003 में, भारत और चीन ने सिल्क रूट के माध्यम से खुली सीमा आधारित व्यापार प्रारंभ करने के लिए एक समझौता किया।
- वर्ष 1987 में, दोनों देशों का सकल घरेलू उत्पाद (सांकेतिक) लगभग समान था। लेकिन वर्ष **2019 में चीन का सकल घरेलू उत्पाद** भारत की तुलना में **4.78 गुना** अधिक रहा।
    - क्रय-शक्ति समता (PPP) के आधार पर, चीन की GDP भारत की तुलना में 2.38 गुना अधिक है। वर्ष 1998 में चीन की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक थी, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था 9 वर्ष पश्चात् अर्थात् वर्ष 2007 में विनिमय दर के आधार पर 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था बनी थी।

भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक वार्ता

- यह **भारत और चीन के नीति-निर्माणकारी निकायों** {(भारत के योजना आयोग (अब नीति आयोग) और चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन (NDRC)} के मध्य एक द्विपक्षीय **वार्ता मंच** है।
- इस प्रकार की वार्ता का विचार सर्वप्रथम वर्ष 2010 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रकार के अन्य भारत-चीन आर्थिक और वाणिज्यिक मंच

- दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों के नेतृत्व के अधीन **संयुक्त आर्थिक समूह**।
- भारत के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और चीन के वित्त मंत्रालय के उप-मंत्री के नेतृत्व के अधीन **डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर डायलॉग एंड फाइनेंशियल डायलॉग**।

भारत-चीन आर्थिक संबंध

- **द्विपक्षीय व्यापार:** वर्तमान में, **चीन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है**; जबकि भारत, चीन के शीर्ष दस व्यापारिक भागीदार देशों में शामिल है।
    - **चीन के साथ 51.11 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा** भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि यह चीन में विनिर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भारतीय अर्थव्यवस्था की अक्षमता को प्रदर्शित करता है।
    - उच्च व्यापार असंतुलन की स्थिति, बाजार पहुंच संबंधी मुद्दे और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण द्विपक्षीय व्यापार सीमित बना हुआ है।
    - भारत को होने वाले अधिकांश चीनी निर्यातों में विद्युत मशीनरी और विद्युत उपकरण जैसी विनिर्मित वस्तुएं शामिल हैं, जबकि भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से लौह अयस्क एवं कपास जैसी संसाधन आधारित वस्तुएं शामिल हैं।
    - चीन से भारत को सर्वाधिक मात्रा में उर्वरकों का निर्यात किया जाता है।
    - यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जहां भारत को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है (जैसे- फार्मास्यूटिकल्स, जहां भारत द्वारा वैश्विक जेनेरिक दवाओं के 20 प्रतिशत का उत्पादन किया जाता है), भारतीय फर्मों के लिए चीनी बाजारों में पहुँच प्राप्त करना कठिन सिद्ध होता है।
- **निवेश:** वर्ष 2014 में, चीन द्वारा आगामी पांच वर्षों में भारत (जैसे- गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र में औद्योगिक पार्क परियोजनाओं में) में 20 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश की घोषणा की गई थी।
    - इस निवेश के माध्यम से भारत की विनिर्माण क्षमताओं में वृद्धि हो सकती है तथा साथ ही, चीन के साथ व्यापार घाटे में कमी होने की संभावना है।
    - **विशेष रूप से तकनीक और ई-कॉमर्स पर केंद्रित भारतीय स्टार्ट-अप्स** को चीन से महत्वपूर्ण निजी निवेश प्राप्त हुआ है।
- **बैंकिंग:** सात भारतीय बैंकों द्वारा चीन में अपनी शाखा की स्थापना की गई है। चीनी बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (ICBC) द्वारा अपनी एक शाखा भारत (मुंबई) में स्थापित की गई है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** अप्रैल 2000 और जून 2017 के मध्य भारत में चीन द्वारा 1.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) किया गया था, जो कि इसी अवधि में भारत में FDI के कुल अंतर्प्रवाह का केवल 0.49 प्रतिशत है।
    - भारत द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर अधिक चीनी निवेश को प्रोत्साहित करने के कुछ परिणाम प्राप्त हुए हैं - अप्रैल 2000 से सितंबर 2015 तक भारत में चीन द्वारा किए जाने वाले FDI का 60 प्रतिशत हिस्सा ऑटोमोबाइल विनिर्माण और स्मार्टफोन विनिर्माता कंपनियों को प्राप्त हुआ।

VISION IAS

आर्थिक संबंधों के समक्ष चुनौतियां

- **चीन की संरक्षणवादी नीतियां:** यह चीन के बाजारों में भारतीय कंपनियों के प्रवेश के समक्ष बाधा उत्पन्न करता है। भारत द्वारा अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए चीन के निवेश को बढ़ाने के साथ-साथ भारतीय IT, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पादों के लिए चीनी बाज़ारों में पहुँच प्रदान करने पर बल दिया जा रहा है।
- **बाजार पहुंच का अभाव:** चीन में पहले से विद्यमान भारतीय फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों द्वारा यह शिकायत की जाती रही है कि उन्हें चीन के बाज़ारों तक उचित पहुंच प्राप्त नहीं है और उन्हें अत्यधिक प्रतिबंधात्मक विनियामकीय प्रक्रियाओं द्वारा बाधित किया जाता है। ज्ञातव्य है कि इस मुद्दे को भारत द्वारा चीन के समक्ष निरंतर उठाया जाता रहा है ।
- **भूमि अधिग्रहण की चुनौतियाँ:** इसके कारण चीन की कुछ परियोजनाओं की प्रगति बाधित हुई है।
- **चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI):** भारत द्वारा निरंतर दूसरी बार BRI शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने के पश्चात्, चीन ने विभिन्न तरीकों से भारत को अपने BRI में शामिल करने का प्रयास किया है।

आगे की राह

- चीन का वृहत आकार, इसके बढ़ते मध्यम वर्ग और इसकी बढ़ती उपभोग-आधारित घरेलू अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि **यह भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए भावी बाजार उपलब्ध कराने के साथ-साथ वृहत निवेश के स्रोत प्रदान करने की व्यापक संभावनाएं प्रस्तुत करता है।**
- समग्रतः, सुदृढ़ भारत-चीन आर्थिक संबंध दोनों देशों के लिए लाभप्रद हो सकता है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि **भारत अपने औद्योगिक क्षेत्र को सुदृढ़ करने की योजना बना रहा है** तथा चीन अपने विनिर्माण क्षेत्र के संबंध में मूल्य श्रृंखला को प्रोत्साहित करने की योजना बना रहा है।
- भारतीय फर्मों में चीन द्वारा किया गया निवेश उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अधिक आवश्यक पूंजी प्रदान करता है, जबकि चीन विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ भारत को तुलनात्मक रूप से लाभ प्राप्त है (जैसे- सूचना प्रौद्योगिकी, विधि सेवाएँ, कंसल्टिंग, विपणन सेवाएँ आदि), तकनीकी कौशल प्राप्त कर सकता है।
- व्यापार असंतुलन, बाजार पहुंच संबंधी मुद्दे और प्रतिबंधात्मक विनियामकीय परिवेश जैसी चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि, **भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ** भारत को चीन के विरुद्ध निरंतर हतोत्साहित करती रहेंगी, जो भारत के लिए आर्थिक अवसरों को प्रभावित कर सकती हैं।
- दोनों देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे परस्पर विश्वास के एक अनुकूल परिवेश का निर्माण करें, जिसमें वे परस्पर सहयोग और अपने संबंधों को सुदृढ़ कर सकें।

2.6. भारत-दक्षिण कोरिया संबंध

(India South Korea Defence Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के रक्षा मंत्री की सियोल यात्रा के दौरान, रक्षा शैक्षिक आदान-प्रदान तथा एक-दूसरे की नौसेनाओं के लिए लॉजिस्टिक्स सहायता में विस्तार हेतु भारत और दक्षिण कोरिया ने दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

दोनों राष्ट्रों के मध्य संपन्न समझौते एवं भारत के लिए उनका महत्व

- भारत-दक्षिण कोरिया द्वारा एक दूसरे की नौसेनाओं के मध्य लॉजिस्टिक्स सहायता को बढ़ाने हेतु **नौसेना लॉजिस्टिक्स साझाकरण समझौते (Naval logistics sharing pact)** पर हस्ताक्षर किए गए। इससे इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) क्षेत्र में भारतीय पहुंच में वृद्धि होगी तथा अमेरिका और फ्रांस के समान, दक्षिण कोरिया भी भारत के एक घनिष्ठ भागीदार के रूप में स्थान प्राप्त कर सकेगा। उल्लेखनीय है कि भारत ने अमेरिका और फ्रांस के साथ समान द्विपक्षीय समझौते पर पूर्व में हस्ताक्षर किए हैं।
- **रक्षा शैक्षिक आदान-प्रदान (Defence Educational Exchanges)** हेतु एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जो दोनों देशों के मध्य विशेष रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ता प्रदान करेगा।
- भारत-दक्षिण कोरिया रक्षा संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए एक **'फॉरवर्ड लुकिंग रोडमैप'** तैयार किया गया है। इस रोडमैप में भूमि प्रणाली, एयरो सिस्टम, नौ-सेना प्रणाली, अनुसंधान एवं विकास सहयोग तथा परीक्षण, प्रमाणन और गुणवत्ता आश्वासन आदि जैसे सहयोग के कई प्रस्तावित क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है।
- एक **टास्क फोर्स** स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जो सैन्य प्रणालियों की पहचान करेगा, जिन्हें स्थानीय रूप से भारत में विनिर्मित किया जा सकता है तथा यह कोरियाई कंपनियों की भागीदारी हेतु आर्थिक रूप से व्यवहार्य होगा।
- इससे भारत में कोरियाई कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। उदाहरण के लिए, **K9 वज्र मोबाइल आर्टिलरी गन को L&T द्वारा हनवा लैंड सिस्टम्स के सहयोग से निर्मित** किया जा रहा है। यह भारत के आयात व्यय को कम करने में सहायता प्रदान करेगा।

- कोरियाई रक्षा उद्योगों का एक प्रतिनिधिमंडल फरवरी 2020 में लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में आयोजित होने वाले **डिफेंस एक्सपो-2020** में भाग लेगा।

दोनों देशों के मध्य रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने वाले कारक:

- जनवरी 2010 में भारत-दक्षिण कोरिया द्वारा रणनीतिक साझेदारी (strategic partnership) के क्षेत्र में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे वर्ष 2015 में **'विशेष रणनीतिक साझेदारी'** ('special strategic partnership) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया तथा रक्षा सहयोग को इस 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' के तहत प्राथमिकता प्रदान की गई है।
- दक्षिण कोरिया की **न्यू सदर्न पॉलिसी (NSP)** के अंतर्गत भारत के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने की वकालत की गयी है। यह पहली बार है जब दक्षिण कोरिया द्वारा स्पष्ट रूप से भारत हेतु एक विदेश नीति पहल तैयार की गयी है तथा आधिकारिक तौर पर इसका दस्तावेजीकरण भी किया गया है।
- इसी प्रकार, दक्षिण कोरिया, भारत की **एक्ट ईस्ट पॉलिसी** का एक प्रमुख भागीदार देश रहा है, जिसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना तथा एशिया-प्रशांत देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को विकसित करना है।
- चीन के पश्चात् दक्षिण कोरिया दूसरा देश होगा जिसके साथ मिलकर भारत द्वारा **अफगानिस्तान में एक संयुक्त परियोजना** प्रारम्भ की जाएगी।
- **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताओं** और बदलती भू-राजनीति के परिणामस्वरूप सियोल द्वारा भारत के साथ मिलकर क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कोरिया की खुफिया एजेंसियों के मध्य नियमित सुरक्षा संवाद स्थापित किए जा रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, भारत और आसियान के साथ संलग्न होकर दक्षिण कोरिया द्वारा **'इंडो-पैसिफिक' भू-राजनीतिक भागीदारी का समर्थन** किया जाना एक उचित प्रयास है, जो चीन से संबंधित जोखिमों को कम करने में दक्षिण कोरिया की सहायता करेगा।

न्यू सदर्न पॉलिसी (New Southern Policy: NSP)

- यह **"नार्थ ईस्ट एशिया प्लस कम्यूनिटी फॉर रेस्पोंसिबिलिटी-शेयरिंग (NEAPC)"** को बढ़ावा देने हेतु दक्षिण कोरियाई सरकार की व्यापक रणनीति का एक भाग है।
- NSP का उद्देश्य कोरिया के दक्षिण में स्थित राष्ट्रों (भारत के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र) के साथ सुदृढ़ आर्थिक संबंध विकसित करना है, जबकि न्यू नदर्न पॉलिसी कोरिया के उत्तर में स्थित राष्ट्रों (मुख्यतः रूस, मंगोलिया और मध्य एशियाई देश) पर केंद्रित है।

भागीदारी के अन्य क्षेत्र

- वर्ष 2018 में भारत की यात्रा पर आए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति द्वारा **समृद्धि और शांति एवं नागरिकों के लिए सहयोग** के माध्यम से, भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु **'3P प्लस'** नामक एक नई पहल की शुरुआत की गयी।
- दोनों देशों के मध्य बौद्ध धर्म, साझा सांस्कृतिक संपर्क के रूप में कार्य करता है। हाल ही की एक राजनयिक यात्रा के दौरान, साझे बौद्ध संबंधों को रेखांकित करते हुए, भारत द्वारा **दक्षिण कोरिया को एक पवित्र बोधि वृक्ष भेंट** किया गया।
- भारत एवं दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2010 में **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement: CEPA)** पर हस्ताक्षर किए, जिससे व्यापार संबंधों के विकास को बढ़ावा मिला है। भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार लगभग 21 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है, जिसे वर्ष 2030 तक 50 बिलियन अमरीकी डॉलर तक किए जाने का लक्ष्य है।
- कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने हेतु, भारत द्वारा **'इन्वेस्ट इंडिया' के तहत "कोरिया प्लस"** नामक एक सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जो संलग्न निवेशकों को मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान करेगा।
- विगत वर्ष, **दक्षिण कोरिया द्वारा सैमसंग कंपनी के एक मोबाइल विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया, जो नोएडा में स्थापित विश्व का सर्वाधिक बड़ा सयंत्र** है।

निष्कर्ष

भारत और दक्षिण कोरिया परस्पर सहयोग, समन्वय, सह-उत्पादन एवं सह-विकास के द्वारा अनुकूल स्थितियों का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। दक्षिण कोरिया की न्यू सदर्न पॉलिसी और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मध्य सामंजस्य और पूरकता में वृद्धि हो रही है। इन दोनों नीतियों का उद्देश्य एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की स्थापना करना है।

VISION IAS

2.7. रूस का सुदूर पूर्व

(Russian Far East)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **20वीं भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन** तथा **पूर्वी आर्थिक मंच (Eastern Economic Forum: EEF)** की पांचवीं बैठक रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित की गयी।

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रधानमंत्री की यह यात्रा (उपर्युक्त सम्मेलन के दौरान) रूस के **फार ईस्ट (सुदूर पूर्व) के विकास पर केन्द्रित** थी, जिसके लिए भारत द्वारा 1 बिलियन डॉलर के लाइन ऑफ़ क्रेडिट की घोषणा की गयी।
- **वर्ष 2015 में स्थापित EEF** का उद्देश्य रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करना है।
  - इस पांचवें शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों में **भारत, मलेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया** और **दक्षिण कोरिया** शामिल हैं।
  - विगत पाँच वर्षों में, 17 विभिन्न देशों द्वारा रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र (फार ईस्ट) में निवेश किया गया है।
    - इनमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम जैसे क्षेत्रीय एवं वैश्विक देश शामिल हैं।
    - इन राष्ट्रों के सहयोग से यहां 20 उन्नत विशेष आर्थिक क्षेत्र और पांच मुक्त बंदरगाह (free ports) स्थापित किए गए हैं।

भारत के लिए रूस के सुदूर पूर्व का महत्व

- **संसाधन संपन्न क्षेत्र:** यह विरल जनसँख्या वाला एवं अविकसित क्षेत्र है। चूंकि, एशिया, वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, ऐसे में भारत इस क्षेत्र के विकास में एक सक्रिय भूमिका निभा सकता है।
  - इस क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले उत्पादन में 98 प्रतिशत हीरा और 50 प्रतिशत स्वर्ण शामिल है, जो रूसी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है।

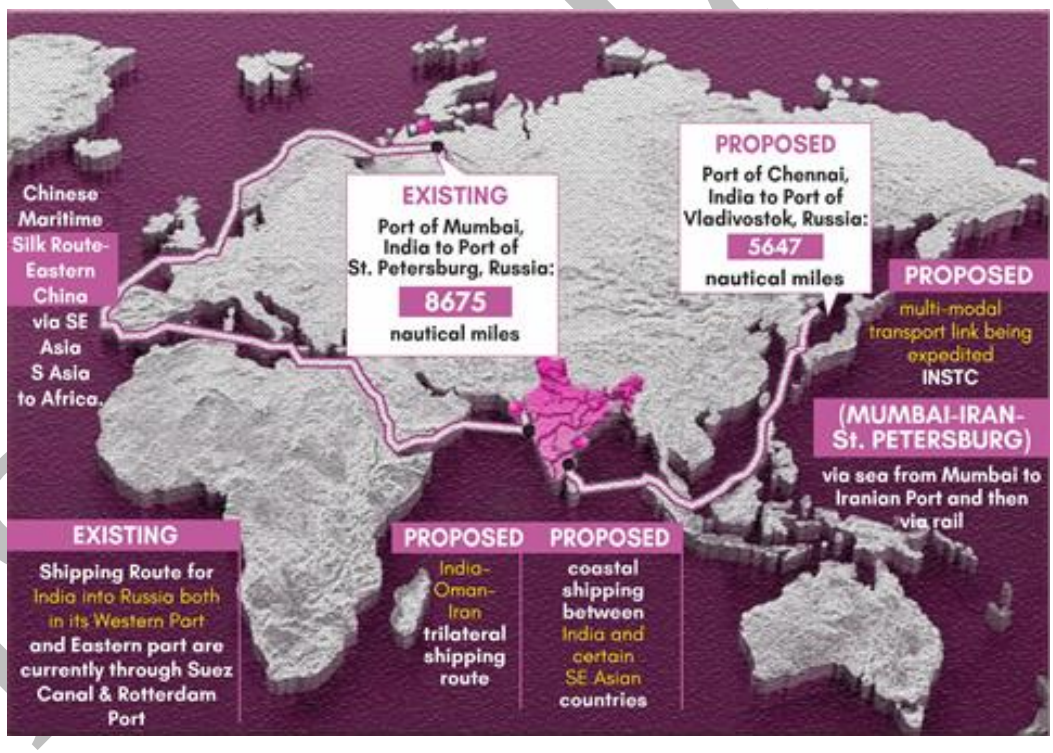

- **निवेश के अवसर:** अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ तेल और पेट्रोलियम क्षेत्रक, यथा- सखालिन-I और वानकोर्नेफ्ट भारतीय निवेशकों को लाभ प्रदान कर सकते हैं।
- **कनेक्टिविटी: चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के मध्य समुद्री मार्ग** को विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
  - इससे यूरोपीय मार्गों से होकर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में यूरोप होते हुए भारत से रूस के सुदूर पूर्व तक कार्गो के आवागमन में 40 दिनों का समय लगता है, परन्तु इस मार्ग के विकसित हो जाने के पश्चात 24 दिनों के भीतर चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच कार्गो का आवागमन संभव हो सकेगा।
- **रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर:** मानव संसाधन का अभाव सुदूर पूर्व की मुख्य समस्याओं में से एक है। ऐसे में भारतीय पेशेवर, जैसे- डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक इस क्षेत्र के विकास में मदद कर सकते हैं।

निष्कर्ष

रूस के सुदूर पूर्व में चीन के बढ़ते प्रभाव तथा रूस द्वारा चीन के एक प्रतिस्पर्धी देश की इच्छा को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए यह अनिवार्य है कि वह दोनों देशों के निजी क्षेत्र के साथ मिलकर (रूस के) सुदूर पूर्व क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग स्थापित करे।

2.8. सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों पर हमला

(Attack on Saudia Arabia's Oil Facilities)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सऊदी तेल प्रतिष्ठानों पर ड्रोन हमले के परिणामस्वरूप वैश्विक तेल बाजारों में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गयी।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह हमला सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में अवस्थित **अब्कैक** (Abqaiq) तेल प्रसंस्करण संयंत्र तथा यहाँ के दूसरे सबसे बड़े आयल फील्ड **खुरैस** (Khurais) पर हुआ था।
    - **अब्कैक** तथा **खुरैस** प्रतिष्ठान **रियाद** के उत्तर में अवस्थित हैं।
- ये प्रतिष्ठान सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको (Saudi Aramco) के स्वामित्वाधीन हैं। इस हमले के परिणामस्वरूप कंपनी का आधे से अधिक उत्पादन प्रभावित हुआ है।
- इसके परिणामस्वरूप तेल की कीमतों में अस्थिरता उत्पन्न हुई है तथा ईरान पर हालिया अमेरिकी प्रतिबंधों के पश्चात् भारत के लिए स्थिति और संकटपूर्ण बन गयी है।

भारत पर प्रभाव

- **आर्थिक संवृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव:** तेल की कीमतों के लगातार उच्च बने रहने के कारण आर्थिक संवृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उल्लेखनीय है कि इराक के पश्चात् सऊदी अरब, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है।
- **चालू खाता घाटे में वृद्धि:** ब्रेंट में 10 डॉलर की वृद्धि से भारत के वार्षिक आयात व्यय में 15 बिलियन डॉलर की वृद्धि हो जाएगी और तेल की कीमतों में 10% की वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत के चालू खाता घाटे में GDP के 0.4-0.5 प्रतिशत तक वृद्धि होने का अनुमान है।
    - यह भविष्य में रुपये को और कमजोर कर सकता है, जिससे अंततः सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय करने की क्षमता या अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए प्रदान की जाने वाली रियायतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **ईरान पर प्रतिबंध के कारण आयात संबंधी चुनौतियां:** संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंध आरोपित किए जाने के बाद ईरान से तेल की आपूर्ति संबंधी क्षति की पूर्ति हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।
    - भारत द्वारा ईरान से 10% से अधिक तेल का आयात किया जाता था। हालांकि, इस वर्ष की शुरुआत में, अमेरिका द्वारा (परमाणु समझौते से बाहर निकलने के बाद) भारत पर ईरानी तेल आयात रोकने के लिए दबाव डाला गया था।
- **सऊदी अरब की विश्वसनीयता प्रभावित:** भारत, सऊदी अरब को विश्व का सबसे सुरक्षित तेल आपूर्तिकर्ता देश मानता रहा है। हालांकि, इस हमले ने सऊदी अरब की सुरक्षा संबंधी सुभेद्यता को उजागर किया है।
    - भारत में स्थित रिफाइनरियां, यथा- रिलायंस पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां, सऊदी अरब से तेल आयात करती हैं और जैसा कि सऊदी अरब द्वारा भारत को आश्वस्त किया गया था कि भारत की आयात आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, इसलिए इस अल्पावधि के दौरान आयात आवश्यकता संबंधी कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होगी।
    - इस क्षेत्र में जटिल भू-राजनीति के कारण भविष्य में भारत के लिए तेल आपूर्ति संबंधी बाधा उत्पन्न हो सकती है। चूँकि, सउदी के प्रभाव वाले ओपेक (तेल निर्यातक देशों का संगठन) द्वारा उत्पादन में कटौती करने पर सहमति व्यक्त की गई है। इसलिए अशांति और अव्यवस्था से भारत की तेल आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **अन्य क्षेत्रों और उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव:** तेल की कीमतों में वृद्धि से विनिर्माण और विमानन सहित कई उद्योग भी प्रभावित होंगे तथा मुद्रास्फीति में भी वृद्धि होने की संभावना है। कच्चे तेल के उपोत्पादों का उपयोग प्लास्टिक और टायर जैसी वस्तुओं के विनिर्माण में भी किया जाता है। ऐसे में ये वस्तुएं भी अधिक महँगी हो सकती हैं।

वैश्विक प्रभाव

- **वैश्विक तेल उत्पादन में अस्थिरता:** हालिया हमले के परिणामस्वरूप वैश्विक क्रूड आयल उत्पादन का लगभग 5 प्रतिशत तथा सऊदी अरब के तेल निर्यात का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित हुआ है।
    - सबसे बड़े तेल उत्पादक राष्ट्र पर इस तरह के हमले के उपरांत, सऊदी के तेल प्रतिष्ठानों से संबंधित रिस्क प्रीमियम में वृद्धि हो सकती है। सऊदी अरब द्वारा अपने प्रमुख तेल प्रतिष्ठानों में नई मिसाइल सुरक्षा प्रणाली को स्थापित किया जा सकता है। ऐसे में रिस्क प्रीमियम में वृद्धि और इस तरह के रक्षा तंत्र के परिणामस्वरूप वैश्विक तेल की कीमतों में भी वृद्धि होगी।
- **भविष्य में होने वाले संघर्ष में वृद्धि की संभावना:** यदि सऊदी सरकार और हौथी (Houthis) तथा अन्य कट्टरपंथी समूहों के मध्य संघर्षों में वृद्धि होती है, तो तेल की आपूर्ति एवं कीमतें भविष्य में प्रभावित होंगी।

VISION IAS

आगे की राह

- **संसाधनों के विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करना:** सऊदी अरब के तेल की गुणवत्ता लगभग ईरान और इराक में उत्पादित तेल के समान है। विगत दो वर्षों में इराक, सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश (भारत के लिए) बन गया है।
- **मौजूदा संसाधनों का दोहन:** जैसे कि वृहद कोयला संसाधन। हालांकि, खनन संबंधी चुनौतियों और जलवायु चिंताओं के कारण इस क्षेत्र से संबंधित पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाना भारत के लिए कठिन होगा। इसलिए भारत द्वारा कोयला प्रसंस्करण हेतु बेहतर तकनीक अपनायी जानी चाहिए।
- **रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना:** रूस एवं चीन जैसे देश पहले से ही ईरान से तेल आयात कर रहे हैं। अतः भारत को ईरान से तेल आयात संबंधी प्रतिबंधों को समाप्त करने हेतु अमेरिका से विचार-विमर्श करना चाहिए, क्योंकि ईरान द्वारा कई रियायतें प्रदान की जा रही हैं, जैसे- ऋण सुविधा संबंधी रियायतें, बीमा आदि।
- **नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में क्षमता-निर्माण:** यह तेल और पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता को कम करेगा।

2.9. अमेरिका-तालिबान वार्ता

(US-Taliban Talks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा काबुल में हुए आतंकी हमले को उद्धृत करते हुए तालिबान के साथ होने वाली शांति वार्ता रद्द कर दी गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन द्वारा तालिबानी कट्टरपंथ को समाप्त करने संबंधी प्रयासों के परिणामस्वरूप किए गए हमले के कारण वर्ष 2001 से ही अफ़ग़ानिस्तान बुरी तरह से प्रभावित है।
- हालांकि वर्ष 2011 के पश्चात्, नाटो सैन्य बलों की वापसी प्रारंभ हो गयी थी। जिसके उपरांत वर्ष 2014 में, अमेरिका द्वारा अफ़गानिस्तान से सैन्य बलों की वापसी की घोषणा की गई।
  - तत्पश्चात, इस क्षेत्र में तालिबानी कट्टरपंथ का विस्तार हुआ है और अफ़गानिस्तान में अभी भी अशांति की स्थिति बनी हुई है।
  - अमेरिका के अनुसार, वर्तमान में अफगान सैन्य बलों का लगभग आधे से अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण है, जो कि वर्ष 2015 में उनके द्वारा नियंत्रित तीन-चौथाई हिस्से से कम है। तालिबान द्वारा विदेशी सैनिकों की पूर्ण वापसी की मांग की गई है।
  - वर्ष 2014 से, विभिन्न देश सभी हितधारकों के साथ वार्ता के माध्यम से इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने हेतु प्रयासरत हैं।
- शांति समझौते के लिए अक्टूबर 2018 से ही, तालिबान के प्रतिनिधियों और अमेरिकी अधिकारियों के मध्य दोहा (क़तर) में कई दौर की वार्ताएं आयोजित की जा चुकी हैं।
- अफ़गानिस्तान और अन्य देशों के कई सुरक्षा विश्लेषकों द्वारा अमेरिका-तालिबान वार्ता की आलोचना की गई है, क्योंकि इसमें अफ़ग़ानिस्तान सरकार को शामिल नहीं किया गया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस वार्ता से तालिबान को वैधता प्राप्त होगी।
- हालांकि, अमेरिका द्वारा एकपक्षीय रूप से इस शांति वार्ता को रद्द करना, सभी हितधारकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
- **अन्य प्रमुख वैश्विक शक्तियों पर प्रभाव:** जब चीन और रूस जैसे देश इन सभी हितधारकों के साथ पुनः वार्ता आयोजित करेंगे तो इससे अमेरिका अलग-थलग पड़ जाएगा।
- **पाकिस्तान पर प्रभाव:** यह तालिबान के साथ वार्ता में एक घनिष्ठ भागीदार के रूप में शामिल रहा है और शांति प्रक्रिया में पश्चिमी देशों द्वारा पाकिस्तान को भारत की तुलना में वरीयता प्रदान की गयी है। इस प्रकार वार्ता को रद्द करना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।
- **भारत पर प्रभाव:** परंपरागत रूप से भारत, अफ़गानिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के पक्ष में रहा है और इसके पक्षों का समर्थक रहा है। भारत सरकार का दृष्टिकोण यह है कि, न तो तालिबान निर्वाचित सरकार है और न ही उसे वैधता (जन समर्थन) प्राप्त है; और न ही तालिबान, अफ़ग़ान लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

- हालांकि, भारत द्वारा अब लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया है, जो अफगानिस्तान को एकीकृत, शांतिपूर्ण, सुरक्षित, स्थिर, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत राष्ट्र के रूप में उभरने में सहायता कर सकता है।
- हालांकि, भारत सरकार का नवीन दृष्टिकोण विगत वर्षों में इसके द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से थोड़ा भिन्न है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार सदैव, अफ़गानिस्तान सरकार की भागीदारी के साथ **"अफगान-नेतृत्व वाली, अफगान-स्वामित्व वाली और अफगान-नियंत्रित"** (Afghan-led, Afghan-owned, and Afghan-controlled) प्रक्रिया का समर्थक रही है।
- अमेरिका-तालिबान वार्ता की समाप्ति की घोषणा के पश्चात्, हालिया वर्षों में अपनाए गए भारत के यथार्थवादी दृष्टिकोण एवं प्रयास को भविष्य में जारी रखा जाना चाहिए। अब चूंकि, तालिबान स्वयं को एक प्रमुख हितधारक के रूप में स्थापित कर चुका है, ऐसे में कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सरकार को अपने पिछले इतिहास (कंधार अपहरण मामला) को भूल कर तालिबानी गुटों के साथ पुनः वार्ता आरंभ करनी चाहिए।

नोट: अफगान शांति प्रक्रिया के विषय में अधिक जानकारी के लिए जुलाई 2019 की समसामयिकी देखें।

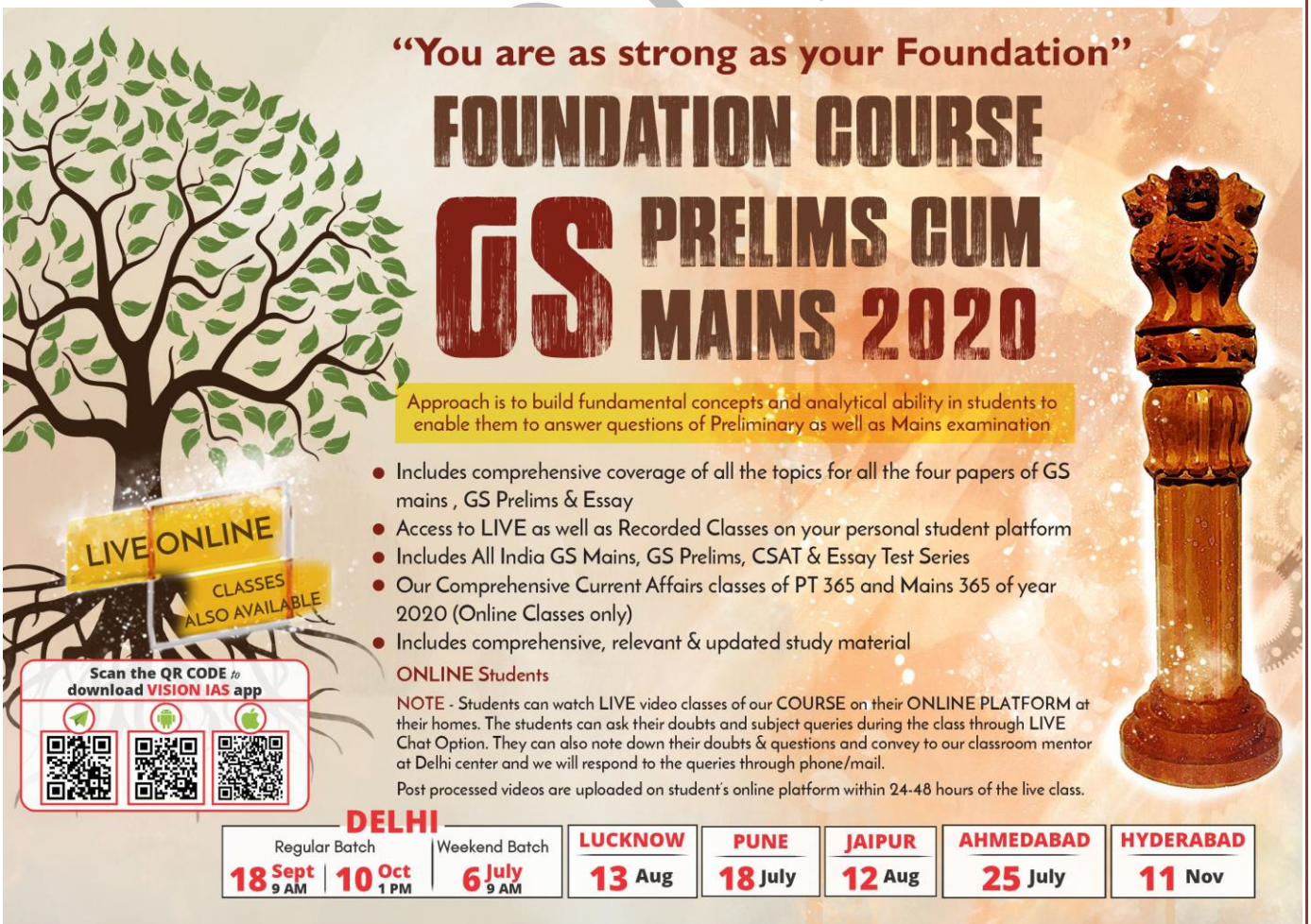

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु उपाय

(Measures to Boost Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु विभिन्न उपायों की घोषणा की गई।

मौद्रिक नीति उपाय	
रेपो रेट में कटौती	ऋण वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु रेपो रेट को कम कर इसे 5.4% कर दिया गया है।
मौद्रिक नीति संचरण (Monetary Policy Transmission)	• मौद्रिक नीति संचरण में सुधार करने हेतु खुदरा उपभोक्ताओं के साथ-साथ MSMEs को प्रदत्त फ्लोटिंग रेट (नम्य विनिमय दर) वाले ऋणों को बाह्य बेंचमार्क (जैसे- रेपो रेट, 3/6 माह के ट्रेजरी बिलों पर प्रतिफल) से जोड़ा गया है। • फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, बाजार की स्थिति के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। यह निश्चित ब्याज दर के विपरीत है, जिसमें ऋण दायित्व की ब्याज दर ऋण की अवधि के दौरान स्थिर रहती है।
NBFC क्षेत्रक में निधियों का अधिक प्रवाह	RBI ने बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को अधिक ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने हेतु तरलता मानदंडों में छुट दी है।

निर्यात प्रोत्साहन हेतु उपाय	
निर्यात	• निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं के लिए भारत से वस्तु निर्यात योजना (Merchandise Exports from India Scheme: MEIS) को निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना (Scheme for Remission of Duties & Taxes on Export Product: RODTEP) से प्रतिस्थापित किया गया है। इसके द्वारा वर्तमान योजनाओं द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की तुलना में निर्यातकों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। • निर्यातकों के लिए पूर्णतया स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक रिफंड।
निर्यात वित्त	• विस्तारित निर्यात ऋण बीमा योजना (Export Credit Insurance Scheme: ECIS) के अंतर्गत अब निर्यात के लिए कार्यशील पूंजी उधार देने वाले बैंकों को **एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन** द्वारा उच्च बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सरकार इसके लिए प्रतिवर्ष 1,700 करोड़ रूपये उपलब्ध कराएगी। • निर्यात क्षेत्रक को ऋण प्रदान करने हेतु बैंकों को अतिरिक्त 36,000 करोड़ रूपये से 68,000 करोड़ रूपये तक उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण संबंधी मानकों को संशोधित किया गया है। • वाणिज्य विभाग के अंतर्गत अंतर-मंत्रालयीय कार्यदल द्वारा निर्यात वित्तपोषण की प्रभावी निगरानी तथा सार्वजनिक डैशबोर्ड के माध्यम से निर्यात ऋण संवितरण की निगरानी।
निर्यात सुविधा	• प्रक्रियात्मक डिजिटलीकरण और ऑफलाइन/मैनुअल सेवाओं के उन्मूलन के माध्यम से विमानपत्तनों/पत्तनों/सीमा शुल्क पर टर्न अराउंड टाइम (TAT) को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। • दुबई की तर्ज पर मार्च 2020 के दौरान 4 स्थानों पर 4 थीमों (रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प/योग/पर्यटन, वस्त्र एवं चमड़ा) पर आधारित वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा।
मुक्त व्यापार समझौते (FTA)	• भारतीय निर्यातकों के बीच अधिमान्यता शुल्कों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और अनुपालन आवश्यकताओं {रूल्स ऑफ ऑरिजिन/उत्पत्ति का प्रमाण-पत्र (Certificates of Origin: CoO) आदि} की सुविधा प्रदान करने के लिए **मुक्त व्यापार समझौता उपयोग मिशन (Special FTA Utilisation Mission)**। • निर्यातकों को CoO (रूल्स ऑफ ऑरिजिन के अंतर्गत) प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा **ऑनलाइन "उत्पत्ति प्रबंधन प्रणाली (Origin Management System)"** का शुभारंभ किया जाएगा।

VISION IAS

इंजीनियरिंग मानक	• वाणिज्य विभाग तहत मानकों के संबंध में एक क्रियाशील समूह की स्थापना करके अनिवार्य तकनीकी मानकों और उनके प्रभावी प्रवर्तन का समयबद्ध अंगीकरण। • निर्यातकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सभी परीक्षणों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु सस्ते परीक्षण और प्रमाणन अवसंरचना का PPP रीति से पर्याप्त रूप से विस्तार और विकास किया जाएगा।
हस्तशिल्प का निर्यात	हस्तशिल्प उद्योग के लिए सीधे ई-कॉमर्स पोर्टल पर हस्तशिल्प कारीगरों और सहकारी समितियों के व्यापक नामांकन के माध्यम से निर्यात के लिए ई-कॉमर्स का प्रभावी ढंग से दोहन करना संभव बनाना।

आवास क्षेत्रक को गति प्रदान करने संबंधी उपाय	
बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB) संबंधी दिशा-निर्देशों में छूट	प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र आवास खरीदारों को वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने के लिए किफायती आवास हेतु ECB संबंधी दिशा-निर्देशों में छूट।
गृह निर्माण अग्रिम	गृह निर्माण अग्रिम पर निम्न ब्याज दर और इसे 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) के प्रतिफल से जोड़ना।
सस्ते और मध्यम आय आवास के लिए विशेष केंद्र	सरकार ने ऐसी चालू आवास परियोजनाओं हेतु जो गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं और जिनके विरुद्ध NCLT के अधीन दिवालियापन संबंधी कार्यवाही चल रही है, के अंतिम वित्तीयन हेतु 20,000 करोड़ रूपये के एक विशेष फंड (सरकार से 10,000 करोड़ रूपये और बाह्य निवेशकों से 10,000 करोड़ रुपये) की घोषणा की है।

विनिर्माण क्षेत्रक को गति प्रदान करने संबंधी उपाय	
निगम कर में कमी	• किसी भी घरेलू कंपनी को 22% की दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करने हेतु आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया है, लेकिन उनके लिए यह शर्त होगी उनके द्वारा कोई छूट / प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किए गए हैं। • ऐसी कंपनियों के लिए प्रभावी निगम कर की दर 25.17% होगी और उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन	आयकर अधिनियम, 1961 में प्रविष्ट एक नए प्रावधान के अंतर्गत, 1 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद निगमित और विनिर्माण हेतु नए निवेश करने वाली किसी भी नई घरेलू कंपनी को 15% की दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान किया गया है।
CSR फंडिंग के दायरे का विस्तार	वर्तमान में, CSR फंड का 2% केंद्र / राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा वित्त पोषित तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य में संलग्न सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, IITs, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं स्वायत्त निकायों में योगदाने करने वाले इनक्यूबेटरों पर व्यय किया जा सकता है, जिनका उद्देश्य SDGs को प्रोत्साहित करना है।

इन सुधारों के प्रभाव

- **निजी निवेश में सुधार:** कर कटौती से निजी क्षेत्रक के पास अधिक धन की बचत हो सकेगी, जिससे लोगों को उत्पादन और अर्थव्यवस्था में योगदान करने हेतु अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है। इसके विपरीत इससे रोज़गार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **निवेशकों को आकर्षित करने में सहायता:** निगम कराधान की दर में कटौती से भारत की स्थिति पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के समान हो जाएगी और इससे भारत वैश्विक मंच पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।
- **उपभोक्ता मांग में वृद्धि:** कर दरों के कम होने से उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कंपनियां कीमतों में कटौती कर सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि हो सकती है।
- **राजकोषीय क्षमता में वृद्धि:** इन सुधारों में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने, कर संग्रह में वृद्धि करने और राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति करने की क्षमता है।

VISION IAS

संबद्ध चुनौतियां

- कर कटौती से सरकार को 1.45 लाख करोड़ रूपये के वार्षिक **राजस्व हानि** होने का अनुमान है। ज्ञातव्य है कि सरकार पहले से ही अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने हेतु प्रयासरत है।
- **आयकर में कटौती को प्राथमिकता दी जानी चाहिए** क्योंकि इससे उपभोक्ताओं के पास अधिक प्रयोज्य आय शेष रहेगी और उपभोग की मांग को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, आयकर में कटौती का प्रभाव सीमित होगा क्योंकि देश में करदाताओं की संख्या कम है।
- उधारी की दरों में कटौती करते हुए परिचालन संबंधी लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए, **बैंक अपने जमा धारकों को भुगतान की जाने वाली ब्याज दर में कटौती करना** आरंभ कर सकते हैं। यह जमाकर्ताओं को गैर-तरल निवेश, जैसे- स्वर्ण, अचल संपत्ति आदि की ओर प्रेरित कर सकता है।
- **सीमित लक्ष्य:** मुख्य रूप से सस्ती और मध्य-स्तरीय आवासीय परियोजनाओं (जिनका कार्य 60% तक पूर्ण हो चुका है) पर लक्षित आवास क्षेत्र के लिए प्रस्तावित विशेष निधि में अधिकांश लंबित परियोजनाओं को शामिल नहीं किया गया है।
- **कर संबंधी मुद्दे:** उपर्युक्त किए गए उपायों द्वारा विकासकर्ताओं (developers) की प्रमुख मांगों का समाधान नहीं किया जा सका है, जैसे- कर में छूट तथा घर के खरीदारों व विकासकर्ताओं के लिए निम्न ब्याज दर।
- **वैश्विक परिदृश्य:** अनिश्चित तेल बाजार अल्पावधि के लिए किसी भी उपाय को निष्फल कर सकता है। भारत अपनी तेल आवश्यकता का 80% आयात करता है और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से रूपये पर भी दबाव पड़ सकता है, जिसमें विगत तीन महीनों में 2% की गिरावट हुई है।

नोट: आर्थिक गिरावट के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अगस्त 2019 की समसामयिकी देखें।

3.2. कृषि ऋण

(Agricultural Credit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI द्वारा कृषि ऋण की समीक्षा करने वाले आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट जारी की गई है।

भारत में कृषि ऋण के तंत्र

- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (Priority Sector Lending: PSL):** यह सुनिश्चित करने के लिए PSL का शुभारंभ किया गया था कि समाज के सुभेद्य वर्गों को ऋण तक पहुंच की सुविधा प्राप्त हो और कृषि एवं MSMEs जैसे रोजगार गहन क्षेत्रकों के लिए पर्याप्त रूप में ऋण उपलब्ध हो सके।
  - PSL के समग्र लक्ष्य के अतिरिक्त, बैंकों को 18% के कृषि ऋण का लक्ष्य और लघु तथा सीमांत किसानों के लिए 8% का समायोजित निवल बैंक ऋण (Adjusted Net Bank Credit: ANBC) का उप-लक्ष्य भी प्राप्त करना होता है।
  - PSL लक्ष्यों को प्राप्त करने के एवज में वर्ष 2016 में विभिन्न बैंकों को तुलनात्मक लाभ प्रदान करने के लिए **PSL प्रमाणपत्र** का शुभारंभ किया गया था।
- वर्ष 2006-07 के दौरान अल्पावधिक फसल ऋणों के लिए **ब्याज सहायता योजना (Interest Subvention Scheme: ISS)** आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को 2% की ब्याज सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी बैंकों (RBI और NABARD के माध्यम से) को प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त, उत्तम ऋण अनुशासन के लिए 3% का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (Prompt Repayment Incentive: PRI) प्रदान किया जाता है।
  - वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) से मान्यता प्राप्त गोदामों में संग्रहीत उपज के एवज में जारी किए गए **परक्राम्य गोदाम रसीदों (negotiable warehouse receipts)** के बदले प्राप्त ऋणों पर भी यह ब्याज सहायता उपलब्ध है।
- वर्ष 1998 में आरंभ की गई **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना** का उद्देश्य कृषि से संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण उपलब्ध कराना है।
- **स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज प्रोग्राम (SHG-BLP)** का उद्देश्य अनौपचारिक प्रणाली को औपचारिक संस्थाओं की मदद से सुदृढ़ और वहनीय बनाना तथा इसके लचीलेपन का दोहन करना है। SHG-BLP मॉडल के अंतर्गत अनौपचारिक समूहों को बैंकों के ग्राहकों के रूप में (जमा और ऋण लिंकेज दोनों के रूप में) स्वीकार किया जाता है और SHGs को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।
- NABARD द्वारा वर्ष 2006 में भूमि अधिकार नहीं रखने वाले बटाईदारों/जोतदार किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए **संयुक्त दायित्व समूह (Joint Liability Groups: JLG) योजना** आरंभ की गई थी।

VISION IAS

कृषि ऋण से संबंधित मुद्दे

- **संस्थागत की तुलना में गैर-संस्थागत कृषि ऋण:** परंपरागत रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण की आवश्यकताएं मुख्य रूप से महाजनों के माध्यम से पूरी की जाती थीं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर ऋणग्रस्तता की समस्या उत्पन्न हो जाती थी।
  - राष्ट्रीय अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (NAFIS, 2015) के अनुसार, गैर-संस्थागत ऋण की हिस्सेदारी अभी भी **लगभग 28%** तक बनी हुई है।
  - उपभोग के उद्देश्यों और संपार्श्विक प्रतिभूति प्रदान करने में अक्षम जोतदार किसानों, बटाईदारों और भूमिहीन मजदूरों के लिए ऋण की अनुपलब्धता उन्हें गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करती है।
- **संस्थागत ऋण में एजेंसियों की विषम हिस्सेदारी:** कृषि और संबद्ध ऋण में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर निर्भरता अभी भी अत्यधिक बनी हुई है (ऋण का ~78-80%)। यद्यपि सहकारी संस्थाओं (~15%) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (~5%) द्वारा कृषि ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, लेकिन उनकी हिस्सेदारी भौगोलिक रूप से अत्यधिक विषम है।
- **भूमि को पट्टे पर देने संबंधी रूपरेखा का अभाव:** कृषि भूमि को पट्टे पर देने हेतु उचित व्यवस्था के नहीं होने के कारण अनौपचारिक काश्तकारी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे जहाँ एक ओर, दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव के कारण औपचारिक ऋण तक काश्तकारों की पहुंच बाधित हो जाती है, वहीं दूसरी ओर भू-धृति अधिकारों (tenure rights) की अनुपस्थिति और बेदखली के भय के परिणामस्वरूप कृषि भूमि में निवेश हतोत्साहित होता है, जिससे ऋण की मांग कम हो जाती है।
- **कृषि ऋण में क्षेत्रीय असमानता:** मध्य, पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले राज्यों को उनकी कृषि-GDP के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम कृषि-ऋण प्राप्त हो रहा है।
- कृषि उत्पादन में 38-42 प्रतिशत की हिस्सेदारी के बावजूद **संबद्ध क्षेत्रों के लिए कृषि ऋण की अत्यल्प उपलब्धता (~ 6-7%),** संबद्ध क्षेत्रों के प्रति बैंकों के नकारात्मक रवैये को दर्शाता है।
  - फसल उगाने वाले किसान और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न लोगों के मध्य उचित विभेदन का अभाव है, क्योंकि जनगणना में भू-जोत आकार के आधार पर किसानों को परिभाषित किया जाता है।
  - बैंक द्वारा कृषि गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त करने वाले किसानों से भू-अभिलेखों को प्रस्तुत करने पर अत्यधिक बल दिया जाना।

भारत में कृषि वित्त - संक्षिप्त इतिहास

- **चरण 1 (1951-69)**
  - 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्राथमिक क्षेत्रक के विकास पर बल।
  - 1968 में **राष्ट्रीय ऋण परिषद** द्वारा जोर देते हुए कहा गया कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों और कृषि के वित्तपोषण को बढ़ाया जाना चाहिए।
  - 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं को खोलने पर बल दिया।
- **चरण 2 (1970-1990)**
  - 1970 के दशक में लीड बैंक स्कीम के साथ कृषि ऋण में वाणिज्यिक बैंकों के प्रवेश और PSL के नियामकीय निर्धारण को चिह्नित किया गया।
  - विशेष रूप से कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रकों के लिए बैंकिंग एवं ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया गया था।
  - विशेष रूप से SHGs और MFIs (सूक्ष्म वित्त संस्थान) के वित्तपोषण द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) स्थापित किया गया।
  - RBI ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए वर्ष 1989 में सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण या सर्विस एरिया एप्रोच (SAA) और वार्षिक ऋण योजना प्रणाली का शुभारंभ किया।
- **चरण 3 (1991से वर्तमान तक)**
  - बैंकों की परिचालन संबंधी दक्षता बढ़ाने के लिए 1991 की नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट का क्रियान्वयन।
  - वर्ष 1990 में पहली बार बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी कृषि ऋण माफी।
  - मुख्य रूप से ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए NABARD के तहत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) की स्थापना।
  - NABARD ने 1992 में पायलट परियोजना के तौर पर SHG-BLP की शुरुआत की।

VISION IAS

कृषि ऋण पर कृषि ऋण माफी का प्रभाव

- ऋण माफी का आर्थिक तर्क लाभार्थियों के ऋण भार को कम करने पर आधारित है। इस प्रकार यह उन्हें उत्पादक निवेश करने और वास्तविक आर्थिक गतिविधियों (निवेश, उत्पादन और उपभोग) को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है।
- हालांकि, इससे नैतिक जोखिम उत्पन्न होता है क्योंकि ऋण माफी खराब ऋण निष्पादन का मार्ग प्रशस्त करता है और ईमानदारी युक्त ऋण संस्कृति को विकृत करता है, क्योंकि यह उधारकर्ताओं को भविष्य में बेलआउट की प्रत्याशा में रणनीतिक रूप से चूक (default) करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- ऋणमाफी से ऋण आवंटन में विषमता उत्पन्न होती है क्योंकि बैंक कम जोखिम वाले उधारकर्ता समूहों को ऋणों को पुन: आबंटित करते हैं।
- बार-बार ऋण माफी से बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बैंक अपना PSL लक्ष्य पूरा करने के लिए कृषक तक पहुंचने के बजाय ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि में निवेश करने के लिए प्रेरित होते है, जिससे कृषि ऋण तक कृषकों की पहुंच कम हो जाती है।

- **PSL से संबंधित मुद्दे:**
  - हालांकि, समग्र स्तर पर बैंक 40% के PSL लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे हैं, लेकिन अभी तक वे प्रणालीगत स्तर पर 18% के कृषि ऋण लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे हैं।
  - इसके अतिरिक्त, 60% लघु और सीमांत किसानों (SMF) तक वाणिज्यिक बैंकों की पहुंच नहीं हैं।
- अल्पावधिक ऋणों पर **ब्याज सहायता योजना (ISS)** ने कृषि क्षेत्र की दीर्घकालिक संधारणीयता के लिए महत्वपूर्ण फसल-संबंधी निवेश ऋण के विरूद्ध उत्पादन ऋण के पक्ष में कृषि ऋण का विषमतापूर्ण वितरण किया है।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC):** कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार, केवल 45% किसानों के पास क्रियाशील KCC हैं। कृषि कार्यों में संलग्न अधिकांश परिवार अपनी उपभोग आवश्यकताओं के लिए ऋण प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं और इसलिए, वे महाजनों के पास जाने के लिए विवश होते हैं। उपभोग आवश्यकताओं के लिए KCC योजना में वर्तमान 10% की सीमा अपर्याप्त है।
- **गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि ऋणों का उपयोग:** तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल आदि जैसे कई राज्यों में कृषि-ऋण, कृषि-GDP से कहीं अधिक है। यह गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण उपयोग की संभावना को दर्शाता है। अनुचित उपयोग, ऋण अधिकता की समस्या को बढ़ाता है और ऋणग्रस्तता के उच्च स्तर को प्रोत्साहित करता है तथा दीर्घकाल में ऋण संस्कृति को विकृत करता है।
- **स्वर्ण संपार्श्विक के विरूद्ध कृषि ऋण की स्वीकृति:** संपार्श्विक के रूप में स्वर्ण के विरूद्ध कृषि ऋण की प्रधानता इंगित करती है कि फसल ऋण वित्त-मान पर आधारित नहीं है और स्वीकृत फसल ऋण की राशि वास्तविक ऋण आवश्यकता से अधिक हो सकती है। इससे अंततः फंड उपयोग में परिवर्तन होता है और परिणामस्वरूप ऋणग्रस्तता की व्यापकता अधिक हो जाती है।

अन्य संबंधित तथ्य - चीनी अनुभव से सीख

चीन के कृषि क्षेत्र को लघु जोतधारकों की अर्थव्यवस्था (smallholders' economy) के रूप में भी जाना जाता है। जहां चीन में कृषि योग्य भूमि 0.086 प्रति व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है वहीं इसके विपरीत भारत में यह 0.118 है, फिर भी चीन में कृषि उत्पादकता अत्यधिक है।

- कृषि क्षेत्र में इकॉनमी ऑफ़ स्केल को बढ़ावा देने हेतु बड़े पैमाने की इकाइयों (जैसे कि वृहत स्तर के पारिवारिक खेत, सहकारी समिति और कृषि व्यवसाय कंपनी द्वारा संचालित खेत) में छोटे और खंडित कृषि संबंधी गतिविधियों को समेकित करना।
- दीर्घावधि (30 वर्ष) के लिए भूमि पट्टे पर प्राप्त करने, बड़े पैमाने पर कृषि मशीनीकरण/ आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी, उच्च उपज वाले बीजों के उपयोग और R&D ने चीन में उच्च कृषि उत्पादकता में योगदान दिया है और साथ ही, छोटे जोतधारक किसानों के आय स्तर में भी सुधार किया है।
- मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ सामान्य आगत सब्सिडी और प्रति हेक्टेयर आधार पर किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना।
- कृषि सेवा प्रदाताओं के लिए प्रमुख कृषि संबंधी गतिविधियों (जैसे- जुताई, रोपाई और कटाई) की आउटसोर्सिंग करना, लघु किसानों के लिए कृषि संबंधी गतिविधियों में इकॉनमी ऑफ़ स्केल को बढ़ावा देना, पूंजीगत आगतों की लागत में कमी करना और किसानों को कृषेत्तर गतिविधियों में अधिक समय तक संलग्न रहने हेतु सक्षम बनाना।

आगे की राह

- **संस्थागत ऋण की पहुंच में सुधार करना:**
  - भू-अभिलेखों की डिजिटलीकरण प्रक्रिया और अद्यतनीकरण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
  - NITI आयोग द्वारा प्रस्तावित मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट जैसी नीतियों को अपनाकर **भूमि को पट्टे पर देने संबंधी फ्रेमवर्क में सुधार किया जाए।** इसका उद्देश्य सभी पट्टा समझौतों को औपचारिक बनाना और औपचारिक ऋण तक पहुंच बढ़ाना है।

    - आंध्र प्रदेश भूमि लाइसेंसधारी कृषक अधिनियम, 2011 के अंतर्गत, काश्तकारों को ऋण पात्रता कार्ड (LEC) जारी किए गए थे, जो उन्हें ऋण के लिए बैंकों से संपर्क करने की अनुमति प्रदान करता है।
  - सुधारों के निरूपण और कार्यान्वयन के दौरान राज्यों के साथ परामर्श करने को संभव बनाने के लिए **GST परिषद की तर्ज पर कृषि क्षेत्र लिए एक संघीय संस्था की स्थापना** की जाए।
  - प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों के माध्यम से संस्थागत ऋण वितरण में सुधार लाया जाए। बैंकों को एग्री-टेक कंपनियों / स्टार्ट-अप्स के साथ सहयोग को बढ़ाना चाहिए।
- **क्षेत्रीय असमानता को दूर करना:** मध्य, पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में ऋण वितरण में सुधार करने हेतु PSL दिशा-निर्देशों का पुनरीक्षण किया जाए।
- **संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्धता में वृद्धि करना:** ग्राउंड लेवल क्रेडिट (GLC) और PSL दिशा-निर्देशों के अंतर्गत संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण हेतु पृथक लक्ष्य निर्धारित किया जाए।
- **PSL के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों (SMFs) के उप-लक्ष्य का विस्तार करना:**
  - यह देखते हुए कि SMFs द्वारा धारित कुल परिचालनगत (कृषि भूमि) क्षेत्र वर्ष 2020-21 तक 51.85% होगा, इसलिए PSL के अंतर्गत SMFs के लिए कृषि ऋण की हिस्सेदारी को वर्तमान के 8% से बढ़ाकर 10% किया जाना चाहिए।
  - सभी राज्यों में स्थित ऐसे पट्टेदार, बटाईदार और काश्तकार जिनके संबंध में कोई लिखित दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं, उनकी गणना करने के लिए बेहतर क्रियाविधि विकसित की जानी चाहिए।
- **ब्याज सहायता योजना:** PM-KISAN योजना के सदृश लक्षित लाभार्थियों के लिए ब्याज सहायता योजना को DBT से प्रतिस्थापित किया जाए। ब्याज सब्सिडी का अनुचित उपयोग रोकने के लिए, बैंकों को केवल KCC रीति के माध्यम से ही फसल ऋण प्रदान करना चाहिए।
- **संपार्श्विक के रूप में स्वर्ण के विरूद्ध कृषि ऋण:** बैंकों को CBS में संपार्श्विक के रूप में स्वर्ण के विरूद्ध स्वीकृत कृषि ऋणों के अंतिम उपयोग की प्रभावी निगरानी करने के लिए ऐसे ऋणों को पृथक करने के लिए एक MIS विकसित करना चाहिए।
- **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का उपयोग करना:**
  - NABARD को सफल महिला SHG की पहचान करके महिला उन्मुख FPOs को प्रोत्साहन देना चाहिए।
  - सरकार को लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ के माध्यम से अपने ऋण गारंटी कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करना चाहिए।
- **भारतीय कृषि क्षेत्रक के लिए डेटाबेस:** केंद्रीकृत डेटाबेस विकसित किया जाना चाहिए जिसमें उपजाई जाने वाली फसलों, शस्यन प्रतिरूप, उत्पादन, बोए गए / सिंचित क्षेत्र, मृदा स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा आदि से संबंधित विवरण सम्मिलित हों। इसके अतिरिक्त, कृषक-वार विवरण, जैसे- पहचान, भू-अभिलेख, प्राप्त ऋण, प्रदत्त सब्सिडी, बीमा और उपजाई जाने वाली फसल आदि का विवरण भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

3.3. यूरिया सब्सिडी

(Urea Subsidy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने यूरिया के **खुदरा मूल्य पर नियंत्रण को सरल बनाने** हेतु एक योजना तैयार की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सरकार की योजना **यूरिया पर प्रदत्त (बढ़ती) सब्सिडी को वर्तमान की तुलना में और अधिक लक्षित करना** है।
- अब सरकार द्वारा बिक्री के आधार पर फर्मों को किए जाने वाले **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** के स्थान पर **लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में यूरिया सब्सिडी को हस्तांतरित (DBT)** किया जाएगा।
  - किसान, यूरिया की खरीद के दौरान बाजार मूल्य के अनुसार भुगतान करेंगे और तत्पश्चात उनके **आधार-लिंक्ड बैंक खाते में सब्सिडी की राशि** का भुगतान किया जाएगा।
  - इस प्रक्रिया से उर्वरक पर प्राप्त होने वाली **सब्सिडी के रिसाव और कालाबाजारी में कमी** आएगी।
  - सब्सिडी आधारित उर्वरकों पर उच्चतम सीमा आरोपित की जा सकेगी, ताकि **नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग में कमी की जा सके।**
  - उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी **किसानों के ई-वॉलेट में सीधे सरकार द्वारा अंतरित** की जाएगी और ई-वॉलेट को **रूपे किसान कार्ड** के साथ जोड़ा जाएगा।
- किसी एक चयनित राज्य में पायलट परियोजना शुरू करने के लिए **विभाग द्वारा शीघ्र ही औपचारिक प्रस्ताव रखा जाएगा।**

- सूत्रों के अनुसार, उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने और उद्योग में दक्षता लाने हेतु सरकार यूरिया हेतु **पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी (NBS) दर निश्चित** करने की योजना बना रही है।
- **आरंभ में**, मृदा में नाइट्रोजन के विलयन को मंद करने हेतु **नीम-लेपित यूरिया का उत्पादन अनिवार्य किया गया** ताकि पोषक तत्वों की आवश्यकता कम हो।

पृष्ठभूमि

- भारत की हरित क्रांति में उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिसके कारण सरकार ने उर्वरक की **बिक्री, मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता को विनियमित करने हेतु वर्ष 1975 में उर्वरक नियंत्रण आदेश** पारित किया था।
- उर्वरक के वितरण पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु **वर्ष 1973 में उर्वरक संचलन नियंत्रण आदेश जारी किया गया था।**
- **वर्ष 1977 के पूर्व उर्वरक पर कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती थी। वर्ष 1973** में तेल संकट के कारण उर्वरक के मूल्य में वृद्धि हुई थी जिससे इसके उपभोग में गिरावट हुई और खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि हुई।
- **वर्ष 1977 में सरकार ने उर्वरक विनिर्माताओं को सब्सिडी प्रदान कर हस्तक्षेप किया।**
- 1991 के आर्थिक संकट के पश्चात् सरकार ने **1992** में डाई-अमोनियम फॉस्फेट **(DAP)** और म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) जैसे जटिल उर्वरकों के आयात को नियंत्रण-मुक्त किया, **लेकिन यूरिया के आयात को प्रतिबंधित और व्यवस्थित किया गया।**

भारत की यूरिया नीति

- यूरिया, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक का स्रोत होता है और इस पर केंद्र सरकार द्वारा अत्यधिक सब्सिडी प्रदान की जाती है। वर्तमान में यूरिया ही एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो नियंत्रणाधीन है।
- यूरिया सब्सिडी, **उर्वरक विभाग की केन्द्रीय क्षेत्रक की योजना** का हिस्सा है और इसे भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से पूर्ण रूप से वित्त पोषित किया जाता है।
- यूरिया सब्सिडी के अंतर्गत निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं:
  - देश भर में **यूरिया के संचरण (लाने-ले जाने) हेतु माल-भाड़े पर सब्सिडी।**
- वर्ष 2015 में उर्वरक विभाग द्वारा नई यूरिया नीति-2015 (NUP-2015) को अनुसूचित किया गया था और इस योजना को **स्वदेशी यूरिया उत्पादन में वृद्धि करने, यूरिया उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने तथा सरकार पर सब्सिडी भार को तर्कसंगत बनाने के** उद्देश्य से 2019-2020 तक विस्तारित किया गया है।
  - यह **वर्तमान में 25 गैस आधारित इकाइयों पर लागू** है।
  - **यूरिया सब्सिडी योजना को वर्ष 2020 तक जारी रखा जाएगा ताकि** यूरिया निर्माताओं को समयबद्ध तरीके से सब्सिडी का भुगतान किया जा सके और किसानों को यूरिया प्राप्त होता रहे।
  - जब उत्पादन अधिसूचित क्षमता से अधिक होता है, तब उत्पादन लागत पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।

भारत में उर्वरक उद्योग

- भारत, **चीन के पश्चात् दूसरा सबसे बड़ा यूरिया उपभोक्ता देश है।**
- भारत, **नाइट्रोजन उर्वरकों के उत्पादन में दूसरे और फॉस्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में** तीसरे स्थान पर है जबकि देश में पोटाश के सीमित भंडार विद्यमान होने के कारण इसकी आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है।
- यह **आठ मुख्य उद्योगों (core industries) में से एक** है।
- तीन प्रकार के उर्वरक हैं जिन्हें **प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्व** में वर्गीकृत किया गया है:
  - **प्राथमिक उर्वरकों** को पुनः मृदा को पोषक तत्व प्रदान करने के आधार पर **नाइट्रोजन युक्त (यूरिया)**, फॉस्फेटिक (डाई-अमोनियम फॉस्फेट: DAP) और पोटाशयुक्त (पोटाश म्यूरिएट: MOP) जैसे उर्वरकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - **द्वितीयक उर्वरक** में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं जबकि **सूक्ष्म पोषक तत्वों** में लौह, जस्ता, बोरोन, क्लोराइड इत्यादि पाए जाते हैं।
- वित्तीय वर्ष 2020 हेतु उर्वरक सब्सिडी की अनुमानित राशि 79,996 करोड़ रुपये (53,629 करोड़ रुपये यूरिया हेतु और 26,367 करोड़ रुपये **पोषक तत्व आधारित** सब्सिडी के लिए) हैं।

VISION IAS

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना

- इसके अंतर्गत, सरकार **P&K उर्वरक के प्रत्येक पोषक तत्व** जैसे कि नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K), सल्फर (S) इत्यादि पर **सब्सिडी हेतु एक निश्चित दर (रुपये प्रति किलो आधारित)** की घोषणा करती है।
- यह **22 उर्वरकों (यूरिया को छोड़कर) पर लागू** होती है, जिसके लिए MRP का निर्धारण देश एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर P&K उर्वरकों की कीमत, विनिमय दर और देश में इन्वेंट्री स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

संबंधित मुद्दे

- **उपलब्धता:** चूंकि यूरिया की बिक्री नियंत्रणाधीन है, इसलिए सरकार के लिए प्रत्येक क्षेत्र में मांग का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। यूरिया की मांग के अनुचित अनुमानों से बाजार में इसकी अत्यधिक कमी देखने को मिलती है।
  - **आयात में विलंब** के कारण कृषि के संपूर्ण मौसम के दौरान उर्वरकों की अनुपलब्धता रही है, जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी।
- **मूल्य निर्धारण में अंतर के कारण यूरिया का अति-उपयोग/दुरुपयोग:** यूरिया और अन्य उर्वरकों के मध्य बढ़ते मूल्य अंतराल के कारण किसानों ने DAP और MOP के प्रयोग को यूरिया से प्रतिस्थापित कर दिया है।
  - कृषि विभाग के आंकड़ें दर्शाते हैं कि वर्ष 2010 के पश्चात् से खपत का अनुपात अत्यधिक असंतुलित (8:3:1) हो गया जिससे उपज में गिरावट हुई है तथा मृदा में विषाक्तता में वृद्धि हुई है।
- **अक्षम उर्वरक विनिर्माता:** एक कंपनी जो सब्सिडी प्राप्त करती है, वह सब्सिडी उत्पादन की लागत पर आधारित होती है। जितनी अधिक लागत होगी, उतनी अधिक सब्सिडी प्रदान की जाती है। परिणामस्वरूप उच्च उत्पादन लागत वाली अक्षम कंपनियां संचालित रहती हैं और कम लागत वाली कंपनियों के लिए प्रोत्साहनों में कमी हो जाती है।
- **अति-विनियमन:** यूरिया क्षेत्र अधिक विनियमित है। कालाबाजारी बढ़ने से छोटे किसानों पर गैर-अनुपातिक रूप से भार में वृद्धि हो जाती है, अक्षम उत्पादकता को प्रोत्साहन मिलता है और इस कारण यूरिया के अति-उपयोग से मृदा की गुणवत्ता में कमी हो जाती है तथा मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
  - उद्योगों से होने वाले रिसाव अथवा सीमा-पार तस्करी के कारण लगभग 36% सब्सिडी की क्षति होती है।
  - ब्लैक मार्केट की औसत कीमतें निर्धारित कीमतों से 61 प्रतिशत अधिक हैं जो यह दर्शाता है कि कालाबाजारी किसानों पर महत्वपूर्ण आर्थिक लागतों में वृद्धि करती है, साथ ही यह आपूर्ति संबंधी अनिश्चितताओं में भी वृद्धि करती है।
- **राजस्व भार:** सरकार ने वर्ष 2015 हेतु बजट में लगभग 730 बिलियन रुपये की उर्वरक सब्सिडी का प्रावधान किया था, जो खाद्य के पश्चात् निरपेक्ष रूप से सब्सिडी की सबसे बड़ी राशि थी। यूरिया सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक है, जिसके लिए लगभग उर्वरक सब्सिडी का 70 प्रतिशत अंश आवंटित होता है।

यूरिया उत्पादन और मूल्य निर्धारण तंत्र

- किसानों को यूरिया **वैधानिक रूप से नियंत्रित** मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है जो वर्तमान में 5360 रुपये/मीट्रिक टन है। (नीम लेपन हेतु केंद्रीय/राज्य कर एवं अन्य शुल्कों सहित)।
- फार्म गेट पर उर्वरकों के वितरण में निहित लागत और किसान द्वारा देय MRP के मध्य के अंतर को भारत सरकार द्वारा **उर्वरक निर्माता/आयातक को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है।**
- वर्तमान में, देश में **31 यूरिया इकाइयां हैं** जिनमें से 28 यूरिया इकाइयां प्राकृतिक गैस (घरेलू गैस / LNG / CBM का उपयोग करके) का उपयोग करती हैं और शेष तीन यूरिया इकाइयां नेफ्था का फीडस्टॉक के रूप में उपयोग करती हैं।

आगे की राह

- **नियंत्रणमुक्त यूरिया का आयातः** इससे आयातकों की संख्या में वृद्धि होगी और यह आयात करने संबंधी निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता के अवसर प्रदान करेगा। यह उर्वरकों की मांग में होने वाले परिवर्तनों के प्रति लचीले तरीके से और शीघ्रतापूर्वक अनुक्रिया करने हेतु उर्वरकों की आपूर्ति करने हेतु सक्षम बनाएगा।
  - नियंत्रणमुक्तता का तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्रक के नियंत्रण युक्त आयातों की समाप्ति से है और इससे आयातक अपने स्तर पर आयात कर सकेंगे।
- **गैस प्राइस पूलिंग:** विभिन्न यूरिया संयंत्रों को गैस (अधिकांश संयंत्रों हेतु मुख्य फीडस्टॉक) भिन्न कीमतों पर प्राप्त होती है, जिससे उनकी उत्पादन लागत भिन्न-भिन्न हो जाती है।
  - यह महत्वपूर्ण है कि सभी यूरिया संयंत्रों को समान मूल्य पर गैस प्राप्त हो। गैस की कीमतों की पूलिंग के माध्यम से भारत सरकार ने हाल ही में इस दिशा में कदम बढ़ाया है।
  - यूरिया संयंत्रों में गैस हेतु पूलिंग प्राइस वर्तमान में **10.5** डॉलर/MMBTU है। इससे यूरिया संयंत्रों में ऊर्जा उपयोग दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

VISION IAS

- **NBS योजना के अन्तर्गत:** वर्तमान में DAP और MOP के स्थान पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत यूरिया को शामिल करना, घरेलू उत्पादकों को उनके उर्वरक की पोषण सामग्री के आधार पर निश्चित सब्सिडी प्राप्त करना जारी रखने की अनुमति प्रदान करेगा, जबकि बाजार को नियंत्रण मुक्त करने से घरेलू उत्पादक भी बाजार मूल्य प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे।
    - यह उर्वरक निर्माताओं को कुशल बनाने हेतु प्रोत्साहित करेगा क्योंकि तब वे लागत को कम करके तथा यूरिया की गुणवत्ता में सुधार करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अंततः यह किसानों को लाभान्वित करेगा।
    - **किसानों के लिए समयबद्ध सब्सिडी सुनिश्चित करने हेतु भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण:** भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया अगस्त 2008 में आरंभ की गई थी, लेकिन इसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।
    - भूमि रिकॉर्ड में सुधार किए बिना लाभार्थियों तक सब्सिडी को पहुंचाना असंभव होगा।

3.4. कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव

(Price Fluctuation of Agricultural Products)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कृषि बाजार में प्याज की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

विगत दो वर्षों में कृषि-उत्पादों, विशेष रूप से TOP (टमाटर, प्याज और आलू) की कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव कृषि-बाजार से संबंधित एक प्रमुख मुद्दा रहा है।

कृषि उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता (उतार-चढ़ाव) का प्रभाव

- **किसानों पर:** चूंकि किसानों में बचत की प्रवृत्ति कम होती है और कुशल बचत साधनों तक उनकी पहुँच बहुत कम होती है, ऐसी स्थिति में कीमतों में अस्थिरता, कृषि संबंधी गतिविधियों को संचालित करने हेतु हतोत्साहित करने वाले एक कारक के रूप में कार्य करती है।
- **सरकार पर:** यह बजटीय योजना को जटिल बनाएगी, किसानों में आक्रोश उत्पन्न करेगी इत्यादि।
- **निर्यातकों पर:** इससे धनापूर्ति की परिवर्तनशीलता में वृद्धि होगी तथा **इन्वेंटर (माल-सूची) के संपार्श्विक मूल्य** में कमी एवं **ऋणों में** वृद्धि करेगी।
- **उपभोक्ता पर:** यह **निजी प्रयोज्य आय** के साथ-साथ घरेलू बजट को भी प्रभावित करेगी।

प्याज की कीमतों में वृद्धि के कारण?

- **मौसमी परिघटना:** इसके कारण प्याज की कीमतों में प्रति वर्ष सितंबर माह में वृद्धि होती है और प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में भंडारण और आपूर्ति संबंधी अवरोधों के कारण इन कीमतों में और अधिक वृद्धि हो जाती है।
    - **भारत में प्याज की 3 फसल ऋतुएँ हैं:** खरीफ, परवर्ती-खरीफ और रबी। रबी की फसल **(अप्रैल और मई के मध्य कटाई की जाती है),** अक्टूबर-नवंबर के महीनों के दौरान खरीफ की फसल के आने तक निर्यात के साथ-साथ घरेलू मांग की भी आपूर्ति करती है।
    - इस प्रकार, प्रति वर्ष सितंबर के आरंभ से ही कीमतों में वृद्धि होने लगती है जो अक्टूबर माह के अंत और नवंबर माह के आरंभ तक उच्च बनी रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रबी फसल के प्याज का स्टॉक कम हो जाता है और खरीफ फसल से उत्पादित प्याज का अभी बाजार में प्रवेश नहीं हुआ होता है।
- **प्राकृतिक कारक:** मानसून पर कृषि की अत्यधिक निर्भरता, जलवायु के बदलते स्वरूप और मौसम-प्रेरित फसलों की हानि से कृषि-उत्पादों की मांग-आपूर्ति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जो अंततः कृषि-बाजार में मूल्य प्रणाली को विकृत कर देता है।
    - उदाहरण के लिए, हाल के महीनों में प्याज की आपूर्ति में मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सूखे जैसी परिस्थितियों के कारण कमी हो गई थी और तत्पश्चात बाढ़ की स्थिति ने वितरण श्रृंखला को अवरोधित कर दिया था।

मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment System: PDPS)

- यदि कीमतें पूर्व निर्धारित सीमा से कम हो जाती हैं, तो किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकती है।
- यह क्षतिपूर्ति कुछ चयनित फसलों के सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य और उनके वास्तविक बाजार मूल्यों के मध्य अंतर (अर्थात् भावान्तर) के समान होगी।

- **मकड़जाल परिघटना (Cobweb phenomenon):** कृषि उत्पाद "मकड़जाल" परिघटना का प्रदर्शन करते हैं, जिसके अंतर्गत एक अंतराल के पश्चात् कुल उत्पादन का कीमतों पर प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे उत्पादन और कीमतों में परिवर्तनों का आवर्ती चक्र उत्पन्न हो

जाता है। यह किसानों के व्यवहार को दर्शाता है जो इस वर्ष की जाने वाली बुवाई के संबंध में निर्णय विगत अवधि की कीमतों के आधार पर करते हैं और तदनुसार फसलों का अधिक या कम उत्पादन किया जाता है, जिससे मूल्य चक्रीयता को बढ़ावा मिलता है।

- विगत वर्ष जुलाई के दौरान प्याज के मूल्य में हुई गिरावट इस वर्ष प्याज के कम उत्पादन का कारण बनी और इसने आपूर्तिकर्ताओं को प्याज के विगत वर्ष के भंडारों पर ही निर्भर रहने के लिए बाध्य किया।

वर्तमान स्थिति में सरकार का हस्तक्षेप

- **निर्यात पर प्रतिबंध:** सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध आरोपित किया था।
- **व्यापारियों पर स्टॉक सीमाएँ लागू करना:** अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 तथा अनिवार्य वस्तुओं की कालाबाजारी की रोकथाम और अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति अनुरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत सरकार ने प्याज व्यापारियों की स्टॉक सीमा को सीमित कर दिया था।
- **संगठित चैनलों के माध्यम से वितरण:** बफर स्टॉक की प्रभारी केंद्रीय एजेंसी, सफल और मदर डेयरी बिक्री केंद्रों के माध्यम से प्याज का वितरण किया गया है।
- सरकार द्वारा प्याज व्यापारियों पर **टैक्स रेड (tax raids)** किये गए हैं।

कीमतों में उतार-चढ़ाव के अन्य कारण

- **विकृत मूल्य समर्थन प्रणाली:** न्यूनतम समर्थन मूल्य (टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त) के लिए मूल्य पूर्वानुमान तंत्र सदैव अपर्याप्त रहा है जो कृषि उत्पादों (अल्पधि या अपर्याप्त उत्पादन) के उप-इष्टतम उत्पादन का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप आगे उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
  - इसके अतिरिक्त, मूल्य समर्थन प्रणाली (MSP और खरीद मूल्य) में होने वाली वृद्धि खाद्य उत्पादों की कीमतों में वृद्धि कर सकती है।
- **वैश्विक व्यापार:** कृषि व्यापार उदारीकरण के उन्नयन से घरेलू बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अस्थिरता के प्रभाव दृष्टिगत हुए हैं।
- **प्रपाती प्रभाव (Cascading Effect):** कृषि उत्पाद की उत्पादन श्रृंखला में अनेक मध्यस्थों की विद्यमानता और आपूर्ति श्रृंखला के साथ-साथ कृषि बाजार (मंडियों) द्वारा विभिन्न प्रभारों का आरोपण का कृषि उत्पादों की कीमतों पर प्रपाती प्रभाव होता है।
- **अपर्याप्त अवसंरचना:** उच्च परिवहन लागत (तेल की बढ़ती कीमत, खराब सड़क कनेक्टिविटी), कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की कमी, उच्च भंडारण लागत, विशेष रूप से शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि-उत्पादों के लिए अपर्याप्त खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के परिणामस्वरूप कीमतों में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं।

कीमत स्थिरीकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम:** यह कृषि बाजार/ मंडी में कृषि-मूल्यों के निर्धारण के लिए **खुली नीलामी** का एक तंत्र स्थापित करता है।
- **मूल्य स्थिरीकरण कोष:** यह एक रणनीतिक बफर के प्रावधान के माध्यम से कृषि-बागवानी वस्तुओं की **मूल्य अस्थिरता** को विनियमित करने में सहायता करता है, जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने का प्रयास करता है, किसानों से/फार्म गेट से/ मंडी से प्रत्यक्ष खरीद को बढ़ावा देता है और राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017:** यह किसानों को उपज के लिए एक सुनिश्चित मूल्य प्रदान कराने में सहायता करेगा, जो मूल्य अस्थिरता और बाजार में उतार-चढ़ाव के विरुद्ध एक बफर के रूप में कार्य करेगा।
- **संपदा योजना (Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters: SAMPADA):** इसके अंतर्गत मेगा फूड पार्क, एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिए अवसंरचना, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण सुविधाओं का निर्माण/विस्तार इत्यादि योजनाएं सम्मिलित हैं।।
- **ऑपरेशन ग्रीन:** फलों और सब्जियों (आरंभ में टमाटर, प्याज और आलू के लिए) के उत्पादन को बढ़ाना और **कीमत अस्थिरता को कम करना**। यह किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), कृषि संभार तंत्र (agri-logistics), प्रसंस्करण सुविधाओं को भी बढ़ावा देगा। इस प्रकार किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा।
- **2018-19 की बजटीय घोषणा:** उत्पादन की लागत के साथ **न्यूनतम समर्थन मूल्य** को जोड़ना, पांच वर्षों के लिए **FPOs** को आयकर रियायत प्रदान करना और 470 **APMC** प्रेरित बाजारों को **e-NAM** बाजार मंच से जोड़ना **तथा 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास करना**।
- **कीमत निगरानी:** उपभोक्ता मामले विभाग द्वार प्याज के साथ-साथ अन्य 21 खाद्य वस्तुओं की कीमतों की निगरानी की जाती है ताकि आवश्यक हस्तक्षेप को समयबद्ध तरीके से प्रभावी बनाया जा सके।

VISION IAS

आगे की राह

- **मूल्य स्थिरीकरण प्रणाली को तर्कसंगत बनाना:** जैसे कि **NAFED** (जिसे मूल्य स्थिरीकरण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है) को रबी फसल के दौरान (अप्रैल-मई) लगभग 2-3 लाख टन प्याज की खरीद करनी चाहिए। यह प्याज किसानों को कीमतों में होने वाली गिरावटों से सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें उचित लाभ भी प्रदान करेगा।
- **मूल्य न्यूनता भुगतान प्रणाली,** मध्यप्रदेश की भावान्तर भुगतान योजना और तेलंगाना की **निवेश समर्थन योजना** को देश भर में लागू किया जाना चाहिए।
- कृषि उत्पादों के लिए **प्रौद्योगिकी-प्रेरित कीमत पूर्वानुमान** को शीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए। यदि कीमतों में उत्पादन लागत या न्यूनतम समर्थन मूल्य की अपेक्षा गिरावट हो रही है, तो तत्काल हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।
- **खाद्य प्रसंस्करण:** घरेलू परिवारों में निर्जलीकृत प्याज, टमाटर और आलू (फ्लेक्स, पाउडर, ग्रैनुअल्स) के उपयोग को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।
- इसी दिशा में **राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017** के प्रारूप में अपव्यय में कमी करने, मूल्य संवर्धन में सुधार करने, किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करने हेतु फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- **अवसंरचना,** कृषि में विशाल **गुणक प्रभाव** उत्पन्न करती है। अत: **शांता कुमार समिति** द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुरूप कृषि संभार तंत्र (agri-logistics) में निवेश (अपव्यय को कम करने के लिए) और **भंडारण अवसंरचना** में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।
- **क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण:** उत्पादन क्षेत्रों के समीप लघु कृषि प्रसंस्करण तथा रणनीतिक स्थानों पर मूल्यवर्धन इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से कृषि-उत्पाद संबंधी मांग-आपूर्ति में संतुलन स्थापित होने के साथ-साथ कीमतों में भी कमी आएगी।
- **वायदा कारोबार (Future Trading):** कृषि बाजार में फ्यूचर एक्सचेंजों का प्रभावी उपयोग कीमत स्थिरता के लिए अत्यावश्यक है। यद्यपि, यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए कि कृषि वायदा द्वारा बाजार खाद्य सुरक्षा के समक्ष संकट उत्पन्न नहीं किया जाएगा और यह वैश्विक मानक बाजार प्रथाओं पर आधारित होगा।
- **कृषि-निर्यात नीति, 2018** के अंतर्गत **APMC** अधिनियम में किए जाने वाले सुधारों और मंडी शुल्क को सुव्यवस्थित करने की मांग पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों में मंडी/कृषि शुल्क का सरलीकरण या इनमें एकरूपता एक ऐसी पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करेगी जो किसान को सशक्त बनाने के साथ-साथ परोक्ष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति को स्थिर करेगी।

3.5. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

(Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana: PM-KMY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) राष्ट्र को समर्पित की।

PM-KMY के बारे में

PM-KMY, देश में सभी लघु एवं सीमांत किसानों (SMFs) हेतु एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य SMFs को सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करना है क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था में तथा आजीविका की परिणामी हानि की स्थिति में उनकी सहायता करने के लिए नगण्य या कोई बचत उपलब्ध नहीं होती है।

- **प्रमुख विशेषताएँ**
  - यह **18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग** के किसानों के लिए एक **स्वैच्छिक और अंशदान-आधारित पेंशन योजना** है तथा उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर **3,000 रुपये** की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
  - यदि लाभार्थी की योजना से जुड़ने के समय औसत उम्र 29 साल है तो उसे पेंशन निधि में 100 रुपये प्रति माह का अंशदान करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा भी इसमें समान अर्थात 100 रुपये का अंशदान किया जाएगा।
  - **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)** को पेंशन निधि प्रबंधक और पेंशन भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।
  - सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व किसान की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, पति या पत्नी (जीवन-साथी), मृतक किसान की शेष अवधि तक शेष अंशदान का भुगतान करते हुए योजना में बने रह सकते हैं।
  - यदि सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात् किसान की मृत्यु होती है, तो पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन प्राप्त होगी। किसान और जीवन-साथी, दोनों की मृत्यु के पश्चात्, संचित कोष को **पेंशन निधि** में वापस जमा कर दिया जाएगा।

- **पात्रता**
  - **18-40 वर्ष की आयु वर्ग के लघु और सीमांत किसान (SMF):** वह किसान जो संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के भूमि अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि धारण करता है।
  - **किसान जो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:** किसानों की निम्नलिखित श्रेणियों को अपवर्जन मानदंडों के अंतर्गत रखा गया है:
    - राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)** आदि जैसी **किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं** के अंतर्गत शामिल SMFs इसके लाभार्थी नहीं होंगे।
- **अन्य पहलों के साथ समन्वय:**
  - इस योजना की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि किसान द्वारा इस योजना के लिए अपना मासिक अंशदान सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना से प्राप्त लाभ से किए जाने के विकल्प का चयन किया जा सकता है।
  - वैकल्पिक रूप से, किसान द्वारा **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** के अंतर्गत स्थापित **सामान्य सेवा केंद्रों (Common Service Centres: CSCs)** के माध्यम से अपने मासिक अंशदान का भुगतान किया जा सकता है।
- **अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएँ:**
  - किसानों को पहुंच की सुगमता प्रदान करने हेतु CSCs के माध्यम से PM-KMY के लिए प्रारंभिक नामांकन का कार्य किया जा रहा है।
  - LIC, बैंकों और सरकार का एक उपयुक्त **शिकायत निवारण तंत्र** होगा।
  - इस योजना की निगरानी, समीक्षा और संशोधन के लिए **सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति** का भी गठन किया गया है।

किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आवश्यकता

- **अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख क्षेत्रक के रूप में कृषि:** कृषि अर्थव्यवस्था को बनाए रखने हेतु किसानों के लिए सुनिश्चित पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। किसान, कृषि जोखिमों के प्रति अधिक सुभेद्य होते हैं और इस प्रकार उनके लिए एक सुनिश्चित आय प्रणाली की आवश्यकता होती है।
- **'लघु जोत', भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता:** दो हेक्टेयर से भी कम भूमि वाले लघु और सीमांत किसानों की संख्या **भारत के कुल किसानों का लगभग 86.2% हैं, लेकिन इनका केवल 47.3 प्रतिशत फसल क्षेत्र पर ही स्वामित्व है।** भारत में, इस प्रकार की लघु भू-जोतों से उतने अधिशेष की प्राप्ति नहीं होती है जिससे परिवारों का आर्थिक रूप से भरण-पोषण किया जा सके।
- **कृषि संकट में वृद्धि:** हाल के वर्षों में, देश के कई भागों में **ऋणग्रस्तता, फसल विफलता, गैर-लाभप्रद मूल्य और निम्न प्रतिफल** ने कृषि संकट को उत्पन्न किया है।
- **औपचारिक ऋण की कमी: कृषि के व्यावसायीकरण** से ऋण आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, लेकिन अधिकांश लघु एवं सीमांत किसान बार-बार फसल खराब होने के कारण बड़े पैमाने पर डिफ़ॉल्ट होने के कारण औपचारिक संस्थानों से ऋण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। साहूकार भी अधिकांश किसानों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण ऋण प्रदान करने के लिए आशंकित रहते हैं।
- **भारत में फसल बीमा योजनाओं की सीमित प्रभावकारिता:** वर्तमान में, **लगभग 35% किसान** फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत शामिल हैं। फसल बीमा, किसानों को अभावग्रस्तता की स्थिति से अति-आवश्यक राहत प्रदान करने में विफल रहे हैं।

निष्कर्ष

एक संपूर्ण **वित्तीय सुरक्षा तंत्र** की तत्काल आवश्यकता है जिसके अंतर्गत न केवल प्रत्यक्ष अंतरण और ऋण माफी को ही सम्मिलित किया जाए, बल्कि उस रूपरेखा को भी सम्मिलित किया जाए जो सामयिक, सुसंगत और कृषि उत्पादकता में सुधार और किसानों का जीवन स्तर बेहतर करने वाली हो।

3.6. मनरेगा में सुधार

(Reforms in MGNREGA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना के अंतर्गत मजदूरी को अपडेटेड मुद्रास्फीति सूचकांक (CPI-ग्रामीण) से संबद्ध करने की योजना बनायी जा रही है, जिसे वार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- मनरेगा, **ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD)** का एक प्रमुख कार्यक्रम है। मनरेगा सामाजिक असमानताओं को समाप्त करके तथा संधारणीय और दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित कर समग्र रूप से निर्धनता को समाप्त करने में सहायक है।

- मनरेगा ग्रामीण भारत को अधिक उत्पादक, समतापूर्ण और सशक्त समाज में रूपांतरित कर रहा है। इसने विगत तीन वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 235 करोड़ व्यक्ति कार्य दिवसों का सृजन किया है।
- विगत 4 वर्षों के दौरान, MoRD द्वारा निर्धन लोगों हेतु स्थायी आजीविका के संसाधन के रुप में परिवर्तित करने के लिए मनरेगा में व्यापक सुधार किए गए हैं।

आरंभ किए गए सुधार और उनके लाभ

- **मजदूरी भुगतान, परिसंपत्ति निर्माण और सामग्रियों के लिए भुगतान संबंधी पारदर्शिता:** परिसंपत्तियों की 100% जियो-टैगिंग, बैंक खातों से आधार कार्ड को लिंक करना, IT/DBT अंतरण के माध्यम से मजदूरी व सामग्रियों का भुगतान तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) पर आधारित कार्य नियोजन हेतु प्रयास आरंभ किए गए हैं।
  - **15 दिनों के भीतर भुगतान अर्जन** की दर वर्ष 2014-15 के 26% से बढ़कर वर्तमान में 91% हो गई है।
- **टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण:** ग्राम पंचायत स्तर पर अनिवार्य **60:40 मजदूरी-सामग्री अनुपात** प्राय: केवल इसलिए अनुत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन का कारण रहा है क्योंकि उक्त ग्राम पंचायत में 60% भाग अकुशल मजदूरी पर व्यय किया जाता था। हालाँकि इसके तहत किया गया **पहला बड़ा सुधार यह है कि पंचायत स्तर के बजाय जिला स्तर पर 60:40 की अनुमति प्रदान की गई है।**
  - इस सुधार के बावजूद, समग्र व्यय में अकुशल मजदूरी पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात 65% से अधिक रहा है। इस परिस्थिति ने आय सृजक **टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन पर बल दिया है**। यह केवल उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए लचीलेपन की अनुमति प्रदान करता है।
- **टिकाऊ सामुदायिक और व्यक्तिगत लाभार्थी परिसंपत्तियों का सृजन:** बकरियों के लिए आश्रय स्थल, गोशाला, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), पोखरों का निर्माण, जल अंतर्ग्रहण के लिए गड्ढे आदि जैसी अधिक संख्या में व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं/कार्यों को आरंभ किया गया है। इन परिसंपत्तियों ने वंचित लोगों की वैकल्पिक संधारणीय आजीविका तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता की है।
  - इसी प्रकार से, **आंगनवाड़ी केंद्रों (AWC)** का निर्माण टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्ति के सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से लगभग 1,11,000 AWC का निर्माण किया जा रहा है।
  - बड़े पैमाने पर **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का भी कार्य संपन्न** किया गया है, जिसके परिणाम स्वच्छ गांव, उच्च आय और निर्धनों के लिए अधिक विविधतापूर्ण आजीविका के रूप में परिलक्षित हुए हैं।
  - वर्ष 2018 में मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं के संबंध में सामाजिक विकास परिषद (Council for Social Development) द्वारा किए गए अध्ययन ने मनरेगा के कारण **आय में लाभ और आजीविका के विविधीकरण होने** की पुष्टि की है।
- **मिशन जल संरक्षण दिशा-निर्देश:** इसे डार्क और ग्रे ब्लॉक, क्षेत्रों के भूजल स्तर में हो रहे तीव्र गिरावट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्ष 2015-16 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय (वर्तमान में **जल शक्ति मंत्रालय**) और **भूमि संसाधन विभाग** की साझेदारी में तैयार किया गया था।
  - इस साझेदारी ने सुदृढ़ तकनीकी नियमावली का निर्माण करने और अग्रपंक्ति के श्रमिकों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड के इंजीनियरों एवं वैज्ञानिकों के **तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाना संभव बनाया** है।
  - बेहतर तकनीकी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष **बेयरफुट तकनीशियन कार्यक्रम** आरंभ किया गया।

संबंधित तथ्य

- सरकार का उद्देश्य अक्टूबर 2019 के पश्चात् 5 करोड़ अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है।
- सरकार द्वारा विशेषज्ञता प्राप्त कार्य के लिए कौशल प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अस्थाई श्रमिक (casual labourer) को 250 रुपये तक दैनिक भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जैविक खाद तैयार करने और आधारभूत फसल उपज भंडारण के लिए मनरेगा श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ समझौता किया है। सरकार ने राजमिस्त्री और प्लंबिंग कार्य के प्रशिक्षण के लिए भी 40-दिन का ऑन-साइट मॉड्यूल तैयार किया है।
- मनरेगा श्रमिकों के लिए इस प्रकार के कौशल विकास के अवसर दीर्घकाल में निर्धनता को कम करेगा।

- **प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM):** 60% से अधिक संसाधन NRM पर व्यय किए जाते हैं। NRM का कार्य कृषि क्षेत्र और फसल उपज दोनों में सुधार लाकर किसानों के लिए उच्च आय सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसकी प्राप्ति, भूमि की उत्पादकता में सुधार करके और जल की उपलब्धता बढ़ाकर की जा सकती है।
  - NRM के अंतर्गत किए जाने वाले प्रमुख कार्यों में चेक डैम, तालाब, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, भूमि विकास, तटबंध, मेड़बंदी, फील्ड चैनल, वृक्षारोपण, समोच्च खाइयां आदि सम्मिलित हैं।

VISION IAS

मनरेगा को अधिक कुशल बनाने के लिए इसके समक्ष विद्यमान निम्नलिखित चुनौतियां का समाधान किया जाना चाहिए-

- **कम मजदूरी:** एक मनरेगा श्रमिक की **राष्ट्रीय औसत मजदूरी 178.44 रूपये प्रतिदिन** है। यह हाल ही में **अनूप सत्पथी** की अध्यक्षता में श्रम मंत्रालय के पैनल द्वारा अनुशंसित 375 रूपये प्रति दिन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के आधे से भी कम है।
- **मजदूरी में असमानता:** मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली मजदूरी **35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 34 में न्यूनतम मजदूरी से भी कम है।**
    - वर्तमान में, पांच राज्यों में दैनिक न्यूनतम मजदूरी 375 रुपये या अधिक है, जबकि **हरियाणा में मनरेगा मजदूरी अधिकतम प्रतिदिन 284 रुपये है।** उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी दर 182 रूपये/दिन (अधिसूचित 192 रुपये का 95%) है।
- **मजदूरी संशोधन पद्धति:** इस योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली मजदूरी **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक (CPI-AL)** से संबद्ध है। इस पद्धति में निम्नलिखित समस्याएं है:
    - CPI-AL में खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ और तम्बाकू का भारांश 72.94% से अधिक है। इसे लगभग तीन दशकों से अद्यतन नहीं किया गया है। इससे प्रभावी रूप से ग्रामीण परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले मूल्य दबावों को बेहतर रूप से समझना कठिन हो सकता है।
    - विगत कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर मजदूरी वृद्धि दर में कमी आई है। यह वर्ष 2015-16 के 5.7% की वृद्धि से घटकर वर्ष 2017-18 में 2.7% हो गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 2.16% की औसत वार्षिक मनरेगा मजदूरी वृद्धि वर्ष 2006 में सामाजिक सुरक्षा योजना के आरंभ होने के पश्चात् से निम्नतम है।
    - मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी को अपडेटेड मुद्रास्फीति सूचकांक अर्थात् CPI- ग्रामीण (CPI-R) से संबद्ध करने की सरकार की योजना एक प्रगतिशील सुधार सिद्ध हो सकता है क्योंकि **CPI-R में खाद्य और पेय पदार्थों (पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों सहित) का भारांश केवल 57.44% है।** इस प्रकार शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य आदि पर वहन किए गए व्ययों को प्रदत्त शेष भारांश परिवर्तनशील उपभोग प्रतिरूप और संबंधित मूल्य दबाव को सर्वोत्तम ढंग से व्यक्त करता है।
- **अपर्याप्त बजट:**
    - बजट 2018-19 के 61,084 करोड़ रूपये (संशोधित अनुमान) की तुलना में बजट 2019-20 में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये ही आबंटित किए गए हैं।
    - वर्ष 2014-15 के पश्चात् से सभी वर्षों में वास्तविक व्यय स्वीकृत बजटीय आबंटन से अधिक रहा है।
- **अल्परोजगार:**
    - MGNREGA की वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2018 में प्रति परिवार उपलब्ध कराए गए औसत रोजगार दिवस 45.77 थे, जो वित्त वर्ष 2017 में केवल 46 और वित्त वर्ष 2015 में 40.17 था।
    - एक RTI आवेदन से ज्ञात हुआ है कि वित्त वर्ष 2018 में लगभग 13.17 करोड़ लोग मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत थे, इनमें से 5.73 करोड़ श्रमिकों द्वारा श्रम की मांग की गई। मनरेगा के अंतर्गत केवल 5.11 करोड़ लोगों को नियोजित किया गया तथा केवल 29.60 लाख श्रमिकों को 100 दिन का पूर्ण रोजगार प्राप्त हुआ।
- **प्रशासनिक चूक के लिए श्रमिकों को दंडित करना:** मंत्रालय, निर्धारित समयावधि के भीतर विगत वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षा निधि विवरणों की प्रस्तुति, उपयोग प्रमाण-पत्र, बैंक मिलान प्रमाण-पत्र आदि जैसी प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले राज्यों के श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान पर रोक लगा देता है।
- **अत्यधिक केंद्रीकरण, स्थानीय प्रशासन को कमजोर करता है:** रियल टाइम MIS-आधारित कार्यान्वयन और केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली के कारण पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन, निगरानी एवं शिकायत निवारण तंत्र में कोई विशेष भूमिका नहीं रह गयी है।
- **सार्वजनिक जवाबदेही का अभाव: सामाजिक अंकेक्षण की पहुंच अत्यंत सीमित है** और इसके कार्यान्वयन को संपूर्ण देश में विस्तारित करने की आवश्यकता है। तीव्र रोल आउट के लिए सामाजिक अंकेक्षण मानकों का विकास एवं प्रमाणित सामाजिक अंकेक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों को इसके अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

मनरेगा को सशक्त बनाने हेतु कुछ पहलें

- **NREGAsoft:** यह स्थानीय भाषा में सक्षम कार्य प्रवाह आधारित एक ई-शासन प्रणाली है जो मास्टर रोल, पंजीकरण आवेदन पंजिका, जॉब कार्ड/नियोजन पंजिका आदि जैसे सभी दस्तावेज उपलब्ध कराती है।
- **GeoMGNREGA:** यह ऑनलाइन रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए मोबाइल आधारित फोटो जियो-टैगिंग व GIS आधारित सूचना प्रणाली जैसे तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग करते हुए मनरेगा के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का डेटाबेस विकसित करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।

VISION IAS

- **सूखा प्रतिरोधकता हेतु सहायता:** वर्ष 2015-16 में, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत प्रति परिवार 100 दिन के रोजगार के आलावा 50 दिनों के अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान स्वीकृत किया गया था।
- **वर्धित जवाबदेही: ग्राम संवाद मोबाइल ऐप** और **JanMnREGA** {मनरेगा परिसंपत्तियों के लिए परिसंपत्ति पर दृष्टि रखने (ट्रैकिंग) और प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्रदान करने वाला ऐप} जैसे विभिन्न नागरिक केंद्रित मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य जानकारी तक प्रत्यक्ष पहुंच प्रदान करके तथा लोगों के प्रति जवाबदेही में सुधार लाकर ग्रामीण नागरिकों का सशक्तीकरण करना है।
- **'LIFE-MGNREGA' (Livelihood In Full Employment) परियोजना** का उद्देश्य आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देना और मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार में सुधार करना तथा उससे श्रमिकों की आजीविका में सुधार करना है, ताकि वे आंशिक रोजगार की वर्तमान स्थिति से पूर्ण रोजगार की स्थिति में स्थानांतरित हो सकें।

निष्कर्ष

सरकार का प्रयोजन आगामी वर्षों में निर्धनों को कठिन शारीरिक श्रम से मुक्त कर उन्हें बेहतर कौशल प्रदान करके उच्च आजीविका साधनों की व्यवस्था करना है। आदर्शतया, यदि संधारणीय आजीविका संबंधी कार्य सृजित करने के उद्देश्य को बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाता है, तो मनरेगा पर निर्भर परिवारों की संख्या में कमी हो सकती है। **प्रत्येक वर्ष औसतन 5 करोड़ परिवार MGNREGS के अंतर्गत काम की मांग करते हैं।** अकुशल मजदूरी श्रम पर निर्भर परिवारों की संख्या में कमी, मनरेगा की सफलता का मानदंड हो सकती है। हाल के वर्षों में दिव्यांग जनों एवं महिलाओं के लिए काम के प्रावधान के संबंध में, मनरेगा में और अधिक सुधार हुआ है, जहां आधे से अधिक कार्यबल महिलाएं हैं साथ ही प्रति वर्ष 4 लाख से अधिक दिव्यांग जनों को काम प्राप्त होता है।

3.7. लैंड पूलिंग

(Land Pooling)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **मास्टर प्लान-2021** के अंतर्गत दिल्ली में आर्थिक अवसरों एवं आवास निर्माण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की **लैंड-पूलिंग नीति** को अधिसूचित किया है।

लैंड पूलिंग: अवधारणा और महत्व

- **लैंड पूलिंग क्या है?** इसे भूमि के पुनर्समायोजन या भूमि के पुनर्गठन के रूप में भी जाना जाता है। यह भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक **रणनीति है,** जिसके अंतर्गत निजी स्वामित्व वाले भूखंडों के स्वामित्व अधिकार एक नियुक्त एजेंसी को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन भूखंडों को समेकित किया जाता है।
  - एकत्रित की गई भूमि के कुछ हिस्सों का एजेंसी द्वारा अवसंरचना विकसित करने एवं बिक्री के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि मूल भूस्वामियों को उनकी मूल संपत्ति के कुछ अनुपात में एकत्रित की गई भूमि में नए भूखंडों के अधिकार (उन्हें) वापस दे दिए जाते हैं।
- **लैंड पूलिंग की आवश्यकता क्यों?** भूमि अधिग्रहण से जुड़े विभिन्न विवादों, जैसे- प्रभावित व्यक्तियों के लिए मुआवज़े, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन आदि के कारण कई **प्रमुख शहरी विकास परियोजनाएं** विलंबित होती रही है।
  - **राज्य प्रायः भूमि अधिग्रहण के बदले में आवश्यक मुआवजा प्रदान करने में असमर्थ होते हैं।** भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (संक्षेप में भूमि अधिग्रहण कानून, 2013) के अंतर्गत उचित मुआवजे तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार, राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के बदले बाजार मूल्य का चार गुना तथा शहरी क्षेत्रों में दो गुना मुआवजे का भुगतान करना आवश्यक है।
  - उदाहरण के लिए, **दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (Delhi-Mumbai Industrial Corridor)** परियोजना में भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं के कारण विलंब हो रहा है। राजस्थान में परियोजना की घोषणा के पश्चात् के पहले पांच वर्षों में राज्य सरकार **मुआवज़े के लिए पर्याप्त कोष के अभाव** के कारण भूमि अधिग्रहण नहीं कर पाई है।
- इस संदर्भ में, लैंड पूलिंग भारत में प्रत्यक्ष भूमि अधिग्रहण के लिए एक व्यवहार्य एवं लोकप्रिय विकल्प के रूप में उभरा है। इसके लिए राज्यों को इस तंत्र का उपयोग करने की अनुमति प्रदान हेतु कानूनों में संशोधन करना आवश्यक है।

लैंड पूलिंग: नवीन उदाहरण

- इसका प्रयोग गुजरात में टाउन प्लानिंग स्कीम (TPS) के अंतर्गत किया गया है। TPS के कारण ही अहमदाबाद में 76 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का निर्माण संभव हो सका। **धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (Dholera Special Investment Region)** को विकसित करने के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

VISION IAS

- आंध्र प्रदेश की, नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए असाधारण रूप से बड़े पैमाने पर लैंड पूलिंग की गई है। हजारों किसानों से 33,000 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया और फिर 59,000 से अधिक भूखंडों को पुनः वापस किया गया।

लैंड पूलिंग के लाभ

- **भू-स्वामियों के लिए**
  - **भूमि के मूल्य में वृद्धि:** भूमि अधिग्रहण के दौरान भूमि की उपयुक्त कीमत प्रदान नहीं करने के चलते भूमि विवादों को बढ़ावा मिला है। लैंड पूलिंग प्रोजेक्ट के तहत, भूस्वामियों एवं सरकार/डेवलपर संस्थाओं के मध्य नवीन वृद्धिशील मूल्य (अर्थात् अधिक कीमत) को वितरित किया जाता है।
  - **भूमि एकत्रीकरण की गैर-विस्थापन रणनीति:** लैंड पूलिंग के अंतर्गत एक ऐसे तंत्र का प्रावधान किया गया है जिसके द्वारा भूमि के मालिकों के पास उनकी अधिकांश भूमि यथावत बनी रहती है और इससे उनमें जुड़ाव एवं अपनेपन की भावना रहती है।
  - **अनियमित भूखंडों का नियमित प्लॉट्स और आकार वाले भूखंडों में परिवर्तन:** लैंड पूलिंग के माध्यम से नियोजित विकास न केवल इस विशेष बाधा को समाप्त करता है, बल्कि भूमि-मालिकों को बेहतर भूमि उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित करता है जिससे दक्षता में भी वृद्धि होती है।
- **सरकार**
  - **कोई अग्रिम लागत नहीं:** लैंड पूलिंग एक ऐसी अनूठी भूमि संग्रह नीति है, जिसमें भूमि खरीदने के लिए किसी अग्रिम भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है।
  - **अपेक्षाकृत कम तनावपूर्ण प्रक्रिया:** हालांकि लैंड पूलिंग में भूस्वामीयों के प्रतिरोध की आशंका से अस्वीकार नहीं किया जा सकता, फिर भी यह रणनीति संपत्ति के अधिकारों को सुदृढ़ सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें भूस्वामियों के समक्ष विकास क्षमता में भागीदारी का अवसर होता है तथा एक प्रकार से भावी परियोजनाओं में भू-स्वामियों की निवेशक की भूमिका बनी रह सकती है।
    - लैंड पूलिंग का लक्ष्य सामाजिक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक **भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को गति प्रदान करना** है।
- **संपत्ति की कीमतों में वृद्धि के साथ उच्च कर आधार:** भूमि के वर्धित मूल्यों एवं कर आधार के बढ़ने के कारण स्थानीय निकायों के राजस्व आधार में वृद्धि होती है।
- **अन्य लाभ**
  - **शहरीकरण के लिए एक परिवर्तनकारी कदम:** भारत में शहरी विकास की आवश्यकता को देखते हुए, विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। लैंड पूलिंग नीति के अंतर्गत भूमि संग्रह में सार्वजनिक-निजी भागीदारी शहरी विकास की दिशा में एक आदर्श परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है।
  - **सामाजिक पूँजी निर्माण:** सामाजिक पूंजी उन संस्थाओं, संबंधों एवं मानदंडों को संदर्भित करती है जो किसी समाज की सामाजिक अंतःक्रियाओं की गुणवत्ता एवं मात्रा को आकार प्रदान करते हैं। सामाजिक पूंजी का निर्माण लैंड पूलिंग नीति का एक अत्यंत सकारात्मक पक्ष है।
  - **सार्वजनिक-निजी सहयोग एवं विश्वास में वृद्धि:** लैंड पूलिंग के माध्यम से, भूमि विकास के क्षेत्र में समुदाय की व्यापक भागीदारी के साथ-साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी को भी बढ़ावा मिलता है। लाभ के संदर्भ में, यह रणनीति त्रिपक्षीय लाभ सुनिश्चित करती है, यथा- निजी धारकों को अपने कौशल का उपयोग करने में; सरकार के लिए विकास को सुविधाजनक बनाने में तथा अंततः, विकास से भूस्वामियों को लाभान्वित करने में।

लैंड पूलिंग की नीति से जुड़ी चुनौतियाँ

- **मुआवजा और पुनर्वास संबंधी मुद्दे:** हालांकि लैंड पूलिंग नीति प्रत्यक्ष भूमि अधिग्रहण की तुलना में विकास में बहुत अधिक भागीदारी के अवसर प्रदान करती है, फिर भी लैंड पूलिंग के अधीन मुआवजा एवं पुनर्वास प्रभावित लोगों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है।
- **सहमति का विषय:** भू-मालिकों द्वारा लैंड पूलिंग के लिए पूर्ण सहमति प्रदान की गई है या नहीं, यह भी विवाद का मुद्दा है, क्योंकि लक्षित विकास के लिए आवश्यक गति के लिए एजेंसियों पर प्रायः लैंड पूलिंग को अनिवार्य बनाने का दबाव रहता है। नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफ़ाइड एरिया (NAINA) का विकास ऐसा ही एक मामला रहा है, जिसमें विलंब का हवाला देकर **लैंड पूलिंग को स्वैच्छिक के बजाय अनिवार्य किया गया।**
- **भूमिहीनों की चिंता:** यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मुआवज़े एवं पुनर्वास के प्रावधान का लाभ काश्तकारों एवं खेतिहर मज़दूरों को भी प्राप्त हो, क्योंकि प्रतिपूरक पैकेज प्रायः भूमिहीनों के लिए अपर्याप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, काश्तकारों व भूमिहीन परिवारों के लिए अमरावती के लिए लैंड पूलिंग योजना में मात्र **2,500** रुपये के मासिक भुगतान का प्रावधान किया गया है।
- **भू-अभिलेख का मुद्दा:** इसके अतिरिक्त, लैंड पूलिंग इस पर भी निर्भर करती है कि भूमि के स्वामित्व के संदर्भ में स्पष्ट रिकॉर्ड मौजूद हैं या नहीं (ऐसे रिकॉर्ड प्रायः अनुपलब्ध ही रहते हैं)।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य - किफायती आवास के लिए शहरी भूमि प्राप्त करने के अन्य तंत्र

- **स्मार्ट, पारगमन (ट्रांजिट) उन्मुख विकास:** रैपिड-ट्रांजिट मार्गों के आसपास के क्षेत्र में होने वाले विकास के अनेक लाभ हैं, यथा- श्रम की गतिशीलता में सुधार, किफायती आवास, परिवहन संबंधी बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए वित्तपोषण हेतु एक संभावित तंत्र आदि।
- **सार्वजनिक भूमि उपलब्ध कराना:** शहरों में प्रायः अविकसित भूमि के महत्वपूर्ण हिस्से का स्वामित्व सरकारों के पास होता है और इस भूमि का मूल्य प्रायः बाजार मूल्य से कम होता है। इन भूमियों को राजस्व-साझेदारी योजना के अंर्तगत निजी डेवलपर्स के साथ साझा कर विकसित किया जा सकता है।
- **अप्रयुक्त भूमि का प्रयोग करना:** विश्व के कई शहरों में, शहरी क्षेत्रों के अधिकांश महत्वपूर्ण आवासीय भूमि (उपयोगिता के मानदंडों एवं बुनियादी ढांचे तक पहुंच के साथ) का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका है अथवा वे अल्प-विकसित अवस्था में हैं। कर एवं नियामकीय नीतिगत प्रोत्साहनों के माध्यम से (उदाहरण के लिए, नए विकास के लिए संपत्ति कर में छूट) इन अप्रयुक्त भू-खंडों का प्रयोग किया जा सकता है।
- **पूर्ण मालिकाना हक (स्वामित्व) सुनिश्चित करना तथा अनौपचारिक भूमि उपयोग को औपचारिक बनाना:** अनौपचारिक भूमि को कानूनी संरचनाओं के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जा सकता है, जो कि व्यक्तिगत या सामूहिक स्वामित्व की सुविधा प्रदान करते हैं। यह स्थापित किया जाना चाहिए कि भूमि का वास्तविक स्वामी कौन है, ताकि खरीददारों की इस तक आसान पहुँच प्राप्त हो सके।
- **शहरी भू-उपयोग के नियमों में सुधार करना एवं समावेशी योजना का उपयोग करना:** भूमि-उपयोग के नियमों में आवश्यक परिवर्तन कर, सामान्यतया अनुमति प्राप्त फ्लोर एरिया रेशियो (floor-area ratio) को समायोजित करके शहरों में आवास इकाई द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि की मात्रा को कम किया जा सकता है।

आगे की राह

लैंड पूलिंग का अध्ययन एवं इससे संबद्ध विधिक ढांचे, दोनों के लिए अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि भारत में यह भूमि अधिग्रहण का एक सही विकल्प बन सके।

- लैंड पूलिंग के अंतर्गत **मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन** किस प्रकार किया जाएगा, इन सभी समस्याओं के संदर्भ में अधिकारियों द्वारा प्रभावित लोगों को **स्पष्टत एवं पारदर्शी** जानकारी प्रदान की जानी चाहिए तथा भूमि अधिग्रहण की तात्कालिकता को सामाजिक सरोकारों पर हावी नहीं होने देना चाहिए।
- यदि इसे सुचारु रूप से क्रियान्वित किया जाता है, तो लैंड पूलिंग नीति पारंपरिक भूमि अधिग्रहण नीति की तुलना में संभवतः हितधारकों के मध्य अधिक वैधता एवं विश्वास प्राप्त कर सकती है एवं भारत में वास्तविक रूप में समावेशी विकास को संभव बना सकती है जहां सभी लोग लाभान्वित हो सकते हैं।

3.8. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

(National Animal Disease Control Programme: NADCP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से **राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP)** का शुभारम्भ किया है।

NADCP के बारे में

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2025 तक पशुधन में मुखपका-खुरपका रोग और पशुजन्य माल्टा-ज्वर (ब्रूसेलोसिस) को नियंत्रित करना और वर्ष 2030 तक इन्हें उन्मूलित करना है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत 500 मिलियन से अधिक पशुधन का टीकाकरण किया जाएगा। इसके तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर को मुखपका-खुरपका रोग से सुरक्षित किया जा सकेगा।
- इस कार्यक्रम का एक अन्य उद्देश्य पशुजन्य माल्टा-ज्वर से बचाव के लिए प्रतिवर्ष दुधारू पशुओं के 36 मिलियन मादा बछड़ों का टीकाकरण करना भी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **मुखपका-खुरपका रोग (Foot and Mouth Disease: FMD):** यह सूअर, भेड़, बकरी और अन्य खुर वाले (क्लोवेन-होडेड) व जुगाली करने वाले पशुओं (रूमिनेंट) में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक **विषाणुजनित रोग** है।
  - FMD, आमतौर पर वयस्क जानवरों के लिए जानलेवा नहीं होता है, लेकिन यह रोग **उन्हें गंभीर रूप से दुर्बल कर देता है** और दुग्ध उत्पादन में अत्यधिक कमी हो जाती है (दुग्ध की हानि 4-6 महीने के लिए 100% तक हो सकती है)।

VISION IAS

- **माल्टा-ज्वर (ब्रूसेलोसिस): यह "ब्रुसेला"** जीवाणु के कारण होने वाला एक पशुजन्य रोग है जो पशुओं में आरंभिक अवस्था में गर्भपात का कारण बनता है और पशुओं की आबादी में नई संततियों की उत्पत्ति को बाधित करता है।
    - यह कच्चे या गैर-पाश्चुरीकृत डेयरी उत्पादों को खाने के कारण और वायु के माध्यम से या संक्रमित पशुओं के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से भी **पशुओं से मनुष्य में फैलता** है।
    - ब्रूसेलोसिस के मामले में, दुग्ध उत्पादन पशुओं के संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान **30% तक** कम हो जाता है और इसके कारण पशुओं में बांझपन और प्रजनन विकार उत्पन्न हो जाते हैं।

- **वित्त पोषण:** वर्ष 2024 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री द्वारा टीकाकरण और रोग प्रबंधन, कृत्रिम गर्भाधान एवं उत्पादकता हेतु **राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम** तथा सभी **कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK)** में राष्ट्रव्यापी कार्यशाला का भी शुभारम्भ किया है।

3.9. मल्टी-मॉडल टर्मिनल

(Multi Modal Terminal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **साहिबगंज (झारखंड)** में गंगा नदी पर दूसरे मल्टी-मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसका निर्माण **जल मार्ग विकास परियोजना** के अंतर्गत किया गया है।
- यह देश का **दूसरा नदीय मल्टी-मॉडल टर्मिनल** है, पहला **वाराणसी** में बनाया गया था जिसका उद्घाटन नवंबर 2018 में किया गया था। अंतिम टर्मिनल का निर्माण **हल्दिया** में किया जा रहा है।
- इस योजना का अन्तर्निहित **उद्देश्य** मुख्य रूप से कार्गो संचालन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को प्रोत्साहित करना है ।
- **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इस उद्देश्य हेतु परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी** है।

जल मार्ग विकास परियोजना के बारे में

- सरकार **विश्व बैंक** की तकनीकी और वित्तीय सहायता से **राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) के हल्दिया-वाराणसी खंड** पर नौवहन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए इस परियोजना को क्रियान्वित कर रही है।
- इस परियोजना के अंतर्गत, **तीन मल्टी-मॉडल टर्मिनलों, दो इंटरनोडल टर्मिनलों,** एक नए नेविगेशन लॉक का निर्माण व नाव्य जलपथ (fairway) का विकास कार्य, **नदी सूचना प्रणाली (RIS),** पोत की मरम्मत एवं अनुरक्षण सुविधाओं और रोरो टर्मिनलों को पूरा करने की परिकल्पना की गई है।

मल्टी-मॉडल परिवहन के बारे में

- **मल्टी-मॉडल परिवहन** के अंतर्गत एकल परिवहन प्रचालक द्वारा परिवहन के **विभिन्न साधनों का उपयोग करते हुए** वस्तुओं को बिंदु A से बिंदु B तक पहुँचाया (अर्थात् परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना) जाता है। यह भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में एक प्रभावी साधन है जहां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुँच स्थापित करना अत्यधिक जटिल कार्य होता है।
- मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स (MTOs) हेतु एक मानकीकृत व्यवस्था स्थापित करने के लिए **वर्ष 1993** में भारतीय संसद द्वारा **मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट एक्ट** पारित किया गया था।

साहिबगंज स्थित दूसरे MMT का महत्व

- साहिबगंज स्थित मल्टी-मॉडल टर्मिनल के परिणामस्वरूप झारखंड और बिहार के उद्योगों को वैश्विक बाजार तक पहुँच प्राप्त हो सकेगी तथा जलमार्ग के माध्यम से **भारत-नेपाल कार्गो कनेक्टिविटी** की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- यह राजमहल क्षेत्र में स्थित स्थानीय खानों से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के निकट अवस्थित विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले के परिवहन में महत्वपूर्ण सहायता करेगा।
- कोयला, स्टोन चिप्स (गिट्टियां), उर्वरक, सीमेंट और चीनी के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का टर्मिनल के माध्यम से परिवहन किए जाने की संभावना है।
- इससे लगभग इस क्षेत्र में 600 लोगों को **प्रत्यक्ष रूप** और लगभग 3,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से **रोजगार** के अवसर प्राप्त होने की भी संभावना है।
- साहिबगंज में **सड़क-रेल-नदी परिवहन का अभिसरण होने से इसके पृष्ठ प्रदेश** (हिन्टरलैंड) को कोलकाता, हल्दिया और आगे बंगाल की खाड़ी से जोड़ने में मदद मिलेगी।

VISION IAS

मल्टी-मॉडल परिवहन के लाभ

- **ट्रांस-शिपमेंट स्थलों पर समय की हानि को कम करता है:** मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स अपने व्यवस्थित संचार लिंक के माध्यम से ट्रांस-शिपमेंट (पोतान्तरण) बिंदुओं पर माल के अन्तर्विनिमय तथा उसके आगे के परिवहन का सुचारू रूप से समन्वय करते हैं।
  - परिवहन श्रृंखला के प्रत्येक खंड के लिए दस्तावेज जारी करने तथा अन्य औपचारिकताओं से संबंधित प्रक्रियाओं में लगने वाले समय में कमी हो जाती है।
- **वस्तुओं के अपेक्षाकृत तीव्र पारगमन में सहायक:** मल्टीमॉडल परिवहन के कारण वस्तुओं का तीव्र पारगमन (परिवहन) संभव हुआ है। यह बाजार से भौतिक दूरी को अल्प करने में सहायक है।
- **प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि:** मल्टी-मॉडल परिवहन प्रणाली का अंतर्निहित लाभ यह है कि, इससे निर्यात की लागत में कमी आएगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्षेत्र में मूल्य निर्धारण के साथ-साथ अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति में सुधार करने में सहायता मिलेगी।
- **संचालन समन्वय के लिए एक एकल एजेंसी की स्थापना करता है:** वस्तुओं या गंतव्य स्थल पर वस्तुओं की डिलीवरी में देरी से संबंधित सभी मामलों में प्रेषक/प्रेषित को केवल मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स से संपर्क करने की आवश्यकता होती है। इसका ईज ऑफ डूइंग बिजनस के संदर्भ में गंभीर निहितार्थ हैं।

3.10. लीड्स सूचकांक

(Leads Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

गुजरात ने **"विभिन्न राज्यों के मध्य लॉजिस्टिक्स सुगमता (Logistics Ease Across Different States: LEADS) सूचकांक"** के दूसरे संस्करण में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- केंद्र-शासित प्रदेशों में, **चंडीगढ़** शीर्ष स्थान पर रहा तथा इसके पश्चात् दिल्ली और पुदुच्चेरी का स्थान है।

EFFICENCY PAYS

LEADS 2019

Aim: To rank states based on ease of logistics

Result: Top 3 states retain position from last year

Parameters: Infra availability, quality; delivery time, tracking

Top 5	Bottom 5
1. Gujarat	18. Jammu & Kashmir
2. Punjab	19. Uttrakhand
3. Andhra Pradesh	20. Bihar
4. Maharashtra	21. Goa
5. Tamil Nadu	22. Himachal Pradesh

LEADS सूचकांक के बारे में

- इस सूचकांक को **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** ने **डेलॉयट (Deloitte)** के सहयोग से विकसित किया है।
- सूचकांक में सम्मिलित संकेतक निम्नलिखित हैं:
  - परिवहन और लॉजिस्टिक संरचना की गुणवत्ता;
  - लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता;
  - विनियामक प्रक्रियाओं की दक्षता;
  - प्रचालन संबंधी परिवेश की अनुकूलता;
  - प्रतिस्पर्धी दरों पर लॉजिस्टिक की व्यवस्था करने में सुगमता;
  - समयबद्ध कार्गो की डिलीवरी;
  - कार्गो संचलन की बचाव/सुरक्षा; तथा
  - ट्रैक और ट्रेस की सुगमता।
- LEADS सूचकांक उपयोगकर्ताओं और हितधारकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लॉजिस्टिक तंत्र का एक **अवधारणा-आधारित आकलन (Perception-Based Assessment)** करता है।
- वर्ष 2019 के संस्करण के अंतर्गत घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापारों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- राज्यों के मध्य लॉजिस्टिक प्रदर्शन के समग्र संयुक्त मूल्यांकन (overall composite assessment) के साथ-साथ, LEADS विशिष्ट आयामों पर प्रदर्शन से संबंधित संकेतक-स्तर मूल्यांकन (indicator-level assessments) भी प्रदान करता है।

3.11. उपजीविकाजन्य सुरक्षा

(Occupational Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने लोकसभा में **उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2019 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2019)** को पुरःस्थापित किया।

पृष्ठभूमि

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) **व्यावसायिक (उपजीविकाजन्य) सुरक्षा** को कार्यस्थल पर उत्पन्न होने वाले खतरों के नियंत्रण के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है जो श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को बाधित कर सकते हैं। इसमें आसपास के समुदायों तथा सामान्य परिवेश पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है।
- हाल के दिनों में, नवी मुंबई में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के गैस संयंत्र या बटाला में पटाखा कारखाने में आग लगने जैसी घटनाएं दृष्टिगत हुई हैं, जो भारत में व्यावसायिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल देती हैं।
- **दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग** ने केन्द्रीय श्रम कानूनों के सरलीकरण, एकीकरण और युक्तिकरण की अनुशंसा की थी तथा निम्नलिखित 4 श्रम संहिताओं का प्रारूप इसी दृष्टिकोण से तैयार किया गया है:
  - वेतन संहिता विधेयक (Code on Wages Bill);
  - औद्योगिक संबंधों पर श्रम संहिता विधेयक (Labour Code on Industrial Relations Bill);
  - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर श्रम संहिता (Labour Code on Social Security & Welfare); तथा
  - उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता।
- **व्यावसायिक (उपजीविकाजन्य) सुरक्षा पर प्रस्तावित संहिता** प्रथम एकल विधान है जिसमें कामगारों की कार्य स्थितियों, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानकों को निर्धारित किया गया है तथा यह कम से कम **10 श्रमिकों वाले कारखानों एवं सभी खदानों व डॉकयार्डों** पर लागू होगा। यह प्रशिक्षुओं (apprentices) पर लागू नहीं होता है।

भारत में व्यावसायिक सुरक्षा संरचना

- **संवैधानिक प्रावधान: संविधान के तीन अनुच्छेद अर्थात् अनुच्छेद 24, 39(e)** (पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो) और **42** (काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता), श्रमिकों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- **संघ सूची:** खदानों और तेल क्षेत्रों में श्रमिकों का विनियमन एवं सुरक्षा।
- **समवर्ती सूची:** श्रम कल्याण के विविध विषय, जैसे- कार्य दशाएँ, भविष्य निधि, नियोक्ता की अशक्तता (employers' invalidity), वृद्धावस्था पेंशन, मातृत्व लाभ आदि इसमें सम्मिलित हैं।
- केन्द्रीय **श्रम मंत्रालय** और **राज्य** एवं केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम विभाग, कर्मचारियों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रति उत्तरदायी हैं।
- **नेशनल सेफ्टी काउंसिल (NSC): यह राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (Safety, Health and Environment: SHE) पर स्वैच्छिक गतिविधियों** को प्रारम्भ करने, विकसित करने तथा बनाए रखने हेतु एक शीर्ष **गैर-लाभकारी निकाय** है। यह श्रम मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है। यह **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** और **बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950** के तहत पंजीकृत है।
- **खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS)** व **महानिदेशालय, फैक्टरी सलाह सेवा और श्रम संस्थान (DGFASLI)** क्रमशः खानों तथा कारखानों एवं पत्तन क्षेत्रकों में व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य के तकनीकी पहलुओं में मंत्रालय की सहायता करते हैं।
- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा कार्य परिवेश के क्षेत्र में, ILO ने 13 कन्वेंशनों एवं 13 अनुशंसाओं को तैयार किया है जिनमें से भारत सरकार ने अब तक विकिरण संरक्षण कन्वेंशन (संख्या 115) व बेंजीन कन्वेंशन (संख्या 136) जैसे कई कन्वेंशनों का अनुसमर्थन किया है।

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2019 के प्रमुख प्रावधान

- **कानूनों का समेकन:** इस संहिता द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948; खान अधिनियम, 1952 तथा ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 जैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य स्थितियों से संबंधित 13 श्रम कानूनों को निरस्त और प्रतिस्थापित किया गया है।
- **विनियामक प्राधिकरण: संहिता के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों** को पंजीकृत प्राधिकरणों में पंजीकृत होना चाहिए।
  - इसके अतिरिक्त, निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता दुर्घटनाओं की जांच कर सकते हैं और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सकते हैं।
  - इन दोनों प्राधिकरणों की नियुक्ति केंद्र या राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
  - इसके अतिरिक्त, सरकार कुछ प्रतिष्ठानों में **सुरक्षा समितियों** की स्थापना करने की मांग कर सकती है जिसमें नियोक्ताओं और कामगारों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों।

VISION IAS

- **व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड:** राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इन निकायों को, केंद्र एवं राज्य सरकारों को संहिता के तहत बनाए जाने वाले मानकों, नियमों और विनियमों पर सलाह देने का प्रस्ताव दिया गया है।
- **नियोक्ताओं के कर्तव्य: नियोक्ताओं को चोट या बीमारियों जैसे खतरों से मुक्त कार्यस्थल प्रदान करना चाहिए और साथ ही,** यथानिर्धारित स्वरूप में कर्मचारियों के नि:शुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान अवश्य करना चाहिए। कार्यस्थल पर ऐसी दुर्घटना के मामले में जो किसी कर्मचारी की मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट का कारण बनी हो, उसके विषय में नियोक्ता को संबंधित प्राधिकरणों को अवश्य सूचित करना चाहिए।
- **कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य:** जैसे कि अपने स्वयं के स्वास्थ्य व सुरक्षा का ध्यान रखना, निर्दिष्ट सुरक्षा व स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन करना तथा निरीक्षक को असुरक्षित परिस्थितियों के संबंध में रिपोर्ट करना। प्रत्येक कर्मचारी को नियोक्ता से सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- **कार्यप्रणाली की शर्तें:** केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न वर्गों के लिए कार्य के घंटे, ओवरटाइम कार्य तथा महिला श्रमिकों से संबंधित प्रावधानों के लिए नियम प्रदान करेंगी। कोई भी कर्मचारी सप्ताह में छह से अधिक दिनों तक कार्य नहीं कर सकता है। हालांकि, मोटर परिवहन श्रमिक इसके अपवाद हैं।
- **अपराध और दंड:** ऐसा अपराध जो किसी कर्मचारी की मृत्यु का कारण बनता है, उसके लिए दो वर्ष तक की कैद या पांच लाख रुपये तक का अर्थदण्ड या दोनों हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, न्यायालय यह निर्देश दे सकते हैं कि इस प्रकार के अर्थदण्ड की कम से कम 50% धनराशि पीड़ित के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए।

भारत में व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे

- **कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति (National Policy on Safety, Health and Environment at the Workplace: NPSHEW) के कार्यान्वयन का अभाव:** इसके परिणामस्वरूप व्यापक कानूनी ढांचे की मांग की गई थी। तथापि, केवल विनिर्माण, खनन, पत्तन और निर्माण क्षेत्रों को मौजूदा कानूनों द्वारा कवर किया जाता है।
  - **कई अधिनियमों को अक्षरशः लागू न करना:** जिसमें कारखाना अधिनियम, संविदा अधिनियम आदि सम्मिलित हैं।
  - अर्थव्यवस्था गतिविधियों में सबसे बड़े क्षेत्रक अर्थात् **कृषि क्षेत्रक के लिए कानूनी ढांचा अपर्याप्त** है।
  - पत्रकारिता संबंधी कानून, परिवहन श्रमिक कानूनों सहित कई कानूनों का निरसन।
- **व्यावसायिक सुरक्षा पर सीमित अनुसंधान:** क्योंकि अनुसंधान संस्थान कम हैं, जो अपनी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से सम्पन्न करने के लिए सुसज्जित भी नहीं हैं।
- **प्रभावी कवरेज की कमी:** भारत में व्यावसायिक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के साथ एकीकृत नहीं है।

निष्कर्ष

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जाना चाहिए तथा यह मूल मानव अधिकार के रूप में प्रतिष्ठापित किए जाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह केवल कार्य स्थलों तक सीमित नहीं होता है बल्कि लोगों एवं पर्यावरण को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। सरकार को अपने दृष्टिकोण में उपयुक्त परिवर्तन करना चाहिए ताकि इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया जा सके और सरकार गंभीर रूप से सुधार करने की ओर अग्रसर हो सके।

3.12. सरल सूचकांक

(Saral Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** द्वारा जारी **स्टेट रूफटॉप सोलर एक्ट्रैक्टिवनेस इंडेक्स (State Rooftop Solar Attractiveness Index: SARAL)** रैंकिंग में **कर्नाटक** ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

पृष्ठभूमि

- मार्च 2019 तक संचयी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन 4.37 गीगावॉट थी। ज्ञातव्य है कि **वर्ष 2022 तक 40 गीगावॉट** के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इसमें दस गुना वृद्धि की आवश्यकता होगी।
- विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न रूफटॉप सोलर नीतियां, प्रोत्साहन, मीटरिंग विनियम आदि विद्यमान हैं। इनके विद्युत प्रशुल्क, उपभोक्ता मिश्रण (consumer mix) और वितरण अवसरंचना की सुदृढ़ता में भी भिन्नता विद्यमान है।
- इसलिए, एक ऐसा मानकीकृत उपकरण स्थापित करना महत्वपूर्ण है जो रूफटॉप सोलर परिनियोजन का समर्थन करने हेतु राज्यों की तत्परता के लिए विभिन्न राज्यों का आकलन और मूल्यांकन कर सके।

सरल सूचकांक के बारे में

- **कर्नाटक** 78.76 सरल स्कोर के साथ अग्रणी स्थान पर है। तेलंगाना दूसरे स्थान पर है, तत्पश्चात गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान का स्थान है।
- इस सूचकांक का उद्देश्य सुदृढ़ सोलर रूफटॉप बाजारों की स्थापना करने के लिए महत्वपूर्ण कई **मापदंडों** के आधार पर वस्तुनिष्ठ रूप से राज्यों का **आकलन** करना है। ये मापदंड निम्नलिखित पाँच व्यापक श्रेणियों से संबंधित हैं:
  - नीतिगत ढांचे की सुदृढ़ता;
  - नीतिगत सहायता/कार्यान्वयन परिवेश की प्रभावशीलता;
  - उपभोक्ता का अनुभव;
  - रूफटॉप सोलर क्षेत्रक के लिए निवेश का परिवेश; तथा
  - व्यावसायिक परिवेश (इकोसिस्टम)।
- यह सूचकांक एक **महत्वपूर्ण उपकरण** के रूप में कार्य करता है:
  - राज्यों में सोलर रूफटॉप के परिनियोजन और विकास के मानदंड निर्धारित करने हेतु।
  - नीतिगत और निवेश संबंधी प्रोत्साहन के संदर्भ में अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों की पहचान करने हेतु।
  - निवेश के अवसरों की पहचान करने हेतु।
  - सोलर रूफटॉप के विकास के लिए वित्तपोषण सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों की पहचान करने हेतु।
  - क्रमशः, ज्ञान सहभाजन मंच स्थापित करना, जहाँ प्रगतिशील राज्य अन्य राज्यों के साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं।

3.13. अंकटाड की रिपोर्ट

(Unctad Reports)

3.13.1. कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019

(Commodities And Development Report 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र व्यापार एंव विकास सम्मेलन (United Nation Conference on Trade and Development: UNCTAD) द्वारा "कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019"** प्रस्तुत की गई है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एंव विकास सम्मेलन (अंकटाड)

- यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1964 में स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है।
- यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का भाग है तथा व्यापार, वित्त, निवेश एवं विकास संबंधी मुद्दों का प्रबंधन करने वाला एक प्रमुख निकाय है।

इस रिपोर्ट द्वारा विश्लेषण किए गए मुद्दे

- **वस्तुओं और जलवायु परिवर्तन के मध्य अंत:क्रियाएँ** तथा कमोडिटी पर आधारित विकासशील राष्ट्रों (Commodity dependent developing countries: CDDCs) के विकास के लिए इसके निहितार्थ:
  - **वस्तुओं और जलवायु परिवर्तन के मध्य दोतरफा संबंध होता है।** जहां एक ओर, वस्तुओं का उत्पादन, परिवहन, प्रसंस्करण और उपभोग मानवजनित GHGs उत्सर्जन के मुख्य स्रोत हैं;
  - वहीं दूसरी ओर, **जलवायु परिवर्तन, कमोडिटी सेक्टर्स को प्रभावित करने वाले विभिन्न जोखिमों का प्रमुख स्रोत है।** इस संबंध में, आपदाओं का त्वरित या समयपूर्व आगमन, जैसे कि चरम मौसमी घटनाएँ और मंद गति के प्रभाव (slow-onset effects), जैसे कि समुद्र स्तर में वृद्धि के परिणामस्वरूप तेल तथा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति श्रृंखलाओं, कृषि उत्पादन और खनन कार्य के समक्ष जोखिम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

कमोडिटी पर आधारित विकासशील राष्ट्र (Commodity Dependent Developing Countries: CDDCs)

CDDCs वस्तुतः 88 विकासशील राष्ट्रों का एक समूह है, जहां वर्ष 2013-2017 की अवधि के दौरान औसतन और मूल्य के संदर्भ में

VISION IAS

कमोडिटी क्षेत्रक का उनके कुल व्यापारिक निर्यात में कम से कम 60 प्रतिशत का योगदान था।

- अधिकांश CDDCs एक या अधिक कमोडिटी समूहों, यथा- कृषि; वानिकी; खनिज, अयस्क एवं धातु; तथा जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा पर निर्भर हैं।
- हालांकि, **भारत CDDCs में शामिल नहीं है,** वर्ष 2018-2019 में, भारत के कुल निर्यात में कमोडिटी की हिस्सेदारी लगभग 46 प्रतिशत थी।

- **जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन के लिए कमोडिटी क्षेत्रक की रणनीतियां**
  - **उत्पादन** और **निर्यात** का विविधीकरण करना आवश्यक है, क्योंकि यह किसी कमोडिटी की निम्न परास (सीमित पहुँच) पर निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करने का एकमात्र उपाय है।
  - सामान्यत: ये देश जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन उपायों को अपनाने हेतु अक्षम हैं और उनके पास पर्याप्त साधनों का अभाव भी है। इस प्रकार, गैर-CDDCs और विकसित देशों से वित्त एवं आवश्यक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता है।

3.13.2. व्यापार और विकास रिपोर्ट

(Trade and Development Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, UNCTAD ने व्यापार और विकास रिपोर्ट, 2019 जारी की है।

इस रिपोर्ट के बारे में

यह रिपोर्ट, सार्वजनिक क्षेत्रक के लिए **ग्लोबल ग्रीन न्यू डील** के वित्तपोषण में नेतृत्व प्रदान करने संबंधी उपायों और सुधारों की एक श्रृंखला निर्धारित करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस प्रकार के एजेंडे को प्रोत्साहित करने हेतु राजनीतिक इच्छाशक्ति का आह्वान करती है।

ग्लोबल ग्रीन न्यू डील (Global Green New Deal: GGND)

- इस रिपोर्ट को ईंधन, खाद्य और वित्त (fuel, food and financial) से संबंधित वर्ष **2008 के विभिन्न वैश्विक संकटों की प्रतिक्रिया स्वरूप UNEP द्वारा तैयार** किया गया था।
- यह **सरकारों से हरित क्षेत्रकों (green sectors) के प्रोत्साहन हेतु वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण भाग आवंटित करने का आह्वान** करती है तथा निम्नलिखित तीन उद्देश्य निर्धारित करती है:
  - आर्थिक सुधार;
  - निर्धनता उन्मूलन; तथा
  - कार्बन उत्सर्जन और पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नीकरण में कमी करना।
- **GGND हेतु प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यवाहियों में शामिल निम्नलिखित हैं:**
  - US, EU और अन्य उच्च आय वाली OECD अर्थव्यवस्थाओं के साथ ही G-20 की मध्यम और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन निर्भरता में कमी करने हेतु 2 वर्षों के लिए उनके GDP का कम से कम 1% से अधिक व्यय करना चाहिए;
  - विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को निर्धनों के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता में सुधार करने के लिए GDP का कम से कम 1% व्यय करना चाहिए। सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य और शैक्षिक सेवाओं का विकास करना चाहिए तथा उनकी प्राथमिक उत्पादन गतिविधियों की संधारणीयता में सुधार लाने के लिए अन्य राष्ट्रीय कार्रवाइयों को अपनाना चाहिए।
  - सभी अर्थव्यवस्थाओं को जल प्रबंधन में वृद्धि हेतु बाजार आधारित उपकरण अथवा ऐसे उपायों को अपनाते हुए जल हेतु प्रदत्त सब्सिडी और अन्य विसंगतियों को समाप्त करने पर विचार करना चाहिए।

3.14. यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट

(Travel and Tourism Competitive Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF)** ने **"ट्रेवल एंड टूरिज्म एट ए टिपिंग पॉइंट"** शीर्षक से अपनी द्विवार्षिक **यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट** जारी की।

इस अध्ययन के बारे में

- इस अध्ययन में 140 देशों को निम्नलिखित **चार संकेतकों** के आधार पर स्कोर प्रदान किए गए:
  - सक्षमकारी परिवेश;
  - यात्रा और पर्यटन नीति तथा सक्षमकारी परिस्थितियां;
  - अवसंरचना; तथा
  - प्राकृतिक और सांस्कृतिक रैंकिंग।
- इन चार व्यापक संकेतकों का 14 चरों के आधार पर मापन किया गया। इन्हें आगे 90 संकेतकों में उप-विभाजित किया गया, जैसे कि संपत्ति अधिकार, विधिक ढांचे की दक्षता, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, महिला श्रमबल भागीदारी, वीजा अनिवार्यताएं और विश्व विरासत सांस्कृतिक स्थलों की संख्या आदि।

HOW INDIA COMPARES WITH THE BEST (SCORE IN BRACKETS)

Basis	Rank 1 in 2019	India rank in 2019	India rank in 2017
Enabling Environment	Switzerland (6.2)	98 (4.4)	108 (4.1)
T&T policy and enabling conditions	New Zealand (5.1)	69 (4.5)	79 (4.1)
Infrastructure	United States (5.8)	55 (3.8)	58 (3.7)
Natural and cultural rankings	China (6.1)	9 (5.0)	12 (4.8)
Overall rank	Spain (5.4)	34 (4.4)	40 (4.18)

भारत का प्रदर्शन

- भारत ने वर्ष 2017 की रैंकिंग की तुलना में छह स्थान का सुधार करते हुए **34वां स्थान** प्राप्त किया है। इसने शीर्ष 25 प्रतिशत देशों (जिनकी पूर्व में रैंकिंग की गई थी) में वर्ष 2017 के बाद से सबसे बड़ा सुधार किया है।
- भारत के प्रदर्शन में सर्वाधिक सुधार **सक्षमकारी परिवेश संकेतक** के मामले में (10 स्थान के सुधार के साथ 98 स्थान पर) दर्ज किया गया है। निम्नतम सुधार अवसंरचना के साथ-साथ प्राकृतिक और सांस्कृतिक रैंकिंग में परिलक्षित हुए हैं जिनमें केवल तीन स्थानों का सुधार हुआ, लेकिन इनमें भारत की रैंकिंग पहले से ही उच्च रही है।

4. सुरक्षा (Security)

4.1. स्मार्ट पुलिसिंग

(Smart Policing)

सुर्ख़ियो में क्यों?

हाल ही में, उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद, माओवाद और उग्रवाद (इंसर्जेंसी) से निपटने हेतु एक उच्च तकनीक युक्त पुलिस बल द्वारा अनुपूरित स्मार्ट (SMART) पुलिसिंग का समर्थन किया है।

स्मार्ट पुलिसिंग क्या है?

- स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा गुवाहाटी में आयोजित DGP/IGP सम्मेलन, 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त की गई थी।
- व्यापक रूप से, स्मार्ट पुलिसिंग में अपराध की **रोकथाम एवं नियंत्रण** हेतु **साक्ष्य-आधारित** और **आंकड़ा-संचालित** पुलिसिंग प्रथाओं, रणनीतियों तथा कार्यनीतियों के अनुप्रयोग को समाविष्ट करने वाले हस्तक्षेप सम्मिलित हैं।

'SMART'

S - Strict and Sensitive (मजबूत और संवेदनशील)

M - Modern and Mobile (आधुनिक और गतिशील)

A - Alert and Accountable (सतर्क और जवाबदेह)

R - Reliable and Responsive (विश्वसनीय और उत्तरदायी)

T - Techno-savvy and Trained (तकनीकी-कुशल और प्रशिक्षित)

स्मार्ट पुलिसिंग के लाभ

- यह पुलिस की सतर्कता और सार्वजनिक संलग्नता में वृद्धि के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम द्वारा **अग्र-सक्रिय पुलिसिंग को बढ़ावा** देती है।
- स्मार्ट पुलिसिंग, पुलिस परिचालन के एक **व्यापक प्रणालीगत और रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित** करती है।
- **यह परिणामों** अर्थात् लागत प्रभावी तरीके से अपराधों में कमी एवं समुदायों की सुरक्षा **पर ध्यान केंद्रण को प्रोत्साहित करती है।**
- स्मार्ट पुलिसिंग प्रतिमान, **सूचना और संचार प्रणालियों के एकीकरण तथा अन्तरसंक्रियता (interoperability) को बढ़ावा देता है।**
- यह पहल **नागरिक अधिकारों की रक्षा करने और पुलिस बल को अधिक नागरिक अनुकूल बनाने** में सहायता करती है।

स्मार्ट पुलिसिंग के समक्ष चुनौतियाँ

- **अतिबोझिल पुलिस बल:** जनवरी 2016 तक, भारत में स्वीकृत पुलिस पदों में से 24 प्रतिशत पद रिक्त थे। यह इंगित करता है कि मौजूदा कार्यबल पर कार्य का भार कितना अधिक है, जिसके उनकी कार्य क्षमता और प्रदर्शन पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।
- **तकनीकी-कुशल कार्मिकों का अभाव:** पुलिस के पास तकनीक आधारित अपराधों से निपटने के लिए प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का अभाव है।
- **पुलिस अवसंरचना:** मौजूदा पुलिस अवसंरचना पुलिस बल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
  - नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखा-परीक्षण रिपोर्ट में राज्य पुलिस बलों के पास हथियारों की कमी का उल्लेख किया गया है। उदाहरणार्थ- राजस्थान और पश्चिम बंगाल में राज्य पुलिस हेतु आवश्यक हथियारों में क्रमशः 75 प्रतिशत तथा 71 प्रतिशत की कमी थी।
  - पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने भी राज्य पुलिस बलों के पास आवश्यक वाहनों (2,35,339 वाहनों) के स्टॉक में 30.5 प्रतिशत की कमी को चिन्हित किया है।
- **धन की कमी:** पुलिस, राज्य सूची का विषय है। कई राज्यों के पास अपने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए धन का अभाव है या उन्होंने इस धन का इस संदर्भ में अत्यल्प उपयोग किया है।

हाल ही में स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में की गई पहलें

- **पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना:** यह योजना सुरक्षित पुलिस स्टेशनों, प्रशिक्षण केंद्रों, पुलिस हाउसिंग (आवासीय) के निर्माण और आवश्यक गतिशीलता, आधुनिक हथियार, संचार उपकरण तथा फोरेंसिक सेट-अप आदि के साथ पुलिस स्टेशनों को सुसज्जित करके पुलिस अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।
  - गृह मंत्रालय ने यह योजना आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की स्थितियों को नियंत्रित करने हेतु सेना व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर राज्य सरकारों की निर्भरता को उत्तरोत्तर कम करने के लिए आरम्भ की है।
- **प्रशासनिक परिवर्तन:** प्रशासनिक दृष्टिकोण से, विभिन्न राज्यों में **कानून और व्यवस्था से जांच प्रक्रिया को पृथक करने** तथा सामाजिक एवं साइबर अपराधों के लिए **विशेषीकृत विंग के निर्माण सहित विविध परिवर्तन** सम्पादित किए गए हैं।

VISION IAS

- **तकनीकी सुधार:** नियंत्रण कक्ष के आधुनिकीकरण, त्वरित ट्रैकिंग **अर्थात् क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS), नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID)** को आगे बढ़ाना और पुलिसिंग में नव प्रौद्योगिकियों को शामिल करने पर बल देने सहित विभिन्न तकनीकी सुधार किए गए हैं।

स्मार्ट पुलिसिंग को लागू करने के लिए उठाए जाने वाले कदम

- **विधायी सुधार:** संगठित अपराध अधिनियम (Organized Crimes Act) को लागू करना, देश के लिए एक एकल पुलिस अधिनियम (single police act) का प्रवर्तन, पुलिस विषय को समवर्ती सूची में शामिल करना, संघीय अपराधों की घोषणा करना, अपराधों को दर्ज करने से संबंधित उपाय करना, CBI के लिए वैधानिक समर्थन, दंड प्रक्रिया और साक्ष्य प्रणालियों में परिवर्तन करना आदि विधायी परिवर्तनों में शामिल प्रावधान हैं।
- **विशेषज्ञता प्राप्त कार्मिकों की भर्ती:** विशेष अपराधों से निपटने के लिए विशेष दृष्टिकोण और कार्मिकों की आवश्यकता होती है। आधुनिक तकनीक से संबंधित अपराधों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख तकनीकी टीम होनी चाहिए।
- **कम्युनिटी पुलिसिंग** नागरिकों के साथ इंटरफेस में सुधार करती है और पुलिस को अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील बनाती है। **उदाहरणार्थ- (i) जनमैत्री सुरक्षा पद्धति, केरल (ii) फ्रेंड्स ऑफ़ पुलिस मूवमेंट (FOP), तमिलनाडु (iii) सुरक्षा सेतु - सुरक्षित शहर सूरत परियोजना आदि।**
- **संचार नेटवर्क में सुधार:** पुलिस बल की कार्य-प्रणाली में सुधार हेतु सूचना और ज्ञान का साझाकरण होना चाहिए।
- निजी सुरक्षा निगरानी प्रणाली के मानकीकरण, परिनियोजन और एकीकरण के साथ **बेहतर चौकसी एवं निगरानी।**

निष्कर्ष

वर्तमान में विशेष रूप से जटिल सुरक्षा खतरों के कारण भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हेतु एक सुरक्षित परिवेश अत्यावश्यक है। इसलिए, भारतीय पुलिस को आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रण करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने तथा जनता की सुरक्षा हेतु लगातार क्षमता का निर्माण और विकास करना होगा।

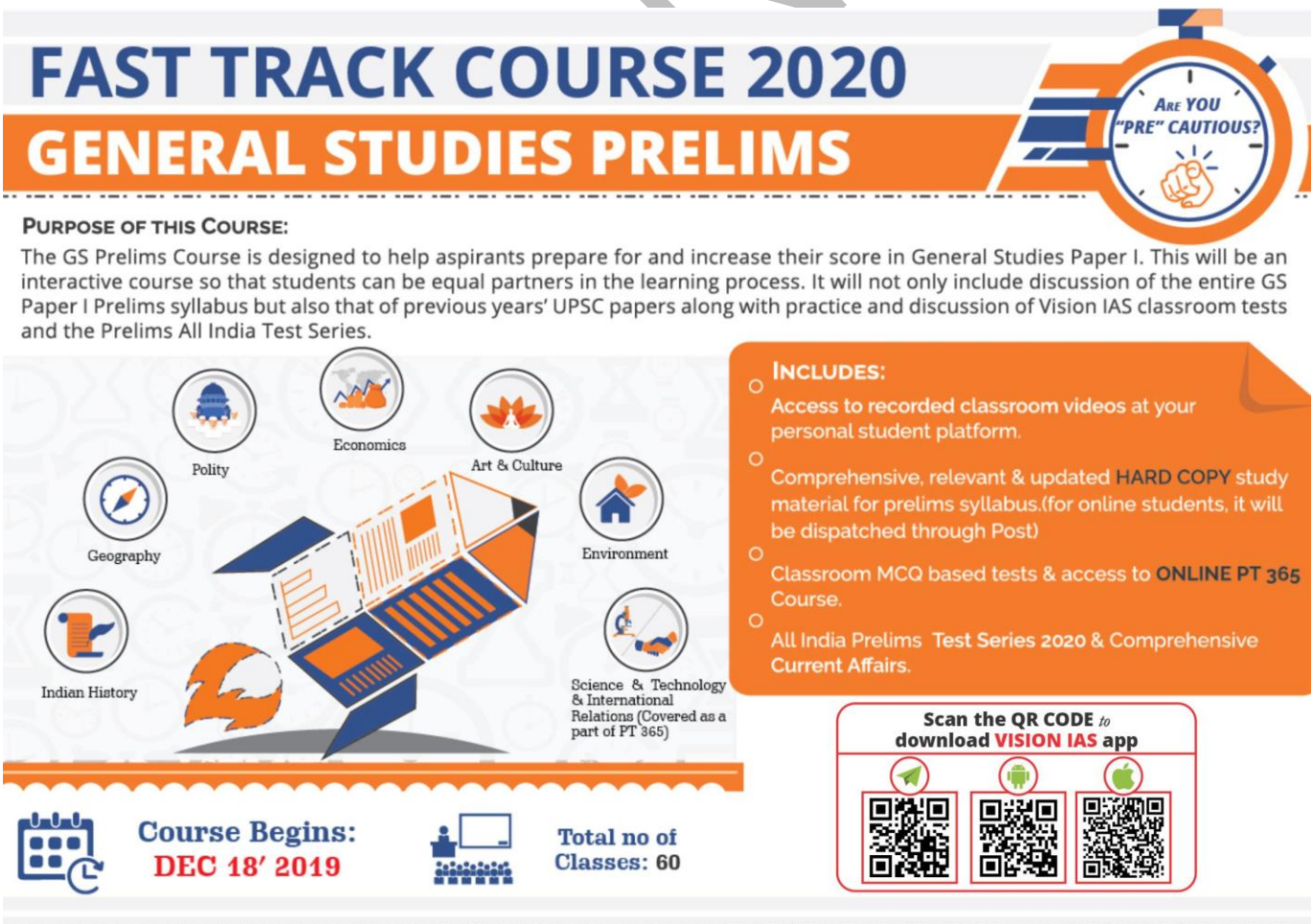

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. बदलते जलवायु परिदृश्य में महासागर और क्रायोस्फीयर (हिमांक-मंडल)

(The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) ने "बदलते जलवायु परिदृश्य में महासागर और क्रायोस्फीयर पर विशेष रिपोर्ट" (Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate: SROCC) जारी की है।

पृष्ठभूमि

- SROCC, इस वर्ष IPCC द्वारा जारी **दूसरी विशेष रिपोर्ट** है और यह IPCC के छठे आकलन चक्र के अंतर्गत जारी तीसरी रिपोर्ट है। जलवायु परिवर्तन और भूमि पर रिपोर्ट, अगस्त 2019 में जारी की गई थी, जबकि 1.5°C के वैश्विक तापन के संबंध में रिपोर्ट अक्टूबर 2018 में प्रकाशित की गई थी।
- आगामी विशेष रिपोर्ट "जलवायु परिवर्तन और शहर" (climate change and cities) पर केंद्रित होगी, जिसे IPCC के सातवें आकलन चक्र के दौरान प्रकाशित किया जाएगा। इसलिए यह वर्ष 2021-22 में इसकी छठी आकलन रिपोर्ट (AR6) के पश्चात् प्रकाशित होगी।

- **वैश्विक महासागर (Global Ocean):** इसके अंतर्गत आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और दक्षिणी महासागर के साथ-साथ इसके सीमांत सागर भी शामिल हैं, जो पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग पर विस्तृत हैं।
  - इसमें पृथ्वी का लगभग 97% जल सम्मिलित है, जो पृथ्वी के 99% जीवित जीवों को निवास स्थान उपलब्ध करता है, साथ ही, पृथ्वी पर प्राथमिक उत्पादन के लगभग आधे भाग का योगदान करता है।
- **हिमांक मंडल (cryosphere):** यह पृथ्वी पर जमे हुए घटकों (frozen components) को संदर्भित करता है, जो स्थल और महासागरों की सतह पर अथवा उसके नीचे अवस्थित हैं। इनमें "बर्फ, हिमनद, हिम चादरें, हिमखंड, सागरीय हिम, हिम झील (lake ice), हिम नदी (river ice), पर्माफ्रॉस्ट और मौसमी जमी हुई भूमि शामिल हैं।
- **तटीय समुदाय (Coastal Community):** तटीय क्षेत्र, पृथ्वी पर सर्वाधिक सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं। वर्ष 2010 तक, वैश्विक जनसंख्या का 28% (लगभग 1.9 बिलियन लोग) समुद्र तट से 100 किमी तक और समुद्र तल से 100 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निवास कर रहे थे। इसमें 17 प्रमुख शहर शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में पाँच मिलियन से अधिक लोग निवास कर रहे हैं। छोटे द्वीप वाले विकासशील देशों में लगभग 65 मिलियन लोग निवास करते हैं।
- ऐसा अनुमान है कि **महासागरों के स्वास्थ्य और इनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं में गिरावट** के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को वर्ष 2050 तक प्रतिवर्ष 428 बिलियन डॉलर की क्षति होगी, जिसके वर्ष 2100 तक प्रतिवर्ष 1.979 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है।

'आकस्मिक परिवर्तन और 'टिपिंग पॉइंट्स' (Abrupt changes and 'tipping points'): SROCC में निम्नलिखित को रेखांकित किया गया है:

- "टिपिंग पॉइंट्स" उस सीमा रेखा को संदर्भित करता है, जब वैश्विक या क्षेत्रीय जलवायु एक स्थिर स्थिति से दूसरी स्थिर स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। ये टिपिंग पॉइंट्स तीव्र और आकस्मिक परिवर्तन से संबद्ध हैं, जबकि अंतर्निहित बलों में परिवर्तन धीरे-धीरे होता है।
- **"आकस्मिक"** का अर्थ है- बड़े पैमाने पर परिवर्तन, जो कुछ दशकों अथवा उससे कम समय में घटित होता है और कम से कम कुछ दशकों तक जारी रहता है (या जिसके जारी रहने का अनुमान किया जाता है) तथा मानव और प्राकृतिक प्रणालियों में पर्याप्त व्यवधान का कारण बनता है।

- इस रिपोर्ट में **महासागर और क्रायोस्फीयर की वर्तमान स्थिति तथा वैश्विक तापन से इसमें संभावित परिवर्तन** तथा इसके कारण पारिस्थितिक तंत्र और लोगों के लिए उत्पन्न जोखिम एवं विद्यमान अवसरों के संबंध में उल्लेख किया गया है। साथ ही, रिपोर्ट में भावी जोखिमों को कम करने के लिए शमन, अनुकूलन और अभिशासन के विकल्पों पर भी विचार किया गया है।

इस रिपोर्ट में ध्यान केंद्रित किए गए प्रमुख क्षेत्र (Focus Areas of the Report)

VISION IAS

5.1.1. उच्च-पर्वतीय क्षेत्र

(High-Mountain Regions)

उच्च-पर्वतीय क्षेत्रों में **विश्व की कुल जनसंख्या का दसवां भाग** निवास करता है। यहां विद्यमान ग्लेशियर, पर्माफ्रॉस्ट और हिम महत्वपूर्ण क्रायोस्फीयर परिवर्तनों के स्थल हैं।

वैश्विक तापन के प्रभाव से संबंधित अनुमान

- ऐसा अनुमान है कि इस शताब्दी के अंत तक, उत्सर्जन की तीव्रता में कमी होने की स्थिति में वर्ष 2015 के स्तर की तुलना में हिमनदों के द्रव्यमान का 18 प्रतिशत अंश समाप्त हो जाएगा तथा एक उच्च उत्सर्जन परिदृश्य की स्थिति में इस क्षति के लगभग एक-तिहाई होने की संभावना है।
- इन हिमनदों के द्रव्यमान में क्षति के परिणामस्वरूप तथा निम्न और उच्च-उत्सर्जन परिदृश्यों की स्थिति में समुद्र तल के स्तर में क्रमशः 94 मिमी और 200 मिमी वृद्धि होने का अनुमान है।
- मध्य यूरोप और उत्तरी एशिया जैसे अपेक्षाकृत **निम्न हिम आवरण वाले ध्रुवों के बाहर स्थित क्षेत्रों** में वर्ष 2100 तक उनके वर्तमान हिमनद द्रव्यमान की तुलना में **औसत 80% से अधिक की क्षति होने का अनुमान है।**
- वर्तमान हिमनद द्रव्यमान और जलवायु के मध्य एक "सुस्पष्ट असंतुलन" विद्यमान होने के कारण, **यदि आगे अधिक जलवायु परिवर्तन नहीं हो तब भी हिमनदों का पिघलना जारी रहेगा।** इस प्रकार, यह इंटरगवर्नमेन्टल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) द्वारा प्रकाशित पांचवीं आकलन रिपोर्ट (AR5) के निष्कर्षों का समर्थन करता है।

प्रभाव

- **नदी अपवाह:** हिम के अधिक पिघलने के कारण नदी अपवाह में एक अवधि तक वृद्धि होगी तथा चरम बिंदु (जिसे **"पीक वाटर"** के रूप में जाना जाता है) पर पहुँचने के पश्चात् अपवाह में कमी हो जाएगी। कई क्षेत्रों में यह बिंदु पहले ही प्राप्त हो चुका है।
- **पर्वतीय ढाल:** हिमनदों के निवर्तन (पीछे हटने) और पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से पर्वतीय ढाल **अस्थिर** हो गए हैं। इसके कारण **"आर्द्र हिम (wet snow)" हिमस्खलन** (जल संतृप्त हिम) में वृद्धि हुई है।
- **जल की गुणवत्ता:** हिमनद, मानव द्वारा उत्पादित विषाक्त रसायनों (जिनमें DDT, भारी धातुओं और ब्लैक कार्बन प्रमुख हैं) के विशाल भंडार हैं। हिमनदों के पिघलने की स्थिति में ये सभी विषाक्त रसायन हिम से मुक्त होकर निकटवर्ती क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता को ख़राब कर सकते हैं।
- **ऊर्जा:** कुछ पर्वतीय राष्ट्रों, जैसे- अल्बानिया और पेरू द्वारा कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 100% भाग जल विद्युत उत्पादन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इन देशों में हिमनदों और हिम आवरण से **अपवाह में परिवर्तन के कारण** जोखिम उत्पन्न होने की संभावना है।
- **सांस्कृतिक गतिविधियां:** अनेक स्थानों पर पर्वतीय प्रदेश स्थानीय जनसंख्या के लिए तीर्थस्थल के रूप में होते हैं तथा वे हिमनदों के पिघलन को पवित्र जीवों के प्रति सम्मान दर्शाने या उचित आचरण का अनुपालन करने में अपनी विफलता के संकेत के रूप में देखते हैं।
- **आश्रय (Habitability):** आगामी दशकों में तापमान में वृद्धि के कारण पर्वतीय समुदायों के लिए अनुकूलन स्थितियां सीमित हो जाएगी तथा उनके आश्रय के समक्ष जोखिम उत्पन्न होगा। कुछ क्षेत्रों की जनसंख्या, जैसे कि पेरू की सांता नदी जल अपवाह के निकट निवास करने वाले लोगों में पहले से ही गिरावट देखी गई है, जो क्रायोस्फीयर प्रक्रियाओं से संबद्ध हो सकती हैं।
    - **अल्पाइन पारिस्थितिक तंत्र के लिए दूरगामी परिणाम:** उच्च प्रदेशों में हिम निवर्तन (पीछे हटने) के कारण आश्रय स्थलों का विस्तार हुआ है जिससे सकल जैव विविधता में वृद्धि हुई है। हालाँकि, इसके कारण विशिष्ट पर्वतीय प्रजातियां नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई हैं तथा उनमें से कुछ की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।

5.1.2. पृथ्वी के ध्रुवों पर सागरीय हिम

(Sea Ice at the Earth's Poles)

फोकस क्षेत्र	अवलोकन और अनुमान
आर्कटिक हिम	• **वर्ष 1979 के पश्चात् से, आर्कटिक सागरीय हिम के विस्तार, मात्रा और जमने की अवधि में गिरावट दर्ज की गई है।**

VISION IAS

	वर्ष 1979 से आर्कटिक सागर के हिम पिघलने के मौसम (Arctic sea ice melt season) में नियत समय से पूर्व बर्फ पिघलने के कारण प्रति दशक 3 दिवस तथा विलंब से जमने के कारण प्रति दशक 7 दिवस की वृद्धि हुई है। • **आर्कटिक सागरीय हिम अति-नवीन है।** वर्ष 1979 और 2018 के मध्य "लगभग पांच वर्ष पुरानी" हिम 30% से घटकर 2% रह गई है। इसी अवधि के दौरान, प्रथम वर्ष की सागरीय हिम, आनुपातिक रूप से लगभग 40% से बढ़कर 60-70% तक हो गई। • विगत दो दशकों के दौरान **आर्कटिक सतह के वायु के तापमान** में वृद्धि औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि से दोगुना से अधिक हुई है। इस तीव्र घटना को **"आर्कटिक प्रवर्धन (Arctic amplification)"** के रूप में जाना जाता है। वास्तव रूप में, यह इस क्षेत्र के सागरीय हिम आवरण में हुई तीव्र क्षति के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण इस क्षेत्र के **एल्बिडो** में कमी हुई है। • **आर्कटिक क्षेत्र की पर्यवेक्षित ग्रीष्मकालीन सागरीय हिम आवरण में होने वाली लगभग आधी क्षति का कारण मानव-जनित जलवायु परिवर्तन है, जबकि शेष आधी क्षति का कारण प्राकृतिक परिवर्तनशीलता है।**
अंटार्कटिका हिम	• आर्कटिक के विपरीत, **अंटार्कटिका महाद्वीप** में विगत 30-50 वर्षों के दौरान वायु के तापमान में एकसमान रूप से परिवर्तन नहीं हुआ है, वहीं पश्चिम अंटार्कटिका के कुछ भागों पर तापन के प्रभाव परिलक्षित हुए हैं, जबकि पूर्वी अंटार्कटिका पर कोई महत्वपूर्ण समग्र परिवर्तन दृष्टिगत नहीं हुए हैं। **अंटार्कटिक सागरीय हिम क्षेत्र में कई कारक इस क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता** में योगदान करते हैं जिनमें "मरिडीयोनल विंड्स (meridional winds)" भी सम्मिलित हैं जो उत्तर से दक्षिण अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। • **अंटार्कटिका में सतह पर मानव जनित तापन का प्रभाव दक्षिणी महासागर परिसंचरण** (जो ऊष्मा को गहन सागर में नीचे की ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है) के कारण विलंबित हो गया है। इसके साथ ही अन्य कारक, वर्धित वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैस सांद्रता के प्रति अंटार्कटिका सागरीय हिम आवरण की कमजोर प्रतिक्रिया की व्याख्या कर सकते हैं।
दक्षिणी महासागर (The Southern Ocean)	• यह **मानव जनित तापन (जो 1870-1995 के दौरान वैश्विक महासागर को प्राप्त अतिरिक्त ऊष्मा के लगभग 75% के लिए उत्तरदायी है)** सहित वायुमंडल से वैश्विक महासागर में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए महत्वपूर्ण है। • वर्ष 2005 और 2017 के मध्य, दक्षिणी महासागर (30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिणी क्षेत्र में) द्वारा प्राप्त ऊष्मा वैश्विक महासागरीय ऊष्मा का 45-62% थी। • विगत कुछ दशकों में दक्षिणी महासागर के तापन के निम्नलिखित कारण रहे हैं: मानवजनित कारक, विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैसों की भूमिका तथा ओजोन क्षरण।

पृथ्वी का हिम आवरण वैश्विक तापन के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया कर रहा है?

- वर्तमान में ग्रीनलैंड के हिम आवरण की मात्रा में क्षति अंटार्कटिक की तुलना में **लगभग दोगुनी गति** से हो रही है। **ग्रीनलैंड में हिम के पिघलने की दर** पूर्व औद्योगिक काल के स्तर की तुलना में पांच गुना तक बढ़ गई है, जो वर्ष 2005 और 2016 के मध्य वैश्विक समुद्री स्तर वृद्धि में सबसे बड़ा स्थलीय योगदानकर्ता बन गया।
- वर्ष 2012 से 2016 के मध्य प्रत्येक वर्ष दोनों स्थानों (ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका) के हिम आवरण के पिघलने के कारण संयुक्त रूप से समुद्र जल स्तर में लगभग 1.2 मिमी की वृद्धि हुई थी, जो विगत दो दशकों की तुलना में 700% की वृद्धि को दर्शाता है।
- हिम आवरण में क्षति और समुद्र जल स्तर में वृद्धि संबंधी स्पष्ट प्रवृत्तियों के बावजूद, विशेष रूप से अंटार्कटिका क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में स्पष्ट रूप से **अनुमान नहीं लगाया जा सका है।** ध्रुवीय हिम आवरण की निगरानी करने वालों के लिए अंटार्कटिका के कुछ भागों में **"सागरीय हिम चादर की अस्थिरता" की संभावना** महत्वपूर्ण चिंता और अनिश्चितता का विषय बना हुआ है।

पृथ्वी के ध्रुवों पर परिवर्तन के वृहत निहितार्थ

समुद्री पर्यावास और जैव-विविधता पर	जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ प्रजाति संरचना, उत्पादन और पारिस्थितिकी तंत्र संरचना तथा प्रकार्यात्मकता में परिवर्तन के साथ-साथ **आर्कटिक और अंटार्कटिका दोनों क्षेत्रों के समुद्री पर्यावासों के वितरण एवं गुणों में परिवर्तन से संबंधित हैं।** इसके विभिन्न उदाहरण निम्नलिखित है:

VISION IAS

	• **फाइटोप्लैंकटन ब्लूम,** जो वर्ष के प्रारंभ में और यहां तक कि शरद ऋतु में भी घटित हो रहा है। यह एक ऐसी घटना जो शायद ही पहले कभी आर्कटिक जल में घटित हुई हो। • **आर्कटिक प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव:** अल्प हिमाच्छादित मौसम अवधि के कारण ध्रुवीय कॉड का अत्यधिक शिकार किया जाता है जिसके कारण इनकी उपलब्धता में कमी आ रही है। इससे अंततः इनका विकास एवं जनन चक्र अवरुद्ध हो जाता है। • **अंटार्कटिक मछलियों** के लिए, कई प्रजातियों में शीतल जल के प्रति शारीरिक अनुकूलन के परिणामस्वरूप **अत्यल्प तापीय सहनशीलता** होती है, जो उन्हें बढ़ते तापमान के प्रभाव के प्रति सुभेद्य बनाती है, जैसे- आइसफ़िश और अंटार्कटिक सिल्वरफ़िश।
स्थानिक समुदायों पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव	• **खाद्य असुरक्षा के बढ़ते खतरे:** झील के हिम आवरण में कमी मत्स्यन को प्रभावित कर रही है। हिम आवरण के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों में परिवर्तन संचलन को "अधिक कठिन और जोखिमपूर्ण" बना रहा है, साथ ही यह शिकार के क्षेत्र तक पहुंच को सीमित कर रहा है। यह "प्राकृतिक प्रशीतन के लिए पर्माफ्रॉस्ट की विश्वसनीयता" को कम करता है। • **आर्कटिक में नौवहन गतिविधियों में वृद्धि होगी,** क्योंकि **उत्तरी मार्ग** अधिक समय के लिए सुलभ होंगे। इसके **"महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थ"** होंगे, जो **संरक्षा** (समुद्री दुर्घटनाएं, स्थानीय दुर्घटनाएं, हिम संकट), **सुरक्षा** (तस्करी, आतंकवाद) और **पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक स्थिरता** {आक्रामक प्रजाति तथा कीटनाशक (बायोसाइड), रसायन और अन्य अपशिष्टों का निर्मुक्त होना, समुद्री स्तनधारियों पर नकारात्मक प्रभाव, तेल का रिसाव, वायु और अन्तर्जलीय (अंडरवाटर) ध्वनि प्रदूषण, निर्वाह शिकार पर प्रभाव} आदि से संबंधित हैं।

5.1.3. पर्माफ्रॉस्ट

(Permafrost)

परिचय

- **स्थायी तुषार या पर्माफ्रॉस्ट (permafrost)** को ऐसे स्थलीय भाग (मृदा या चट्टान जिसमें हिम और जमी हुई कार्बनिक सामग्री होती है) के रूप में परिभाषित किया गया है, **जहाँ तापमान निरंतर कम से कम दो वर्षों तक शून्य डिग्री सेल्सियस या उससे कम बना रहता है।**" उत्तरी गोलार्ध में अंटार्कटिका की तुलना में तीन गुना विशाल पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्र विद्यमान है।
- पर्माफ्रॉस्ट, ध्रुवीय और उच्च-पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि पर तथा आर्कटिक एवं दक्षिणी महासागर के उथले भागों में सागरीय जल के नीचे विद्यमान होता है। पर्माफ्रॉस्ट की मोटाई एक मीटर से कम से लेकर एक किलोमीटर से अधिक तक होती है। आमतौर पर, यह एक "सक्रिय परत" के नीचे विद्यमान होता है जो प्रति वर्ष पिघलती है और पुनः जम जाती है।
  - **वर्तमान में पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में पर्माफ्रॉस्ट में लगभग दो गुना अधिक कार्बन संग्रहित है।**

अनुमान और प्रभाव

- जलवायु तापन के कारण पर्माफ्रॉस्ट का पिघलन होता है जिससे CO2 और मीथेन के उत्सर्जन में वृद्धि होती है, "इस प्रकार यह जलवायु परिवर्तन की गति को तीव्र करता है"।
- विभिन्न अनुमानों के अनुसार वर्ष 2100 तक, स्थलीय पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्र में 2-66% और 30-99% तक की कमी आएगी। इसके कारण वायुमंडल में CO2 और मीथेन के रूप में 240 GtC (गीगाटन) पर्माफ्रॉस्ट कार्बन का उत्सर्जन होगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन को तीव्र करने की क्षमता है।
- उष्ण स्थितियों और CO2 फर्टिलाइजेशन के कारण पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्रों में पादपों की वृद्धि, पादप बायोमास में कार्बन प्रच्छादन में सहायता कर सकती है तथा सतह की मृदा में कार्बन के इनपुट को बढ़ा सकती है।

VISION IAS

5.1.4. महासागर

(Oceans)

भविष्य में समुद्री जल स्तर में वृद्धि

- **समुद्री जल स्तर में वृद्धि (Sea Level Rise: SLR)** की वर्तमान दर विगत दो सहस्राब्दियों की औसत दर से अधिक हो गई है। ऐसी संभावना व्यक्त की गयी है कि वर्ष 1970 के पश्चात् से SLR में वृद्धि का "प्रमुख कारण" मानव-जनित जलवायु परिवर्तन है।
- **अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में विद्यमान विशाल हिम आवरण में वर्तमान वैश्विक समुद्री जल स्तर में 66 मीटर वृद्धि करने की संभाव्यता विद्यमान है।**
- यदि वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से कम तक सीमित रहती है, तब भी SLR में वृद्धि की दर, वर्तमान दर (जो लगभग 4 मिमी प्रति वर्ष है) से बढ़कर 4-9 मिमी/वर्ष हो जाएगी।

तटीय क्षेत्रों और छोटे द्वीपीय राष्ट्रों पर प्रभाव

- जलवायु परिवर्तन में प्रवासन प्रवाह (migration flows) के आकार और दिशा में अत्यधिक परिवर्तन करने की क्षमता विद्यमान है।
- सुभेद्य तटीय समुदाय, न केवल औसत समुद्री जल स्तर में वृद्धि से प्रभावित होंगे, अपितु तीव्र गति से बढ़ती चरम घटनाओं, जैसे- तूफान महोर्मि (storm surges) के कारण भी प्रभावित होंगे।
- 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले तटीय महानगर (Coastal megacities) और समुद्र तल से 10 मीटर से भी कम ऊँचाई पर स्थित क्षेत्रों के अंतर्गत न्यूयॉर्क, टोक्यो, जकार्ता, मुंबई, शंघाई, लागोस और काहिरा शामिल हैं। बगैर अनुकूलन अपनाएं, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि तथा अवतलन (subsidence) के कारण 136 सबसे बड़े तटीय शहरों में बाढ़ से होने वाली हानि वर्तमान 6 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष से बढ़कर वर्ष 2050 तक 1 ट्रिलियन डॉलर प्रतिवर्ष तक हो सकती है।

जलवायु परिवर्तन समुद्र और समुद्री जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है?

- समग्र रूप से जलवायु प्रणाली में व्याप्त ऊष्मा का 90% से अधिक भाग महासागरों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है।
- वर्ष 1982 से विश्व में समुद्री हीट वेव की प्रायिकता दोगुनी हो गई है। साथ ही, इनकी अवधि, गहनता और व्यापकता में भी वृद्धि हुई है।
- लवणता, ऑक्सीजन तत्व और अम्लीकरण में परिवर्तन पहले से ही समुद्री जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। भोजन और आय के लिए इनपर निर्भर लाखों लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं।
- सतही तापन (Surface warming) और महासागरों के ऊपरी परत में प्रवेश करने वाले स्वच्छ जल अपवाह में हुई वृद्धि, एक-दूसरे से संयुक्त होकर महासागरीय जल को अधिक स्तरीकृत (stratified) कर रहे हैं। जल के स्तरीकरण से यहाँ तात्पर्य यह है कि ऊपरी सतही जल, सागर की सबसे निचली परत की तुलना में कम घनत्व वाला होता है, जिससे विभिन्न स्तरों के मध्य मिश्रण कम होता है।
- सामान्य तौर पर, भविष्य में स्तरीकरण में वृद्धि से समुद्र के आंतरिक भागों में पोषक तत्वों का एकत्रीकरण हो जाएगा, इससे महासागर की ऊपरी परतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी।
- भविष्य में समुद्री जल में व्यापक स्तर पर ऑक्सीजन की कमी के परिणामस्वरूप अल्प ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों (oxygen minimum zones) में वृद्धि होना अनुमानित है।
- ये रासायनिक परिवर्तन कुछ पूर्वी सीमा उद्वेलन प्रणाली (Upwelling Systems) के समक्ष विशेष जोखिम उत्पन्न कर रहे हैं। ये महासागरों के अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र हैं, जहां पोषक तत्वों से समृद्ध जल को सतह के ऊपर लाया जाता है, जैसे - कैलिफ़ोर्निया धारा और हम्बोल्ट धारा।
- ऐसा अनुमान है कि उच्च उत्सर्जन परिदृश्य के कारण "शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता" (वह दर, जिसपर पादप और शैवाल, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन करते हैं) में 4-11% की गिरावट आई है। इससे वर्ष 2100 तक समुद्री जंतुओं के कुल द्रव्यमान में लगभग 15% की गिरावट हो सकती है। साथ ही, "संभावित मत्स्यन क्षमता" (maximum catch potential) में 25.5% तक की गिरावट देखी जा सकती है।

VISION IAS

- प्रवाल भित्तियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं: लगभग सभी प्रवाल भित्तियाँ अपनी वर्तमान स्थिति से ख़राब दशा में होंगी, चाहे वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से कम तक सीमित रहे। उथले जल में पायी जाने वाली शेष प्रवाल भित्तियों की प्रजातीय संरचना और विविधता में भी ह्रास होगा।
- प्रवाल भित्तियों की स्थिति में गिरावट से समाज को प्रदत्त सेवाओं, जैसे- खाद्य आपूर्ति, तटीय संरक्षण और पर्यटन में कमी आएगी।

चरम घटनाएँ

- सर्वाधिक विनाशकारी श्रेणी 4 और 5 के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में "वैश्विक स्तर पर" वृद्धि होगी तथा सतही तापमान में प्रति एक डिग्री की वृद्धि से तूफानों से संबद्ध वर्षा की मात्रा में कम से कम 7% की वृद्धि होगी।
- विगत पचास वर्षों के दौरान सर्वाधिक सशक्त एल नीनो और ला नीना घटनाएं घटित हुई हैं। 20वीं सदी की तुलना में 21वीं सदी में चरम एल नीनो घटनाओं के लगभग दोगुना होने का अनुमान है।

महासागरीय दशाओं में परिवर्तन के सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ

- **मत्स्यन में परिवर्तन:** विश्व में वर्ष 2010 में सागरीय मत्स्यन से प्राप्त सकल राजस्व लगभग 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिससे लगभग 260 मिलियन लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। जैसे-जैसे इनके भंडार (स्टॉक) में कमी होती जाएगी, महत्वपूर्ण प्रजातियां पलायन के लिए बाध्य होंगी, इस कारण भविष्य में उन पर कम निर्भरता के लिए अनुकूल होने की आवश्यकता होगी।
- **खाद्य सुरक्षा:** समुद्री खाद्य का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि विश्व में 4.5 बिलियन से अधिक लोग अपने प्रोटीन उपभोग का 15% से अधिक भाग समुद्री खाद्य से प्राप्त करते हैं। जलवायु से संबंधित समुद्री खाद्य असुरक्षा के कारण प्रशांत द्वीप समूह और पश्चिम अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों (समुद्री खाद्य पर निर्भर) के समक्ष जोखिम उत्पन्न हुआ है।
- **राष्ट्रों के मध्य संघर्ष को बढ़ावा:** जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप कुछ समुद्री प्रजातियाँ अन्य प्रदेशों द्वारा नियंत्रित जल-क्षेत्र में प्रवास करेंगी, जिससे राष्ट्रों के मध्य संघर्ष बढ़ सकता है।
- **आजीविका के समक्ष जोखिम:** प्रति वर्ष लगभग 121 मिलियन लोग समुद्र आधारित पर्यटन में संलग्न होते हैं, जिससे एक मिलियन से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है। चरम घटनाएं और प्रवाल विरंजन आदि पर्यटन के समक्ष जोखिम उत्पन्न कर रहे हैं, विशेष रूप से कैरिबियाई द्वीपों के देशों के लिए जो विदेशी राजस्व के मुख्य स्रोत के रूप में इस पर निर्भर हैं।
- **स्वास्थ्य:** जल के तापमान में वृद्धि के कारण कुछ जीवाणु और हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन (algal blooms) की परास का विस्तार होने की भी अपेक्षा है, जिसके मानव स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

5.1.5. अनुक्रिया विकल्पों को सशक्त बनाना

(Strengthening Response Options)

- **संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क,** कार्बन प्रग्रहण और भंडारण सहित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखने में सहायक होते हैं और भावी पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित अनुकूलन विकल्पों को सक्षम बनाते हैं।
- **स्थलीय और सागरीय पर्यावास का पुनरुद्धार** तथा सहायक प्रजातियों का पुनर्वास और कोरल गार्डनिंग जैसे पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन उपकरण, स्थानीय रूप से पारिस्थितिक तंत्र-आधारित अनुकूलन को बढ़ाने में प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार की कार्रवाईयां सर्वाधिक सफल सिद्ध तब होती हैं, जब वे समुदाय-समर्थित हों और स्थानीय ज्ञान एवं स्वदेशी ज्ञान का उपयोग करते हुए विज्ञान पर आधारित हों।
- **निवारक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना,** जैसे- अतिदोहित या अवक्षयित मत्स्यन (depleted fisheries) क्षेत्र का पुनरुद्धार। मौजूदा मत्स्यन प्रबंधन रणनीतियों के प्रति अनुक्रिया मत्स्यन गतिविधियों पर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करती है और साथ ही क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और आजीविका को लाभान्वित करती है।
- **वानस्पतिक तटीय पारिस्थितिक तंत्रों का पुनरुद्धार:** मैंग्रोव्स, ज्वारीय दलदल और समुद्री घास भूमि (तटीय 'ब्लू कार्बन' पारिस्थितिकी तंत्र) जैसे तटीय पारिस्थितिक तंत्रों के पुनरुद्धार से कार्बन प्रग्रहण (अपटेक) में वृद्धि होती है, जो जलवायु परिवर्तन के शमन में सहायता कर सकती हैं।
- **बहु-स्तरीय एकीकृत जल प्रबंधन दृष्टिकोण,** उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमांक-मंडल (cryosphere) में हुए परिवर्तनों के प्रभावों से निपटने और

अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रभावी हो सकता है। ये दृष्टिकोण बहुउद्देश्यीय जलाशयों के विकास और अनुकूलतम उपयोग तथा इन जलाशयों से जल की निर्मुक्ति के माध्यम से जल संसाधन प्रबंधन में भी सहायता करते हैं तथा साथ ही, इसमें पारिस्थितिक तंत्र और समुदायों के लिए संभावित नकारात्मक प्रभावों को भी दृष्टिगत रखा जाता है।

- निष्पक्ष व न्यायसंगत जलवायु सुनम्यता (resilience) और सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक सुभेद्यता से निपटने तथा समता स्थापित करने के प्रयासों को संबोधित करने के लिए **विभिन्न उपायों को प्राथमिकता प्रदान करना।** सार्थक सार्वजनिक भागीदारी, विचार-विमर्श और संघर्ष समाधान के लिए सुरक्षित सामुदायिक संरचना स्थापित कर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
- **सतत दीर्घकालीक निगरानी, डेटा, सूचना और ज्ञान का साझाकरण, उन्नत संदर्भ-विशिष्ट पूर्वानुमान** (जिसमें चरम एल-नीनो/ला-नीना घटनाओं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और समुद्री हीटवेव का पूर्वानुमान करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का विकास शामिल हैं) आदि उपाय समुद्री परिवर्तनों से होने वाले नकारात्मक परिवर्तनों जैसे कि मत्स्यन हानि और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों, खाद्य सुरक्षा, कृषि, प्रवाल भित्तियों, जलीय कृषि, वनाग्नि, पर्यटन, संरक्षण, सूखा और बाढ़ इत्यादि के प्रबंधन में सहायक होते हैं।

निष्कर्ष

- समर्थकारी जलवायु सुनम्यता और सतत विकास हेतु उत्सर्जन में त्वरित और महत्वाकांक्षी कमी के साथ-साथ अनुकूलन उपायों को अपनाना आवश्यक है।
- महासागर और हिमांक-मंडल (क्रायोस्फीयर) में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति प्रभावी अनुक्रिया करने हेतु स्थानिक एवं क्षैतिज स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरणों के मध्य सहयोग और समन्वय को तीव्र किया जाना चाहिए।

5.2. अटलांटिक मेरीडिओनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन

(Atlantic Meridional Overturning Circulation: AMOC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में हुए एक अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया कि हिंद महासागर के गर्म होने से अटलांटिक महासागर में धाराओं की एक प्रणाली (system of currents) (जिसे AMOC के रूप में जाना जाता है) को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिसकी विश्व भर के मौसम का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

अटलांटिक मेरीडिओनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) के बारे में

- इसे अटलांटिक कन्वेयर बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है।
- यह तापलवणीय परिसंचरण (Thermohaline circulation) के रूप में विख्यात पृथ्वी की सर्वाधिक वृहद जल परिसंचरण प्रणाली (water circulation system) का भाग है।
- इस महासागर में धाराएँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से गर्म व लवणीय जल को पश्चिमी यूरोप जैसे उत्तरी भागों की ओर प्रवाहित करती हैं तथा ठंडे जल को दक्षिण की ओर प्रवाहित करती हैं। ये उष्णकटिबंधीय और दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी अटलांटिक की ओर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा का परिवहन करती हैं, जहां यह ऊष्मा वायुमंडल में स्थानांतरित हो जाती है।

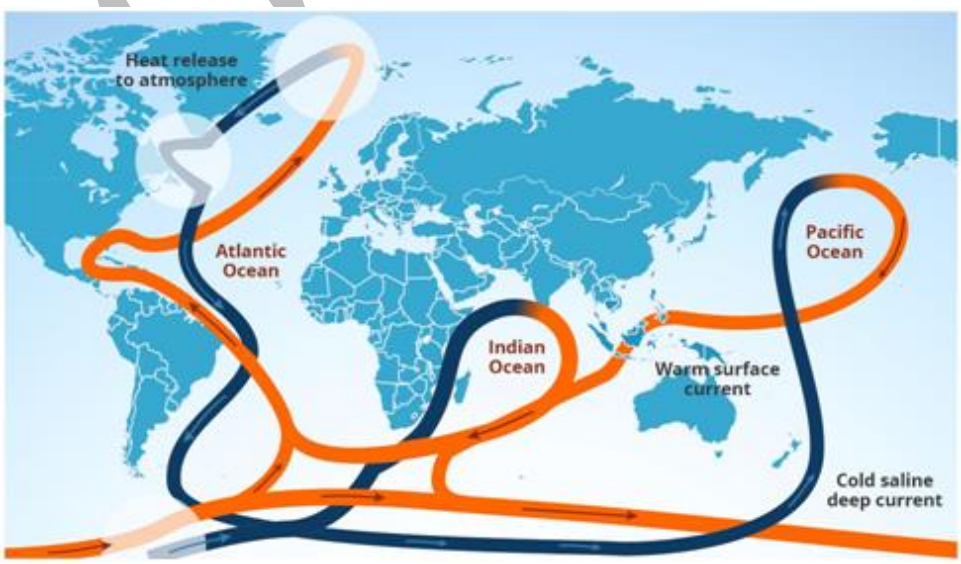

- यह वायुमंडलीय कार्बन को अवशोषित करने और संग्रहीत करने में भी सहायक है।
- यह अवलोकित किया गया है कि विगत 15 वर्षों से, यह परिसंचरण मुख्य रूप से वैश्विक तापन के कारण कमजोर हो रहा है।
- इस परिसंचरण में परिवर्तन से वैश्विक जलवायु प्रणाली गहन रूप से प्रभावित हुई है।
- इसके परिणामस्वरूप अफ्रीकी और भारतीय मानसूनी वर्षा, हरिकेन चक्रवात के लिए महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परिसंचरण तथा उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की जलवायु में परिवर्तन दृष्टिगत हुए हैं।

तापलवणीय परिसंचरण (Thermohaline circulation)

- ये जल के घनत्व में भिन्नता के कारण उत्पन्न गहन सागरीय धाराएँ हैं, जो तापमान (थर्मो) और लवणता (हैलाइन) द्वारा नियंत्रित होती हैं।
- इसकी शुरुआत पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से होती है। जब इन क्षेत्रों में समुद्र का जल अत्यधिक ठंडा हो जाता है, तो समुद्री हिम का निर्माण होता है। निकटवर्ती समुद्री जल लवणीय हो जाती है और इसके घनत्व में वृद्धि हो जाती है तथा यह सिंक होने लगता है।
- तत्पश्चात यह सिंक होता जल सभी महासागरों में प्रसारित होने लगता है।
- इस सिंक होते जल की प्रतिपूर्ति हेतु सतही जल का इस ओर प्रवाह होने लगता है, जो अंततः ठंडा होता है और लवणता में वृद्धि होने के कारण सिंक होने लगता है। यह गहन सागरीय धाराओं को उत्पन्न करता है, जो वैश्विक कन्वेयर बेल्ट को संचालित करती हैं।

AMOC को सशक्त करने में हिंद महासागर की भूमिका

- शोधकर्ताओं ने पाया है कि हिंद महासागर में तापमान वृद्धि, AMOC को सशक्त करने और इसके मंद होने को विलंबित कर सकती है।
- हिंद महासागर में तापन के कारण वर्षण में अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप अटलांटिक सहित विश्व के अन्य भागों से अत्यधिक वायु का प्रवाह इस क्षेत्र की ओर होने लगता है।
- हिंद महासागरीय क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण अटलांटिक में वर्षा की कमी हो जाती है और इससे सागरीय जल की लवणता में वृद्धि होती है।
- अटलांटिक में यह लवणीय जल, AMOC के माध्यम से उत्तर की ओर प्रवाहित हो जाता है और यह सामान्य से अधिक तीव्र गति से ठंडा होने लगता है तथा तेजी से सिंक होने लगता है। यह AMOC के लिए त्वरण के रूप में कार्य करता है, फलस्वरूप परिसंचरण को तीव्र करता है।

5.3. एकल उपयोग वाले प्लास्टिक

(Single Use Plastic)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने प्रदूषण से निपटने के लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक (अर्थात् एकल उपयोग वाले प्लास्टिक) पर **पूर्ण प्रतिबंध** लगा दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उल्लेख किए जाने के पश्चात् उत्पन्न अपेक्षाओं के विपरीत, **पूर्ण प्रतिबंध लागू नहीं होगा।**
- **वर्ष 2022 तक भारत को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु आरंभ किए गए एक व्यापक अभियान के एक भाग के रूप में** संपूर्ण देश से 10,000 टन सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वस्तुओं को एकत्रित करने और उनका निपटान करने संबंधी केंद्र द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया है।
- ऐसे समय में जब औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक गिरावट (economic slowdown) और रोजगार हानि (job losses) का सामना कर रहा है, तब सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध को **उद्योग जगत के लिए अत्यधिक विघटनकारी** स्थिति के रूप में देखा जा रहा था, इसलिए इसके पूर्ण प्रतिबंध को स्थगित किया गया है।
- अभी के लिए, केंद्र सरकार, राज्यों को पॉलीथीन बैग और स्टाइरोफोम जैसे कुछ **एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों के भंडारण, विनिर्माण और उपयोग के विरुद्ध मौजूदा नियमों को लागू करने के निर्देश जारी करेगी।**
- केंद्र सरकार ने राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को व्यवहार संबंधी परिवर्तन और जागरूकता प्रसार पर ध्यान केंद्रित करने सहित पर्यावरणीय अनुकूल विकल्पों, सिंगल यूज़ प्लास्टिक की गुणवत्ता में सुधार (अपस्केलिंग) या पुनर्चक्रण पर केंद्रित परियोजनाओं, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु निर्देश दिए हैं।

सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में

- यह **डिस्पोजेबल प्लास्टिक** को संदर्भित करता है, जिसे सामान्यत: प्लास्टिक की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इसमें वे वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जिनका **केवल एक बार उपयोग करने के पश्चात् फेंक दिया जाता है अथवा पुनर्चक्रण नहीं किया जाता है।**
- सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए कोई निश्चित परिभाषा नहीं है और यह एक देश से दूसरे देश में भिन्न है (भारत सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए वैधानिक परिभाषा निर्धारित करने की दिशा में कार्य कर रहा है)।
    - **यूरोपीय संघ,** 'सिंगल यूज़ प्लास्टिक' को प्लास्टिक से निर्मित उत्पाद के रूप में वर्णित करता है, जैसे- कॉटन-बड स्टिक्स, कटलरी, प्लेटें, स्ट्रॉ, गुब्बारों के लिए स्टिक्स, कप, पॉलीस्टीरिन से निर्मित खाद्य एवं पेय पदार्थों के कंटेनर और ऑक्सो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक से निर्मित उत्पाद आदि।

VISION IAS

- **उद्योग जगत की पृथक परिभाषा है,** जैसे 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए 20 प्रतिशत से कम पुनर्चक्रित सामग्री होती है।

- इस एकल-उपयोग सामग्री की मात्रा विश्व के कुल प्लास्टिक के 26% से 36% के मध्य है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक (SUPs) के कारण होने वाली समस्याओं की पहली बार वर्ष 2007 में पहचान की गई।
- SUPs का निम्नतम पुन: उपयोग, उचित निपटान प्रक्रिया का अभाव, कठिन पृथक्करण प्रक्रिया, माइक्रो प्लास्टिक (छोटा आकार) आदि के कारण यह और अधिक खतरनाक हो जाता है।
  - **उदाहरण:** हल्के वजन और गुब्बारे के आकार के डिजाइन के कारण, प्लास्टिक की थैलियां आसानी से वायु के माध्यम से स्थानांतरित हो सकती हैं, जो अंततः भूमि और समुद्र में पहुँचकर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करती हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (वर्ष 2018 में संशोधित)**
  - **यह नियम प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई** (अर्थात् 50 माइक्रोन) को परिभाषित करता है। इससे लागत में वृद्धि होगी और मुफ्त कैरी बैग प्रदान करने की प्रवृत्ति में कमी आएगी।
  - **स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व:** ग्रामीण क्षेत्रों को इन नियमों के अंतर्गत शामिल किया गया है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्लास्टिक के उपयोग में वृद्धि हुई है। इसके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व ग्राम सभा को सौंपा गया है।
  - **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility: EPR):** उत्पादकों और ब्रांड मालिकों को उनके उत्पादों से उत्पन्न अपशिष्ट के एकत्रण के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।
  - उत्पादकों को उनके विक्रेताओं का रिकॉर्ड रखना होगा, जिन्हें उन्होंने विनिर्माण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति की है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में इन उत्पादों के विनिर्माण पर अंकुश लगाना है।
  - **अपशिष्ट उत्पादकों का उत्तरदायित्व:** प्लास्टिक अपशिष्ट के सभी संस्थागत उत्पादक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार अपने कचरे को पृथक और संग्रहित करेंगे तथा पृथक किए गए कचरे को अधिकृत अपशिष्ट निपटान प्रतिष्ठानों (facilities) को सौंपेंगे।
  - **स्ट्रीट वेंडर्स और खुदरा विक्रेताओं (रिटेलर्स) का उत्तरदायित्व:** ऐसे कैरी बैग उपलब्ध न कराना अन्यथा उन पर जुर्माना आरोपित किया जाएगा। केवल स्थानीय निकायों को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने पर पंजीकृत दुकानदारों को निश्चित कीमत पर प्लास्टिक कैरी बैग प्रदान करने की अनुमति होगी।
  - **सड़क निर्माण या ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देना।**
  - उत्पादक/आयातक/मालिक के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली की स्थापना।
  - **बहु-स्तरित प्लास्टिक (Multi-layered Plastic: MLP) की चरणबद्ध समाप्ति** केवल उन MLP पर लागू है जो "गैर-पुनर्नवीनीकरण या गैर-ऊर्जा पुनर्प्राप्ति योग्य हैं अथवा जिनका कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है"।
- **नेशनल मरीन लिटर पॉलिसी (National Marine Litter Policy):** कूड़े के स्रोत, विशेष रूप से भारत के तटीय क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट के स्रोत की पहचान करने हेतु।

वैश्विक प्रयास

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Program: UNEP) द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस, 2018 की थीम 'बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन' घोषित की गई थी।
- **G-20 इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन मरीन प्लास्टिक लिटर:** इसका उद्देश्य स्वैच्छिक आधार पर, समुद्री अपशिष्ट के संबंध में भावी ठोस कार्रवाई को सुगम बनाना है।

सिंगल यूज़ प्लास्टिक (SUP) का प्रभाव

- **समुद्री जीवन और जलवायु परिवर्तन:** वर्तमान में विश्व के महासागरों में प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा अत्यंत विनाशकारी स्तर (एक अनुमान के अनुसार लगभग 100 मिलियन टन) पर पहुँच चुकी है।
  - वैज्ञानिकों ने व्हेल जैसे गहरे जल में पाए जाने वाले समुद्री स्तनधारियों की आंतों में बड़ी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक पाया है।
  - समुद्र तटीय कूड़े का औसतन 49% भाग सिंगल यूज़ प्लास्टिक है।
- **मानव स्वास्थ्य:** कुछ प्लास्टिक उत्पादों में विद्यमान विषाक्त पदार्थ, आविष एवं स्थायी प्रदूषक कई बार मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कैंसर जैसे अनेक रोगों का कारण बनते हैं तथा तंत्रिका तंत्र, फेफड़े और प्रजनन अंगों को हानि पहुंचा सकते हैं।
  - मनुष्य संभवतः केवल मछली (माइक्रोप्लास्टिक से संदूषित) के माध्यम से प्रति वर्ष 39,000 से 52,000 माइक्रोप्लास्टिक कणों का उपभोग करता है।

VISION IAS

- **पर्यावरण प्रदूषण:** प्लास्टिक के अधिकांश हिस्से को एकत्रित नहीं किया गया है, जो जल निकासी और नदी प्रणालियों को अवरुद्ध कर सकता है। पुनः यह समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को संदूषित करता है, मृदा और जल प्रदूषण का कारण बनता है, आवारा जंतुओं द्वारा इसका अंतर-ग्रहण किया जा सकता है और खुले स्थानों पर इसके दहन से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं।
- **पुन: प्रयोग में कमी:** पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक उत्पादित कुल प्लास्टिक अपशिष्ट के केवल 9% भाग का पुनर्चक्रण किया गया है। लगभग 12% का दहन के माध्यम से निपटान किया गया है, जबकि शेष 79% भाग, भूमि-भराव, डंप अथवा प्राकृतिक पर्यावरण में ढेर के रूप में विद्यमान हैं, जिससे पृथ्वी उत्तरोत्तर प्रदूषित हो रही है।
- **कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि:** यदि प्लास्टिक का उत्पादन, निपटान और दहन वर्तमान गति से जारी रहता है, तो वर्ष 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन प्रति वर्ष 1.34 गीगाटन तक पहुंच सकता है। ज्ञातव्य है कि यह मात्रा 500 मेगावाट की क्षमता वाले 295 से अधिक कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के बराबर है।
- **विकासशील देशों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव:** तृतीय विश्व के देशों के लिए अपशिष्ट के रूप में सर्वत्र व्याप्त प्लास्टिक एक अभिशाप के समान है, क्योंकि निर्धन राष्ट्रों, विशेष रूप से एशिया के देशों को न केवल उनके स्वयं के प्लास्टिक डंप का, अपितु उनके तटीय क्षेत्रों में विकसित राष्ट्रों से पहुँचने (डंप) वाले प्लास्टिक अपशिष्ट का निस्तारण करना है।
    - भारत ने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मध्य-पूर्व, यूरोप और एशिया से 99,545 मीट्रिक टन प्लास्टिक फ्लैक्स और 21,801 मीट्रिक टन प्लास्टिक लम्पस का आयात किया है।
    - हाल ही में, मलेशिया ने यह निर्णय किया है कि वह लगभग 450 टन दूषित प्लास्टिक अपशिष्ट पुनः उन देशों (यथा- ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, चीन, जापान, सऊदी अरब और अमेरिका) में वापस भेजेगा, जहाँ से उन्हें लाया गया है।

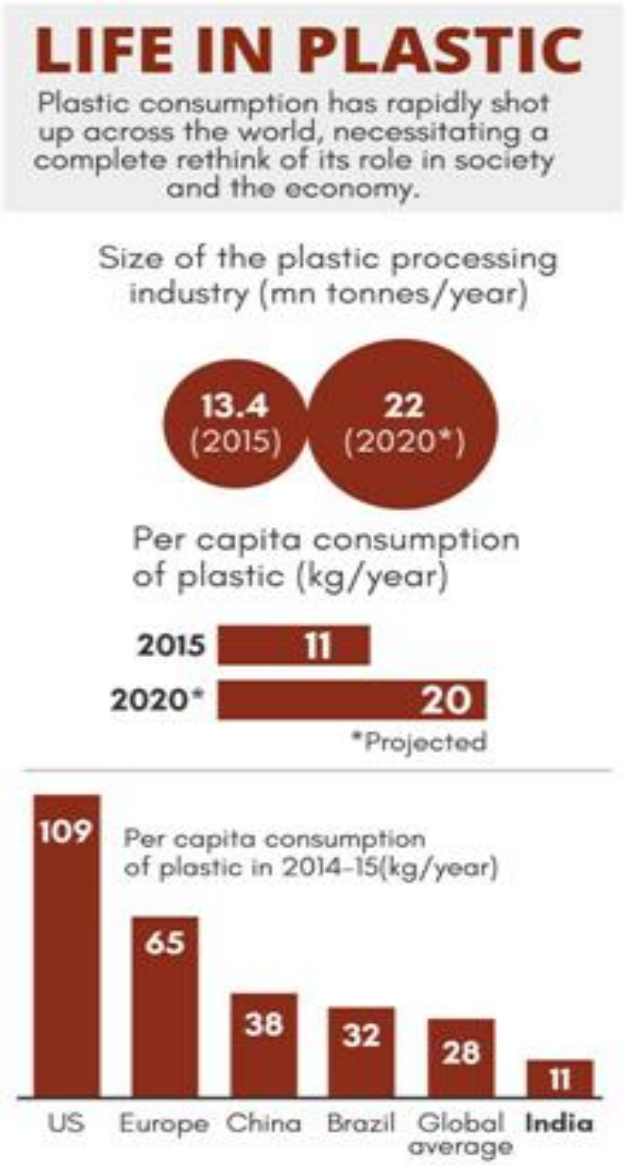

- **निपटान संबंधी मुद्दा:** ये जैवनिम्नीकृत नहीं होते हैं, इसके बजाय ये धीरे-धीरे माइक्रोप्लास्टिक्स नामक प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं जो पुनः विभिन्न समस्याओं का कारण बनते हैं। प्लास्टिक बैग और स्टाइरोफोम कंटेनरों को विघटित होने में हज़ारों वर्षों तक का समय लग सकता है।

अभिनव प्रक्रियाएं

- **भारत**
    - **राइस फॉर प्लास्टिक (Rice for plastic):** आंध्र प्रदेश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए, भूखे को भोजन प्रदान करते समय, 'राइस फॉर प्लास्टिक' अर्थात प्लास्टिक के बदले चावल अभियान का शुभारंभ किया गया है।
    - **ईंधन में रूपांतरण (Conversion into fuel):** वर्ष 2014 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), ने पॉलीथीन एवं पॉलीप्रोपाइलीन जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट को गैसोलीन अथवा डीजल में परिवर्तित करने की एक अद्वितीय प्रक्रिया विकसित की।
    - **शुष्क अपशिष्ट प्रबंधन (Dry waste management):** पणजी, त्रिची, मैसूरु, पंचगनी, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों ने शुष्क अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में प्रभावी निवेश किया है। इन शहरों में, शुष्क अपशिष्ट एक चुनौती नहीं है, अपितु यह एक संसाधन है।
    - **ग्लूकोज में विलय:** IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने रासायनिक रूप से निष्क्रिय और भौतिक रूप से स्थिर प्लास्टिक- पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन (PTFE) को निम्नीकृत करने के लिए एक पर्यावरण-अनुकूल रणनीति का प्रदर्शन किया है। जिसके अंतर्गत

PTFE को 70°C तापमान पर लगभग 15 दिनों तक ग्लूकोज और धातु के आयनों वाले विलयन में निरंतर क्रियाशील (stirring) रखा गया।

- **वैश्विक स्तर पर**
  - **आयरलैंड:** यहाँ प्लास्टिक बैग के विक्रय केंद्रों पर **"प्लास-टैक्स" (PlasTax)** नामक एक कर आरोपित किया गया। इस संदर्भ में, भुगतान करने की अनुमानित इच्छा से छह गुना अधिक शुल्क निर्धारित किया गया। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं में व्यवहार संबंधी परिवर्तन को त्वरित करना था।
  - **नॉर्वे डिपॉजिट रिफंड सिस्टम:** वर्ष 1999 के पश्चात से नॉर्वे ने अपने पेय पदार्थों की बोतलों और कैन के लिए डिपॉजिट रिफंड प्रणाली का उपयोग किया है, जिसके तहत जनता डिपॉजिट वेंडिंग मशीनों पर जमा राशि प्राप्त करने के लिए बोतलों और कैन को वापस कर सकती है।

सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध आरोपित करना क्यों कठिन है?

- **कोई तात्कालिक विकल्प विद्यमान नहीं है:** संधारणीय और समान रूप से उपयोगी वैकल्पिक उत्पाद के बारे में विचार किए बिना, इसपर (जो जनता के लिए बेहद उपयोगी है) प्रतिबंध आरोपित करना कठिन है।
  - उदाहरणार्थ- सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुतः चिकित्सा उपकरणों को विसंक्रमित और उपयोग हेतु सुरक्षित बनाए रखने में सहायता करता है।
  - अभी तक प्लास्टिक का कोई ठोस विकल्प उपलब्ध नहीं है। इस पर पूर्ण प्रतिबंध आरोपित करने से फार्मास्यूटिकल्स, हार्डवेयर, खिलौने, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य वितरण जैसे क्षेत्रों में पूर्णतः अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी।
  - जहाँ शहरी क्षेत्र में जागरूकता में वृद्धि हो रही है, वहीं टियर-II और टियर-III शहरों एवं दूरदराज के स्थानों में एक उपयुक्त लागत प्रभावी विकल्प की खोज करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।
- **पैकेजिंग उद्योग पर प्रभाव:** यह अधिकांश उद्योगों को प्रभावित करता है क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक (SUP) का पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है और इसलिए यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सभी उद्योगों से संबंधित है।
  - यदि बहु-स्तरित पैकेजिंग से निर्मित प्लास्टिक के पाउच पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो यह प्रमुख उत्पादों, जैसे- बिस्कुट, नमक और दुग्ध आदि की आपूर्ति को बाधित कर सकता है, जिसने सस्ते छोटे पैकेट और सुविधा के मामले में निर्धनों के लिए जीवन को आसान बनाया है।
  - प्रतिबंध आरोपित करने से अधिकांश FMCG उत्पादों की कीमत में वृद्धि होगी क्योंकि विनिर्माता वैकल्पिक पैकेजिंग (जो अपेक्षाकृत महंगा हो सकता है) को अपनाने हेतु बाध्य होंगे।
- **रोजगार और राजस्व की हानि:** प्रतिबंध से प्लास्टिक विनिर्माण उद्योग में राजस्व के साथ-साथ रोजगार हानि में भी वृद्धि हो सकती है।
  - भारत का प्लास्टिक उद्योग (आधिकारिक तौर पर 30,000 प्रसंस्करण इकाइयां) लगभग 4 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिसमें से 90% लघु से लेकर मध्यम आकार के व्यवसाय कार्यरत हैं।
  - प्लास्टिक अनौपचारिक रूप से नियोजित हजारों लोगों, जैसे कि कचरा उठाने वालों (रैगपिकर्स) के साथ-साथ स्ट्रीट फूड और बाजार के विक्रेताओं की सहायता करता है, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर निर्भर हैं।
- **अभिवृत्तिक परिवर्तन (Attitudinal change):** यह कठिन कार्य है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा फेंके गए सिंगल यूज़ प्लास्टिक की ज़िम्मेदारी नहीं लेता है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग न किए जाने संबंधी बदलाव की दिशा में व्यवहार संबंधी परिवर्तन कठिन है।

आगे की राह

- **सिंगल यूज़ प्लास्टिक को परिभाषित करना:** 65 अन्य देशों के समान भारत "सिंगल यूज़ प्लास्टिक" की अपनी वैधानिक परिभाषा तैयार कर रहा है, ताकि प्रभावी रूप से यह वर्ष 2022 तक डिस्पोजेबल प्लास्टिक वाले देश की छवि से मुक्त हो सके।
  - अधिकारियों के अनुसार यह वस्तुओं को उनके "गुणात्मक" और "मात्रात्मक" पहलुओं, दोनों के साथ-साथ "तकनीकी विशेषताओं" के अनुसार वर्गीकृत करने में सहायता प्रदान करेगा।
- **पृथक्करण, संग्रहण और पुनर्चक्रण पर ध्यान देने के साथ प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना:** भारत में प्रति वर्ष लगभग 14 मिलियन टन प्लास्टिक का उपयोग होता है, लेकिन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक संगठित प्रणाली का अभाव है, जिसके कारण व्यापक स्तर पर कचरे का प्रसार होता है।
  - प्रसंस्करण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु, अपशिष्ट के स्रोत पर पृथक्करण में सुधार लाने और आरंभ से अंत (end-to-end) तक अपशिष्ट को पृथक्कृत करने के लिए अत्यधिक निवेश करने की आवश्यकता है।

VISION IAS

- **नीतिगत रूपरेखा:** एक राष्ट्रीय कार्य योजना अथवा दिशा-निर्देशों को तैयार करने की आवश्यकता है जो तात्कालिकता के संदर्भ में चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक प्रतिबंध को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करता हो।
    - इसका अर्थ यह है कि जिन उत्पादों के विकल्प उपलब्ध हैं, उन्हें उन वस्तुओं की तुलना में अपेक्षाकृत पहले चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाना चाहिए जिनके विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही, विभिन्न विकल्पों और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के लिए अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में वित्तपोषण को सुदृढ़ करना चाहिए।
- **EPR को प्रभावी रूप से लागू करना:** यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि EPR में किन वस्तुओं को शामिल किया जाना चाहिए। आदर्श रूप में, इसमें उन सभी प्लास्टिक पैकेजिंग वस्तुओं को शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें शीघ्र एकत्रित नहीं किया जाता है और जो अपशिष्ट के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे- बहु-स्तरित प्लास्टिक, PET, दुग्ध के पाउच, पाउच आदि।
    - यद्यपि, कंपनियां परस्पर सहयोग स्थापित कर रही हैं और PET जैसी उच्च पुनर्चक्रण मूल्य (लगभग 90 प्रतिशत) वाली वस्तुओं के लिए स्वयं के प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह और पुनर्चक्रण योजनाओं का निर्माण कर रही हैं, तथापि उद्योग, अनौपचारिक क्षेत्रक और शहरी स्थानीय निकाय (ULB) को एकीकृत करने वाला एक दृष्टिकोण EPR का बेहतर कार्यान्वयन करेगा।
- **डिजाइन में नवाचार को बढ़ावा देना:** सरकार को मौजूदा गैर-पुनर्चक्रण योग्य उत्पादों के विकल्प के रूप में स्थायी उत्पाद प्रदान करने वाले उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए धन के निवेश करने की आवश्यकता है।

5.4. कॉप 14: UN कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन

(COP 14: UN Convention on Desertification)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (United Nations Convention to Combat Desertification: UNCCD) के पक्षकारों के सम्मेलन का 14वां सत्र (CoP-14) नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत द्वारा पहली बार UNCCD के CoP की मेजबानी की गई।
- UNCCD की चीन द्वारा की गई विगत मेजबानी के पश्चात् (वर्ष 2017 में CoP-13 का आयोजन चीन में हुआ था) भारत ने आगामी दो वर्षों के लिए CoP की अध्यक्षता प्राप्त की है।

यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD)

- यह **रियो डी जेनेरो** में आयोजित ऐतिहासिक वर्ष **1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन** के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आने वाले तीन अभिसमयों में से एक है। दो अन्य अभिसमय यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UN Framework Convention on Climate Change: **UNFCCC**) और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (UN Convention on Biological Diversity: **UNCBD**) हैं।
- वर्ष 1994 में स्थापित, यह एकमात्र **विधिक रूप से बाध्यकारी** अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास को संधारणीय भूमि प्रबंधन से संबद्ध करता है। यह विशेष रूप से शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है।

CoP-14 के महत्वपूर्ण बिंदु

- **दिल्ली घोषणा-पत्र का अंगीकरण:** इस घोषणा-पत्र में पक्षकारों ने विभिन्न मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिसमें जेंडर और स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरुद्धार, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई, निजी क्षेत्र की भागीदारी, पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव और भारत में पांच मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि का पुनरुद्धार करना शामिल है।
- पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव, दक्षिण कोरिया को एक व्यावहारिक मंच प्रदान करने की एक पहल है जो सीमा-पार विवादों के पश्चात की स्थितियों में भूमि निम्नीकरण तटस्थता (land degradation neutrality) को प्राप्त करने के मूल्य को प्रदर्शित करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा प्रदान करेगी।
    - यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन (United Nations Decade on Ecosystem Restoration) (2021-2030) में भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह वैज्ञानिक साक्ष्यों और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित भूमि के पुनरुद्धार हेतु एक एकीकृत, सर्वोत्तम प्रणालीगत दृष्टिकोण को अपनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

VISION IAS

- **सूखे का सामना करने के लिए 'ड्रॉट टूलबॉक्स' लांच किया गया:** सूखा संबंधी टूलबॉक्स वर्तमान में UNCCD, WMO (विश्व मौसम-विज्ञान संगठन), FAO (खाद्य एवं कृषि संगठन), GWP (ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप), नेब्रास्का विश्वविद्यालय के नेशनल ड्रॉट मिटिगेशन सेंटर (NDMC) और UNEP-DHI के मध्य निकट साझेदारी के माध्यम से ड्रॉट इनिशिएटिव के भाग के रूप में विकसित किया जा रहा है।
    - इसे सूखे के प्रति लोगों तथा पारिस्थितिक तंत्रों की सुनम्यता (resilience) में वृद्धि करने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय सूखा नीति योजना का समर्थन करने हेतु उपकरणों, केस स्टडीज और अन्य संसाधनों तक सूखे से प्रभावित हितधारकों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है।
    - टूलबॉक्स एक प्रकार का नॉलेज बैंक है, जिसमें ऐसे उपकरण होते हैं, जो सूखे के प्रति पूर्वानुमान करने एवं प्रभावी ढंग से तैयार रहने और सूखे के प्रभावों का शमन करने संबंधी देशों की क्षमता को सुदृढ़ बनाते हैं। साथ ही, इसमें ऐसे उपकरण भी होते हैं जो समुदायों को उन भूमि प्रबंधन उपकरणों का पूर्वानुमान करने और खोज करने में सक्षम बनाते हैं, जो उन्हें सूखे के प्रति सुनम्य बनाने में सहायता करते हैं।
- **एडाप्ट नाउ: ए ग्लोबल कॉल फॉर लीडरशिप ऑन क्लाइमेट रिज़िल्यन्स' रिपोर्ट जारी:**
    - यह ग्लोबल कमीशन ऑन एडेप्टेशन द्वारा तैयार की गई है, जो राजनीति, व्यापार और विज्ञान के क्षेत्र से 34 नेतृत्वकर्ताओं का एक समूह है। इसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और विश्व बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (वर्तमान में IMF की प्रमुख) क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने किया है।
    - यह जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देने तथा प्रमुख क्षेत्रों में विशिष्ट अंतर्दृष्टि और अनुशंसाएं प्रदान करने पर केंद्रित है।
    - इसके अनुसार, आगामी दशक में जलवायु-अनुकूलन उपायों में 1.8 ट्रिलियन डॉलर (2 लाख करोड़ रुपये) का निवेश करने से आधारभूत स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित होंगे।
- भारत ने चुनौतियों का सामना करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु, आगामी दस वर्षों में लगभग 50 लाख हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि के पुनरुद्धार हेतु तथा वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की है।

5.5. मृदा जैविक कार्बन

(Soil Organic Carbon)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD) की विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें **भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण को रोकने में मृदा जैविक कार्बन (SOC)** के महत्व पर बल दिया गया है।

मृदा जैविक कार्बन क्या है?

- मृदा जैविक कार्बन (SOC), मृदा जैविक पदार्थ (SOM) से जुड़ा कार्बन होता है।
    - SOM में सूक्ष्म जैविक बायोमास और जटिल जैविक उपापचय प्रक्रियाओं के कई उप-उत्पादों के साथ, अपघटन के विभिन्न चरणों में मृदा में पौधों एवं जंतुओं के अवशेष शामिल हैं।
- यह **मृदा के विभिन्न गुणों** जैसे कि जल विज्ञान, संरचना और जीवों के पर्यावास को प्रभावित करता है। जैविक कार्बन पदार्थों में, मृदा के **उपरी स्तर** में संकेंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
- सामान्यतः SOC का मापन प्रयोगशाला में खेत से एकत्रित किए गए मृदा के नमूनों के आधार पर किया जता है।
- SOC, भूमि निम्नीकरण तटस्थता (Land Degradation Neutrality: LDN) के तीन वैश्विक संकेतकों में से एक है। इसलिए, LDN लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु SOC में होने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान और निगरानी करना महत्वपूर्ण होता है।

मृदा स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर SOC के लाभकारी प्रभाव

कारक	SOC किस प्रकार सहायक है
जल प्रबंधन	जल संरक्षण, मृदा तापमान का संतुलन, जड़ प्रणाली का प्रसार
मृदा उर्वरता	पोषण प्रतिधारण एवं उपलब्धता, निक्षालन द्वारा होने वाली क्षति में कमी, वाष्पीकरण (volatilization) और अपरदन, उच्च पोषण उपयोग दक्षता

मृदा स्वास्थ्य	रोग-दमनकारी मृदाएँ, उच्च मृदा जैव-विविधता, पादपों का बेहतर विकास और पोषण, मृदा प्रत्यास्थता
फसल उगाने हेतु मृदा की जुताई या उपयुक्तता	क्रस्टिंग (पर्पटीकरण) एवं संहनन (कम्पैक्शन) का निम्न जोखिम, बेहतर मृदा वातन, अनुकूल संरध्रता और इसका मृदा में व्यापक विस्तार
उत्पादन	संधारणीय कृषि-विज्ञान उत्पादन, निश्चित न्यूनतम उपज, बेहतर पौषणिक गुणवत्ता

मृदा कार्बन स्तर को प्रभावित करने वाले कारक

- **तापमान:** आम तौर पर समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अपघटन की क्रिया अधिक तेजी से घटित होती है। अपघटन के दौरान, मृदा में SOC का ह्रास हो जाता है क्योंकि सूक्ष्मजीव SOC के लगभग आधे हिस्से को कार्बन डाइऑक्साइड गैस (CO_2) में परिवर्तित कर देते हैं।
- **सतही मृदा का अपरदन:** सतही मृदा के अपरदन से SOC का ह्रास मृदा में संग्रहीत SOC की मात्रा पर अत्यधिक प्रभाव डाल सकता है।
- **मृदा नमी और जल संतृप्ति (Soil Moisture and water saturation):** सामान्यतः माध्य वार्षिक वर्षण में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप मृदा में जैविक पदार्थों के स्तरों में वृद्धि हो जाती है। मृदा में नमी के उच्च स्तर की स्थितियों के कारण जैवभार उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, जो अधिक अवशेष का सृजन करता है और इस प्रकार मृदा में निवास करने वाले जीवों (बायोटा) के लिए अपेक्षाकृत अधिक भोजन उपलब्ध हो जाता है।
- **मृदा संरचना:** मृत्तिका (क्ले) की मात्रा बढ़ने पर मृदा में कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि हो जाती है। यह वृद्धि दो प्रक्रमों पर निर्भर करती है। पहला, मृत्तिका कणों की सतह और कार्बनिक पदार्थों के बीच के बंध, अपघटन प्रक्रिया को मंद करते हैं। दूसरा, उच्च मृत्तिका सामग्री वाली मृदा, समग्र निर्माण हेतु क्षमता में वृद्धि करती है।
- **लवणता और अम्लता:** मृदा में लवणता, विषाक्तता और pH (अम्ल या क्षारीय) की अत्यधिक मात्रा के परिणामस्वरूप निम्न जैवभार का उत्पादन होता है और इस प्रकार मृदा में जैविक पदार्थों की कमी हो जाती है।
- **वनस्पति और जैवभार उत्पादन:** मृदा में जैविक पदार्थों के संचयन की दर काफी हद तक प्राप्त होने वाले जैविक पदार्थों की मात्रा और गुणवत्ता पर निर्भर करती है।

भूमि निम्नीकरण तटस्थता (Land Degradation Neutrality: LDN)

- UNCCD की परिभाषा के अनुसार, LDN एक ऐसी स्थिति है, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों और सेवाओं को समर्थन प्रदान करने तथा खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हेतु आवश्यक भूमि संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता, निर्दिष्ट कालिक एवं स्थानिक पैमाने और पारिस्थितिक तंत्रों के भीतर स्थिर बनी रहती है या उनमें वृद्धि होती रहती है।
- LDN, भूमि प्रबंधन नीतियों और प्रथाओं में प्रतिमान परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक विशिष्ट दृष्टिकोण है, जो कि निम्नीकृत क्षेत्रों के पुनरुद्धार के साथ उत्पादक भूमि की अपेक्षित हानि को प्रतिसंतुलित करता है।

LDN के तीन वैश्विक संकेतक

- **भू-आवरण परिवर्तन (Land cover change: LCC) की प्रवृत्ति:** यह भूमि उपयोग और वनस्पतियों में अपेक्षाकृत अधिक त्वरित परिवर्तनों को दर्शाता है।
- **भूमि उत्पादकता गतिकी (Land Productivity Dynamics: LPD), जिसे निवल प्राथमिक उत्पादकता (NPP) के रूप में मापा जाता है:** यह पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार्यों की अपेक्षाकृत तीव्र प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है।
- **कार्बन स्टॉक जिसे मृदा जैविक कार्बन (Soil organic carbon: SOC) के रूप में मापा जाता है:** यह भूमि निम्नीकरण की अपेक्षाकृत लंबी अवधि और संचयी प्रतिक्रियाओं / प्रत्यास्थता को दर्शाता है।

मृदा जैविक कार्बन में सुधार के उपाय

- **कार्बन हानि को रोकना:** दहन और जल निकासी से संबंधित नियमों के प्रवर्तन के माध्यम से पीटलैंड का संरक्षण करना।
- **कार्बन उद्ग्रहण (carbon uptake) को बढ़ावा देना:** फसल अवशेष, आवरण फसलों, कृषि वानिकी, समोच्च कृषि, वेदिकाकरण (terracing), नाइट्रोजन-स्थिरीकरण वाले पौधों और सिंचाई को शामिल करते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त तरीके से कार्बन संग्रहण हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करना एवं उन्हें प्रोत्साहन देना।
- **प्रभावों की निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन करना:** विज्ञान-आधारित सुसंगत प्रोटोकॉल और मानकों के माध्यम से निगरानी और मूल्यांकन करना।

VISION IAS

- **नीतियों का समन्वय करना:** पेरिस समझौते की राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं तथा मृदा और जलवायु से संबंधित अन्य नीतियों के साथ मृदा कार्बन को एकीकृत करना।
- **सहायता प्रदान करना:** व्यापक स्तर पर कार्यान्वयन को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी सहायता, किसानों को प्रोत्साहन, निगरानी प्रणाली और कार्बन करों को सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

2015 की विश्व मृदा संसाधन स्थिति रिपोर्ट (Status of the World's Soil Resources report) के अनुसार वायुमंडल एवं सभी पादप समुदाय में सयुंक्त रूप से विद्यमान कार्बन की तुलना में मृदा में अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ज्ञातव्य है कि, विश्व की मृदा का लगभग 33% भाग निम्नीकृत हो चुका है, जिससे SOC की मात्रा में अत्यधिक कमी हुई है। मृदा में कार्बन प्रग्रहण से मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार करने, वैश्विक कार्बन चक्र को स्थिर करने और अंततः जलवायु परिवर्तन का शमन करने में सहायता मिलती है।

5.6. फॉरेस्ट-प्लस 2.0

(Forest-Plus 2.0)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) और भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने आधिकारिक तौर पर **फॉरेस्ट-प्लस 2.0** का शुभारंभ किया।

निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation: REDD+)

- यह निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से हुए उत्सर्जन में कटौती करने हेतु UNFCCC के पक्षकारों (पार्टियों) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन शमन हेतु एक समाधान है।
- REDD+, विकासशील देशों को फॉरेस्ट कार्बन एमिशन्स (वन कार्बन उत्सर्जन) में कटौती करने और समाप्त करने के लिए कार्यवाहियों हेतु परिणाम आधारित भुगतान कर, उन्हें अपने वनों को संरक्षित रखने हेतु प्रोत्साहित करता है।

फॉरेस्ट-प्लस के तहत उपलब्धियां

- **पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति (Ecosystem Health):** भारत में ईंधन की लकड़ी के लिए वनों की कटाई, वन निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी एक प्रमुख कारक है। USAID द्वारा ईंधन की लकड़ी हेतु साक्ष्य आधारित प्रबंधन के लिए **iFoReST** नामक एक नवीन उपकरण विकसित किया गया है।
- **वनों की निगरानी (Forest Monitoring):** USAID द्वारा **mForest** (फॉरेस्ट इन्वेंटरी डेटा हेतु एक मोबाइल ऐप) सहित वन प्रबंधन, निगरानी और रिपोर्टिंग को बेहतर बनाने तथा कार्बन इन्वेंटरी में सुधार के लिए नवीन तकनीकों का विकास किया गया है।
- **वन कार्बन परियोजनाएं (Forest Carbon Projects):** USAID के पास सफल जलवायु शमन परियोजनाएं विद्यमान हैं जो न केवल वनों की स्थिति में सुधार करती हैं बल्कि वन संरक्षण में संलग्न समुदायों को कार्बन भुगतान भी कर सकती हैं।
- **आजीविका (Livelihoods):** USAID द्वारा ओडिशा के कोरापुट जिले में निर्धन और सीमांत वन समुदायों के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। इनके द्वारा पांच महिलाओं के नेतृत्व वाली उत्पादक कंपनियों में निवेश किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 4,000 परिवारों की आय में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।
- **अभिनव तरीके से निजी क्षेत्रों की सहभागिता:** USAID, वन प्रबंधन के लिए समयबद्ध और प्रभावी आगतों हेतु स्थानीय समुदायों, सरकारी एजेंसियों, सिविल सोसायटी समूहों और निजी क्षेत्रों को एक साथ समन्वित किया है।

फॉरेस्ट-प्लस 2.0 के बारे में

- **फॉरेस्ट-प्लस 2.0** एक पांच वर्षीय कार्यक्रम है, जो **वन भूमि के प्रबंधन हेतु पारितंत्र प्रबंधन और पारिस्थितिकीय सेवाओं के दोहन हेतु** उपकरणों एवं तकनीकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
- वर्ष 2017 में फॉरेस्ट-प्लस के पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् दिसंबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी।
- फॉरेस्ट-प्लस का उद्देश्य क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि **"REDD+"** में भारत की भागीदारी बढ़ाने में सहायता की जा सके।

VISION IAS

- **फॉरेस्ट-प्लस के अंतर्गत** भारतीय वन प्रबंधन हेतु फील्ड टेस्ट (क्षेत्र परीक्षण), नवीन उपकरण और दृष्टिकोण विकसित किए गए हैं, जैसे- **सिक्किम में बायो-ब्रिकेट्स (bio- briquettes) का प्रचार**, **रामपुर में सौर ताप प्रणालियों** की शुरुआत और **होशंगाबाद में कृषि-वानिकी मॉडल का विकास।**
- **फॉरेस्ट-प्लस 2.0 के लक्ष्य**
  - 1,20,000 हेक्टेयर भूमि का बेहतर प्रबंधन।
  - 12 मिलियन डॉलर की नई, समावेशी आर्थिक गतिविधियों का संचालन।
  - 8,00,000 घरों को लाभान्वित करना।
  - पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भूमि प्रबंधन में तीन प्रोत्साहन तंत्रों (रणनीति, क्षमता और समर्थन) का प्रदर्शन करना।
- **इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फॉरेस्ट-प्लस 2.0 कार्रवाई के तीन केंद्रबिंदु निम्नलिखित हैं:**
  - **विभिन्न सेवाओं हेतु वनों के प्रबंधन के लिए उपकरण विकसित करना।**
  - **वित्त पोषण का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहन आधारित उपकरणों का विकास करना:** उदाहरण के लिए, ऐसे भुगतान तंत्र का विकास करना जिसमें एक नगरपालिका या उद्योग डाउनस्ट्रीम जल के उपयोग हेतु अपस्ट्रीम वन समुदायों को भुगतान करें ताकि वनों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
  - **संरक्षण के साथ आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना:** वनों पर आश्रित लोगों के लिए आर्थिक अवसरों के सृजन हेतु मॉडल और संरक्षण उद्यमों की स्थापना करना तथा निजी क्षेत्र से निवेश जुटाना।

5.7. कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र

(Coal Gasification Based Fertiliser Plant)

सुर्ख़ियों में क्यों?

तालचेर (ओडिशा) में भारत के **प्रथम** कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना की जाएगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस संयंत्र में कोयला और पेट-कोक का फीडस्टॉक के रूप में उपयोग कर प्रतिवर्ष 1.27 मिलियन मीट्रिक टन नीम लेपित यूरिया का उत्पादन करने की क्षमता होगी।
- फीडस्टॉक के रूप में कोयले की स्थिर आपूर्ति तालचेर क्षेत्र के निकटवर्ती स्थित कैप्टिव कोयला खदानों के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियाँ

स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, कोयले के दहन से पूर्व इसे शुद्ध करने और इसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग करके हानिकारक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने का प्रयास करती है।

कुछ स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कोल वॉशिंग:** इस विधि में कोयले के छोटे-छोटे टुकड़ों (crushed coal) को एक तरल के साथ सम्मिश्रित कर अवांछित खनिजों को हटाया जाता है और अशुद्धियां पृथक होकर तल में निक्षेपित हो जाती हैं।
- **गीले स्क्रबर या फ़्लु गैस डीसल्फराइजेशन प्रणाली:** इसमें कोयले के दहन से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड (जो अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख कारण है) में कमी की जाती है।
- **लो नाइट्रोजन ऑक्साइड बर्नर:** यह नाइट्रोजन ऑक्साइड के निर्माण में कमी करता है, जो धरातलीय ओजोन (ground-level ozone) हेतु उत्तरदायी है।
- **स्थिर-वैद्युत अवक्षेपक (Electrostatic precipitators):** यह कणिकीय पदार्थों को हटा देते हैं जो अस्थमा में वृद्धि करते हैं और श्वसन संबंधी रोगों का कारण बनते हैं।
- आमतौर पर बड़े बिंदु स्रोतों (जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री या बायोमास आधारित विद्युत संयत्र) से **कार्बन का प्रग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण** करना और इनका भंडारण स्थलों तक परिवहन करना। साथ ही, **इन्हें उन स्थानों (सामान्यतः भूमिगत संरचनाओं में) पर निक्षेपित करना जहां से ये पुनः वायुमंडल में प्रवेश न कर सकें।**
- **हाल ही में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) में "नेशनल सेंटर फॉर क्लीन कोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट" का उद्घाटन किया गया है।**
  - यह केंद्र,स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के विकास के समक्ष विद्यमान विभिन्न महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास चुनौतियों का समाधान करेगा, जो अंततः सुपरक्रिटिकल पावर प्लांट प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायता प्रदान करेगा।

VISION IAS

कोयला गैसीकरण के बारे में

- यह **स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों में से एक** है और इसमें कोयले को संश्लेषण गैस (जिसे **सिनगैस** भी कहा जाता है) में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शामिल है।
- सिनगैस, हाइड्रोजन (H2), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का मिश्रण होता है।
- कोयला गैसीकरण के उप-उत्पादों के रूप में **कोक**, **कोलतार**, **सल्फर**, **अमोनिया** और **फ्लाई ऐश** (सभी का संभावित उपयोग किया जा था) का उत्पादन होता हैं।
- CO2 और अमोनिया की अभिक्रिया स्वरूप यूरिया का उत्पादन होता है।
- सिनगैस का उपयोग कई अन्य अनुप्रयोगों में भी किया जा सकता है, जैसे- विद्युत का उत्पादन, आंतरिक दहन इंजन (ICE) के ईंधन, प्लास्टिक, सीमेंट निर्माण आदि।

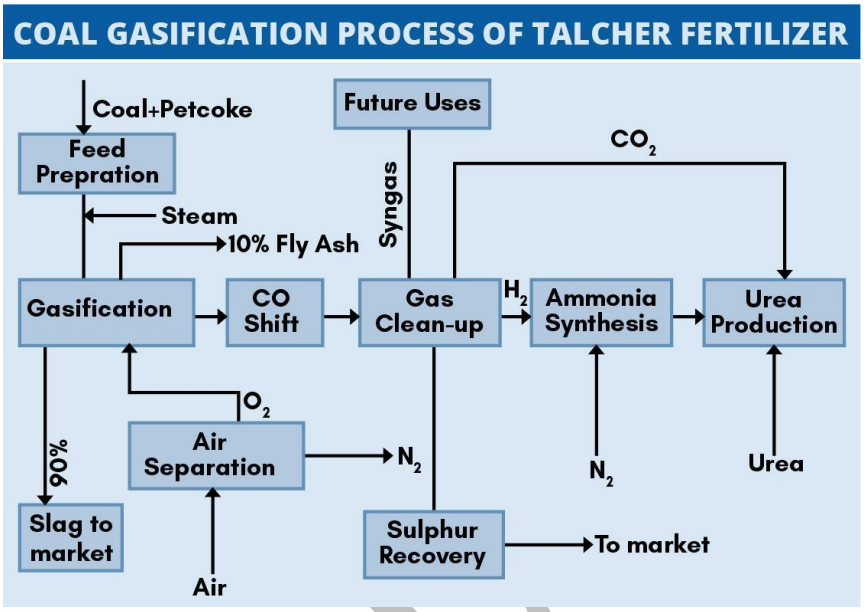

भारत के लिए लाभ

- **यूरिया की घरेलू आवश्यकता:** भारत में लगभग 241 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होता है, जबकि खपत लगभग 305 लाख मीट्रिक टन है। अत: इस संयंत्र में आवश्यक मांग को पूरा करने की क्षमता है।
- **LNG के आयात में कमी:** वर्तमान में मिश्रित प्राकृतिक गैस (pooled natural gas) का उपयोग करके यूरिया का उत्पादन किया जाता है। ज्ञातव्य है कि इसमें घरेलू प्राकृतिक गैस और आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) दोनों शामिल हैं। उर्वरक का निर्माण करने हेतु स्थानीय रूप से उपलब्ध कोयले के उपयोग से LNG के आयात को कम करने में सहायता प्राप्त होगी।
- **भारत में कोयले का प्रचुर भंडार,** उर्वरकों के सतत उत्पादन को सुनिश्चित करेगा और यहां तक कि इस संयंत्र में निम्न श्रेणी के कोयले का भी उपयोग किया जा सकता है।
- **पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करना:** ऊर्जा की मांग का समाधान करते हुए मानवजनित उत्सर्जन में कमी करके जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों का विकास आवश्यक है।

5.8. बायोरेमेडिएशन एवं बायोमाइनिंग

(Bioremediation and Biomining)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के तीन कचरा भूमि भराव क्षेत्रों (landfills) अर्थात् भलस्वा, ओखला और गाजीपुर में "बायोमाइनिंग और बायोरेमेडिएशन" की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इससे पूर्व, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने इंदौर नगर निगम द्वारा किए गए समान कार्य की (बायोमाइनिंग) सफलता के आधार पर दिल्ली के तीन नगर निगमों को **ओखला, भलस्वा और गाजीपुर स्थित कचरे के ढेर की "बायोमाइनिंग और बायोरेमेडिएशन"** कार्य करने का निर्देश दिया था।
  - NGT ने अपने आदेश में **देश के सभी नगर निगमों को भी इसी प्रकार की परियोजनाएं आरम्भ करने का निर्देश दिया है।**

लैंडफिल्स (कचरा भराव क्षेत्रों) के हानिकारक प्रभाव

- **वायु प्रदूषण और वायुमंडलीय प्रभाव:** इन क्षेत्रों से कई जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है, जिनमें से मीथेन गैस सबसे अधिक हानिकारक है।
- **मृदा और भूमि प्रदूषण:** यह निकटवर्ती मृदा और भूमि क्षेत्र को प्रभावित करता है क्योंकि जहरीले रसायन आसपास की मृदा पर प्रसारित हो जाते हैं।
- **भूजल प्रदूषण:** इन क्षेत्रों में स्थित विषाक्त पदार्थों का मृदा के माध्यम से भूजल में रिसाव हो जाता है।

VISION IAS

- **स्वास्थ्य प्रभाव:** कई अध्ययनों के अनुसार इन क्षेत्रों के निकटवर्ती स्थानों में निवास करने वाले व्यक्तियों में जन्म दोष, जन्म के समय अल्प वजन और विशेष रूप से कैंसर जैसे गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव संबंधी जोखिमों में वृद्धि हो जाती है।
- **कचरा भराव क्षेत्र में आगजनी की घटनाएँ:** लैंडफिल्स में स्थित अपशिष्टों का यहाँ विद्यमान गैसों के साथ सम्मिश्रण के कारण इन क्षेत्रों में आसानी से आग लग सकती है। यदि इस आग को शीघ्र ही नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो स्थिति अनियंत्रित हो सकती है और निकटवर्ती आवासीय क्षेत्रों को नुकसान पहुँच सकता है।

लैंडफिल्स के शोधन हेतु वैकल्पिक तरीके

- **तापीय उपचार:** यह उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो अपशिष्ट पदार्थों के उपचार के लिए ऊष्मा का उपयोग करते हैं। सर्वाधिक प्रयोग में लायी जाने वाली तापीय अपशिष्ट उपचार तकनीकों में से कुछ दहन (Incineration), गैसीकरण और पायरोलिसिस हैं।
- **सब-सरफेस कट-ऑफ वाल्स (Sub Surface cut-off walls):** ठोस अपशिष्ट के डंप स्थलों के लिए कट-ऑफ वाल्स, सामान्यतः किसी भी अंतर्निहित जलधारा/स्रोत से अपशिष्ट के डंप को पृथक करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं।

बायोरेमेडिएशन और बायोमाइनिंग

- अवांछनीय पदार्थों को विघटित करने वाले सूक्ष्मजीवों (जैसे- जीवाणु) का उपयोग करके प्रदूषकों या अपशिष्टों (जैसे- ऑयल स्पिल, संदूषित भूजल आदि) के उपचार की विधि **बायोरेमेडिएशन (जैव-उपचार)** कहलाती है।
- सूक्ष्मजीवों (रोगाणुओं) का उपयोग कर चट्टानीय अयस्कों या खनन अपशिष्टों से आर्थिक रूप से लाभकारी धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया को **बायोमाइनिंग** कहते हैं। धातुओं के कारण प्रदूषित हो चुके स्थलों की सफाई करने हेतु भी बायोमाइनिंग तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।
    - बायोमाइनिंग में भिन्न आकार के अपशिष्ट पदार्थों को पृथक करने के लिए सेपरेटर मशीन या बड़ी छन्नियों का उपयोग किया जाता है, जिससे उपयुक्त प्रसंस्करण के लिए पृथक की गई सामग्री से मृदा, प्लास्टिक, लकड़ी और धातु के घटकों को प्राप्त किया जा सके।
- **दोनों प्रक्रियाओं में लैंडफिल्स की सफाई करने हेतु सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है।**

बायोरेमेडिएशन और बायोमाइनिंग के लाभ

- **प्राकृतिक उपचार और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रक्रिया:** सूक्ष्मजीव, दूषित पदार्थों को ऐसे हानिरहित पदार्थों में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं जो पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक नहीं होते हैं, जैसे - कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कोशिका जैवभार (cell biomass)।
- **समग्र दृष्टिकोण:** बायोरेमेडिएशन प्रदूषकों को केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित करने के बजाय उन्हें रूपांतरित करता है।
- **न्यूनतम संभावित जोखिम:** पारंपरिक तरीकों में प्रायः सफाई की प्रक्रिया को निष्पादित करते समय उत्पन्न होने वाले संदूषण के साथ कर्मियों की संपर्कता का जोखिम बना रहता है।
- **लागत प्रभावी:** अन्य उपचारात्मक विकल्पों की तुलना में बायोरेमेडिएशन और बायोमाइनिंग की लागत अत्यंत न्यून होती है।

बायोरेमेडिएशन और बायोमाइनिंग से संबंधित मुद्दे

- **ज्ञान का अभाव:** बायोरेमेडिएशन की प्रक्रिया में शामिल विज्ञान की विभिन्न मूल शाखाओं के संबंध में ज्ञान की कमी बायोरेमेडिएशन की प्रगति में अवरोध उत्पन्न करती है।
- **धीमी प्रक्रिया:** उपर्युक्त दोनों ही प्रक्रियाएं धीमी हैं तथा अपशिष्ट की प्रकृति के आधार पर सूक्ष्मजीवों द्वारा निस्तारण करने में कई दिनों से लेकर कई महीनों तक का समय लग सकता है।
- **विदेशज जीवों का प्रवेश:** विदेशज जीवों का प्रवेश पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है।
- **सभी संदूषक जैव निम्नीकरणीय नहीं होते हैं:** ऐसे उपचारों की सफलता वस्तुतः विषाक्तता और संदूषकों के प्रारंभिक स्तर, इनकी जैवनिम्नीकृत होने की क्षमता और मृदा के गुण (जिनमें संदूषक मौजूद होते हैं) आदि पर अत्यधिक निर्भर करती है।
- **विषाक्त उपोत्पाद:** ऐसी आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि जैवनिम्नीकरण के उत्पाद मूल सामग्री की तुलना में अधिक विषाक्त हो सकते हैं।

आगे की राह

- बायोरेमेडिएशन और बायोमाइनिंग की सफलता एवं दक्षता के लिए सूक्ष्मजीवविज्ञानियों, जीव रसायनज्ञ, इंजीनियर, भूवैज्ञानिक और मृदा वैज्ञानिक आदि के **एकीकृत अनुसंधान एवं भागीदारी की आवश्यकता होती है।**
- किसी भी ऑन-साइट या ऑफ साइट को प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु गुणवत्तायुक्त निगरानी प्रणाली सुनिश्चित की जानी चाहिए।

VISION IAS

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. 10 वर्षीय ग्रामीण सैनिटेशन रणनीति (2019-2029)

(10 Year Rural Sanitation Strategy (2019-2029)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 10 वर्षीय ग्रामीण सैनिटेशन रणनीति (2019-2029)** का शुभारंभ किया गया है। यह स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के तहत **स्वच्छता (सैनिटेशन) संबंधी व्यवहारजन्य परिवर्तन** को स्थायित्व प्रदान करने और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तक पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित है।

पृष्ठभूमि

- विगत कुछ वर्षों से भारत स्वच्छता (सैनिटेशन) क्रांति का साक्षी रहा है और SBM-G ने स्वयं को एक **जन-आंदोलन** में रूपांतरित कर लिया है। वर्ष 2014 में SBM-G के शुभारंभ होने के बाद से, **ग्रामीण क्षेत्रों में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है और 5.9 लाख से अधिक गांवों, 699 जिलों और 35 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों** द्वारा स्वयं को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया है।
- इस रणनीति के अनुसार, विगत पांच वर्षों में (वर्ष 2014 में SBM-G के शुभारम्भ के पश्चात् से) सरकार द्वारा सभी ग्रामीण परिवारों हेतु किए जाने वाले शौचालयों के निर्माण में 100 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जो वर्ष 2014 में 38 प्रतिशत थी।

ग्रामीण स्वच्छता (सैनिटेशन) रणनीति के बारे में

- यह रणनीति **पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS)** द्वारा राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों से परामर्श के उपरांत तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग शौचालयों के उपयोग को निरंतर (सतत) बनाए रखें।
- **रणनीति का मुख्य बल:** ग्रामीण परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण और अनुरक्षण जारी रहेगा, साथ ही, मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा तथा दूसरे चरण में **गांव व पंचायत स्तर पर अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट उपचार पर ध्यान केंद्रित** किया जाएगा।
- **राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए निम्नलिखित चार व्यापक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके लाभों को अक्षुण्ण बनाए रखने के अपने प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है**, जिन पर इस रणनीति के माध्यम से आगामी दस वर्षों तक ध्यान केंद्रित किया जाएगा-
  - जैव-निम्नीकरणीय और जैविक अपशिष्ट (रसोई एवं हरित अपशिष्ट);
  - प्लास्टिक;
  - ग्रेवाटर (शौचालय अपशिष्ट जल को छोड़कर स्नान, वस्त्र धुलाई और रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल) प्रबंधन; और
  - ब्लैक वाटर या विष्ठा संबंधी गाद प्रबंधन (faecal sludge management)।
- विकास भागीदारों, नागरिक समाज और अंतर-सरकारी साझेदारों के साथ **संभावित सहयोग**। यह स्वच्छता वित्तपोषण के नवाचारी प्रतिमानों पर भी प्रकाश डालता है।
- मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबंधन सहित **मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर राज्य-विशिष्ट रणनीतियां**, जिनकी ODF प्लस रणनीति के अंतर्गत सहायता की जा सकती है।
- **ग्राम पंचायतों की भूमिका:** विशेषकर प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन करने के संबंध में गांवों में स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण इस रणनीति का प्रमुख उद्देश्य होगा। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों को सैनिटेशन अवसंरचना का परिचालन और अनुरक्षण सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन करना है।
- ग्राम पंचायतों को निरीक्षण सामर्थ्य और सहायता प्रदान करने के लिए **जिला-स्तरीय प्रशिक्षण प्रबंधन इकाई (TMU)** की स्थापना की जाएगी ताकि ग्राम पंचायत सैनिटेशन अवसंरचना का परिचालन और अनुरक्षण सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकें। ग्राम पंचायतों से जल और सैनिटेशन अंतरालों का तीव्रता से आकलन करने की भी अपेक्षा की गयी है।
- **वित्तपोषण की रणनीति:** जहां सरकारी वित्तपोषण, सैनिटेशन क्षेत्र में वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत है, वहीं रूपरेखा में उल्लिखित रणनीति भी ODF प्लस गतिविधियों के लिए प्रशुल्कों के रूप में सामुदायिक संसाधनों का क्रमिक रूप से लाभ उठाकर वैकल्पिक स्व-वित्तपोषण का सुझाव देती है। इसके द्वारा स्वच्छ भारत अभियान में अभी तक पालन किए जा रहे 60:40 वित्तपोषण मॉडल का ही अनुसरण किया जाएगा।

VISION IAS

6.2. लिव-इन रिलेशनशिप

(Live in Relationship)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **राजस्थान मानवाधिकार आयोग** ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि **लिव-इन रिलेशनशिप के प्रचलन को "प्रतिबंधित"** किया जाए।

संबंधित तथ्य

- राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि **लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला का "उपपत्नी (concubine)" के रूप में जीवनयापन गरिमापूर्ण जीवन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे अपने मूल अधिकारों के उपयोग करने में असमर्थ होती हैं।**
- **लिव-इन में किसी के साथ जीवन यापन करने वाली महिला को विवाहित महिलाओं के समान अधिकार प्राप्त नहीं होंगे,** के संबंध में इस निकाय ने महिलाओं को जागरूक किए जाने हेतु सार्वजनिक अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है।
- साथ ही, आयोग का यह निर्देश **अनुच्छेद 14, 19** (अपनी पहचान, यौन वरीयताएँ और प्रेम व्यक्त करने की स्वतंत्रता) तथा **21** (चयन की स्वतंत्रता) के अंतर्गत समाविष्ट **महिला या पुरुष की स्वायत्तता को कम करती है।**

भारत में लिव इन रिलेशनशिप

- लिव-इन रिलेशन अर्थात् "साथ-साथ रहना/सह-जीवन" वह **अनौपचारिक व्यवस्था/समझौता है जिसमें दो व्यक्ति किसी औपचारिक संबंध में प्रवेश (अर्थात् विवाह) किए बिना** भावनात्मक और/या यौन संबंधों की स्वीकृति के साथ **दीर्घकाल या स्थायी आधार पर एक साथ रहने का निर्णय करते हैं।**
- **बेहतर शिक्षा, वैश्वीकरण, स्वतंत्रता और गोपनीयता आदि** जैसे विभिन्न कारणों से भारत में लिव-इन रिलेशनशिप का प्रचलन बढ़ता जा रहा है।
    - लोग इसलिए भी अनौपचारिक रूप से साथ-साथ रहते हैं, क्योंकि वे अपने संबंधों को औपचारिक रूप प्रदान करने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि **अंतर्जातीय/धार्मिक युगल** जिनके लिए सामाजिक मानदंडों के अनुसार विवाह करना वर्जित है अथवा समलिंगी युगल, जिन्हें कानून विवाह करने से प्रतिबंधित करता है।
- उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न दृष्टांतों में अपने निर्णयों के माध्यम से इस अवधारणा का विस्तार करने का प्रयास किया है।

अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण

- **कनाडा:** कनाडा में लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। कानून के अनुसार, ऐसे दो व्यक्ति जो साथ-साथ रह रहे हैं या साथ-साथ रहने का इरादा रखते हैं और जिन्होंने एक-दूसरे से विवाह नहीं किया है, वे एक ऐसा समझौता कर सकते हैं, जिसमें वे साथ-साथ रहने के दौरान या एक-साथ न रहने या मृत्यु होने पर अपने संबंधित अधिकारों एवं दायित्वों के संबंध में सहमत होते हैं।
- **ब्रिटेन:** लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युगल को विवाहित दम्पत्तियों के समान कानूनी स्वीकृति और दर्जा प्राप्त नहीं है। लिव-इन पार्टनर्स पर एक-दूसरे का भरण-पोषण करने का कोई दायित्व नहीं होता। लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे युगल का जब तक साथी के वसीयत में नाम दर्ज न हो तब तक एक-दूसरे की संपत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता।

लिव इन रिलेशनशिप से संबद्ध मुद्दे और कानूनी संरक्षण

- **सामाजिक स्वीकार्यता:** भारत में लिव-इन रिलेशनशिप को अभी भी अधिकांश लोगों की सहमति प्राप्त नहीं हुई है। इसे अभी भी भारतीय समाज में **निषिद्ध माना जाता** है। बहुसंख्यक लोग इसे अनैतिक और अनुचित संबंध मानते हैं।
- **गैर-विवाह संबंधों से जन्मे बच्चे:** ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चे **मानसिक तनाव** के प्रति अत्यधिक सुभेद्य होते हैं। बच्चे के विकास के दौरान उसकी अभिरक्षा या भरण-पोषण की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है।
    - गैर-विवाह संबंधों से जन्मे बच्चों के भरण-पोषण अधिकारों पर स्थिति व्यैक्तिक विवाह कानूनों में भिन्न है। उदाहरण के लिए, हिंदू कानून के अंतर्गत पिता को बच्चे का भरण-पोषण करना होता है, जबकि मुस्लिम कानून के अंतर्गत पिता को इस प्रकार के दायित्व से मुक्त रखा गया है।
    - हालांकि, व्यैक्तिक कानूनों के अंतर्गत भरण-पोषण का दावा करने में असमर्थ बच्चों के लिए **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-125** के तहत उपाय उपलब्ध कराए गए हैं।
    - **उच्चतम न्यायालय** ने भी ऐसे संबंधों से जन्में **बच्चों के वंशानुगत अधिकारों को वैधता प्रदान की है।**
- **दत्तक ग्रहण संबंधी मुद्दे: केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)** द्वारा यथा अधिसूचित बच्चों के दत्तक ग्रहण को शासित करने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले युगल को दत्तक ग्रहण की अनुमति प्राप्त नहीं है।

VISION IAS

- **लिव-इन-रिलेशन में यौन उत्पीड़न:** यह एक अन्य विषय है, जिसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। **शिवशंकर (उपनाम शिवा) बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2018) वाद में,** उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि लिव-इन में दीर्घ अवधि तक यौन संबंधों में बने रहने को बलात्कार के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से शिकायतकर्ता के अपने स्वयं के आरोप के समक्ष कि वे दम्पति के रूप में एक साथ रहे हैं।
- **घरेलू हिंसा:** एक साथ रहने वाले युगलों के मध्य उत्पीड़न और हिंसा से संबंधित मामले भी विद्यमान हैं।
  - महिलाओं को अत्याचारपूर्ण (शारीरिक, मानसिक, मौखिक या आर्थिक) वैवाहिक संबंधों से सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास के रूप में **घरेलू हिंसा अधिनियम** लागू किया गया था।
  - हालांकि, इस अधिनियम की **धारा-2(f)** के अनुसार, यह न केवल विवाहित दम्पतियों पर लागू होता है, बल्कि वैवाहिक प्रकृति के **'संबंधों'** पर भी लागू होता है। इसलिए, इन सभी विषयों पर विचार करते हुए **उच्चतम न्यायालय ने भी कई मामलों में लिव-इन रिलेशनशिप को इस अधिनियम के दायरे में लाने की अनुमति प्रदान की है।**
- **महिलाओं के वित्तीय अधिकार:** संयुक्त राज्य अमेरिका में, लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे युगल स्वयं को एक 'डोमेस्टिक रजिस्टर' में पंजीकृत करा सकते हैं या औपचारिक रूप से "सहजीवन अनुबंध/समझौता" कर सकते हैं, जिसके पश्चात् उन्हें डोमेस्टिक पार्टनर्स (घरेलू साथी) के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है।
  - हालांकि भारत में किसी भी कानून द्वारा अभी तक इस प्रकार की कोई मान्यता प्रदान नहीं की गई है। परिणामस्वरूप लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के लिए किसी भी कानूनी अथवा बैंक खाता खोलने, आयकर रिटर्न भरने, ऋण के लिए आवेदन करने आदि जैसे वित्तीय मामलों के लिए भी अपने साथी के कुलनाम (surname) को प्रयोग करने की मान्यता प्राप्त नहीं है। वे केवल एक व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाए रखती हैं और उन्हें पारिवारिक सदस्य के रूप में भी मान्यता प्राप्त नहीं होती।

विवाह संस्थाओं पर प्रभाव

- **पति-पत्नी की अवधारणा के समक्ष संकट:** लिव-इन रिलेशनशिप वस्तुतः पति-पत्नी की अवधारणा तथा विवाह संस्था के पहचान/अस्तित्व के समक्ष संकट उत्पन्न करता है, जिसे भारत के संदर्भ में पवित्र माना जाता है।
- **व्याभिचार (Adultery):** इससे व्याभिचार के मामलों में भी वृद्धि होती है, क्योंकि ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले युगलों को अविवाहित ही होना चाहिए। इस प्रकार, एक व्यक्ति विवाहित भी हो सकता है और लिव इन रिलेशनशिप का आश्रय लेकर किसी और के साथ भी रह सकता है।
- **द्विपत्नीत्व (Bigamy):** यदि पत्नी और लिव-इन पार्टनर के अधिकार एक समान हो जाते हैं तो यह द्विपत्नीत्व को बढ़ावा दे सकता है और इससे पत्नी तथा लिव-इन पार्टनर के हितों के मध्य संघर्ष भी उत्पन्न हो सकता है। यह द्विपत्नीत्व को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा व्यक्ति पहले से ही विवाहित हो सकता है।
- **परिवार का समर्थन प्राप्त न होना:** विवाह की धारणा के अंतर्गत यह विश्वास किया जाता है कि इससे केवल दो व्यक्तियों के मध्य ही नहीं अपितु दो परिवारों के मध्य विवाह-संबंध स्थापित होता है। परन्तु, लिव-इन रिलेशनशिप के संदर्भ में केवल दो लोगों के मध्य ही संबंधों का सूत्रपात होता है। विवाह के मामले में निश्चित रूप से परिवार का समर्थन प्राप्त होता है, जिसका लिव इन रिलेशनशिप में अधिकांशत: अभाव होता है।

- **महिला साथी का भरण-पोषण:** भारत में सभी व्यैक्तिक कानूनों के अंतर्गत पत्नियों को भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त है। हालाँकि, कोई भी धर्म लिव-इन रिलेशनशिप को न तो मान्यता प्रदान करता है और न ही उसे स्वीकृत करता है।
  - चूंकि, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को किसी भी प्रकार के निवारक उपाय प्राप्त नहीं हैं, इसलिए भारतीय न्यायालयों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण-पोषण के दायरे का विस्तार किया गया है।
  - **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125** में महिला साथी को वैवाहिक या गैर-वैवाहिक दोनों प्रकार के संबंधों में भरण-पोषण का कानूनी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- **लिव-इन पार्टनर्स के उत्तराधिकार का अधिकार:** लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले युगल को अपने साथी की संपत्ति में स्वत: उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता।
- **विधिक: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; विशेष विवाह अधिनियम, 1954 या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925** जैसे उत्तराधिकार या विवाह से संबंधित कोई भी विधान लिव-इन रिलेशनशिप को प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्रदान नहीं करते।

अन्य न्यायिक प्रावधान

- **उच्चतम न्यायालय** ने अंतरंग संबंधों पर कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं।
  - **शफीनजहां बनाम अशोकन वाद (2018)** में, यह निर्णय दिया गया कि अपने जीवन साथी के चयन का अधिकार जीवन के अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू है और अंतरंग व्यक्तिगत निर्णयों की सामाजिक स्वीकृति उन्हें मान्यता प्रदान करने का आधार नहीं हो सकती।
  - **नवतेज जौहर बनाम भारत संघ वाद (2018)** में, उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को आपराधिक बनाने वाली IPC के धारा

VISION IAS

377 की पुनर्व्याख्या (read down) की है।

- **शोभा हिमावती देवी बनाम सेट्टी गंगाधर स्वामी वाद** में यह माना गया कि निरंतर और दीर्घ-काल से साथ-साथ रहना विवाह के पक्ष में तथा उपपत्नी के विरूद्ध धारणा उत्पन्न करता है।
  - यह **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 50 और धारा 114** के अनुरूप है।

निष्कर्ष

वर्तमान समय की आवश्यकता लिव-इन संबंधों को किसी भी वर्तमान कानून के दायरे में लाना नहीं है, बल्कि एक भिन्न नए कानून का निर्माण करना है जो लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित मामलों का पृथक रूप से निस्तारण करे और ऐसे रिलेशनशिप में रह रहे युगल को अधिकार एवं दायित्व भी प्रदान करे। इस प्रकार वर्तमान कानूनों के दुरुपयोग के मामलों में कमी के साथ-साथ, ऐसे संबंधों में महिला साथियों द्वारा सामना किए जाने वाले अत्याचारों के मामलों में भी कमी होगी।

6.3. स्वास्थ्य देखभाल सेवा कार्मिक एवं नैदानिक प्रतिष्ठान (हिंसा और संपत्ति क्षति निषेध) विधेयक, 2019

{The Healthcare Service Personnel and Clinical Establishments (Prohibition 0f Violence and Damage to Property) Bill, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवा कार्मिक एवं नैदानिक प्रतिष्ठान (हिंसा और संपत्ति क्षति निषेध) विधेयक, 2019 तैयार किया गया है। **इसका उद्देश्य चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के विरूद्ध होने वाली हिंसा को रोकना है।**

पृष्ठभूमि

- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक अध्ययन के अनुसार, **75% स्वास्थ्य कर्मियों** को अपने करियर के दौरान **हिंसा का सामना करना पड़ता है। इनमें से 50-60% हिंसा ICU और आपातकालीन सेवा प्रभाग में होती है।**
- **वर्तमान में, इस प्रकार के हिंसक कृत्य हेतु भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।** स्वास्थ्य कर्मियों को विभिन्न राज्य कानूनों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया है।
- हालांकि, वर्तमान कानून स्वास्थ्य देखभाल सेवा वितरण में विद्यमान कमियों के कारण अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।

चिकित्सीय प्रतिष्ठानों में हिंसा और क्षति के कारण

- **अत्यल्प स्वास्थ्य बजट और निकृष्ट गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं:** भारत में चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात WHO द्वारा अनुशंसित 1:1000 की तुलना में 0.7: 1000 है। इससे चिकित्सकों पर रोगियों के उपचार सम्बन्धी भार में वृद्धि होती है, चिकित्सकों से मिलने के लिए रोगियों को लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है तथा जाँच करवाने और साथ ही चिकित्सकों से परामर्श आदि करने के लिए भी बार-बार अस्पताल जाना पड़ता है, जिससे समय की हानि होती है।
- **स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती लागत:** यह चिकित्सकों और मरीजों के मध्य तनावपूर्ण संबंध का एक प्रमुख कारण है। साथ ही, निजी क्षेत्रक के कई अस्पताल अत्यधिक लागत और शोषणकारी प्रथाओं के कारण असंतोष उत्पन्न करने में संलग्न हैं।
- **निम्नस्तरीय संचार:** जैसे कि अमर्यादित व्यवहार, उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना और चिकित्सकों द्वारा भ्रामक शब्दों का उपयोग जिससे रोगी भ्रमित होते हैं। प्रभावी रोगी-चिकित्सक संचार को स्वास्थ्य-देखभाल सेवाओं के संदर्भ में रोगी की संतुष्टि से सह-संबंधित करके दर्शाया जाता है।
- **निम्न स्वास्थ्य साक्षरता:** निम्न स्वास्थ्य साक्षरता के कारण प्राय: लोग मिथकों को प्रचारित करते हैं और विगत रोग के कारण हुई मृत्यु की स्थिति में भी डॉक्टर पर मिथ्या आरोप लगाते हैं। इस संबंध में रोगियों की अपेक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं कि एक चिकित्सक को आधुनिक चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के साथ बेहतर परिणाम की गारंटी दिया जाना चाहिए।
- **सुरक्षा का अभाव:** भारतीय स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रतिष्ठानों में हिंसा की घटनाएं बहुत सामान्य हैं, क्योंकि निधि के अभाव के कारण सरकारी और निजी दोनों प्रकार के प्रतिष्ठानों में सुरक्षा कर्मचारियों का प्रायः अभाव होता है।

स्वास्थ्य देखभाल सेवा कार्मिक एवं नैदानिक प्रतिष्ठान (हिंसा और संपत्ति क्षति निषेध) विधेयक, 2019 की प्रमुख विशेषताएं

- **हिंसा की परिभाषा:** प्रारूप विधेयक के अंतर्गत, हिंसा से तात्पर्य ऐसे किसी भी कार्य से है जिससे: (i) अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते समय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के जीवन की हानि हो सकती है, उन्हें चोट पहुंच सकती है या उनके जीवन के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है (ii) अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते समय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए अवरोध या बाधा उत्पन्न हो सकती है, और (ii) एक चिकित्सीय प्रतिष्ठान में किसी संपत्ति या दस्तावेजों को हानि या क्षति पहुंचाई जा सकती है।
- **संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध:** प्रारूप विधेयक में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के विरूद्ध किए जाने वाले हिंसात्मक कृत्यों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है। ऐसे अपराधों की जांच पुलिस उपाधीक्षक (DSP) रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी।

- **स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और प्रतिष्ठान के लिए कवरेज की सीमा:** इसके तहत चिकित्सकों, नर्सों और पराचिकित्सकीय कर्मियों से लेकर चिकित्सीय नर्सों, चिकित्सीय छात्रों और एम्बुलेंस चालकों तक को शामिल किया गया है। चिकित्सीय प्रतिष्ठान की संपत्ति में अस्पताल, क्लिनिक, औषधालय, स्वास्थ्यालय, एम्बुलेंस और यहाँ तक की एक मोबाइल यूनिट (सचल इकाई) भी सम्मिलित है।
- **दंड और अर्थदंड:** प्रारूप विधेयक के अंतर्गत, हिंसा करने वाले या ऐसी हिंसा को प्रेरित करने वाले व्यक्ति को **पांच लाख रुपये तक के अर्थदंड** के साथ **छह माह से लेकर पांच वर्ष तक के कारावास** की सजा दी जाएगी। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को **गंभीर क्षति** पहुंचाता है, तो उसे **दो लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के अर्थदंड के साथ तीन वर्ष से लेकर दस वर्ष तक की अवधि तक के कारावास** की सजा दी जा सकती है।
    - प्रारूप विधेयक के अंतर्गत, दोषी व्यक्ति, किए गए अपराधों के लिए दंड के अतिरिक्त, प्रभावित पक्षों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जैसे कि संपत्ति क्षतिग्रस्त किये जाने की स्थिति में दोषी द्वारा संपत्ति के बाजार मूल्य का दोगुना भुगतान किया जाएगा।
    - यदि दोषी व्यक्ति द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा, तो राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अंतर्गत संपत्ति कुर्क करके राशि वसूल की जाएगी।

निष्कर्ष

सार्वजनिक असंतोष के स्तर को कम करने के लिए पर्याप्त संसाधनयुक्त, व्यापक रूप से वितरित और सुप्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रणाली विकसित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, कानून के उचित क्रियान्वयन द्वारा हिंसक घटनाओं को सिमित किया जा सकता है।

6.4. अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण

(All India Survey on Higher Education: AISHE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के लिए **अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE)** जारी किया है।

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) के बारे में

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010-11 से **प्रति वर्ष वेब आधारित AISHE** का संचालन किया जाता है।
- सर्वेक्षण में देश के **सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों** को सम्मिलित किया गया है, जिन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, यथा- **विश्वविद्यालय, महाविद्यालय (कॉलेज) और स्टैंड-अलोन (विश्वविद्यालयों से असंबद्ध) संस्थान।**
- शैक्षणिक विकास के निम्नलिखित संकेतक भी AISHE के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं:
    - संस्थानों का घनत्व (Institution Density);
    - सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio);
    - छात्र-शिक्षक अनुपात (Pupil-Teacher ratio);
    - लैंगिक समानता सूचकांक (Gender Parity Index); और
    - प्रति छात्र व्यय (Per Student Expenditure)।

उच्चतर शिक्षा के संबंध में मुख्य सांख्यिकी

- **महाविद्यालयों का घनत्व,** अर्थात् प्रति लाख पात्र जनसंख्या (18-23 वर्ष आयु वर्ग वाली जनसंख्या) पर महाविद्यालयों की संख्या **अखिल भारतीय 28 के औसत की तुलना में बिहार में 7 तथा कर्नाटक में 53 है। अन्य राज्यों में यह स्थिति भिन्न-भिन्न है।**
- केवल 2.5% कॉलेज ही पीएचडी प्रोग्राम का संचालन करते हैं तथा केवल 34.9% कॉलेजों द्वारा स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाती है।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र शिक्षक अनुपात (Pupil Teacher Ratio: PTR) नियमित आधार (Regular Mode) पर 29 है।
- उच्चतर शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विदेशी छात्रों की संख्या 47,427 है।
    - सर्वाधिक विदेशी छात्र पड़ोसी देशों से आते हैं, जिनमें नेपाल (26.88%) का प्रथम स्थान है, इसके पश्चात् अफगानिस्तान (9.8%), बांग्लादेश (4.38%), सूडान (4.02%), भूटान (3.82%) और नाइजीरिया (3.4%) का स्थान आता है।

AISHE के प्रमुख निष्कर्ष

- **उच्चतर शिक्षा में नामांकन:** भारत में उच्चतर शिक्षा में (18-23 आयु वर्ग) **सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio: GER) वर्ष 2017-18 के 25.8% से आंशिक रूप से बढ़ कर वर्ष 2018-19 में 26.3%** हो गया है, जिसमें पुरुषों की भागीदारी 26.3% और महिलाओं की भागीदारी 26.4% है।

- कुल छात्र नामांकन के संदर्भ में शीर्ष 6 राज्य - उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक - भारत में कुल नामांकन के 54.23% हेतु उत्तरदायी हैं।
- **उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संख्या:** विश्वविद्यालयों की संख्या (वर्ष 2017-18 के 903 से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 993 हो गई है) और उच्चतर शिक्षा संस्थानों की कुल संख्या में भी वृद्धि हुई है।
- **घटता लैंगिक अंतराल:** नामांकित विद्यार्थियों में 51.36% पुरुष और 48.64% महिलाएं हैं, जो उच्चतर शिक्षा में लैंगिक अंतराल में होने वाली कमी को दर्शाता है।
- **शैक्षणिक विषय-क्षेत्रों (streams) की लोकप्रियता:** जहाँ स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में से एक-तिहाई विद्यार्थियों द्वारा मानविकी कोर्स में प्रवेश लिया गया (इस कोर्स में नामांकन सर्वाधिक रही है), वहीं स्नातकोत्तर (PG) स्तर पर प्रबंधन कोर्स में नामांकन अत्यधिक रहा है। साथ ही, विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी कोर्स में एम.फिल एवं पीएच.डी प्रोग्राम हेतु अधिक नामांकन हुआ है।
- इसके विपरीत, स्नातक स्तर पर, कुल नामांकन का 35.9% कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान से रहा है तथा उसके बाद विज्ञान और वाणिज्य का स्थान था। **इंजीनियरिंग का चयन चौथे स्थान पर है।**

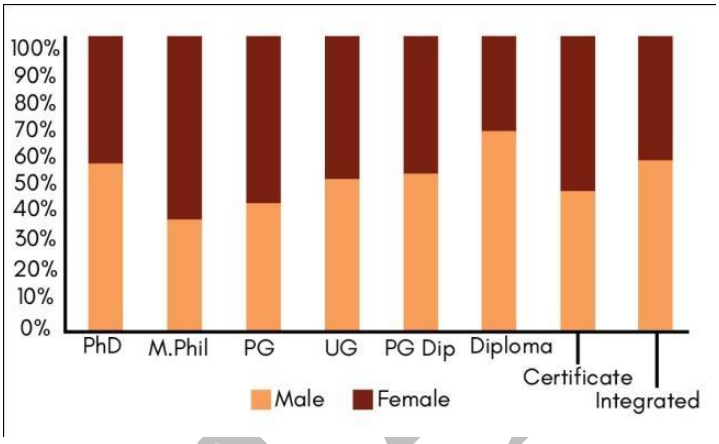

- **सामाजिक पिछड़ापन:** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मध्य छात्र नामांकन क्रमशः 14.89% एवं 5.53% है। अल्पसंख्यकों में, 5.23% छात्र मुस्लिम वर्ग के और 2.32% अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के हैं।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व

(Scientific Social Responsibility: SSR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा अपनी प्रस्तावित **वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व (SSR)** नीति का एक प्रारूप जारी किया गया है।

वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व (SSR) के बारे में

- भारत संभवतः निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR) की तर्ज पर **SSR नीति को लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश होगा।**
- यह प्रारूप **दूरदर्शी नेतृत्व और सामाजिक विवेक के साथ वैज्ञानिक ज्ञान के समन्वय** को दर्शाता है।
- SSR का उद्देश्य **वैज्ञानिक समुदाय के सभी हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित करना** तथा समाज एवं विज्ञान के मध्य संपर्कता को विकसित करना है।
- इसका लक्ष्य विज्ञान को समाज से जोड़ने के लिए विज्ञान संबंधी आउटरीच गतिविधियों (science outreach activities) में अग्रसक्रिय भागीदारी हेतु **देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) आधारित संस्थानों और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है।**
- SSR नीति में **हितधारकों की निम्नलिखित चार भिन्न श्रेणियां शामिल होंगी:**
  - लाभार्थी (छात्र, स्कूल/कॉलेज के शिक्षक, स्थानीय निकाय, समुदाय, महिला समूह आदि);
  - कार्यान्वयनकर्ता (संस्थान, विज्ञान केंद्र, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें आदि);
  - आकलनकर्ता (आंतरिक आकलन प्रकोष्ट अथवा बाह्य अभिकरण); और
  - समर्थक (अनुदान/निधि प्रदान करने वाले सरकारी अभिकरण, निगमित निकाय आदि)।
- **SSR नीति का मुख्य उद्देश्य** विज्ञान और समाज के मध्य संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपायों के माध्यम से देश के वैज्ञानिक समुदाय की अंतर्निहित स्वैच्छिक क्षमता का उपयोग करना है ताकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिवेश को जीवंत बनाया जा सके:
  - **विज्ञान-समाज संपर्कता (Science-society connect):** मौजूदा और उभरती सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक कार्य के लाभों को स्थानांतरित करके समावेशी एवं सतत विकास को सुगम बनाना।
  - **विज्ञान-विज्ञान संपर्कता (Science-science connect):** ज्ञान परिवेश के अंतर्गत विचारों और संसाधनों के साझाकरण के लिए एक सक्षम परिवेश का सृजन करना।
  - **समाज-विज्ञान संपर्कता (Society-science connect):** समस्याओं की पहचान करने तथा वैज्ञानिक और तकनीकी समाधान विकसित करने हेतु समुदायों के साथ सहयोग स्थापित करना।
  - **सांस्कृतिक परिवर्तन (Cultural change):** वैज्ञानिक समुदाय और संस्थानों के मध्य सामाजिक उत्तरदायित्व को अंतःस्थापित करना; समाज के भीतर SSR के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना तथा दैनिक सामाजिक जीवन और अंतःक्रिया में वैज्ञानिक मनोवृत्ति (scientific temperament) को शामिल करना।

नीति के प्रमुख बिंदु

- **व्यक्तिगत स्तर पर प्रति वर्ष SSR हेतु 10 कार्य दिवस (10 person-days of SSR per year):** प्रस्तावित नीति के तहत, समाज में वैज्ञानिक ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए वैज्ञानिकों अथवा ज्ञान कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत स्तर पर प्रति वर्ष कम-से-कम 10 कार्य दिवस SSR हेतु समर्पित करने की आवश्यकता होगी।
- **आउटरीच गतिविधियाँ (Outreach activities):** यह आवश्यक बजटीय सहायता के साथ आउटरीच गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता को चिन्हित करती है। प्रत्येक ज्ञान संस्थान अपने SSR लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपनी कार्यान्वयन योजना को तैयार करेंगे।
- **समीक्षा और मूल्यांकन (Appraisal and evaluation):** इस नीति के अंतर्गत ज्ञान कार्यकर्ताओं/वैज्ञानिकों को उनके वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा और मूल्यांकन में व्यक्तिगत SSR गतिविधियों के लिए श्रेय प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
  - किसी भी संस्थान को अपनी SSR गतिविधियों और परियोजनाओं को **पूरा करने हेतु बाहरी सहायता प्राप्त करने (outsource)** अथवा उप-अनुबंध करने की (sub-contract) **अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।**

VISION IAS

- संस्थानों द्वारा अपने सभी ज्ञान कार्यकर्ताओं को योगदान करने के बारे में उनके नैतिक उत्तरदायित्व के संबंध में **जागरूक** बनाया जाएगा।
- संस्थागत परियोजनाओं और व्यक्तिगत गतिविधियों का आकलन करने के लिए प्रत्येक संस्थान में एक **SSR निगरानी प्रणाली** उपलब्ध होनी चाहिए।

- **कार्यान्वयन एजेंसी (Implementation agency):** SSR को लागू करने हेतु DST में एक केंद्रीय एजेंसी की स्थापना की जाएगी। अन्य केंद्र और राज्य मंत्रालयों को भी अपने अधिदेश के अनुसार SSR को लागू करने के लिए योजना बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय पोर्टल (National portal):** नीति के कार्यान्वयन हेतु एक **राष्ट्रीय पोर्टल** विकसित किया जाएगा ताकि वैज्ञानिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता वाली सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा यह कार्यान्वयनकर्ताओं और SSR गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा।

लाभ

- **समाधान उपलब्ध कराना:** SSR में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं के लिए वैज्ञानिक और अभिनव समाधान उपलब्ध कराने की क्षमता विद्यमान है, विशेष रूप से समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों तथा छात्रों के लिए। इसके माध्यम से देश में परिवर्तन हो रहा है।
- **स्टार्ट-अप इकोसिस्टम:** SSR वैज्ञानिक समुदाय के मध्य नैतिक दायित्व को अंतःस्थापित करेगा, जो S&T परिवेश और समाज को प्रभावित करने वाली सामाजिक उद्यमिता तथा स्टार्ट-अप्स को गति प्रदान (ट्रिगर) कर सकती है। साथ ही यह आकांक्षी जिलों के रूपांतरण, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों को पूरकता प्रदान कर समावेशी वृद्धि एवं विकास को भी बढ़ावा दे सकती है।
- **संस्थानों को सुदृढ़ करना और समाज के साथ S&T का एकीकरण:** यह नीति संस्थानों के मौजूदा प्रयासों को संगठित और स्थायी तरीके से सुदृढ़ करेगी तथा साथ ही, समाज को लाभान्वित करने हेतु S&T क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करेगी।
- **सहयोगात्मक परिवेश:** विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अन्य शोधकर्ताओं के साथ प्रयोगशालाओं में S&T संसाधनों के सहयोग और साझाकरण के अवसर सृजित करना।
- **कौशल और तकनीकी उन्नयन:** कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना और वैज्ञानिक ज्ञान का उन्नयन करना।
- **सर्वोत्तम प्रथाएं और वैज्ञानिक मनोवृत्ति:** देश में गुणक प्रभाव (multiplier effect) उत्पन्न करने हेतु SSR से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं और सफल मॉडल की पहचान करना।

निष्कर्ष

इस नीति के तहत देश भर में व्यापक स्तर पर समाज के लाभ हेतु विज्ञान के संचालन में एक सांस्कृतिक परिवर्तन आरंभ करने के लिए सभी हितधारकों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर संगठित रीति से विज्ञान और समाज की संपर्कता को सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है।

7.2. वैक्सीन हेज़िटन्सी

(Vaccine Hesitancy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **'वैक्सीन हेज़िटन्सी (टीकाकरण के प्रति अनिच्छा अथवा इसे अस्वीकृत करना)' को वैश्विक स्वास्थ्य** के समक्ष विद्यमान **10 खतरों में से एक के रूप में शामिल किया है।** WHO ने यह रेखांकित किया है कि **'वैक्सीन हेज़िटन्सी' को नियंत्रित करने** से खसरे (measles) के संक्रमण के वैश्विक प्रसार को कम किया जा सकता है।

वैक्सीन हेज़िटन्सी क्या है?

- WHO द्वारा वैक्सीन हेज़िटन्सी को "टीके की उपलब्धता के बावजूद टीकाकरण के प्रति अनिच्छा अथवा इसे अस्वीकार करने" के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संतुष्टि, उपयुक्तता और आत्मविश्वास जैसे कारकों से प्रभावित होती है।
  - टीकाकरण के संबंध में संशय व्यक्ति, समूह और प्रासंगिक प्रभावों के साथ-साथ किसी भी टीकाकरण-विशिष्ट मुद्दों के कारण उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण लोग स्वयं या अपने बच्चों के लिए टीकाकरण को अस्वीकृत कर सकते हैं।
- भारत और चीन जैसी अधिक जनसंख्या वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं एवं साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वैक्सीन हेज़िटन्सी का विकास एक **खतरनाक वैश्विक प्रवृत्ति बनी हुई है।**

वैक्सीन हेज़िटन्सी हेतु उत्तरदायी कारक

ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों की एक जटिल संरचना, जिसके अंतर्गत दिन-प्रतिदिन की सामुदायिक सामाजिक नेटवर्किंग प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ये प्रक्रियाएं अभिभावकों को उनके बच्चों का टीकाकरण न करवाने हेतु उपेक्षा का भाव उत्पन्न करती हैं।

- **संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में टीकाकरण विरोधी आंदोलन (anti-vaccination movement) के उदय** के कारण माता-

पिता में अपने बच्चों के लिए टीके का प्रतिरोध करने और टीकाकरण में विलम्ब करने जैसी घटनाओं में वृद्धि देखी गई है।

- टीकाकरण के पश्चात् बच्चों के लिए **टीके और उसके प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित जोखिमों के कारण भय उत्पन्न होता है।**
- **धार्मिक रूढ़िवादिता और अफवाहों से प्रभावित होकर,** पोलियो अभियान (भारत में वर्ष 2014 में इस रोग के उन्मूलन से पूर्व) के प्रति उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक स्तर पर सामुदायिक प्रतिरोध देखा गया।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अपर्याप्तता और असमानताओं** ने सामुदायिक विश्वास में अत्यधिक कमी की है।
- प्रायः बच्चों का टीकाकरण कराने हेतु **बल या दबाव का प्रयोग, विशिष्ट एकल-व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम (specific single-disease mass-immunization programmes)** के प्रति अभिभावकों में प्रतिरोध को बढ़ावा देता है।
    - स्कूलों में बच्चों के टीकाकरण के समक्ष प्रमुख अवरोध में से एक **माता-पिता की असहमति का होना है**। ज्ञातव्य है कि न्यायालयों द्वारा इस संबंध में अभिभावकों का समर्थन किया गया और दिल्ली में इस अभियान पर रोक लगा दी गई। इसी प्रकार, मुंबई में 70 से अधिक स्कूलों ने अभिभावकों द्वारा किए गए विरोध के कारण खसरा-टीकाकरण कार्यक्रम (measles-vaccination programme) का समर्थन नहीं किया।

वैक्सीन हेज़िटन्सी से निपटने के लिए आवश्यक उपाय

- **हेज़िटन्सी के कारकों का व्यवस्थित आकलन:** WHO द्वारा निम्न-टीकाकरण (under-vaccination) के कारणों का पता लगाने और उनके समाधान तथा समय के साथ संगत और तुलनीय डेटा को ट्रैक करने हेतु कार्यक्रमों एवं भागीदारों का समर्थन करने के लिए उपकरणों का एक समुच्चय विकसित किया जा रहा है।
    - नवंबर 2018 में, इन उपकरणों के विकास की निगरानी हेतु मुख्य भागीदारों के सहयोग से WHO द्वारा **'मेजरिंग बिहेवियरल एंड सोशल ड्राइवर ऑफ वैक्सीनेशन' (BeSD)** नामक एक वैश्विक विशेषज्ञ समूह की स्थापना की गई, जिसे वर्ष 2020 के अंत तक अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है।
- **हेज़िटन्सी को दूर करना और निरंतरता बनाए रखना:** अधिकांश मामलों में, टीकाकरण संबंधी हस्तक्षेपों को **संवाद आधारित होना चाहिए** और इसे प्रत्यक्ष रूप से **निम्न-टीकाकरण वाली आबादी समूह के लिए लक्षित किया जाना चाहिए।**
    - स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अभिभावकों/माता-पिता और उनके परिवारों व समुदायों को सहयोगात्मक रूप से संलग्न करके, बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं, प्रणालियों, नीतियों और संचार रणनीतियों को विकसित करने हेतु अंतर्दृष्टि विकसित की जा सकती है, जो अनुशंसित टीकाकरण व्यवहारों का समर्थन करे।
    - पहुंच और समानता तथा टीकाकरण एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु समुदायों द्वारा मुख्य संचालक की भूमिका का निर्वहन किया जाना चाहिए।
- **गलत सूचना संबंधी समस्या का समाधान करना:** सोशल मीडिया ने टीके के संबंध में गलत सूचना को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में टीके के संबंध में गलत सूचनाओं के **"प्रसार को रोकने"** के लिए फेसबुक द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धता, टीकाकरण की उपेक्षा करने वालों के विरुद्ध सहायक सिद्ध हो सकती है।

7.3. ई-सिगरेट

(E-Cigarettes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **"इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अध्यादेश, 2019"** की घोषणा को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

पृष्ठभूमि

- यह निर्णय वर्ष 2018 में सरकार द्वारा सभी राज्यों को ई-सिगरेटों को प्रतिबंधित करने पर विचार करने के लिए जारी परामर्श (advisory) की पृष्ठभूमि में लिया गया है। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व 16 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश द्वारा अपने क्षेत्राधिकारों में ई-सिगरेटों को प्रतिबंधित कर दिया गया था।
- पारंपरिक सिगरेटों के विपरीत, ई-सिगरेट में तंबाकू का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसे **'सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण) अधिनियम, 2003'** के तहत विनियमित नहीं किया जाता है।
- हाल ही में, इस विषय पर जारी एक श्वेत पत्र में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने वर्तमान में उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ई-सिगरेटों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की थी।
- प्रायः इन उत्पादों का पारंपरिक सिगरेटों के अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्पों के रूप में विपणन किया जाता है, किन्तु इस प्रकार की सुरक्षा संबंधी धारणाएं असत्य होती हैं।

- अधिकांश ई-कॉमर्स वेबसाइटों द्वारा ई-सिगरेट का चिकित्सीय उत्पादों (therapeutic products) के रूप में विक्रय किया जाता है, जो लोगों को इनका उपयोग करने हेतु प्रेरित करते हैं।
- दूसरी ओर, उपलब्ध अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि ये उत्पाद धूम्रपान न करने वाले, विशेषकर युवाओं और किशोरों में निकोटीन के उपयोग को प्रेरित करने वाले प्रमुख उत्पादों (gateway products) के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये पारंपरिक तंबाकू उत्पादों के व्यसन और उसके अनुवर्ती उपयोग (subsequent use) को बढ़ावा देते हैं।

अध्यादेश के प्रमुख प्रावधान

- **ई-सिगरेट पर प्रतिबंध:** इस अध्यादेश के तहत ई-सिगरेटों के किसी प्रकार के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय (ऑनलाइन विक्रय सहित), वितरण अथवा विज्ञापन (ऑनलाइन विज्ञापन सहित) को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है।
- **दंड:** पहली बार अपराध के मामले में एक वर्ष तक का कारावास अथवा एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है।
  - दोबारा अपराध करने पर तीन वर्ष तक का कारावास और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  - इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के भंडारण हेतु भी छह माह तक का कारावास अथवा 50 हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।
- **उत्पादकों का कर्तव्य:** अध्यादेश लागू होने की तिथि पर, ई-सिगरेटों के मौजूदा भंडारों के मालिकों को इन भंडारों की स्वतः घोषणा करके इसे निकटवर्ती पुलिस थाने में जमा कराना होगा।
- **प्राधिकृत अधिकारी:** पुलिस उपनिरीक्षक को अध्यादेश के तहत कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। अध्यादेश के प्रावधानों को लागू करने हेतु, केंद्र अथवा राज्य सरकारें किसी अन्य समकक्ष अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट कर सकतीहैं।

ई-सिगरेट के बारे में

- इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक बैटरी-युक्त उपकरण होता है, जिसके द्वारा निकोटिन युक्त विलयन को गर्म करके एयरोसोल को उत्पन्न किया जाता है। ज्ञातव्य है कि निकोटिन, सामान्य सिगरेटों में उपलब्ध एक व्यसनकारी पदार्थ होता है।
- इनमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिवरी सिस्टम, हीट नॉट बर्न उत्पाद, ई-हुक्का और इस प्रकार के अन्य उपकरण शामिल होते हैं।
- ई-सिगरेट के सेवन को वैपिंग भी कहा जाता है।

ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में तर्क

- **विश्वसनीय साक्ष्यों का अभाव:** प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि ई-सिगरेट के प्रयोग से धूम्रपान को छोड़ने में सहायता मिलती है, जबकि तथ्य यह कि देश में ई-सिगरेट की मांग में 77% की वृद्धि हुई है।
- **व्यसन को बढ़ावा:** लोगों को धूम्रपान के व्यसन से बाहर निकालने के इसके इच्छित उद्देश्य के विरुद्ध यह धूम्रपान के अधिक व्यसन को बढ़ावा देता है। वैपिंग से किशोर निकोटीन के व्यसनी हो सकते हैं और वे अन्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग करने हेतु प्रेरित हो सकते हैं।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** निकोटीन हृदय संबंधी रोगों (cardiovascular diseases) को बढ़ावा देता है और यह भ्रूणावस्था के दौरान शिशु के मस्तिष्क के विकास को भी प्रभावित कर सकता है।
  - ई-सिगरेट के सेवन से शरीर में कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायनों, जैसे- फॉर्मेल्डिहाइड का प्रसार होता है।
  - भ्रूण और किशोर का निकोटीन से संपर्क मस्तिष्क के विकास को दीर्घकालिक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह संभावित रूप से अधिगम क्षमता और मनोवैज्ञानिक विकारों को उत्पन्न कर सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय अनुभव:** भारत, WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO FCTC) का एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है। वर्ष 2014 में, WHO FCTC ने अपने सभी हस्ताक्षरकर्ता सदस्यों को अपने देशों में ई-सिगरेट को प्रतिबंधित या विनियमित करने पर विचार करने हेतु आमंत्रित किया था। ब्राजील और सिंगापुर सहित 25 देशों ने ई-सिगरेट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है।

ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के विपक्ष में तर्क

- **तंबाकू उत्पादों पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता:** सरकार को ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के बजाय तंबाकू के उपभोग को नियंत्रित करने हेतु मूल सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **अवैध गतिविधियों के संचालन की निरंतरता:** पहले से ही, 28 राज्यों में से 16 राज्य वैपिंग उत्पादों पर प्रतिबंध आरोपित कर चुके हैं, किन्तु इन्हें अभी भी दुकानों (stores) पर बेचा जाता है और साथ ही ये ऑनलाइन खरीद हेतु भी उपलब्ध हैं।
- **धूम्रपान करने वालों की संख्या में कमी:** ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (जो ई-सिगरेट की प्रभावकारिता को रेखांकित करता है) के अनुसार भारत में धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या वर्ष 2010 के 275 मिलियन से कम होकर वर्ष 2016-17 में 200 मिलियन तक हो गई।

VISION IAS

निष्कर्ष

- विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि सरकार को ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय इसे विनियमित करने और किशोरों के मध्य स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

7.4. डॉ. विक्रम साराभाई

(Dr. Vikram sarabhai)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इसरो द्वारा अपने संस्थापक डॉ. विक्रम साराभाई के 100वें जन्म दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि स्वरूप एक वर्ष तक संचालित रहने वाले कार्यक्रम की योजना बनायी जा रही है।

डॉ. विक्रम साराभाई के बारे में

- डॉ. विक्रम साराभाई का जन्म, वर्ष 1919 में **अहमदाबाद** में हुआ था। इन्हें **भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या संस्थापक** माना जाता है।
- डॉ. विक्रम साराभाई को एक महान संस्था-निर्माता (institution builder) के तौर पर भी जाना जाता है तथा विविध क्षेत्रों में अनेक संस्थाओं की स्थापना में उन्होंने सहयोग प्रदान किया है।
- वर्ष 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (Physical Research Laboratory: PRL) की स्थापना में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही।
- उन्होंने वर्ष 1947 में **अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एसोसिएशन** की स्थापना की और वर्ष 1956 तक इसके प्रबंधन कार्यों में संलग्न रहे।
- रूसी स्पुतनिक (उपग्रह) के प्रक्षेपण के पश्चात्, वे भारत जैसे विकासशील देश हेतु अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने के सन्दर्भ में सरकार को सहमत करने में सफल रहे थे। इसके लिए उन्होंने वर्ष 1962 में **इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च** की स्थापना की, जिसे बाद में **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** के रूप में पुनः नामकरण किया गया।
- वर्ष 1963 में उन्होंने शुरूआती परीक्षणों के साथ तिरुवनंतपुरम में **थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन** स्थापित करने में सहायता प्रदान की। बाद में इसका नाम परिवर्तित कर **विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) कर दिया गया।**
- उन्होंने अहमदाबाद के अन्य उद्योगपतियों के साथ मिलकर **भारतीय प्रबंधन संस्थान (Indian Institute of Management: IIM), अहमदाबाद** की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उन्होंने प्रथम भारतीय उपग्रह, **'आर्यभट्ट'** पर भी कार्य किया था।
- डॉ. साराभाई द्वारा स्थापित कुछ अन्य सुविख्यात संस्थान निम्नलिखित हैं:
  - कम्यूनिटी साइंस सेंटर, अहमदाबाद
  - दर्पण एकेडेमी फ़ॉर परफ़ार्मिंग आर्ट्स, अहमदाबाद (अपनी पत्नी के सहयोग से)
  - स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, अहमदाबाद (यह संस्थान साराभाई द्वारा स्थापित छह संस्थानों/केंद्रों के विलय के बाद अस्तित्व में आया)
  - फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (FBTR), कलपक्कम
  - वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन प्रॉजेक्ट, कोलकाता
  - इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ECIL), हैदराबाद
  - यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (UCIL), जादूगोड़ा (झारखंड)
- वर्ष 1966 में भौतिक विज्ञानी होमी भाभा की मृत्यु के पश्चात्, साराभाई को भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में भाभा के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए, साराभाई ने भारतीय परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने रक्षा उद्देश्यों हेतु परमाणु प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास को बुनियादी आधार प्रदान किया।

पुरस्कार और सम्मान

- वर्ष 1962 में उन्हें **शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार**, वर्ष 1966 में **पद्म भूषण** और वर्ष 1972 में **पद्म विभूषण** (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया।
- वर्ष 1973 में, चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम साराभाई के नाम पर रखा गया था।
- डॉ. विक्रम साराभाई के सम्मान में चंद्रयान 2 (भारत के दूसरे चंद्र मिशन) के लैंडर का नाम **'विक्रम'** रखा गया है।

7.5. नाविक

(NaVIC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मोबाइल टेलीफोनी के लिए प्रोटोकॉल्स को विकसित करने वाले वैश्विक मानक निकाय, **थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट (3GPP)** ने भारत की क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली "नाविक" (NaVIC) के उपयोग हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है।

विवरण

- भारत की क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली के अनुमोदन के कारण अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मोबाइल उपकरण विनिर्माताओं द्वारा नाविक के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
    - मोबाइल विनिर्माता कंपनियां अब नाविक के साथ सुसंगत (compatible) नौवहन उपकरणों का व्यापक स्तर पर उत्पादन कर सकती हैं, जिससे इन उपकरणों के उपयोगकर्ता सरलता से नाविक सिग्नल्स तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।
- 3GPP द्वारा नाविक को स्वीकृति प्रदान किए जाने से 4G, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) में उपयोग हेतु वाणिज्यिक बाजार में नाविक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा।
- भारतीय कंपनियों और स्टार्ट-अप्स को नाविक प्रणाली पर आधारित इंटीग्रेटेड सर्किट्स एवं उत्पादों को विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा।

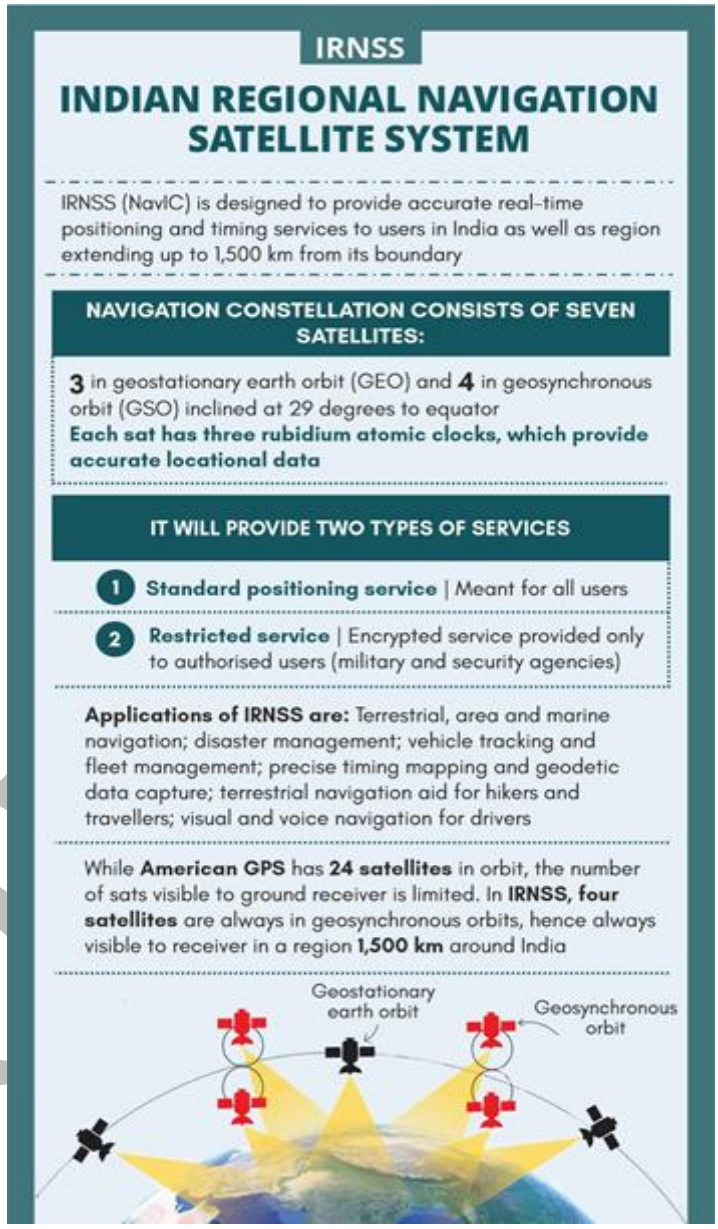

3GPP के बारे में

- 3GPP, सात दूरसंचार मानक विकास संगठनों (यथा- ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA व TTC) का एक संघ है।
- इसके अंतर्गत रेडियो एक्सेस, कोर नेटवर्क एवं सेवा क्षमताओं सहित सेलुलर दूरसंचार प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जो मोबाइल दूरसंचार से संबंधित संपूर्ण प्रणालीगत विवरण प्रदान करती हैं।
- 3GPP के पास वर्तमान में सेलुलर पोजिशनिंग सिस्टम के लिए BDS (चीन), गैलिलियो (यूरोप), ग्लोनास (रूस) और GPS (अमेरिका) समर्थित वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली (global navigation satellite system) उपलब्ध है।

7.6. क्वांटम कम्प्यूटिंग

(Quantum Computing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

गूगल के क्वांटम कंप्यूटिंग लैब द्वारा प्रकाशित हालिया शोध पत्र में यह घोषणा की गई है कि गूगल कंपनी ने क्वांटम सुप्रमेसी (quantum supremacy) के संबंध में उल्लेखनीय दक्षता प्राप्त कर ली है।

अन्य संबंधी तथ्य

- शोधकर्ताओं द्वारा क्वांटम कंप्यूटर की सहायता से किसी भी प्रकार की गणना संबंधी दक्षता को **क्वांटम सुप्रमेसी** के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे किसी भी पारंपरिक कंप्यूटर के माध्यम से संपादित नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि सुपर कंप्यूटर द्वारा भी इस प्रकार की गणना में अत्यधिक समय लग सकता है।
- **साइकैमोर (Sycamore)** नामक गूगल के क्वांटम कंप्यूटर द्वारा 'सुप्रमेसी' का दावा किया गया है क्योंकि इसके द्वारा कथित तौर पर एक निश्चित गणना को करने में 200 सेकंड का समय लिया गया था, जिसे स्पष्ट रूप से पूरा करने में एक सुपर कंप्यूटर को 10,000 वर्ष का समय लग सकता है।

क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है?

- क्वांटम कंप्यूटिंग अध्ययन का वह क्षेत्र है, जो **क्वांटम सिद्धांतों (principles of quantum theory) के आधार पर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को विकसित करने पर केंद्रित है।** यह क्वांटम (परमाण्विक और अपरमाणविक) स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार की व्याख्या करता है।
- क्वांटम कंप्यूटर में सूचनाओं की एनकोडिंग **क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स** के रूप में की जाती है, जो सुपरपोजिशन की स्थिति में बने रहने में समर्थ होते हैं।
- क्यूबिट्स वस्तुतः परमाणुओं, आयनों, फोटॉन या इलेक्ट्रॉनों और उनके संबंधित नियंत्रण उपकरणों को निरूपित करते हैं, जो कंप्यूटर मेमोरी और प्रोसेसर के रूप में कार्य करने हेतु एक साथ कार्य करते हैं।
- चूँकि क्वांटम कंप्यूटर के तहत विभिन्न स्थितियों की गणना एक साथ की जा सकती है, इसलिए यह वर्तमान के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की तुलना में लाखों गुना अधिक गणना करने की क्षमता से युक्त है।
- **अनुप्रयोग:** क्वांटम कंप्यूटर अग्रलिखित क्षेत्रों में नए महत्वपूर्ण शोधों के विकास को प्रेरित कर सकते हैं: विज्ञान, जीवन की सुरक्षा के लिए औषधि का प्रयोग हेतु, रोगों के शीघ्र निदान हेतु मशीन लर्निंग प्रणाली का उपयोग हेतु, अधिक कुशल उपकरणों और संरचनाओं के निर्माण हेतु सामग्री हेतु, सेवानिवृत्ति के पश्चात् बेहतर जीवनयापन करने हेतु, वित्तीय रणनीति हेतु तथा एल्गोरिदम की सहायता से एंबुलेंस जैसे संसाधनों को त्वरित निर्देशित करने हेतु आदि।

क्वांटम कंप्यूटिंग और भारत

- अभी तक भारत में क्वांटम कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है।
- वर्ष 2018 में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग पर अनुसंधान को त्वरित करने हेतु **क्वांटम-इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी (QuST)** नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।

क्वांटम कंप्यूटर बनाम क्लासिकल कंप्यूटर

- **क्लासिकल कंप्यूटर एक बाइनरी प्रारूप (binary format) में सूचनाओं को संसाधित (process) करता है, जिन्हें बिट्स कहा जाता है।** बिट्स या तो 0 या 1 को प्रदर्शित करते हैं। **इसके विपरीत क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम बिट्स अथवा क्यूबिट्स नामक लॉजिकल यूनिट्स (logical units)** का उपयोग करता है। इन्हें क्वांटम अवस्था में रखा जा सकता है, जहाँ वे एक साथ 0 और 1 दोनों तथा उनके सहसंबंध को प्रदर्शित कर सकते हैं।
- एक **क्लासिकल कंप्यूटर में बिट्स परस्पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं**, जबकि **एक क्वांटम कंप्यूटर में एक क्यूबिट की स्थिति सिस्टम में अन्य सभी क्यूबिट्स की अवस्था को प्रभावित करती है**, इसलिए परिणामों को प्रदर्शित करने हेतु वे सभी एक साथ कार्य करते हैं।

7.7. स्वदेशी फ़्यूल सेल

(Indigenous Fuel Cell)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत के प्रथम स्वदेशी फ़्यूल सेल प्रणाली (indigenous fuel cell system)** का अनावरण किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसे **वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)** द्वारा **पुणे** स्थित इंजीनियरिंग फर्म, थर्मैक्स लिमिटेड की साझेदारी के साथ विकसित किया गया है।
- इसे **न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव (NMITLI)** नामक फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है।
- यह **5 किलोवाट फ़्यूल सेल आधारित** एक प्रणाली होगी, जो **मेथेनॉल/बायो-मीथेन का उपयोग कर** अन्य स्रोतों की तुलना में **70% अधिक दक्षता** के साथ विद्युत उत्पन्न करेगी।

फ़्यूल सेल प्रौद्योगिकी के बारे में

- फ़्यूल सेल एक बैटरी के समान होता है जो **विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करता है।**
- इसमें **ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के स्रोत** का उपयोग किया जाता है जो दहन प्रक्रिया से रहित होता है।
- वायु में विद्यमान ऑक्सीजन की सहायता से हाइड्रोजन परमाणुओं का ऑक्सीकरण होता है और इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जो एक बाहरी सर्किट से विद्युत प्रवाह के रूप में प्रवाहित होते हैं।
- ऊष्मा और जल, फ़्यूल सेल के **उपोत्पाद (byproducts)** हैं।

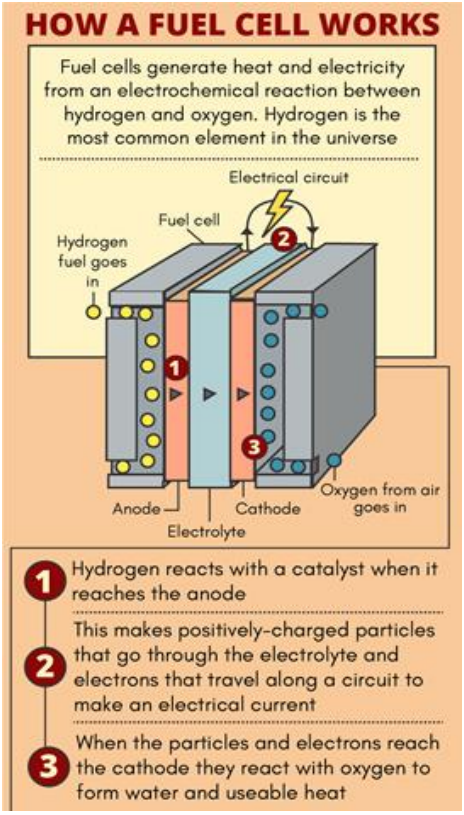

VISION IAS

- फ़्यूल सेल में विद्युत उत्पादन क्षमता अलग-अलग होती है जो छोटे उपकरणों में कुछ वाट से लेकर बड़े विद्युत संयंत्रों में कई मेगावाट तक हो सकती है।

न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव (NMITLI)

- यह **CSIR की एक पहल** है और देश में R&D क्षेत्र के तहत सबसे बड़ी सार्वजनिक-निजी-साझेदारी पहल है।
- यह चयनित विशिष्ट क्षेत्रों (selected niche areas) में भारतीय उद्योग को वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में परिवर्तित करने हेतु एक संचालक के रूप में नवाचार केंद्रित वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को प्रेरित करने का प्रयास करता है।
- NMITLI ने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 50 से अधिक व्यापक स्तर पर नेटवर्क परियोजनाओं को विकसित किया है। इसमें शामिल हैं- कृषि और प्लांट बायो-टेक्नोलॉजी, सामान्य जैव-प्रौद्योगिकी, जैव सूचना विज्ञान, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, सामग्री, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा।

7.8. सिरेमिक मेम्ब्रेन

(Ceramic Membranes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारी धातुओं से संदूषित जल के उपचार हेतु कोलकाता स्थित **केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान** (Central Glass and Ceramic Research Institute: CGCRI) द्वारा सिरेमिक मेम्ब्रेन विकसित किया गया है।

सिरेमिक मेम्ब्रेन के बारे में

- इसे **एल्यूमिना और क्ले जैसे अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण** से तैयार किया जाता है।
- जल को जब इन झिल्लियों (मेम्ब्रेन) से प्रवाहित किया जाता है, तब यह फिल्टर **अन्य प्रदूषकों के साथ-साथ आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड आदि धातुओं को पृथक कर देता** है।
- इसकी **अवशोषण क्षमता अन्य मेम्ब्रेन (झिल्ली) की तुलना में 8 गुना अधिक** होती है तथा यह जल के अपव्यय को कम करता है और निस्यंदन सम्बन्धी विषम परिस्थितियों में भी कार्य कर सकता है।
- ये मेम्ब्रेन बिना प्रतिस्थापित किए लगभग 10-15 वर्षों तक कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थ, औषधि एवं रसायन, अपशिष्ट उपचार तथा पुनर्चक्रित उद्योगों जैसे अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। इसके साथ ही विशेष रूप से पेट्रोकेमिकल प्रसंस्करण में इनकी उपयोगिता अत्यधिक है जहां कार्बनिक मेम्ब्रेन उपयोगी नहीं होते हैं।

भारत के लिए यह तकनीक महत्वपूर्ण क्यों है?

- **जल जनित रोगों की अधिकता:** एक अनुमान के अनुसार, भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 50-60% जनसंख्या जल जनित रोगों से ग्रसित है। जल में भारी धातुओं की उपलब्धता के कारण हृदय रोग, बच्चों में विकास संबंधी विकार, न्यूरोलॉजिक और न्यूरोबिहेवरियल विकार, मधुमेह, श्रवण क्षति, हेमटोलॉगिक एवं इम्यूनोलॉजिक जैसे विकार उत्पन्न होते हैं।
- **उपलब्ध प्रोद्योगिकियों की सीमाएं:** भारत में उपलब्ध अन्य माइक्रो वॉटर फिल्टर जैसे कि RO, UV, UF आदि जल में पायी जाने वाली घुलित अशुद्धियों, सूक्ष्मजीवों, रसायनों और लवणों को तो हटाने में सक्षम हैं किन्तु ये धातु प्रदूषकों को हटाने में असमर्थ होते हैं।

7.9. शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019

(Shanti Swarup Bhatnagar Prize for 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों हेतु 12 वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है।

शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में

- **प्रदानकर्ता:** यह पुरस्कार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research) द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे पहली बार वर्ष **1958** में प्रदान किया गया था।
- **उद्देश्य:** यह पुरस्कार उल्लेखनीय और असाधारण अनुसंधान एवं शोध {(अनुप्रयुक्त या मूलभूत (applied or fundamental)} के लिए प्रतिवर्ष निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है:
  - भौतिक विज्ञान (Physical Sciences),
  - रसायन विज्ञान (Chemical Sciences),
  - जीव विज्ञान (Biological Sciences),
  - चिकित्सा विज्ञान (Medical Sciences),

- गणितीय विज्ञान (Mathematical Sciences),
- अभियांत्रिकी विज्ञान (Engineering Sciences) और
- पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान (Earth, Atmosphere, Ocean and Planetary Science)।

- **पात्रता:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में **45 वर्ष** की आयु तक अनुसंधान कार्यों में संलग्न भारत का कोई भी नागरिक इस हेतु पात्र है। भारत में शोध सम्बन्धी कार्यों में संलग्न **प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI)** भी इस हेतु पात्र हैं।
- **पुरस्कार:** पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति को **5 लाख रुपये** की नकद राशि प्रदान की जाती है।

डॉ. शांति स्वरूप भटनागर के बारे में

- डॉ. शांति स्वरूप भटनागर **वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के संस्थापक निदेशक (बाद में पहले महानिदेशक)** थे। इनके द्वारा देशभर में 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई थी। इन्हें वर्ष 1954 में राष्ट्रपति द्वारा **पद्म विभूषण** से सम्मानित किया गया था।
- स्वतंत्रता के पश्चात् उन्होंने **विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना के निर्माण तथा भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।**
- रासायन विज्ञान के कई क्षेत्रों में इनके शोध का विशिष्ट योगदान रहा है, **जिसके अंतर्गत पायस (emulsions), कोलाइड्स और औद्योगिक रसायन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। चुंबक रसायन (Magneto-chemistry) के क्षेत्र में उनका अग्रणी शोध विश्व भर में प्रशंसनीय है।**
- भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (NRDC) की स्थापना में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

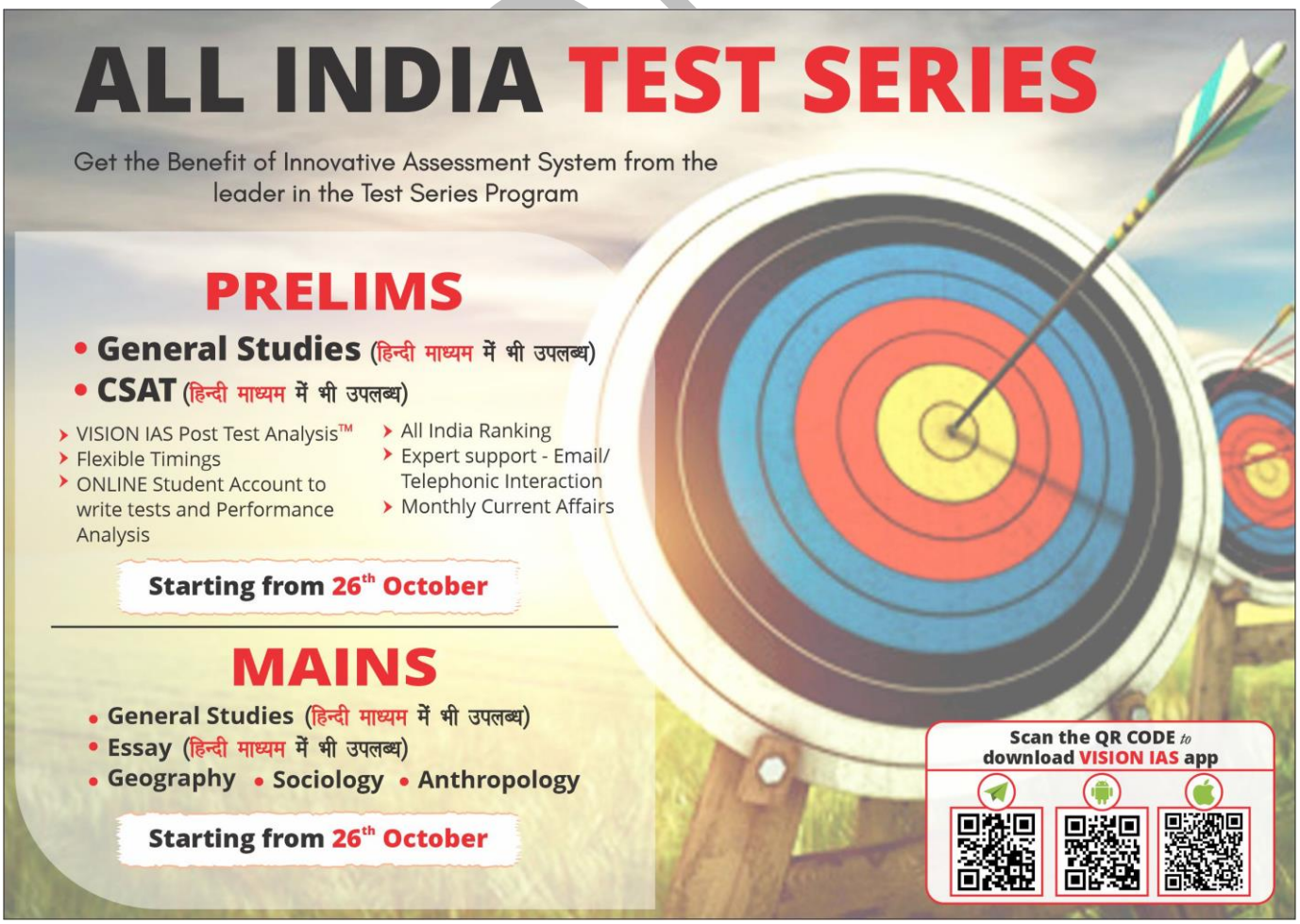

8. संस्कृति (Culture)

8.1. हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित नए तथ्य

(New Findings on the Decline of Harappan Civilization)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **राखीगढ़ी** से प्राप्त **कुछ अस्थिपंजरों के अवशेषों** के DNA विश्लेषण ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में **आर्य-आक्रमण के सिद्धांत पर प्रश्न-चिन्ह** आरोपित किए हैं।

राखीगढ़ी

- राखीगढ़ी पुरास्थल भारतीय उपमहाद्वीप की अतिप्राचीन हड़प्पा सभ्यता के पांच ज्ञात सबसे वृहत नगरों में से एक था।
- राखीगढ़ी के विशिष्ट पुरास्थल के एक विशाल क्षेत्र में पांच अंतर्संबंधित टीले विस्तारित थे।
- यह स्थल परिपक्व हड़प्पा चरण का प्रतिनिधित्व करता है तथा नियोजित नगर-क्षेत्र, कच्ची एवं साथ ही साथ पक्की ईंटों से निर्मित आवास भवन, उचित जल-निकासी प्रणाली आदि विशेषताओं से युक्त था।
- मृदभांड उद्योग में लाल रंग के मृदभांडों की प्रधानता थी तथा साथ ही साधार तश्तरियों (dish on stand), फूलदान (vase), मर्तबानों, कटोरियों, टोंटीदार पात्रों (beaker), छिद्रित मर्तबानों, प्यालों (goblet) और हांडियों का भी निर्माण किया जाता था।
- इस स्थल से उत्खनन के दौरान कच्ची ईंटों से निर्मित पशुबलि से संबद्ध गर्त एवं मिट्टी के फर्श पर त्रिकोणीय तथा वृत्तीय संरचना में निर्मित अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जो हड़प्पा सभ्यता की आनुष्ठानिक प्रथाओं को प्रदर्शित करते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, **"प्राचीन हड़प्पा जीनोम में स्टेपी पशुचारकों तथा ईरानी कृषकों के वंशावली की अनुपस्थिति"** (An Ancient Harappan Genome Lacks Ancestry from Steppe Pastoralists and Iranian Farmers) नामक शीर्षक से एक पेपर (लेख) प्रकाशित किया गया है, जिसमें आर्य-आक्रमण सिद्धांत के अनेक उल्लेखनीय बिंदुओं को चुनौती दी गई है।
- इस पेपर में यह वर्णित किया गया है कि दक्षिण एशिया में किसी भी प्रकार का आर्य आक्रमण और आर्य प्रवास (माइग्रेशन) नहीं हुआ था तथा इस क्षेत्र में आखेट-खाद्य संग्रह चरण से आधुनिक युग तक हुए सभी विकास स्थानीय लोगों द्वारा सम्पादित किए गए।

आर्य-आक्रमण सिद्धांत के बारे में

- **ब्रिटिश पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर द्वारा प्रदत्त** इस सिद्धांत के अनुसार, **आर्य** नामक एक खानाबदोश इंडो-यूरोपियन जनजाति (स्टेपी पशुचारक या अनातोलिया की जनजाति तथा ईरानी कृषक), द्वारा सैंधव सभ्यता पर अचानक आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया गया तथा इस प्रकार यह जनजाति **सैंधव सभ्यता के पतन का कारण बनी।**
- व्हीलर का यह मानना था कि **मोहनजोदड़ो के शीर्ष स्तरों से प्राप्त कई बिना दफनाए हुए नर-कंकाल** युद्ध में हताहत हुए व्यक्तियों के थे।
- यह सिद्धांत यह भी संकेत करता है कि शांतिप्रिय हड़प्पाई लोगों के विरुद्ध अश्वों और अधिक उन्नत हथियारों के उपयोग के माध्यम से आर्यों ने इन्हें सरलता से पराजित कर दिया था।
- **ऋग्वेद से उद्धृत साक्ष्य**
  - ऋग्वेद में कई जगहों पर दास और दस्यु के दुर्गों का उल्लेख किया गया है। वैदिक देवता इंद्र को **"पुरंदर" अर्थात् "दुर्ग विध्वंसक (गढ़-विध्वंसक)" कहा गया है।**
  - ऋग्वेदकालीन आर्यों के आवासीय भौगोलिक क्षेत्र में पंजाब और घग्गर-हाकरा क्षेत्र सम्मिलित थे।
  - चूँकि इस ऐतिहासिक चरण में इस क्षेत्र में ऐसे किसी अन्य सांस्कृतिक समूहों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, जिन्होंने दुर्गों का निर्माण किया हो। अतः व्हीलर को यह विश्वास था कि वे हड़प्पाई नगर ही हैं, जिनका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है।
  - वस्तुत: ऋग्वेद में एक स्थल का वर्णन किया गया है जिसे हरियूपिया कहा गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर अवस्थित था। आर्यों ने यहाँ एक युद्ध किया था। इस स्थल का नाम हड़प्पा नाम से अत्यधिक सुमेलित है।
  - इन साक्ष्यों के आधार पर व्हीलर ने यह निष्कर्ष निकाला कि वे आर्य आक्रमणकारी ही थे जिन्होंने हड़प्पा के नगरों का विध्वंस किया।

नवीन अध्ययन द्वारा प्रस्तुत तथ्य

- सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी **विशिष्ट स्वदेशी लोग थे** तथा **अस्थिपंजर अवशेषों के DNA स्थानीय जनसंख्या से साम्य स्थापित करते हैं।**
  - मोहनजोदड़ो के दुर्गीकृत क्षेत्र के उपरी स्तरों से प्राप्त अस्थिपंजर अवशेष उन लोगों से संबंधित हैं, जिनकी **मृत्यु बाढ़ के कारण हुई थी ना कि आर्यों द्वारा**, जैसा कि सर मार्टिमर व्हीलर द्वारा परिकल्पना की गई है।

VISION IAS

- मध्य एशिया से लोगों का लघु स्तर पर प्रवास हुआ था तथा दक्षिण एशिया की जनसंख्या के साथ उनके जीन का अत्यल्प मिश्रण हुआ था। अत: इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उन्होंने सैंधव सभ्यता के लोगों की वंशावली को परवर्तित कर दिया था।
- ऐसा कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था जिसके कारण सम्पूर्ण आबादी विस्थापित हुई हो।
- सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीनोम दक्षिण एशियाई आबादी से संबंधित है।
- सिंधु घाटी सभ्यता की जनसंख्या में स्टेपी पशुचारकों या अनातोलिया तथा ईरानी कृषकों से संबद्ध वंशावली नहीं है।

- **कृषि:** यह ईरान से प्रवास के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रचलित हुई थी तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हड़प्पाई लोगों के जीन से संबंधित जनसंख्या दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न हैं।

हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित अन्य सिद्धांत

- हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबद्ध कई अन्य सिद्धांत भी हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-
  - **बाढ़ एवं भूकम्प:** ऐसी विपदाओं के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जैसे कि आवासीय भवन और गलियाँ अत्यधिक गाद निक्षेप द्वारा आच्छादित थे तथा सैंधव क्षेत्र अभी भी एक अशांत भूकम्पीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है।
    - **आलोचना-** इस सिद्धांत द्वारा सिन्धु घाटी से बाहर अवस्थित बस्तियों के पतन को वर्णित नहीं किया गया है तथा ऐसा माना गया है कि कोई नदी विवर्तनिक प्रभावों द्वारा अवरुद्ध नहीं हो सकती।
  - **सिन्धु नदी का मार्ग परिवर्तन:** ऐसे प्रमाण मिले हैं कि पवन संबंधी क्रियाओं के कारण हड़प्पा में गाद का निक्षेप हुआ था। रेत एवं तलछट पवनों के साथ प्रवाहित हुए थे न कि बाढ़ के साथ।
    - **आलोचना-** यह केवल मोहनजोदड़ो के परित्याग (desertion) का वर्णन करता है न कि उसके पतन का।
  - **वर्धित शुष्कता और घग्गर नदी का सूखना:** विविध साक्ष्य यह प्रमाणित करते हैं कि शुष्क जलवायुवीय परिस्थितियों के कारण कृषि का पतन हुआ था तथा विवर्तनिकी गतिविधियों के कारण घग्गर नदी सूख गई होगी।
    - **आलोचना-** घग्गर नदी के सूखने का अभी तक काल निर्धारण नहीं हो सका है।

8.2. संगम युग

(Sangam Age)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, तमिलनाडु में कीलादी (Keeladi) पुरास्थल के उत्खनन ने यह संकेत प्रदान किया है कि संगम युग की अवधि **छठी शताब्दी ई. पू. और प्रथम शताब्दी ईस्वी** के मध्य हो सकती है (पूर्व में संगम युग को तीसरी शताब्दी ई. पू. और तीसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य माना गया है)।

अन्य संबंधित तथ्य

- उत्खनन उपरांत प्राप्त परिणाम यह तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि तमिलनाडु के वैगई नदी के मैदानी क्षेत्रों {किजहादी (Keezhadi) पुरास्थल इस मैदानी क्षेत्र से संबंधित है} में **द्वितीय नगरीकरण** (प्रथम नगरीकरण सैंधव सभ्यता के दौरान) "गंगा के मैदानों" में हुए नगरीकरण के समय ही अर्थात् छठी शताब्दी ई. पू. में ही हुआ था।
  - वैगई नदी के मैदानी क्षेत्रों में **छठी शताब्दी ई. पू. में ही साक्षरता प्राप्त कर ली गई थी अथवा लेखन कला को ग्रहण कर लिया गया था।**
  - यहाँ से **कृषक समाज, पशुपालन और बुनकर उद्योग** के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
- ज्ञातव्य है कि **संगम युग की अवधि के विषय में संदेह व्याप्त है** तथा विभिन्न साहित्यिक विद्वानों ने **कम से कम तीन कालखंडों का सुझाव दिया है, यथा:**
  - पांचवी शताब्दी ई. पू. से पांचवी सदी ईस्वी।
  - द्वितीय शताब्दी ई. पू. से तृतीय सदी ईस्वी।
  - दसवीं शताब्दी ई. पू. से पांचवी सदी ईस्वी।

संगम युग के बारे में

संगम युगीन राजव्यवस्था

- प्राचीन काल में तमिल प्रदेश पर **तीन राजवंशों, यथा- चेर, चोल और पांड्यों** का शासन था तथा जिनके **राजकीय प्रतीक** क्रमशः धनुष, व्याघ्र और कार्प (मत्स्य) थे।
- संगम युग के दौरान शासन का स्वरूप वंशानुगत राजतंत्र था।
- संगम युग के दौरान **सैन्य प्रशासन कुशलतापूर्वक संगठित था** तथा प्रत्येक शासक के पास एक नियमित सेना थी।

VISION IAS

संगम युगीन समाज

- तोलकाप्पियम् में पांच प्रकार की भूमि का वर्णन है, यथा- कुरिंजी (पहाड़ी भूमि), मुल्लई (चरागाह भूमि), मरुदम (कृषि भूमि), नेयदल (तटीय भूमि) तथा पलई (मरुभूमि)। इन पाँचों भूखंडों में निवास करने वाले लोगों के अपने संबद्ध मुख्य व्यवसाय और साथ ही साथ प्रमुख आराध्य देव थे।
- तोलकाप्पियम् में निम्नलिखित चार जातियों का वर्णन किया गया है, यथा- अरसर (शासक वर्ग), अन्थानर (पुजारी वर्ग), वेनिगर (व्यापारी वर्ग) तथा वेल्लार (कृषक)।
- अनेक काव्यों में महिलाओं के शौर्य की प्रशंसा की गई है, परन्तु **विधवाओं की स्थिति दयनीय थी तथा सती प्रथा भी प्रचलित थी।**
- इस युग में टोडा, ईरुला, नागा और वेदार (Vedars) जैसी प्राचीन आदिम जनजातियां भी विद्यमान थी।

संगम युगीन अर्थव्यवस्था

- **कृषि मुख्य व्यवसाय था** तथा धान सामान्यतया उपजाई जाने वाली प्रमुख फसल थी। साथ ही रागी, गन्ना, कपास, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, दालचीनी व विविध प्रकार के फसलों की कृषि भी की जाती थी।
- **राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू-राजस्व था,** हालांकि विदेशी व्यापारियों पर सीमा शुल्क भी अधिरोपित किया जाता था।
- संगम युग के **हस्तशिल्प** भी प्रसिद्ध थे तथा इसमें बुनाई, धातुकर्म और काष्ठशिल्प सम्मिलित थे। **पोत निर्माण व आभूषण निर्माण उद्योग भी प्रचलित थे।**
- **मुख्यतया** सूती वस्त्र, मसाले, हाथीदांत से निर्मित उत्पाद, मोती और बहुमूल्य रत्नों का **निर्यात** किया जाता था तथा **स्वर्ण, अश्व और मीठी मदिरा का आयात किया जाता था।**

- **संगम युग का निर्धारण करने वाले साक्ष्यों के विविध स्रोत:**
  - **अभिलेख:** अशोक के शिलालेख (चेर, चोल और पाण्ड्य राज्य), हाथीगुम्फा अभिलेख (कलिंग शासक), वेल्विकुडी तथा तिरुकोईलूर से प्राप्त अभिलेख इत्यादि।
  - **मदुरै से प्राप्त सिक्के** तमिल प्रदेश और रोमन साम्राज्य के मध्य व्यापारिक-वाणिज्यिक संबंधों की ओर संकेत करते हैं।
  - **पुरातात्त्विक प्रमाण** जो पुदुचेरी के निकट अरिकामेडु से प्राप्त हुए हैं रोम और तमिलनाडु के मध्य व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करते हैं।
  - **विदेशी वृतांत:** संगम साहित्य के अतिरिक्त, यूनानी एवं रोमन लेखकों जैसे विदेशी यात्रियों के साहित्यिक वृतांत संगम युग के अध्ययन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
    - **मेगस्थनीज** ने अपनी पुस्तक **इंडिका** में भी तीन तमिल राज्यों का वर्णन किया है।
  - **संगम साहित्य** में मुख्य रूप से **तोलकाप्पियम्** (आरंभिक संगम साहित्य), **इत्थुथोकै (Ettuthokai)** तथा **पत्थुप्पात्तु (Pathuppattu)** सम्मिलित हैं। ये कृतियां संगम युग के इतिहास को जनाने हेतु महत्वपूर्ण जानकरी प्रदान करती हैं।
    - **तोलकाप्पियम** तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है, जिसके रचियता **तोलकाप्पियर** हैं। यह ग्रंथ तत्कालीन **राजनीतिक-सामजिक-आर्थिक परिदृश्य** का वर्णन करता है।
    - **इत्थुथोकै** (अष्ट पदावली) में आठ कविताएँ हैं।
    - **पत्थुप्पात्तु** (दस गीत), दस संक्षिप्त पदों का संग्रह है।
    - दो महत्वपूर्ण महाकाव्य - **शिलप्पादिकारम् तथा मणिमेखलै** भी उत्तरकालीन संगम युग से संबंधित हैं।
- परंपरा के अनुसार कुल **तीन संगम** आयोजित किए गए। प्रथम संगम **मदुरै** में और द्वितीय संगम **कपाटपुरम्** में आयोजित हुआ तथा पाण्ड्य राजाओं के संरक्षण में तृतीय संगम **मदुरै** (पाण्ड्यों की राजधानी) में आयोजित किया गया था।

8.3. डिंडीगुल ताले और कांदांगी साड़ी को भौगोलिक संकेतक टैग

(Dindigul Lock and Kandangi Saree get GI Tag)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, तमिलनाडु के **डिंडीगुल तालों और कांदांगी साड़ी** को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा **भौगोलिक संकेतक (GI) टैग** प्रदान किया गया है।

डिंडीगुल ताले	• डिंडीगुल ताले अपनी **उत्कृष्ट गुणवत्ता और टिकाऊपन** हेतु विख्यात हैं। • ये ताले **लौह धातु एवं पीतल** से बनाए जाते हैं तथा पूर्णतया **हस्तनिर्मित** होते हैं। • प्रत्येक ताले के भिन्न-भिन्न लीवर पैटर्न होने के कारण ये अद्वितीय हैं।

	• डिंडीगुल शहर को लॉक सिटी (तालों का शहर) भी कहा जाता है। • अपनी अद्वितीय विशेषताओं के बावजूद डिंडीगुल का ताला उद्योग विगत कुछ वर्षों से अलीगढ़ और राजपलयम् के ताला उद्योगों से कठोर प्रतिस्पर्धा के कारण उतरोत्तर ह्रास की स्थिति में बनी हुई है।
कांदांगी साड़ी	• तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के कराइकुडी तालुके में निर्मित कांदांगी सूती साड़ियाँ हाथ से बुनी जाती हैं। • इन्हें कोयम्बटूर के **उच्च गुणवत्तायुक्त कपास** से निर्मित किया जाता है। • कांदांगी सूती साड़ियाँ चेट्टियार समुदाय (जिन्हें नगराथर अथवा नत्तुकोत्तई चेट्टियार के रूप में संदर्भित किया जाता है) की महिलाओं हेतु देवांगा चेट्टियारों के बुनकरों द्वारा निर्मित की जाती हैं। • इन साड़ियों की मुख्य विशेषता इनके **"चटकीले रंग"** हैं, जिनमें अत्यधिक स्थायित्व होता है। • इनकी एक अन्य विशेषता इनका चौड़ा असादृश्य बॉर्डर है, जो साड़ी के लगभग दो-तिहाई भाग को कवर करता है।

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. जलवायु परिवर्तन और नीतिशास्त्र

(Climate Change and Ethics)

प्रस्तुत विचारणीय विषय

जलवायु परिवर्तन वर्तमान में विश्व के समक्ष सर्वाधिक विचारणीय विषयों में से एक है। जैसे-जैसे हम जलवायु परिवर्तन को अनुकूलित करने और कम करने के तरीकों की खोज करने हेतु आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित नीतिपरक विषयों को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है।

जलवायु परिवर्तन से संबंधित नैतिक आयामों को समझने की आवश्यकता

- **अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी** के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण परिणाम दृष्टिगत होते हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण और इसके प्रभाव विभिन्न देशों के मध्य और देशों के भीतर, **समान रूप से वितरित** नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यल्प उत्तरदायी देशों में इसके प्रतिकूल प्रभावों से निपटने हेतु सामान्यतः सबसे कम सामाजिक-आर्थिक क्षमता विद्यमान होती है, जो जलवायु परिवर्तन की एक प्रमुख नीतिपरक चुनौती है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण **दुर्लभ संसाधनों** के खोज को बढ़ावा मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। इसलिए नैतिक दृष्टिकोण का विकास करना समय की मांग है।
- **अन्य नैतिक मुद्दे:** वर्तमान और भावी पीढ़ियों, विकसित और विकासशील देशों आदि के मध्य उत्तरदायित्वों को कैसे परिभाषित तथा विभेदित किया जाए।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन द्वारा उत्पन्न प्रमुख नैतिक मुद्दे

- **वैज्ञानिक ज्ञान के आधार से संबंधित अनिश्चितताएं,** जो हमारी यह पूर्वानुमान करने की क्षमता को सीमित कर देता है कि जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रभाव कब एवं कहाँ और किस तीव्रता के साथ प्रकट होंगे। इन अनिश्चितताओं के स्रोतों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
  - जलवायु परिवर्तन के पहलुओं से संबंधित अपूर्ण तथ्यात्मक आंकड़े।
  - वैश्विक जलवायु परिवर्तन को समझने हेतु उपलब्ध वर्तमान सैद्धांतिक ढांचे की प्रकृति, धारणाओं और कार्यक्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाली अनिश्चितताएं।
- **न्याय संबंधी मुद्दे:** जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित सुभेद्यता की प्रकृति वस्तुतः मूल अधिकारों और न्याय की प्रकृति को प्रभावित करती है। इस संबंध में निम्नलिखित चार श्रेणियों की पहचान की जा सकती है:
  - **वितरणात्मक न्याय संबंधी मुद्दे:** नैतिक कठिनाई न केवल यह निर्धारित करने में निहित है कि जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणामों के वितरण के संबंध में क्या अनुचित और अन्यायपूर्ण है, अपितु जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाले कार्यों के लाभों के वितरण के संबंध में भी है।
  - **प्रतिपूरक न्याय संबंधी मुद्दे:** प्रतिपूरक न्याय की प्रकृति और विस्तार के संदर्भ में अन्य नैतिक अनिश्चितताएं यह हैं कि लाभार्थी कौन होने चाहिए और वास्तव में प्रतिपूरक न्याय के लाभों को किस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए।
  - **प्रक्रियात्मक न्याय संबंधी मुद्दे:** जलवायु परिवर्तन को रोकने, कम करने या अनुकूलित करने के लिए निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में कौन भागीदार हो सकते हैं? उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रियाओं के विषय में निर्णय-निर्माण में भाग लेने हेतु सुभेद्य समूहों को प्रभावी अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है।
  - **मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दे:** हमें इस तथ्य का अवश्य परीक्षण करना चाहिए कि स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव दृष्टिगत होते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति को अपने कल्याण के अवसरों की वृद्धि करने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार, साथ ही स्वतंत्र रूप से अपनी जीवनशैली का चयन करने का अधिकार भी सम्मिलित है।
- **वैश्विक जलवायु परिवर्तन की मुख्य विशेषताओं से संबंधित नैतिक चुनौतियां:** कई अन्य अनिश्चितताएं भी विद्यमान हैं जो जलवायु परिवर्तन के कुछ पहलुओं के विषय में नैतिक संवाद के आरंभ को कठिन बनाती हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
  - जलवायु परिवर्तन के कारणों और प्रभावों का वैश्विक विस्तार;
  - संस्थागत अपर्याप्तता, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया को कठिन बनाता है; तथा
  - जलवायु परिवर्तन की स्थायी और गैर-क्रमिक प्रकृति।

VISION IAS

महत्वपूर्ण नैतिक संवाद के लिए कोर थीम (मूलभूत विषयों) की स्थापना

- वैश्विक जलवायु परिवर्तन स्वयं (न कि केवल इसके संभावित प्रभाव) में एक नैतिक चुनौती है और ऐसी स्थिति में वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के प्रति **नैतिक अनुक्रिया** हेतु कोई सरल आधार उपलब्ध नहीं है। यह प्रत्यक्ष रूप से इस तथ्य से निष्कर्षित होता है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के प्रति उचित, मानवीय और नैतिक रूप से अनुक्रिया करने हेतु विभिन्न संदर्भों में विभिन्न एजेंटों द्वारा विभिन्न कार्यों की आवश्यकता होती है।
- जलवायु परिवर्तन की **नैतिक चुनौती** का समाधान राष्ट्रों और अन्य प्रासंगिक संस्थाओं के मध्य अर्थपूर्ण वार्ता स्थापित करने का अवसर उत्पन्न करने में निहित है, जिसके परिणामस्वरूप इस मुद्दे के संबंध में नवीन सर्वसम्मति का निर्माण हो सकता है।

कोर थीम (मूलभूत विषय)	विवरण
पूर्वज्ञान और उस पर कार्रवाई करने के कर्तव्य के मध्य की कड़ी	• सामान्यतः नीतिशास्त्र में, कार्यवाही और नीतियाँ न केवल लोगों द्वारा अनुशीलन किए जाने वाले मूल्यों और सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं, अपितु उनके प्रभावों पर भी निर्भर करते हैं। इस प्रकार एक संस्था को अपनी कार्यवाहियों के संभावित प्रभावों का पूर्वानुमान लगाना चाहिए। • राष्ट्रीय सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय का यह उत्तरदायित्व है कि वे जलवायु वैज्ञानिकों की ऐसी भावी पीढ़ियों को प्रशिक्षित करें, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं नैतिक आयामों के मध्य होने वाली अंतर्क्रिया के विषय में जागरूक होने के साथ-साथ, निरंतर परिवर्तित होती आकस्मिक जलवायु जटिलताओं से निपटने हेतु सुसज्जित हो सकें।
वैज्ञानिक अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही के आधार के रूप में निवारक सिद्धांत को लागू करना	• क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नीति-निर्माण के विषय में वैज्ञानिक अनिश्चितता के व्यापक निहितार्थ हैं। • इस संदर्भ में, निर्णय-निर्माण हेतु निवारक/पूर्वोपाय सिद्धांत (precautionary principle) को अपनाना महत्वपूर्ण है। • इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्यों या पर्यावरण को गंभीर क्षति से बचाने हेतु कार्रवाई तब तक स्थगित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उस क्षति के कारणों और प्रभावों के विषय में ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हो जाते। • यह शासी निकायों (governing bodies) को ऐसी संरचनाओं और प्रक्रियाओं को स्थापित करने हेतु प्रयास करने के लिए निर्देशित करता है जो एक ओर सुनम्य हों और दूसरी ओर लोगों एवं पर्यावरण की सुभेद्यताओं के प्रति संवेदनशील हों।
जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतिशास्त्र में भावी पीढ़ियों के विषय में चिंताएं	• भावी पीढ़ियों के संदर्भ में वर्तमान पीढ़ी की सर्वाधिक कष्टप्रद स्थिति यह है कि वर्तमान पीढ़ी के विचार मुख्यतः एकपक्षीय हो चले हैं अर्थात व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही, इनका भावी पीढ़ियों के प्रति नैतिक बोध से रहित होना, इन्हें भावी पीढ़ी से स्वयं को अंतर्संबंधित करने में असमर्थ बनाती है एवं पीढ़ीगत दायित्वों के प्रति वर्तमान पीढ़ी की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। • इस प्रकार, भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करना जलवायु परिवर्तन के प्रति नैतिक अनुक्रिया का एक अनिवार्य तत्व है।
साझे और विभेदित उत्तरदायित्वों के समक्ष विद्यमान बाधाओं को समाप्त करना	• यह सिद्धांत इस तथ्य को मान्यता प्रदान करता है कि प्रत्येक देश की जलवायु परिवर्तन से निपटने की वास्तविक क्षमता भिन्न-भिन्न होती है। • इसी प्रकार देशों के भीतर विभिन्न भागों में स्थित जनसंख्या के मध्य भी ऐसे ही अंतर विद्यमान हैं, अर्थात् कुछ भाग जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने हेतु कार्रवाई कर सकते हैं और कुछ भाग कार्रवाई करने में सक्षम नहीं होते हैं। • नैतिक दृष्टिकोण से, यह सुस्थापित सिद्धांत होना चाहिए कि जिनमें दूसरों के द्वारा सामना की जाने वाली क्षति (कष्ट) को रोकने या कम करने की क्षमता है और जो स्वयं को पर्याप्त हानि पहुंचाए बिना ऐसा करने की स्थिति में हैं, उनके लिए यह कार्य करना उनका सुस्पष्ट कर्त्तव्य है।

VISION IAS

10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Short)

10.1. ए-वेब

(A-web)

- हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (Association of World Election Bodies : A-WEB) की चौथी महासभा की बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई है।
- भारत **वर्ष 2019-2021 तक के कार्यकाल हेतु A-WEB के अध्यक्ष** के रूप में कार्यभार ग्रहण करेगा।
- **A-WEB के बारे में**
  - यह **सम्पूर्ण विश्व के निर्वाचन प्रबंधन निकायों (Election Management Bodies: EMBs) का सबसे बड़ा संघ है।**
  - इसे **वर्ष 2013 में दक्षिण कोरिया** में स्थापित किया गया था। इसका **स्थायी सचिवालय सियोल** में अवस्थित है।
  - इसका उद्देश्य **सदस्य देशों में निर्वाचन प्रबंधन की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना है।**
  - यह विश्व भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और सहभागितापूर्ण निर्वाचनों के संचालन तथा विश्व में लोकतंत्र का स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु दक्षता और प्रभावशीलता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।
  - यह विविध निर्वाचन प्रबंधन प्रथाओं का अध्ययन करने और EMBs के अन्य सदस्यों के साथ ज्ञान साझा करने के लिए विभिन्न देशों में **इलेक्शन विजिटर एंड ऑब्जरवेशन प्रोग्राम्स** भी संचालित करता है।
  - A-WEB सचिवालय, EMBs के सदस्यों के अधिकारियों हेतु **इलेक्शन मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम (निर्वाचन प्रबंधन क्षमता निर्माण कार्यक्रम)** का भी आयोजन करता है।

10.2. इंडिया-कैरीकॉम शिखर सम्मेलन

(India-Caricom Summit)

- हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित प्रथम **इंडिया-कैरिकॉम लीडर्स समिट** को संबोधित किया गया।
- यह शिखर सम्मेलन **जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और कैरिकॉम के साथ भारत की भागीदारी में वृद्धि करने पर केंद्रित था।**
- प्रधानमंत्री ने कैरीकॉम में **सामुदायिक विकास परियोजनाओं** हेतु 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर के **अनुदान** और **सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए** 150 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है।
- **कैरीकॉम (कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट) के बारे में:**
  - यह अपने सदस्य देशों के मध्य आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देने, एकीकरण के लाभों के न्यायोचित साझाकरण को सुनिश्चित करने तथा विदेश नीति में समन्वय स्थापित करने हेतु कैरिबियन राष्ट्रों के मध्य एक संधि है।
  - कैरीकॉम के सदस्यों में शामिल हैं: एंटीगुआ एंड बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्रेनाडा, गुयाना, हैती, जमैका, मोंटसेराट, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडीन्स, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद एंड टोबैगो।

10.3. द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक, 2019

(The International Migrant Stock, 2019)

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक कार्य विभाग (Department of Economic and Social Affairs: DESA) के जनसंख्या प्रभाग ने **'द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक, 2019'** नामक एक रिपोर्ट जारी की है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या बढ़कर लगभग 272 मिलियन हो गई है, जो वर्ष 2010 में 221 मिलियन थी।
- भारत 17.5 मिलियन डायस्पोरा के साथ, वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के उद्गम देशों में अग्रणी रहा है, जबकि मेक्सिको दूसरे स्थान पर है।
  - वर्ष 2019 में भारत में 5.1 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का आगमन हुआ, हालांकि यह वर्ष 2015 के 5.2 मिलियन से कम रहा।
  - भारत में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी आगमन बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से रहा है।
- सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों (51 मिलियन) का आगमन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है, जो विश्व के कुल प्रवासियों का लगभग 19 प्रतिशत है।

VISION IAS

10.4. भारतीय कौशल संस्थान

(Indian Institute of Skills)

- हाल ही में, मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान (Indian Institute of Skills: IIS) की आधारशिला रखी गई है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो अन्य शहरों नामतः अहमदाबाद और कानपुर में भी IIS स्थापित करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- **अत्याधुनिक प्रशिक्षण संस्थान** के रूप में स्थापित इन संस्थानों का निर्माण और संचालन **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership: PPP) मॉडल** के आधार पर तथा एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में किया जाएगा।
- एक **प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया** के माध्यम से मुंबई में प्रथम IIS स्थापित करने के लिए **टाटा एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट (TEDT)** को एक निजी भागीदार के रूप में चयनित किया गया है।
- यह कौशल पारितंत्र में **टर्शियरी केयर इंस्टिट्यूट** के रूप में कार्य करेगा तथा **उभरते हुए एवं उच्च मांग वाले क्षेत्रों,** जैसे- गहन तकनीक (deep technology), एयरोस्पेस, ऑटोमेशन, कृत्रिम बुद्धिमता और मशीन लर्निंग, साइबर प्रौद्योगिकी, ऊर्जा संरक्षण आदि हेतु आवश्यक कोर्स उपलब्ध कराएगा।

10.5. जीवन कौशल

(Jeevan Kaushal)

- हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रत्येक व्यक्ति में जीवन कौशल के विकास के लिए **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)** द्वारा विकसित **जीवन कौशल के लिए एक पाठ्यक्रम** (जीवन कौशल) का शुभारंभ किया है, जो **गुणवत्तापूर्ण अधिगम (wholesome learning) का एक अनिवार्य भाग है।**
- यह पाठ्यक्रम किसी व्यक्ति द्वारा कक्षा में सीखने या जीवन के अनुभव के माध्यम से अर्जित मानव प्रतिभाओं के संग्रह को शामिल करता है जो किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान में सहयोग प्रदान कर सकता है।
- इसमें उन प्रमुख कौशलों को शामिल किया गया है, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं और सम्पूर्ण समाज की बेहतरी के लिए आंतरिक एवं साथ ही साथ बाह्य रूप से आत्मसात किया जाना चाहिए। जीवन कौशलों को अपनाना ही जीवन में सफलता और गुणवत्ता की कुंजी है।

10.6. भारतीय कौशल विकास सेवा संवर्ग का प्रथम बैच

(First Batch of ISDS cadre)

- हाल ही में, मैसूर स्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (ATI) में केंद्र सरकार की नवीनतम सेवा, **भारतीय कौशल विकास सेवा (Indian Skill Development Services: ISDS)** के प्रथम बैच के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
- ISDS संवर्ग में शामिल होने वाले इस प्रथम बैच का चयन **संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित भारतीय अभियान्त्रिकी सेवा परीक्षा** के माध्यम किया गया है।
- यह **ग्रुप 'A' की एक सेवा** है तथा इसे **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण निदेशालय** के लिए विशेष रूप से सृजित किया गया है। इसका उद्देश्य देश में कौशल विकास परिवेश को संस्थागत बनाने की दिशा में युवा और प्रतिभाशाली प्रशासकों को आकर्षित करना है।

10.7. ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स

(Global Liveability Index)

- हाल ही में जारी किए गए **ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, 2019** में नई दिल्ली एवं मुंबई को कुल 140 शहरों में क्रमशः 118वां और 119वां स्थान प्राप्त हुआ है।
  - वर्ष 2018 के सूचकांक में नई दिल्ली और मुंबई क्रमशः 112वें और 117वें स्थान पर रहे थे।
  - मुंबई की रैंक में गिरावट मुख्य रूप से उसके संस्कृति वर्ग में प्राप्त अंक में अवनति के कारण रही है, जबकि नई दिल्ली को अपने संस्कृति और पर्यावरण वर्ग में प्राप्त अंकों में कमी तथा साथ ही बढ़ती अपराध दरों के कारण स्थिरता अंकों में हुई कटौती के कारण निम्न रैंक प्राप्त हुआ है।
- ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, 2019 में विश्व में निवास करने योग्य सर्वोत्तम शहर के रूप में अपने प्रथम स्थान को बनाए रखा है।
- **ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में**
  - यह इंडेक्स **इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU)** द्वारा जारी किया जाता है।
  - **यह 140 शहरों का आकलन करता है** तथा इसके द्वारा शहरों को **पांच व्यापक वर्गों अर्थात्- स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति एवं पर्यावरण, शिक्षा तथा अवसंरचना** में 30 से अधिक गुणात्मक और मात्रात्मक कारकों के प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान किया जाता है।

10.8. GST: आधार सत्यापन अनिवार्य होगा

(GST: Aadhar Verification to be Mandatory)

- हाल ही में GST नेटवर्क ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कदाचारों की जांच हेतु जनवरी 2020 से नए विक्रेताओं के लिए आधार प्रमाणीकरण या भौतिक सत्यापन अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।
  - जो लोग अपना आधार नंबर नहीं देना चाहते हैं, उन्हें भौतिक सत्यापन कराना होगा।
  - दोनों मामलों में, आधार प्रमाणीकरण और भौतिक सत्यापन के तीन कार्य दिवसों के भीतर GST नंबर दिया जाएगा।
  - यह कदम स्वयं को GST विक्रेताओं के रूप में पंजीकृत करवाने वाले गैर-जिम्मेदार परिचालकों (fly by night operators) द्वारा सृजित फर्जी चालान (इनवॉइस) को नियंत्रित करने हेतु उठाया गया है।

10.9. इस्पात आयात निगरानी प्रणाली

(Steel Import Monitoring System)

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में **इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (Steel Import Monitoring System: SIMS)** का शुभारंभ किया है। इस प्रणाली को संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात आयात निगरानी और विश्लेषण (Steel Import Monitoring and Analysis: SIMA) प्रणाली की तर्ज पर इस्पात मंत्रालय के परामर्श से विकसित किया गया है।
- यह प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए सरकार एवं अन्य हितधारकों, यथा- इस्पात उद्योग एवं उपभोक्ताओं को इस्पात आयात के बारे में अग्रिम सूचना प्रदान करेगा।
- यह सभी निर्यातकों के लिए, सभी मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreements: FTAs)/अधिमान्यता व्यापार समझौतों (Preferential Trade Agreements: PTAs) और संबंधित सभी एजेंसियों के लिए एकल बिंदु पहुंच (single access point) प्रदान करेगा।
- यह लौह एवं इस्पात के आयात की डंपिंग तथा इन उत्पादों की अंडर-इनवॉइसिंग व ओवर-इनवॉइसिंग पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर घरेलू उद्योगों का संरक्षण करेगा।

10.10. महिलाओं के लिए प्रथम वैश्विक व्यापार केंद्र

(First Global Trade Centre For Women)

- संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप केरल द्वारा कोझीकोड में देश के प्रथम **अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र (International Women's Trade Centre: iWTC)** की स्थापना की जाएगी।
- यह सामाजिक न्याय विभाग के तहत **राज्य के जेंडर पार्क "विज़न 2020"** की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका प्रथम चरण वर्ष 2021 तक पूर्ण होने की संभावना है।
- इसमें महिलाओं के लिए स्टार्ट-अप और इन्क्यूबेशन सेंटर, व्यापार केंद्र और कार्यालय, खुदरा फैशन और तकनीकी आउटलेट, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, प्रदर्शन कला केंद्र, आवासीय सुविधा और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों के लिए दिन में देखभाल की सुविधा उपलब्ध होगी।
- iWTC के तहत नृत्य, संगीत और रंगमंच जैसे कला एवं सांस्कृतिक रूपों को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने के लिए महिलाओं की **सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों** हेतु एक समर्पित केंद्र की व्यवस्था की जाएगी।

10.11. समुद्रयान प्रोजेक्ट

(Samudryaan Project)

- **राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान** (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था) द्वारा एक **समुद्रयान प्रोजेक्ट** का शुभारंभ किया गया है।
  - इस प्रोजेक्ट के तहत गहन सागरीय क्षेत्र से संबंधित तथ्यों के अध्ययन हेतु लगभग 6,000 मीटर की गहराई तक तीन व्यक्तियों के साथ एक पनडुब्बी (सबमर्सिबल व्हीकल) भेजे जाने का प्रस्ताव है।
  - स्वदेशी रूप से विकसित यह वाहन छह किलोमीटर की गहराई में सागरीय नितल (sea bed) पर 72 घंटे तक संचलन में सक्षम है (पनडुब्बी केवल 200 मीटर की गहराई तक जाती है)।
  - यह प्रोजेक्ट 6,000 करोड़ रूपये के **डीप ओशन मिशन** का एक भाग होगा। वर्ष 2021-22 तक इसके आरंभ होने का अनुमान है।
  - विकसित देशों द्वारा ऐसे मिशन पर पहले से ही कार्य किए जा रहे हैं और भारत ऐसा करने वाला विकासशील देशों में प्रथम देश हो सकता है।

नोट: डीप ओशन मिशन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, जुलाई 2019 की समसामयिकी देखें।

10.12. अपाचे हेलिकॉप्टर

(Apache helicopter)

- हाल ही में, अमेरिका में विनिर्मित आठ अपाचे हेलिकॉप्टर (AH-64E) भारतीय वायु सेना में सम्मिलित किए गए हैं।
- भारत ने रूस निर्मित Mi-25 और Mi-35 हेलीकाप्टरों को प्रतिस्थापित करने के लिए सितंबर 2015 में **अमेरिकी कंपनी बोईंग** के साथ 22 अपाचे हेलिकॉप्टरों के क्रय हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
- यह विश्व में **सर्वाधिक उन्नत बहुउद्देशीय व वृहत स्तर पर हमला करने वाला हेलीकॉप्टर** है और इसे **'फ्लाइंग टैंक'** के रूप में भी जाना जाता है। यह सभी प्रकार के मौसम में कार्य करने वाला हेलीकॉप्टर है।
- इसकी ऊर्ध्वाधर चढ़ाई की गति 2,000 फीट प्रति सेकंड है तथा इसकी अधिकतम गति 279 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो इसकी तीव्र तैनाती को सुगम बनाता है।
- एक हेलीकॉप्टर **8 मिसाइल ले जाने की क्षमता** के साथ-साथ विविध प्रकार के हथियार ले जा सकता है।
- नेटवर्क-केंद्रित हवाई युद्ध की स्थिति में हेलीकॉप्टर को विविधता प्रदान करने के लिए इसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्धक क्षमता से भी सुसज्जित किया गया है।
- यह हेलीकॉप्टर अपने समकक्ष अन्य मशीनों की तुलना में धरातल के समीप और तेजी से उड़ान भरने में साथ ही साथ उड़ान के दौरान **रडार की निगरानी से बचे रहने में सक्षम है।**

10.13. अस्त्र मिसाइल

(Astra Missile)

- हाल ही में, भारत द्वारा हवा से हवा में मार करने वाली अपनी पहली स्वदेशी मिसाइल **'अस्त्र'** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।
- इसे DRDO द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है।
- यह दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल (Beyond Visual Range Air to Air Missile: BVRAAM) तकनीक पर कार्य करती है, जो लड़ाकू-पायलटों को उनके दृश्य सीमा से परे दुश्मन के लक्ष्यों पर सटीक रूप से निशाना लगाने में सक्षम बनाती है।
- इसे **सुखोई-30MKI लड़ाकू विमान** से प्रक्षेपित किया गया था और इसे भविष्य में मिराज 2000, मिग-29 एवं तेजस जैसे अन्य लड़ाकू विमानों के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- इसके साथ ही भारत उन देशों की सूची में सम्मिलित हो गया, जिनके पास यह तकनीक है, जैसे- फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका आदि।
- **मिसाइल की तकनीकी विशेषताएं:**
  - गति- 4.5 मैक से अधिक (5,555 किमी/घंटा)।
  - उन्नत सुविधाएँ-
    - **इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटरमेजर्स (ECCM) -** अवरोधात्मक परिवेश (jamming environments) में भी दुश्मन के लक्ष्यों के इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर्स प्रभाव को कम करके, यह मिसाइल की लक्ष्य ट्रैकिंग क्षमता में सुधार करता है।
    - इसमें **लॉक ऑन बिफोर लॉन्च (LOBL)** और **लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च (LOAL)** विकल्पों को शामिल किया गया है। परवर्ती विकल्प लड़ाकू विमान को लक्ष्य की ओर मिसाइल प्रक्षेपित करने एवं सुरक्षित लक्ष्य भेदने तथा त्वरित वापसी (scoot) में सक्षम बनाता है।
  - इसमें 25 किमी की परास क्षमता एवं सक्रिय रडार उपकरण (एक गाइडेंस सिस्टम) के साथ एक **इनर्शियल गॉइडेंस सिस्टम** को सम्मिलित किया गया है, जो **मल्टी-टारगेट की स्थिति में इसे दक्षता प्रदान करता है।**

10.14. INS खंडेरी

(INS Khanderi)

- हाल ही में, **स्कॉर्पीन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी, INS खंडेरी** को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
- यह एक **परंपरागत डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी** है जिसकी अधिकतम गति 20 नॉटिकल मील है और यह सोनार उपकरण से सुसज्जित है जो लंबी दूरी के लक्ष्यों का पता लगाने तथा पहचान करने में सक्षम है। **यह एंटी-शिप मिसाइलों और टॉरपीडो से युक्त है।**

- इसकी डिजाइन कन्नेरी मछली से प्रेरित है, जो अरब सागर में पायी जाती है तथा यह महासागरीय नितल पर तैरते समय शिकार के लिए जानी जाती है।
    - **प्रोजेक्ट 75** के तहत **मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड** द्वारा इसे विनिर्मित किया गया था। प्रोजेक्ट 75 के तहत, भारत का उद्देश्य फ्रांस के नौसैन्य समूह (Naval Group) द्वारा तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से 6 स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों का विनिर्माण करना है।
    - भारत की पहली स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी **INS कलवरी** थी।

10.15. INS नीलगिरि

(INS Nilgiri)

- हाल ही में, INS नीलगिरि को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है।
- इसे स्वदेशी रूप से भारतीय नौसेना के **नौसेना डिजाइन महानिदेशालय, नई दिल्ली** द्वारा डिज़ाइन किया गया है।
- यह **भारत का प्रथम प्रमुख युद्धपोत है जिसे एक एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है** जिसमें छोटे मॉड्यूल का निर्माण तथा उनका एक साथ असेंबल करना शामिल है।
- यह **प्रोजेक्ट 17-अल्फ़ा (Project 17Alfa)** के तहत सम्मिलित सात नए स्टील्थ फ्रिगेट्स में से प्रथम है।
- प्रोजेक्ट 17-अल्फ़ा फ्रिगेट, शिवालिक श्रेणी के युद्धपोतों का उन्नयन करके डिजाइन की गयी है, जिसमें बेहतर अस्तित्व क्षमता (survivability), समुद्री क्षेत्र में निगरानी, रडार से बचने और बेहतर गतिशीलता संबंधी डिजाइन तथा नई तकनीकी अवधारणाएं शामिल हैं।

10.16. ICGS वराह

(ICGS Varaha)

- हाल ही में, **भारतीय तटरक्षक जहाज (Indian Coast Guard Ship: ICGS) वराह को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है।**
- यह एक **अपतटीय गश्ती पोत** है और इस प्रकार के सात 98-M जहाज़ों की श्रेणी में शामिल यह चौथा जहाज है।
- उत्तरी चेन्नई के कटुपल्ली जहाज़ निर्माण यॉर्ड में **लार्सन एंड टुब्रो (L&T)** द्वारा स्वदेशी रूप से इसे डिज़ाइन एवं निर्मित किया गया है।
- इसमें दो इंजन युक्त **एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH)** को संचालित करने की क्षमता है। साथ ही, इसमें बोर्डिंग ऑपरेशन के लिए दो हल्की गैस युक्त सुदृढ़ नौकाओं (hull inflated boats) सहित, खोज और बचाव, कानून प्रवर्तन तथा समुद्री गश्ती के लिए चार उच्च गति वाली नौकाएं भी सम्मिलित होंगी।
- यह समुद्र में तेल रिसाव को नियंत्रित करने हेतु **प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण** ले जाने में भी सक्षम है।

10.17. सुर्ख़ियों में रहे सैन्य अभ्यास

(Military Exercises In News)

- **इंडो-थाई कॉर्पेट:** यह भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के मध्य आयोजित भारत-थाईलैंड समन्वित गश्ती (Indo-Thai CORPAT) का 28वां संस्करण है।
- **मैत्री (MAITREE)-2019:** यह भारत और थाईलैंड के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- **युद्ध अभ्यास-2019:** यह भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- **TSENTR 2019:** बड़े पैमाने पर किए जाने वाले सैन्य अभ्यास की यह वार्षिक श्रृंखला **रूसी सशस्त्र बलों** के वार्षिक प्रशिक्षण चक्र का हिस्सा है। मेजबान रूस के अतिरिक्त, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सैन्य दल भी इस व्यापक कार्यक्रम में भाग लेंगे।
- **स्लिनेक्स (SLINEX) 2019:** यह भारत और श्रीलंका के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।
- **सिटमेक्स (SITMEX) 2019:** यह पांच दिवसीय अभ्यास है जिसका उद्देश्य सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के मध्य समुद्री अंतर्संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान करना है।
- **मालाबार 2019:** यह भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के मध्य त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का 23वां संस्करण है, जिसे जापान के तट पर आयोजित किया जा रहा है। भारतीय प्रतिनिधित्व में 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित नौसेना जहाज, बहुउद्देशीय गाइडेड **मिसाइल फ्रिगेट सह्याद्रि** तथा **ASW कार्वेट किल्टान** एवं एक **'P8I' लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पैट्रोल एयरक्राफ्ट** शामिल हैं।

10.18. सेंट्रल ऐड्वर्स लिस्ट

(Central Adverse List)

- **गृह मंत्रालय** द्वारा प्रबंधित सेंट्रल ऐड्वर्स लिस्ट (केंद्रीय प्रतिकूल सूची) से सिक्ख धर्म के कई व्यक्तियों के नाम हटा दिए गए हैं, जिससे वे भारत आने के लिए वीजा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- सेंट्रल ऐड्वर्स लिस्ट **उन व्यक्तियों की सूची** है जिन पर **आतंकी संगठनों** के साथ संबंध होने का संदेह है या जिन्होंने **भारत-विरोधी अधिप्रचार** में भाग लिया है या भारत के पिछले दौरे में **वीजा मानदंडों का उल्लंघन** किया है।
- इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो **आपराधिक गतिविधियों** में लिप्त रहे हैं या अपने देश में बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के आरोपी हैं।
- इस सूची में भारतीय नागरिकता प्राप्त सिक्खों के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने 1980 के दशक में **खालिस्तान आंदोलन** और भारत-विरोधी प्रचार का समर्थन किया था तथा शरण लेने के लिए विदेश चले गए।

10.19. बेसल बैन अमेंडमेंट

(Basel Ban Amendment)

- क्रोएशिया, बेसल बैन अमेंडमेंट (बेसल प्रतिबंध संशोधन) को अनुसमर्थन प्रदान करने वाला 97वां देश बन गया है। खतरनाक अपशिष्ट के प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु इसे वर्ष 1995 के बेसल कन्वेंशन के पक्षकारों द्वारा अपनाया गया था।
- यह बैन अमेंडमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organization of Economic Cooperation and Development: OECD) के 29 समृद्धशाली देशों द्वारा गैर-OECD देशों को इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट एवं अप्रयुक्त जहाजों सहित खतरनाक अपशिष्टों के निर्यात पर प्रतिबंध आरोपित करता है।
- हालांकि, अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस, भारत, ब्राजील और मैक्सिको जैसे देशों द्वारा अभी इस प्रतिबंध पर स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

बेसल कन्वेंशन

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे राष्ट्रों के मध्य खतरनाक अपशिष्ट के स्थानांतरण/आवागमन को कम करने तथा विशेष रूप से खतरनाक अपशिष्ट को विकसित देशों द्वारा अल्प विकसित देशों (less developed countries: LDCs) में स्थानांतरित करने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- इसका उद्देश्य उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा और विषाक्तता को कम करना, उसके पर्यावरणीय रूप से स्वस्थ प्रबंधन को सुनिश्चित करना तथा LDCs को उनके द्वारा उत्पन्न खतरनाक एवं अन्य अपशिष्टों के पर्यावरणीय रूप से स्वस्थ प्रबंधन में सहायता करना भी है।
- यह रेडियोधर्मी अपशिष्ट के स्थानांतरण को संबोधित नहीं करता है।
- 5 मई 1992 को यह संधि लागू हुई थी।
- भारत इस संधि का पक्षकार देश है।
- हैती और संयुक्त राज्य अमेरिका ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, किन्तु उन्होंने इसका अनुसमर्थन नहीं किया है।

10.20. पेससेटर फंड

(PACEsetter Fund)

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पेससेट्टर फंड प्रोग्राम के दूसरे चरण में चार परियोजनाओं हेतु अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- पेससेट्टर फंड को वर्ष 2015 में **भारत और अमेरिका** द्वारा ऑफ ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों, प्रणालियों तथा व्यवसाय मॉडलों के व्यावसायीकरण में तीव्रता लाने के लिए प्रारंभिक चरण में अनुदान निधि प्रदान करने हेतु एक संयुक्त निधि के रूप में गठित किया गया था।

10.21. जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन

(Climate Action Summit)

- संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2019 के जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (The UN 2019 Climate Summit) को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा **'क्लाइमेट एक्शन समिट 2019: ए रेस वी कैन विन, ए रेस वी मस्ट विन'** थीम के साथ आयोजित किया गया था।
- यह पेरिस समझौते को क्रियान्वयित करने के प्रयासों में वृद्धि करने तथा कार्रवाई में तीव्रता लाने पर केन्द्रित है।
- यह ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट (GCAS), संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र (UNGA-73), यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के 24वें पक्षकारों के सम्मेलन (COP-24) और पेरिस समझौते तथा सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा के मध्य सहक्रियता को सुदृढ़ करने पर वैश्विक सम्मेलन के आउटकम पर आधारित है।

- यह **निम्नलिखित छह क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी समाधान विकसित करने पर केन्द्रित** है:
  - नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति वैश्विक संक्रमण;
  - संधारणीय व लचीली (resilient) अवसंरचना और शहर;
  - संधारणीय कृषि और वनों तथा महासागरों का प्रबंधन;
  - जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन (resilience) और अनुकूलन; एवं
  - निवल शून्य अर्थव्यवस्था (net zero economy) के साथ सार्वजनिक और निजी वित्त का संरेखण।

10.22. राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार

(National Water Mission Award)

- हाल ही में, प्रथम वार्षिक राष्ट्रीय जल मिशन (National Water Mission: NWM) पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
- **राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कारों के बारे में**
  - जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल मिशन तथा जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने जल संरक्षण, कुशल जल उपयोग एवं संधारणीय जल प्रबंधन अभ्यासों में उत्कृष्टता की पहचान हेतु 'राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कारों' की शुरुआत की है।
  - NWM के पांच लक्ष्यों के तहत परिभाषित दस श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं।
- **राष्ट्रीय जल मिशन के बारे में:** राष्ट्रीय जल मिशन, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत शामिल 8 मिशनों में से एक है। यह निम्नलिखित **पाँच लक्ष्यों** की परिकल्पना करता है:
  - लक्ष्य 1: सार्वजनिक प्रक्षेत्र में व्यापक जल डेटाबेस और जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन,
  - लक्ष्य 2: जल संरक्षण, संवर्द्धन और परिरक्षण के लिए नागरिक एवं राज्य की कार्यवाहियों को बढ़ावा देना,
  - लक्ष्य 3: अत्यधिक दोहन किए क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना,
  - लक्ष्य 4: जल उपयोग क्षमता को 20% तक बढ़ाना, तथा
  - लक्ष्य 5: बेसिन स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना।

10.23. अल्पाइन हिमनद के आकार में कमी

(Alpine Glacier Loss)

- हाल ही में, उत्तर-पूर्वी स्विटज़रलैंड में आल्प्स पर्वत के एक हिमनद **"पिज़ोल"** के बारे में लोगों को जागरूकता का प्रसार करते हुए देखा गया। वर्ष 2006 से वैश्विक तापन के कारण इसके आकार में लगभग 80 से 90% तक की कमी आयी है।
- हाल ही में, **आइसलैंड** द्वारा भी जलवायु परिवर्तन के कारण आइसलैंड के प्रथम लुप्त हुए हिमनद **ओक्ज़ोकुल (Okjokull)** पर चर्चा की गयी।
- **अल्पाइन हिमनद क्षति:** पूरे आल्प्स में लगभग 4,000 हिमनद हैं, जो लाखों लोगों को मौसमी जल प्रदान करते हैं तथा यूरोप में सर्वाधिक विशिष्ट भगौलिक परिदृश्य/संरचना का निर्माण करते हैं।
  - हालांकि, वर्ष 1850 से अब तक स्विटज़रलैंड के 500 से अधिक हिमनद विलुप्त हो चुके हैं। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में, शोधकर्ताओं द्वारा यह पाया गया है कि **आल्प्स का सबसे बड़ा हिमनद**, विशालकाय **अलेत्सक (the mighty Aletsch)**, अगले आठ दशकों में पूर्णतया समाप्त/विलुप्त हो सकता है।
  - हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2100 तक आल्प्स पर्वत श्रेणी के बर्फीले क्षेत्र के कम से कम आधे भाग में कमी आ सकती है।

10.24. महाबलेश्वर भारत के सर्वाधिक आद्र स्थलों में शामिल

(Mahabaleshwar Wettest Place In India)

- भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र के **महाबलेश्वर** में 7,175.4 मिलीमीटर (mm) वर्षा हुई है, जबकि मॉसिनराम में वर्षा की दर लगभग 6,218.4 मिमी और चेरापूंजी में लगभग 6,082.7 मिमी रही है।
- पश्चिम बंगाल, ओडिशा आदि क्षेत्रों में **निम्न दबाव के उत्पन्न होने** एवं **मध्य भारत की ओर इस तंत्र के विस्थापन** से दक्षिण-पश्चिम मानसून और मजबूत हो गया, जिसके कारण महाबलेश्वर तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई।
- **महाबलेश्वर, निम्नलिखित पाँच नदियों का उद्गम स्थल है:** पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी कृष्णा तथा इसकी सहायक नदियाँ कोयना, वेन्ना और गायत्री एवं पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदी सावित्री, जो अरब सागर में गिरती है।

10.25. IARI द्वारा जारी गेहूं की नई किस्म

(New Wheat From IARI)

- **भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान** (Indian Agricultural Research Institute: IARI) द्वारा **आगामी रबी फसल सीजन** में बुआई हेतु गेहूँ की एक नई किस्म- **HD-3226 या पूसा यशस्वी** जारी की गई है।
- इस किस्म की उपज गेहूं की अन्य किस्मों की तुलना में अधिक है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में देश के कुल गेहूं उत्पादन किए जाने वाले क्षेत्रों में लगभग 40% भाग पर गेहूं की अन्य किस्में उगायी जाती हैं।
- इसमें अधिक जस्ते की मात्रा के अतिरिक्त **प्रोटीन और ग्लूटेन** (गूंथे हुए आटे को मुलायम रखने में सहायक) **की उच्च मात्रा** पाई जाती है।
- यह किस्म सभी प्रमुख किट्ट-कवक {पीला/धारीदार (stripe), भूरा/पत्ती और काला/स्टेम} के विरुद्ध उच्च प्रतिरोधी भी है अर्थात यह कवकों से सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह नई किस्म "संरक्षण कृषि" के अनुकूल भी होती है।
    - **संरक्षण कृषि (Conservation Agriculture: CA):** यह एक कृषि प्रणाली है जो क्षरित भूमि का पुनरुद्धार करते हुए कृषि-योग्य भूमि की गुणवत्ता में होने वाले ह्रास से संरक्षण प्रदान करती है। यह स्थायी मृदा आवरण, न्यूनतम मृदा क्षरण और पौधों की प्रजातियों के विविधीकरण में सुधार को बढ़ावा देती है।

हाल ही में IARI द्वारा जारी फसल/बागवानी किस्में

- **पूसा बासमती 1718:** चावल की यह किस्म **बैक्टीरियल लीफ स्कॉर्च** के प्रति प्रतिरोधी है।
- **पूसा सांभा 1850:** उच्च उपज वाली, गैर-बासमती व ब्लास्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी चावल की एक किस्म।
- **पूसा अदिति:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में व्यावसायिक कृषि के लिए जारी संकर अंगूर की किस्म।
- **पूसा सोना:** विभिन्न अन्य बागवानी फसलों जैसे कि तरबूज, खीरा, बंदगोभी आदि के अतिरिक्त प्याज की किस्म जारी की गयी है।

10.26. नेशनल एजुकेशनल एलायंस फॉर टेक्नोलॉजी

(National Educational Alliance For Technology: NEAT)

- हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने एक नई योजना, **नेशनल एजुकेशनल एलायंस फॉर टेक्नोलॉजी (NEAT)** की घोषणा की है।
- **नेशनल एजुकेशनल एलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के बारे में**
    - इस **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।
    - इसमें शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप सीखने की प्रक्रिया को अधिक व्यक्तिगत और अनुकूलित बनाने के लिए **कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाली कंपनियों के साथ** साझेदारी की जाएगी।
        - इसका उद्देश्य छात्रों की सुगम पहुंच के लिए इस तकनीक पर कार्य करने वाली स्टार्ट-अप कंपनियों को एक साझा मंच प्रदान करना है।
    - **एडटेक कंपनियां** समाधान विकसित करने और NEAT पोर्टल के माध्यम से शिक्षार्थियों के पंजीकरण के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगी।
        - ये अपनी नीति के अनुसार शुल्क भारित करने के लिए स्वतंत्र होंगी।
        - चयनित एडटेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
    - MHRD यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करेगा जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों की एक बड़ी संख्या के लिए स्वतंत्र रूप से समाधान उपलब्ध हो सके।
        - इसके तहत **राष्ट्रीय NEAT प्लेटफ़ॉर्म का सृजन** एवं प्रबन्धन किया जाएगा, जो इन तकनीकी समाधानों के लिए एकल बिंदु पहुंच प्रदान करेगा।
        - कंपनियां वंचित समुदायों के छात्रों के लिए NEAT पोर्टल के माध्यम से उनके समाधान के लिए कुल पंजीकरण पर मुफ्त कूपन (25% की सीमा तक) प्रदान करेंगी।
    - MHRD के अधीन **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)**, जोकि देश में तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नियामक निकाय है, NEAT कार्यक्रम के लिए **कार्यान्वयन एजेंसी** होगी।
    - इस योजना का संचालन MHRD द्वारा गठित एक सर्वोच्च समिति के मार्गदर्शन में किया जाएगा।
    - एडटेक समाधानों के मूल्यांकन और चयन के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएगा।

10.27. व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण

(Comprehensive National Nutrition Survey)

- फरवरी 2016 और अक्टूबर 2018 के मध्य **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** तथा **यूनिसेफ** द्वारा व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण संचालित किया गया था।
- यह **कुपोषण को मापने हेतु** किया गया प्रथम अध्ययन है, जिसमें जैव-रासायनिक उपायों जैसे कि रक्त एवं मूत्र के नमूनों, **मानव शरीर के माप संबंधी डेटा** तथा साथ ही मधुमेह जैसे **गैर-संचारी रोगों के विवरण** के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आदि को शामिल किया गया है।
- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - 5-9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों और 10-19 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों में लगभग 10% प्री-डायबिटिक से ग्रसित हैं, 5% अधिक वजन वाले बच्चे हैं तथा अन्य 5% रक्तचाप की समस्या से ग्रसित हैं।
  - 5-9 वर्ष और 10-19 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में से एक चौथाई का वजन अपनी आयु की तुलना कम था तथा 5-9 वर्ष के पाँच बच्चों में से एक ठिगनापन (stunted) से ग्रस्त था।
  - **तमिलनाडु और गोवा** में मोटापे से ग्रस्त या अधिक वजन वाले किशोरों की संख्या सर्वाधिक थी।
- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey: NFHS) इस सर्वेक्षण से किस प्रकार भिन्न है?**
  - NFHS के अंतर्गत ठिगनेपन (stunting), दुबलेपन (wasting) और अल्प वजन (underweight) के प्रसार के मापन हेतु एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा (आयु के अनुपात में वजन, आयु के अनुपात में लम्बाई, लम्बाई के अनुपात में वजन, मध्य ऊपरी बांह की परिधि) को एकत्रित किया जाता है तथा पोषण संबंधी कमी (deficiency) के मापन हेतु घरेलू स्तर पर भोजन के अंतर्ग्रहण का मापन किया जाता है।
  - NFHS के तहत इन आंकड़ों का एकत्रीकरण 1-5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों और वयस्कों के समूह से किया गया है, न कि 5 से 19 वर्ष के मध्य के आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों से।

10.28. इट राइट इंडिया अभियान

(Eat Right India Campaign)

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 'इट राइट इंडिया अभियान' को इसके नए लोगो और टैगलाइन **'सही भोजन, बेहतर जीवन'** के साथ प्रारम्भ किया गया है।

ईट राइट इंडिया अभियान के बारे में

- जीवन शैली से संबद्ध रोगों के नियंत्रण हेतु भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और पोषण संबंधी नकारात्मक प्रवृत्तियों से निपटने हेतु भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India: FSSAI) द्वारा वर्ष 2018 में **"ईट राइट"** अभियान का शुभारंभ किया गया था।
- नमक, चीनी व वसा के दैनिक सेवन पर प्राथमिक रूप से ध्यान देने, ट्रांस फैट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और स्वस्थ भोजन विकल्पों को बढ़ावा देने हेतु यह एक बहु-क्षेत्रीय प्रयास है।
- यह **'स्वस्थ खाओ'** और **'सुरक्षित खाओ'** के दो व्यापक स्तंभों पर यह आधारित है।
- इसमें नागरिकों पर लक्षित मौजूदा FSSAI की तीन पहलों को एक साथ सम्मिलित किया गया है:
  - **सुरक्षित और पौष्टिक आहार पहल {The Safe and Nutritious Food (SNF) Initiative} -** यह घर, स्कूल, कार्यस्थल और यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा तथा पोषण से संबंधित सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तनों पर केंद्रित है।
  - **ईट हेल्दी कैंपेन** में नमक, चीनी, वसा के दैनिक सेवन तथा ट्रांस-फैट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - **फूड फोर्टीफिकेशन** के अंतर्गत पोषण सामग्री में सुधार करने हेतु प्रमुख विटामिन और खनिजों से युक्त पांच मुख्य खाद्य पदार्थों गेहूं का आटा, चावल, तेल, दुग्ध तथा नमक को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- ईट राइट अभियान, **माँग और आपूर्ति दोनों पक्षों के हितधारकों** को एक साथ एक मंच प्रदान करता है।
- **मांग पक्ष:** ईट राइट अभियान, **सही/उचित भोजन चयन के लिए नागरिकों को सशक्त** किया जाता है।
- **आपूर्ति पक्ष: यह खाद्य उत्पादकों को अपने उत्पादों में सुधार करने, उपभोक्ताओं को बेहतर पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करने तथा उत्तरदायी खाद्य व्यवसायों के रूप में स्वस्थ खाद्य पदार्थों में निवेश करके हेतु प्रेरित करता है।**

VISION IAS

10.29. एड्स, क्षयरोग और मलेरिया के लिए गठित वैश्विक कोष

(Global Fund For Aids, TB And Malaria: GFATM)

- भारत ने छठवें पुनःपूर्ति चक्र {replenishment cycle (वर्ष 2020-22)} हेतु **एड्स, क्षयरोग और मलेरिया के लिए गठित वैश्विक कोष (GFATM)** में 22 मिलियन डॉलर के योगदान की घोषणा की है।
- **GFATM के बारे में**
  - यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण संस्था है जो **सरकारों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और प्रभावित समुदायों** के मध्य एक अनूठी साझेदारी पर आधारित है।
  - इसे विश्व की तीन सर्वाधिक विनाशकारी बीमारियों (एड्स, क्षयरोग और मलेरिया) से निपटने के लिए **अतिरिक्त वित्तपोषण की** बड़ी मात्रा को संग्रह करने, प्रबंधन और संवितरण करने तथा उन संसाधनों को **सर्वाधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों में** निर्देशित/वितरित करने के लिए निर्मित गया था।
  - यह स्विट्ज़रलैंड में **एक गैर-लाभकारी फ़ाउंडेशन के रूप में पंजीकृत** है तथा इसका सचिवालय **जेनेवा,** (स्विट्ज़रलैंड) में स्थित है।
  - **विश्व बैंक,** इस वैश्विक कोष में अंशदान किए गए धन का **संरक्षक (ट्रस्टी)** है। वैश्विक स्तर पर बहु-वर्षीय चक्र (मल्टीयर साइकल) में धन संग्रह किया जाता हैं, जिसे **पुनःपूर्ति (Replenishment)** कहा जाता है।
  - इस वैश्विक कोष का वित्तपोषण सभी क्षेत्रों, जैसे - सरकारों, निजी क्षेत्र, सामाजिक उद्यमों व्यक्तियों आदि के **स्वैच्छिक वित्तीय अंशदान** से होता है।
  - पुनःपूर्ति मॉडल के तहत, दाताओं ने स्वतंत्र रूप से अपना अंशदान निर्धारित किया है और दाता सामान्य तौर पर एक निश्चित अवधि के लिए अंशदान करने हेतु संकल्प (pledge) करते हैं।
  - ये संकल्प वैश्विक कोष में किए गए नियोजित अंशदान के संबंध में सार्वजनिक और गैर-बाध्यकारी घोषणाएं होती हैं।
  - भारत द्वारा वर्ष 2002 से ही इस वैश्विक कोष से निरंतर सहायता प्राप्त की गई और इसमें अंशदान भी किया जाता रहा है। अब तक, भारत द्वारा HIV/एड्स, क्षयरोग और मलेरिया में कमी से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक कोष से 2.0 बिलियन डॉलर की राशि प्राप्त की गई है।

10.30. साथी पहल

(Sathi Initiative)

- एक **'परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान (Sophisticated Analytical and Technical Help Institute: SATHI)'** की स्थापना हेतु IIT खड़गपुर का चयन किया गया है।
- **SATHI के बारे में:**
  - यह **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग** की एक पहल है।
  - SATHI को अत्याधुनिक साझेदारी, पेशेवर रूप से प्रबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा।
  - ये केंद्र प्रमुख विश्लेषणात्मक उपकरण और उन्नत विनिर्माण सुविधा से युक्त होंगे, जो सामान्यत: संस्थानों/संगठनों में उपलब्ध नहीं होते हैं।
  - इसका उद्देश्य उद्योग, स्टार्ट-अप्स और शिक्षाविदों की मांगों को पूरा करने के लिए एक ही केंद्र पर दक्षता, पहुंच तथा पारदर्शिता के साथ पेशेवर रूप से प्रबंधित सेवाएं प्रदान करना है।
  - SATHI सुविधाओं का उनके उपलब्ध समय के 80% का उपयोग बाहरी उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जाएगा जैसे कि- मेज़बान संस्थानों से बाहर स्थित।
  - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर, SATHI केंद्र के साथ देश में विज्ञान आधारित उद्यमिता और स्टार्ट-अप की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने **सामाजिक वैज्ञानिक उत्तरदायित्व (Social Scientific Responsibility: SSR)** कार्यक्रम के रूप में कार्य करेंगे।
  - IIT (दिल्ली) और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU)-वाराणसी अन्य संस्थान हैं जहां पर SATHI सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।

10.31. साल्मोनेला

(Salmonella)

- हाल ही में, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (United States Food and Drug Administration: FDA) ने MDH उत्पादों को साल्मोनेला बैक्टीरिया से संदूषित (contaminated) पाया है।

- **साल्मोनेला के विषय में**
  - यह बैक्टीरिया का एक समूह है जो खाद्य-जनित रोगों का वाहक बन सकता है। इन बीमारियों को सालमोनेलोसिस के रूप में जाना जाता है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रभावित करती हैं।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने साल्मोनेला को डायरिया रोगों के चार प्रमुख वैश्विक कारणों में से एक के रूप में चिन्हित किया है।
  - मनुष्यों में सालमोनेलोसिस मुख्यतः पशुओं से प्राप्त उत्पाद के दूषित भोजन (मुख्य रूप से अंडे, मांस, कुक्कुट, दुग्ध) के सेवन से होता है।
    - हरी सब्जियों सहित अन्य खाद्य पदार्थ खाद द्वारा संदूषित हो जाते है, जो इन रोगों के प्रसार के लिए लिए उत्तरदायी होते हैं।
    - फेकल-ओरल रूट (faecal-oral route) के माध्यम से भी एक व्यक्ति-से-दूसरे व्यक्ति में इनका प्रसार हो सकता है।

10.32. डेनिसोवन

(Denisovans)

- **'द नेचर'** की रिपोर्ट के अनुसार दीर्घकाल से लुप्त मानव के पूर्वज कैसे दिखते थे, यह समझने के लिए वैज्ञानिकों ने **डीएनए-मिथाइलेशन (रासायनिक परिवर्तन)** का उपयोग करते हुए, पहली बार डेनिसोवन के कंकाल के विशेषताओं को पुनर्संरचित किया है।
- **डेनिसोवन के बारे में**
  - डेनिसोवन, होमिनिड की एक विलुप्त प्रजाति है तथा आधुनिक मनुष्यों से निकटतम रूप से संबंद्ध हैं।
  - वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार डेनिसोवन की पहचान वर्ष 2010 में साइबेरिया के अल्ताई पर्वत में स्थित डेनिसोवा गुफा में की गयी थी।
  - अंतिम हिम युग के दौरान डेनिसोवन संभवतः साइबेरिया से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया तक पाए जाते थे।
  - डेनिसोवन प्रजाति, निएंडरथल एवं आधुनिक मानव के पूर्वज एक ही हैं। इन पूर्वजों को होमो हीडलबर्गेंसिस (heidelbergensis) कहा जाता है, जो मुख्यतः अफ्रीका में निवास करते थे।

10.33. बहिर्ग्रह पर जल की प्राप्ति

(Water Found on Exoplanet)

- खगोलविदों ने पहली बार सौर मंडल के बाहर **K2-18** नामक एक दूरस्थ बौने तारे (ड्वार्फ स्टार) की परिक्रमा कर रहे एक बहिर्ग्रह (एक्सोप्लैनेट) **K2-18b** के वातावरण में जल तथा पृथ्वी के समान तापमान की खोज की है, जो जीवन के लिए सहायक हो सकते हैं।
- K2-18b को **सुपर-अर्थ** (ऐसे बहिर्ग्रह जिनका द्रव्यमान पृथ्वी और नेपच्यून के मध्य हो) के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से आठ गुना अधिक है।
- इन परिणामों ने ग्रह के वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम की उपस्थिति का संकेत देते हुए जल वाष्प के आणविक साक्ष्यों को प्रदर्शित किया है।

10.34. गोल्डस्मिडाइट

(Goldschmidtite)

- हाल ही में. दक्षिण-अफ्रीका की एक खदान से प्राप्त हीरे के अंदर एक नया खनिज **गोल्डस्मिडाइट** की खोज की गई है। इस खनिज में पृथ्वी के मेंटल से प्राप्त खनिज की अपेक्षा एक असामान्य रासायनिक विशेषता पाई जाती है।
- गोल्डस्मिडाइट में **नायोबियम, पोटैशियम और दुर्लभ मृदा धातुएँ यथा- लैंथेनम और सीरियम की उच्च सांद्रता पायी गई है,** जबकि शेष मेंटल में मैग्नीशियम और लौह जैसे अन्य तत्वों की अधिकता पाई गई है।
  - इस खनिज में पोटेशियम और नायोबियम की अधिकता पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि इन असाधारण तत्वों का संकेन्द्रण असाधारण प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ होगा।

10.35. TB हारेगा देश जीतेगा अभियान

(TB Harega Desh Jeetega Campaign)

- हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वर्ष 2022 तक देश भर में क्षयरोग अथवा ट्यूबरक्लूसिस **(TB)** देखभाल सेवाओं की पहुंच में सुधार और विस्तार करने के लिए **'TB हारेगा देश जीतेगा अभियान'** की घोषणा की है।
- **इस अभियान के तीन स्तंभ हैं -** नैदानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक स्वास्थ्य घटक और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी।
- इस अभियान के अन्य सहायक तत्वों में **निजी क्षेत्र की संलग्नता, रोगी सहायता और सभी स्तरों पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता शामिल है।**
- सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निजी या सार्वजनिक अस्पतालों में सभी रोगियों को निःशुल्क और उच्च गुणवत्तायुक्त TB देखभाल की सुविधा प्राप्त हो।

10.36. आनुवंशिक विकार हेतु उम्मीद पहल

(Ummid For Genetic Disorder)

- हाल ही में, सरकार द्वारा "UMMID या उम्मीद (वंशानुगत विकारों के उपचार एवं प्रबंधन की विलक्षण पद्धतियां) पहल" का शुभारंभ किया गया है।
- इसका उद्देश्य **चिकित्सकों के मध्य आनुवंशिक विकारों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना** और **अस्पतालों में आणविक निदान स्थापित करना है** जिससे कि मेडिकल जेनेटिक्स में विकास के लाभ की रोगियों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
- यह पहल **जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है।**
- **उम्मीद पहल के तीन घटक हैं;**
  - सरकारी अस्पतालों में परामर्श, प्रसव-पूर्व परीक्षण और निदान, प्रबंधन, तथा बहु-विषयक देखभाल प्रदान करने के लिए **निदान** (National Inherited Diseases Administration: NIDAN) **केंद्र** (नैदानिक केंद्र) स्थापित करना।
  - **मानव आनुवंशिकी के क्षेत्र में कुशल चिकित्सकों को तैयार करना,** और
  - **आकांक्षी जिलों** के अस्पतालों में **गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं में** जन्मजात आनुवंशिक बीमारियों **की जांच करना।**

10.37. ग्लोबल गोलकीपर गोल्स अवॉर्ड 2019

(Global Goalkeepers Goals Award 2019)

- हाल ही में, **स्वच्छ भारत अभियान** के लिए **बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन** द्वारा प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** को वर्ष 2019 का ग्लोबल गोलकीपर गोल्स अवॉर्ड प्रदान किया गया है।
- **ग्लोबल गोलकीपर गोल्स अवॉर्ड के बारे में**
  - **उद्देश्य:** संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को पूरा करने की दिशा में अपने योगदान के लिए विश्व भर के परिवर्तनकारी नेतृत्व (changemakers) को बढ़ावा देना है।
  - **पुरस्कारों की पांच श्रेणियां:** प्रोग्रेस अवार्ड (16-30 आयु वर्ग हेतु), चेंजमेकर अवार्ड (आयु 16-30 आयु वर्ग हेतु), कैंपेन अवार्ड (16-30 आयु वर्ग हेतु), गोलकीपर वॉयस अवार्ड (किसी भी आयु वर्ग हेतु) और ग्लोबल गोलकीपर अवॉर्ड (किसी भी आयु वर्ग हेतु)।
- वर्ष 2019 में, राजस्थान की एक 16 वर्षीय कार्यकर्ता **पायल जांगिड़** को बाल विवाह के विरुद्ध उसके कार्य के लिए **चेंजमेकर अवार्ड** से सम्मानित किया गया था।
  - **पुरस्कार राशि:** कैंपेन, चेंजमेकर और प्रोग्रेस अवार्ड विजेताओं को उनके द्वारा अपने क्षेत्रों में किए गए प्रयासों के लिए गैर आवंटित निधि के रूप में 10,000 डॉलर और उनकी कहानी के प्रोत्साहन हेतु सहायता के रूप में मीडिया और प्रशिक्षण परिसंपत्तियों का एक पैकेज प्रदान किया जाता है।

10.38. वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग

(World Digital Competitive Ranking)

- हाल ही में, **इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेन्ट (International Institute for Management Development: IMD)** की वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रैंकिंग 2019 में भारत चार स्थान वृद्धि के साथ **44वें स्थान** पर पहुंच गया है।
- IMD वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग (World Digital Competitiveness Ranking : WDCR) व्यवसाय, सरकार तथा व्यापक समाज में आर्थिक रुपांतरण के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने एवं उनके अन्वेषण हेतु 63 अर्थव्यवस्थाओं की क्षमता एवं तैयारी की माप करता है। इसे वर्ष **2017 में प्रारम्भ** किया गया था।
- किसी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए, WDCR 3 कारकों की जांच करता है: **ज्ञान (Knowledge) -** नई प्रौद्योगिकियों को समझने और सीखने की क्षमता; **प्रौद्योगिकी (technology) -** नए डिजिटल नवाचारों को विकसित करने की क्षमता; और **भविष्य की तैयारी (future readiness) -** आगामी घटनाक्रमों के लिए तैयारी।
  - इस इंडेक्स में भारत को वर्ष 2018 के 48वें स्थान के विपरीत 44वां स्थान प्राप्त हुआ है क्योंकि देश में विगत वर्ष की रैंकिंग की तुलना में सभी कारकों (ज्ञान, प्रौद्योगिकी और भविष्य की तैयारी) में समग्र सुधार हुआ है।
- **WDCR 2019 में शीर्ष 5 देश :** 1) संयुक्त राज्य अमेरिका 2) सिंगापुर 3) स्वीडन 4) डेनमार्क 5) स्विट्जरलैंड हैं।

10.39. डिजिटल भुगतान अभियान

(Digital Payment Abhiyaan)

- हाल ही में, **डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया (Data Security Council of India : DSCI)** द्वारा **राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के रूप में** 'डिजिटल भुगतान अभियान' प्रारम्भ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा गूगल (Google) इंडिया के साथ साझेदारी स्थापित की गई है।
- यह डिजिटल भुगतान करने के लाभों पर अंतिम उपयोगकर्ताओं को जागरूक करेगा तथा सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु बेहतर अभ्यासों को अपनाने हेतु उन्हें प्रेरित करेगा।
- इसे **सात भाषाओं,** यथा- हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, बंगाली और मराठी में तैयार किया जाएगा।
- यह उपयोगकर्ताओं के साथ संलग्न होगा और उन्हें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (Unified Payments Interface:UPI), वॉलेट, कार्ड के साथ-साथ नेट बैंकिंग तथा मोबाइल बैंकिंग सहित विभिन्न भुगतान चैनलों का उपयोग करने के लिए **क्या किया जाना चाहिए व क्या नहीं किया जाना चाहिए (dos and don'ts)** के बारे में जागरूक करेगा।
- DSCI ने सभी राज्यों में उपयोगकर्ताओं तक पहुँच बढ़ाने हेतु बैंकिंग, कार्ड नेटवर्क के साथ-साथ फिन-टेक सेगमेंट जैसे विभिन्न डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के भागीदारों को शामिल किया है।

डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया (Data Security Council of India: DSCI)

- यह भारत में डेटा संरक्षण हेतु एक गैर-लाभकारी, उद्योग निकाय है। इसे **नास्कॉम** (NASSCOM) द्वारा स्थापित किया गया है।
- यह साइबर सुरक्षा तथा गोपनीयता में बेहतर अभ्यासों, मानकों और पहलों की स्थापना करके साइबर-स्पेस को सुरक्षित, निश्चित एवं विश्वसनीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए DSCI, नीतिगत समर्थन, वैचारिक नेतृत्व, क्षमता निर्माण एवं आउटरीच गतिविधियों के लिए सरकारों एवं उनकी एजेंसियों, नियामकों, उद्योग क्षेत्रों, उद्योग संघों तथा थिंक टैंक्स के साथ संलग्न है।

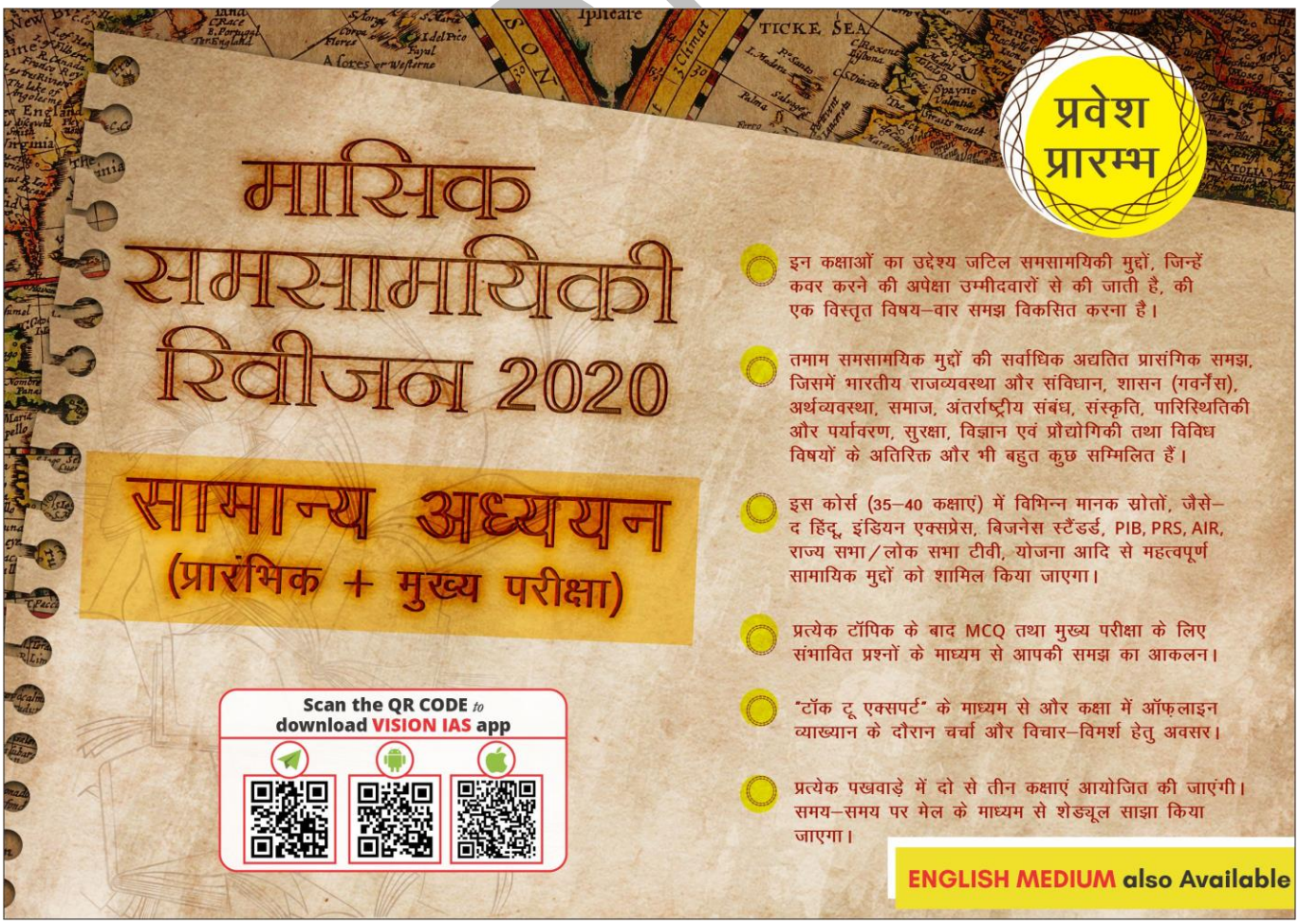

11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes In News)

11.1. क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम

(Credit Linked Capital Subsidy Scheme)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए पूँजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अपग्रेडेड क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (CLCSS) को प्रारंभ किया गया है।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• **इस योजना के तहत अनुमोदित विशिष्ट उप-क्षेत्र / उत्पादों से सम्बन्धित आवश्यक प्रौद्योगिकियों (सुस्थापित एवं प्रमाणित) को अपनाए जाने हेतु संस्थागत वित्त प्रदान कर** MSEs को प्रौद्योगिकी अपनाने में सहायता प्रदान करना है।	• यह योजना लघु, खादी, ग्रामीण और कॉयर उद्योग सहित **51 उप-क्षेत्रों में MSMEs इकाइयों को 1 करोड़ रुपए तक के संस्थागत ऋण पर 15 प्रतिशत की अग्रिम सब्सिडी प्रदान करती है।** • यह **एक मांग-संचालित योजना है जिसमें** सब्सिडी संवितरण संबंधी समग्र वार्षिक व्यय पर **ऊपरी सीमा आरोपित नहीं की गई है।** • **SC-ST उद्यमियों के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की गई है,** जबकि 117 'आकांक्षी' जिलों, पहाड़ी राज्यों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। • **यह सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित MSME के योगदान में वृद्धि करने के साथ-साथ** इस क्षेत्र के उत्पादों के **निर्यात को भी बढ़ावा देगी।** • **इसमें बेहतर पैकेजिंग तकनीक के साथ-साथ प्रदूषण-रोधी उपाय,** ऊर्जा संरक्षण मशीनरी, इन-हाउस परीक्षण और ऑन-लाइन आधार पर गुणवत्ता नियंत्रण करना भी शामिल है। • इस योजना को **बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा MSEs को प्राप्त होने वाले सावधि ऋण** से भी संबद्ध किया गया है। इसे **SIDBI और NABARD** सहित 12 नोडल बैंकों / एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। • **CLCSS के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए,** पात्र MSEs को उस प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (PLIs) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता होती है, जिसके तहत MSEs द्वारा प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए सावधि ऋण प्राप्त किया जा सकता है। • यह **क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी फॉर टेक्नोलॉजी अप-ग्रेडेशन (CLCS-TUS)** योजना का एक घटक है। • क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (CLCSS) को **वर्ष 2000 में प्रारम्भ किया गया था** और वर्ष 2005 में सब्सिडी की दर को 12% से बढ़ाकर 15% करने के साथ ऋण की सीमा को 40 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक करने संबंधी संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

11.2. उदारीकृत विप्रेषण योजना

(Liberalised Remittance Scheme: LRS)

भारत में निवासी भारतीयों द्वारा जुलाई माह में उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत 1.69 बिलियन डॉलर का बहिर्प्रवाह किया गया है। यह अब तक किए गए मासिक बहिर्प्रवाह में सर्वाधिक है।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• **बिना किसी विशिष्ट अनुमोदन के, सीमा-पार धन का प्रेषण**	• **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की LRS के तहत, नाबालिकों सहित सभी निवासी व्यक्तियों को निम्नलिखित हेड्स (शीर्षक) के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में विभिन्न मदों के लिए 2,50,000 डॉलर तक मुक्त रूप से विप्रेषण**

VISION IAS

करना	**करने की अनुमति प्राप्त है:** चालू खाता लेनदेन, जैसे कि रोजगार हेतु विदेश जाना, विदेशों में अध्ययन, उत्प्रवासन, अपने रिश्तेदारों का भरण-पोषण, चिकित्सा उपचार आदि। • निवासी LRS के तहत **पूंजी खाता लेनदेन** के लिए धन का हस्तांतरण भी कर सकते हैं, जिसमें विदेश में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलना, संपत्ति का क्रय और म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश करना, उद्यम पूंजी कोष आदि शामिल हैं। • इसे सर्वप्रथम वर्ष 2004 में प्रारम्भ किया गया था और LRS के तहत प्रेषण की आवृत्ति (किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में उपलब्ध) पर कोई प्रतिबंध नहीं है। • यह कॉर्पोरेट्स, साझीदार फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), न्यासों आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। • इसके तहत, लोगों द्वारा वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) द्वारा "असहयोगी देशों एवं क्षेत्रों" के रूप में चिन्हित और आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं को धन प्रेषित नहीं किया जा सकता है। • LRS, विदेशों में विदेशी मुद्रा की खरीद-बिक्री या लॉटरी टिकट या स्वीप स्टेक (घुड़दौड़ का जुआ) की खरीद, वर्जित पत्रिकाओं आदि या विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 की अनुसूची II के तहत प्रतिबंधित वस्तुओं की खरीद को प्रतिबंधित करता है।

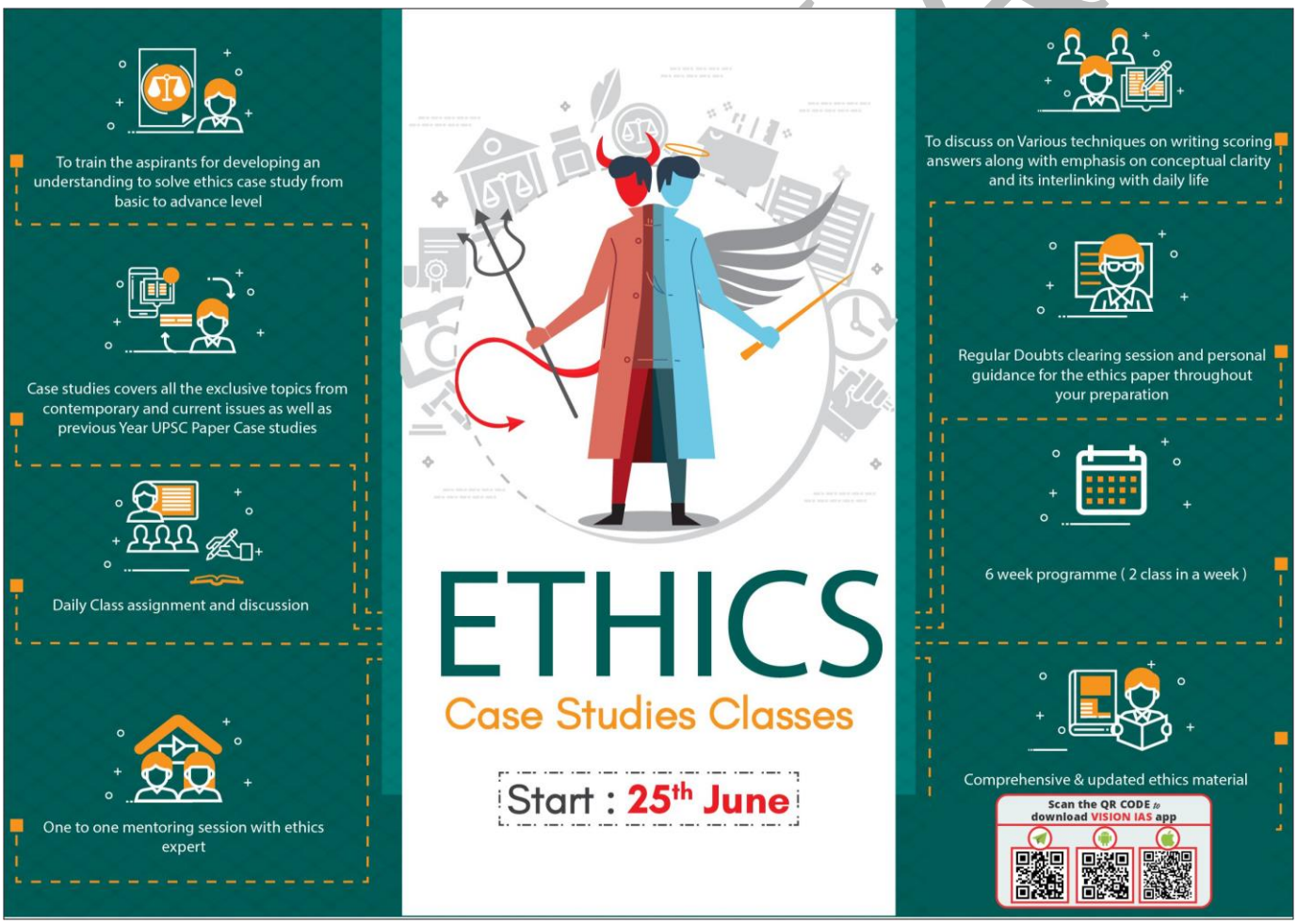

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS